

WHITE BOOK

COACH Up IAS
YOUR SELECTION **Is** OUR BUSINESS

NCERT

राजव्यवस्था

हिंदी

माध्यम

FOR CIVIL SERVICES
EXAMINATION



IAS COACH ASHUTOSH
SRIVASTAVA



IAS COACH MANISH
SHUKLA

Class:- VI-XII

8009803231

9305953426



1 : 1 MENTORSHIP BEYOND THE CLASSES

- **Diagnosis** of candidates based on background, level of preparation and task completed.
- **Customized solution** based on Diagnosis.
- One to One **Mentorship.**
- Personalized schedule **planning.**
- Regular **Progress tracking.**
- **One to One classes** for Needed subjects along with online access of all the subjects.
- Topic wise **Notes Making sessions.**
- One Pager (**1 Topic 1 page**) Notes session.
- **PYQ** (Previous year questions) Drafting session.
- **Thematic charts** Making session.
- **Answer-writing** Guidance Program.
- **MOCK Test** with comprehensive & swift assessment & feedback.



Ashutosh Srivastava
(B.E. , MBA, Gold Medalist)
Mentored 250+ Successful Aspirants over a period of 12+ years for Civil Services & Judicial Services Exams at both the Centre and state levels.



Manish Shukla
Mentored 100+ Successful Aspirants over a period of 9+ years for Civil Services Exams at both the Centre and state levels.

Class-06

सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन

1. विविधता
2. सरकार
3. स्थाई सरकार और प्रशासन
4. आजीविकाएँ

विविधता

विविधता की समझ

भारत में विविधता:- भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं। विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग-अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न-भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं।



विविधता

- ☞ विविधता का अर्थ है अलग अलग तरह की चीजें, धर्म, बोली, भाषा और समाज। जैसे भारत एक विविधता वादी समाज या राष्ट्र है अर्थात् यहां विभिन्न प्रकार की बोलियां भाषाओं और सभ्यताओं या धर्म और जातियां मिलती हैं।
- ☞ संसार विविधताओं से भरपूर है व्यक्तियों में, वातावरण में, और जीवन के सभी क्षेत्रों में विविधता पाई जाती हैं। जाति, धर्म, लिंग, अभिवृत्ति, सामाजिक आर्थिक स्थिति: शारीरिक क्षमता और धार्मिक मान्यताओं आदि की व्यक्तिगत मतभेदों के द्वारा पहचाना जा सकता है।

विविधता को कैसे समझें?

- ❖ करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर।

- ❖ अक्सर ये यात्राएँ खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थीं। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे।
- ❖ इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर-बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जा कर बस जाते थे।
- ❖ कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजे वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे।
- ❖ इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान-प्रदान होता और धीरे-धीरे एक मिश्रित यानी मिली-जुली संस्कृति उभरती।
- ❖ अलग-अलग क्षेत्रों के इतिहास से पता चलता है कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देते में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे।
- ❖ ठीक इसी प्रकार लोग अलग-अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान-पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे, वे भी अलग होंगे।
- ❖ शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ

है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं।

- ❖ भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है।

लद्दाख

- ☞ लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह क्षेत्र वर्षभर बर्फ से ढंका रहता है।
- ☞ इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं।
- ☞ यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महँगी होती है। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ, जैसे मक्खन, चीज (खास तरह का छेना) एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने के बावजूद व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित होते हैं।
- ☞ यहाँ कई घाटिया हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे तिब्बत कहते हैं।
- ☞ काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे।
- ☞ लद्दाख के रास्ते हो बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर

लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी-खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं।

- ☞ लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं।

केरल

- ☞ केरल भारत के दक्षिणी-पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से।
- ☞ इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कालीमिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना।
- ☞ सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है।
- ☞ अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्नबतूता में, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी।
- ☞ वास्को डि गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना।
- ☞ इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण रेल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं जिनमें इस्लाम ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है।
- ☞ चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर महली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से मिलते हैं और उन्हें 'चीना वला' कहते हैं। कहने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे 'चीनाचट्टी' कहते हैं। इसमें

'चीन' शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसको उत्पत्ति कहा हुई होगी।

केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं।

- ❖ जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया।
- ❖ जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊँच ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है।
- ❖ विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति-रिवाज और जीने का तरीका धीरे-धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में अलग-अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं।

विविधता में एकता

- ❖ भारत को विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी।
- ❖ इकट्ठे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग-अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग-अलग तरीकों से विरोध किया।

- ❖ अंग्रेजों ने भारत के लोगों में फूट डालने का प्रयास किया क्योंकि उनका मानना था कि भारतीयों में काफी विविधताएँ हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे में कितने ही भिन्न हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे।
- ❖ जलियाँवाला बाग हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय, निहत्थे लोगों पर खुले आम गोलियाँ चलवा दी, जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे।
- ❖ महिला-पुरुष, हिंदू-मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों को पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गईं और उससे भी ज्यादा घायल हुए।
- ❖ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था।
- ❖ जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि "यह बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग-अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है।"
- ❖ नेहरू ने ही भारत की विविधता का वर्णन करते हुए 'अनेकता (में एकता)' का विचार दिया।

विविधता एवं भेदभाव

- ❖ हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन-सी भाषाएँ बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन-से खेल खेलते हैं और कौन-से उत्सव मनाते हैं- इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें :-

- ❖ संसार में आठ मुख्य धर्म हैं। भारत में उन आठों धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं।
- ❖ यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएँ बोलो जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएँ हैं। यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं।
- ❖ यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं।
- ❖ कभी-कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं।

भेदभाव या विभेदन

- ☞ किसी व्यक्ति या अन्य चीज के पक्ष में या उस के विरुद्ध, उसके व्यक्तिगत गुणों-अवगुणों को न देखते हुए उसके किसी वर्ग, श्रेणी या समूह का सदस्य होने के आधार पर भेद करने की प्रक्रिया को कहते हैं।
- ☞ भेदभाव में अक्सर किसी व्यक्ति को उसके वर्ग के आधार पर अवसरों, स्थानों, अधिकारों और अन्य चीजों से वंचित कर दिया जाता है।
- ☞ भेदभावी परम्पराएँ, नीतियाँ विचार, कानून और रीतियाँ बहुत से समाजों देशों और संस्थाओं में हैं और अक्सर यह वहाँ भी मिलती हैं जहाँ औपचारिक रूप से भेदभाव को न्यायिक रूप से वर्जित या अनौचित्य समझा जाता है।
- ☞ यह किसी धर्म जाति के मूल वंश के प्रति किया गया नकारात्मक व्यवहार है।

पूर्वाग्रह

- ❖ किसी के भी दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह है क्या दूसरे लोगों के दिमाग में

भी ये पूर्वाग्रह हो, लोगों को दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं?

ग्रामीण लोग

- ☞ आधे से ज्यादा भारतीय गाँवों में रहते हैं
- ☞ ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते। वे अंधविश्वासी भी होते हैं।
- ☞ ग्रामीण लोग बहुत पिछड़े हुए होते हैं और वे कृषि की आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं।
- ☞ फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग लांग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं।
- ☞ ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों को और स्थानान्तरण करने को बाध्य होते हैं।

शहरी लोग

- ☞ शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं।
- ☞ शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं।
- ☞ शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं।
- ☞ शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे चालाक और धष्ट होते हैं।
- ☞ शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई कर एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने-जाने में खर्च जाता है।

- ❖ इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी एवं अंधविश्वासी की तरह देखते हैं जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, चालाक एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं।
- ❖ जब किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप से लेती

है। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। जैसा कि कथनों में दिया गया है- लोगों को आलसी, चालाक या कंजूस मानना भो पूर्वाग्रह है।

- ❖ जब यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचे कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणामस्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएँगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएँ बोलते हैं।
- ❖ हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि।
- ❖ अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुःख पहुंचा देते हैं।

भेदभाव का प्रमुख कारण

- ☞ भारत सहित किसी भी देश में होने वाले भेदभाव का प्रमुख कारण पूर्वाग्रह है।
- ☞ पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी व्यक्ति में संचित उन भावनाओं से है जिसके कारण यह किसी व्यक्ति अभवा समूह के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक रुझान रखता है।
- ☞ सामान्य रूप में सामाजिक विकास के दौरान व्यक्ति जिन परिस्थितियों में रहता है उनके आधार पर उसके मन में पूर्वाग्रह का निर्माण होता है।
- ☞ पूर्वाग्रह से प्रभावित व्यक्ति वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए विशेष समूह और लोगों के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार करने लगता है।

पूर्वाग्रह से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ

- ☞ पिसत्तात्मक समाज में महिलाओं से भेदभाव उनके मन में हीन भावना का संचार करता है। इससे महिलाएँ सामाजिक विकास में पीछे छूट जाती हैं और उनके प्रति यौन हिंसा, घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक अपराध होते हैं।
- ☞ हमारे देश में जाति के आधार पर भेदभाव एक बड़ी समस्या रही है। जाति आधारित भेदभाव तथा शोषण के मूल में पूर्वाग्रह की मानसिकता ही कार्य करती है।
- ☞ उसी प्रकार सांप्रदायिकता की समस्या के मूल में भी दूसरे धर्म के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह की भावना हो कार्य करती है।

लड़के और लड़की में भेदभाव

- ❖ समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? कई लोग कहेंगे, "हम लड़के या लड़कों की तरह जन्म लेते हैं।"
- ❖ अगर इस कथन को लें कि 'वे रोते नहीं तो यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं।' जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं।
- ❖ यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है।
- ❖ हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी राने का मन करता है खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है।

- ❖ अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिदाएँगे या उसका मजाक बनाएँगे इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है।
- ❖ हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि 'लड़के ऐसे होते हैं' और 'लड़कियाँ ऐसी होती हैं'। समाज की इन मान्यताओं को बिना सोचे-समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं।

रूढ़िबद्ध धारणाएँ बनाना

- ❖ जब सभी लोगों को एक ही छवि में बाँध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को 'कंजूस', 'अपराधी' या 'बेवकूफ' ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है।
- ❖ हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना बाजिब नहीं है।
- ❖ इस प्रकार की धारणाएँ हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ सहास, गुण और क्षमताएँ हैं जो दूसरों में अलग हैं।
- ❖ रूढ़िबद्ध धारणाएँ बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खाँचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियों नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएँ हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने को काबिलियत शायद हममें हो।

मुस्लिम समुदाय की लड़कियों शिक्षा

- ☞ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि से लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसीलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते।
- ☞ जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या जल्दी स्कूल से निकाल लेते हैं।
- ☞ जहाँ पर भी गरीबी तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास हैं। सरकारी बस को सुविधा बहुत अच्छी है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुँचने में मदद मिलती। उनमें 60 प्रतिशत से ज्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है जिनमें मुसलमान लड़कियों भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहाँ ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहाँ गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है-चाहे वे मुसलमान हो, जनजातीय हों या अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों को स्कूल से गैरहाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है।

असमानता एवं भेदभाव

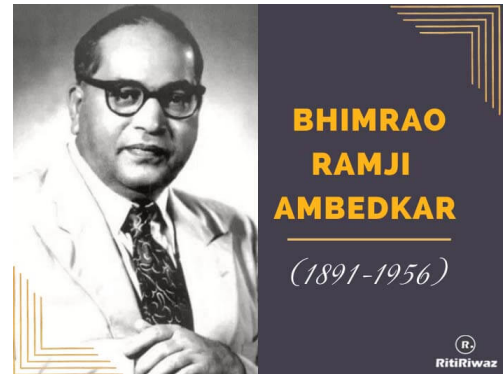
- ❖ भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रही हों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएँ पा हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते तो इसका मतलब है कि उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं।
- ❖ भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। किन्हीं दो लोगों का धर्म अलग होना विविधता का एक पहलू है। पर यह भेदभाव का

कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने में भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं।

- ❖ आर्थिक पृष्ठभूमि का अंतर विविधता का पहलू नहीं है। यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर को मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे यहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है।
- ❖ कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यमान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है।
- ❖ भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग-अलग तरह के काम करते हैं-जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बड़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है।
- ❖ जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया जिसमें एक जाति, दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आपको इस सौदों में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊँची जाति का और उत्कृष्ट कहा।
- ❖ जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको 'अछूत' और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन 'अछूतों' को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को

सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गाँव से हटाने की इजाजत थी।

- ❖ उन्हें ऊँची जाति के लोगों के घर में घुसने, गाँव के कुएँ से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊँची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा।



डा. भीम राव अंबेडकर (1891-1956)

- ☞ डा. भीम राव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है।
- ☞ डा. अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी।
- ☞ महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वहीं काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था और गाँव के अंदर आने की इजाजत नहीं था।
- ☞ अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। दलितों को अपने बच्चों को स्कूल-कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया।

- ☞ दलितों से अलग-अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ।
- ☞ दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखें। आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ हो लोगों की।

- ❖ भारत की जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए।
- ❖ भारत के एक महान नेता डा. भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगाँव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे।
- ❖ यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर-दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें।
- ❖ यह छोटी-सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी जबकि वे पैसा दे सकते थे।
- ❖ स्टेशन के सभी गाड़ीवानों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया।
- ❖ जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कार्य गतिविधियां से वंचित रखता है, बल्कि यह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है।

दलित

- ☞ दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को 'अछूत' से ज्यादा पसंद करते हैं।
- ☞ दलित का मतलब है जिनको दबाया गया है। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पुर्वाग्रहों और भेदभाव में दलित लोगों को 'दबाकर रखा है।
- ☞ सरकार ऐसे लोगों को 'अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है।

समानता के लिए संघर्ष

- ❖ ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था।
- ❖ दलित, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर-बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी।
- ❖ बहुत सारे दलितों ने सगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने माँग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आपको जमींदारों और उनकी ऊँची व्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया।
- ❖ 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया।
- ❖ संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है।
- ❖ इसलिए संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है।

- ❖ प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछुत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद है। नौकरियों सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सबके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग-थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए।
- ❖ संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है।
- ❖ उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए।
- ❖ कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी।
- ❖ भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं।
- ❖ हालाँकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा।
- ❖ भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. लद्दाख से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. लद्दाख, जम्मू कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्र में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती।
2. यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है।

भारत उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –B

2. केरल के सन्दर्भ में नीचे दिये कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत केरल में हुई।
2. केरल की जमीन चावल की कृषि के लिये अत्यन्त उपयोगी है।

उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –B

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 'दलित' शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं।
2. दलित का शाब्दिक अर्थ 'दवाकर रखा गया' या 'कुचला गया'।

उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –C

4. केरल में बेहतर शिक्षा व्यवस्था से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये

1. सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है।
2. 60 प्रतिशत से ज्यादा महिला शिक्षकों का होना।
3. स्कूलों का प्रायः घर के पास स्थित होना।

उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?

- A. केवल 3
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 2 और 3
- D. उपरोक्त सभी

उत्तर –D

15. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है।

कारण (R): प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं।

कूट :

- A. A और R दोनों सही है तथा A, R की साझे व्याख्या है।
- B. A और R दोनों सही है तथा A, R की सही व्याख्या नहीं है।
- C. A सही है, किन्तु R गलत है।
- D. A गलत है, किन्तु R सही है।

उत्तर –A

सरकार

सरकार क्या है?

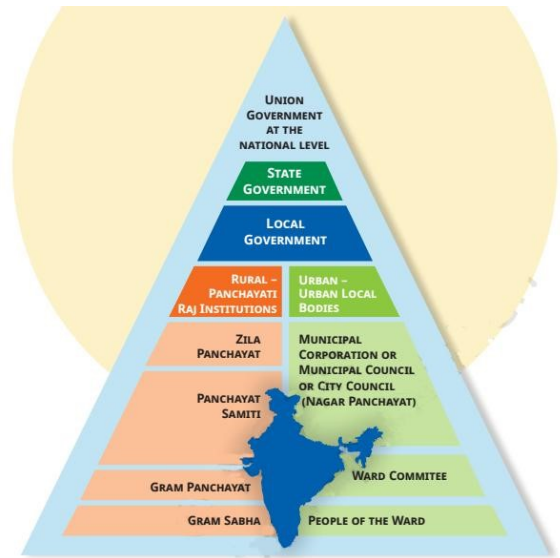
- ❖ प्रत्येक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं- सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएँ, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटयाए जाएँ अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए।
- ❖ सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएँ चलाना।
- ❖ सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसको जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलें।
- ❖ जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है।
- ❖ जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें।
- ❖ लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है।

सरकार के स्तर

- ❖ सरकार अलग-अलग स्तरों पर काम करती है-

- स्थानीय स्तर पर
- राज्य के स्तर पर एवं
- राष्ट्रीय स्तर पर।

- ❖ **स्थानीय स्तर** का मतलब गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है।



सरकार

- ☞ कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। प्रायः इसके तीन अंग होते हैं- व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका।
- ☞ सरकार के माध्यम से राज्य में राजशासन नीति लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था में होता है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है।

- ☞ राज्य निरन्तर बदलती हुई सरकारों द्वारा प्रशासित होते हैं। हर नई सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होती है जो राजनीतिक फैसले लेती है या उन पर नियन्त्रण रखती है।
- ☞ सरकार का कार्य नए कानून बनाना, पुराने कानूनों को लागू रखना तथा झगड़ों में मध्यस्थता करना होता है। कुछ समाजों में यह समूह आत्म-मनोनीत या वंशानुगत होता है। बाकी समाजों में, जैसे लोकतंत्र, राजनीतिक भूमिका का निर्वाह निरन्तर बदलते हुये व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।
- ☞ संसदीय पद्धति में सरकार का अभिप्राय राष्ट्रपतीय पद्धति के अधिशासी शाखा से होता है। इस पद्धति में राष्ट्र में प्रधानमंत्री एवं मन्त्रीपरिषद् तथा राज्य में मुख्यमंत्री एवं मन्त्रीपरिषद् होते हैं। जनता द्वारा सरकार का दोबारा चयन न करना इस बात को नहीं दर्शाता है कि जनता अपने राज्य के तंत्र से नाखुश है। लेकिन कुछ पूर्णवादी शासन पद्धतियों में यह भेद इतना साफ नहीं है।

सरकार एवं कानून

- ❖ सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगे को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है।
- ❖ सरकार के पास जैसे कानून बनाने को ताकत होती है वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है।
- ❖ सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कह कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह

न्यायालय ज सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम की जरूरत है।

सरकार के प्रकार

- ❖ सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में कैसी सरकार है।
- ❖ लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बताते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है।
- ❖ एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है।
- ❖ राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा-सा समुह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है।

लोकतांत्रिक सरकार

- ❖ भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाते के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं।
- ❖ लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास आपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है।

- ❖ लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद हो शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव को प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं।
- ❖ आजकल कोई भी सरकार अपने आपको तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था।
- ❖ एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेते देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े-लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने-चुने पुरुष बनाते थे।
- ❖ भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की माँग की। गाँधीजी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर-शोर से यह माँग उठाई।
- ❖ 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधीजी ने कहा था. "मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता या जो दिनभर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है।"

महिला मताधिकार

- ☞ संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बाँटी है। पूरे यूरोप और अमरीका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा।
- ☞ महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे 'सफ्रज मूवमेंट' कहते हैं।
- ☞ 'सफ्रज' का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे।
- ☞ जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनको व्यवस्था करता शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनको क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवादी धारणाएं बना रखी थीं कि महिलाएँ ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा।
- ☞ महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार को माँग की। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह-जगह पर अपने आपको लोहे की जंजीरों से बाँधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमरीका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला।

लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्त्व भागीदारी

- ❖ लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों को तरफ से निर्णय

लेते हैं। यह मान कर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और माँगों को ध्यान में रखेंगे।

- ❖ सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि पाँच वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार पाँच वर्ष तक सत्ता में रहती है।
- ❖ सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार-बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है।

दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति

- ☞ दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं- श्वेत (गोरे), अश्वेत (काले) और जिनकी त्वचा का रंग साँवला है, जैसे भारतीय।
- ☞ दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब है त्वचा (चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका को प्रजातियाँ इसी आधार पर अलग-अलग समूहों में बँटी हुई थी।
- ☞ वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक-दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आस-पास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे।
- ☞ श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे जरूरत के मामलों से सुसज्जित होती थीं, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थीं उनमें सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं।

- ☞ उनके लिए रेल एवं बसे अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को बांट देने की इजाजत नहीं थी।
- ☞ देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेतों के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था।
- ☞ दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। वहाँ के श्वेत लोग 'अफ्रीकान्स' भाषा बोलते थे।
- ☞ स्कूल के विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था जबकि वे अपनी भाषा 'जुलू' सीखना चाहते थे।
- ☞ छात्रों ने मिलकर 'अफ्रीकान्स' सीखने का विरोध कर रखा था। यह 16 जून 1976 को दक्षिण अफ्रीका को पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियाँ बरसाईं।
- ☞ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने-माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया।
- ☞ अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा।

भागीदारी के अन्य तरीके

- ❖ चुनाव पाँच वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं।
- ❖ लोग सरकार के कार्यों में रुचि ले कर और उसकी आलोचना कर के भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब

एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया।

- ❖ लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की माँग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है।
- ❖ ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्यायसंगत नहीं हैं, उन्हें सामने लाया जाता है।
- ❖ अखबार, पत्रिकाएँ एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता।
- ❖ लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आन्दोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर-तरीके को चुनौती दें।
- ❖ दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है।
- ❖ अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है।

विवादों का समाधान

- ❖ विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक

समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है।

- ❖ विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक-दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।
- ❖ लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे।
- ❖ धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी-कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं।
- ❖ सरकार, खासकर पुलिस ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठा कर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके।
- ❖ नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए-
 - कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है। कर्नाटक के कृष्णाराजासागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है इस पानी से बंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं तमिलनाडु के मेट्टूर बाँध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है।

- दोनों बाँध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णाराजासागर बाँध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बाँध नदी के निचले छोर पर।
- मेटूर बाँध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णाराजासागर बाँध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है।
- इसके बाद राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ा है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बटवारा हो पाए।

समानता एवं न्याय

- ❖ लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होता। न्याय एवं समानता को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।
- ❖ अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा,

स्वास्थ्य एवं यातायात को सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले तो उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था।

- ❖ न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्त्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है।
- ❖ इसे दूर करने के लिए, सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियाँ अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरणस्वरूप सरकारी स्कूल और कालेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें।
2. प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी होती है। उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2 का

उत्तर -A

2. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये-

1. यंग इंडिया - अंबेडकर
 2. सफ्रेज मूवमेंट - वोट देने का अधिकार
 3. इंग्लैंड में औरतों को वोट का अधिकार - 1928
- उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से युग्म सुमेलित है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1
- D. उपरोक्त सभी

उत्तर -B

3. नदी के पानी का बँटवारा विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. कर्नाटक का कृष्णाराजासागर बाँध कृष्णा नदी के ऊपरी छोर पर है।
 2. तमिलनाडु का मेटूर बाँध कृष्णा नदी के निचले छोर पर। उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- A. केवल 1
 - B. केवल 2
 - C. 1 और 2 दोनों
 - D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –D

4. रंगभेद की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

1. अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया।
2. अफ्रीका में 1994 में रंगभेद की नीति को खत्म किया जा सका।

उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. केवल 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –C

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): लोकतंत्र में सभी वर्ग के लोगों को भागीदारी का मौका मिलता है।

कारण (R): लोकतंत्र लोगों को भागीदारों का मौका देता है।

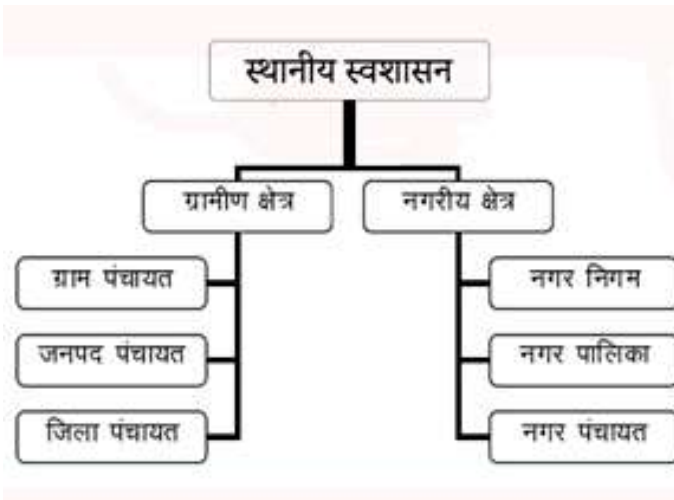
कूट :

- A. A और R दोनों सही है तथा A, R को सही व्याख्या है।
- B. A और R दोनों सही है तथा A, R की सही व्याख्या नहीं 1
- C. A सही है, किन्तु R गलत है।
- D. A गलत है, किन्तु R सही है।

उत्तर -D

स्थानीय सरकार और प्रशासन

पंचायती राज



ग्राम सभा

- ❖ ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गाँव हो या एक से ज्यादा। कई राज्यों में हर गाँव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है।
- ❖ कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गाँव को मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है।
- ❖ एक ग्राम पंचायत कई वार्ड (छोटे क्षेत्रों) में बँटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है।
- ❖ वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन पाँच साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है।

- ❖ सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना।

ग्राम पंचायत

- ❖ ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गाँवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। ग्राम सभा हो पंचायत के काम को स्वीकृति देती है तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएँ काम करवाने के लिए समितियाँ बनाती हैं, उदाहरण के लिए निर्माण समिति। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गाँव के विकास के लिए काम करते हैं।
- ❖ ग्राम पंचायत पूरे गाँव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएँ लोगों के सामने रखती है।
- ❖ ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ग्राम पंचायत के कार्य

- ☞ सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख-रखाव
- ☞ स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना

☞ गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएँ लागू करना

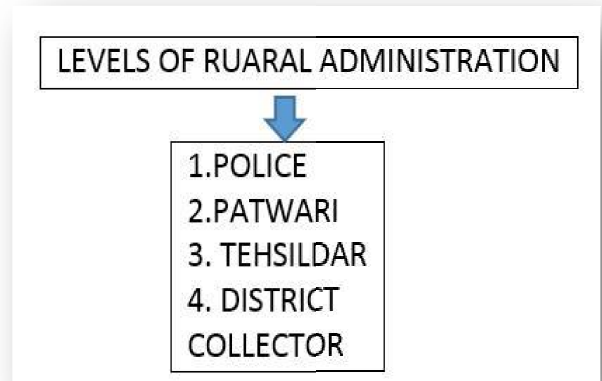
ग्राम पंचायत की आमवनी के स्रोत

- ☞ घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि
- ☞ विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलायी गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है।
- ☞ समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान

पंचायत के तीन स्तर

- ❖ पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है।
- ❖ ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है।
- ❖ ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकासखण्ड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं।
- ❖ पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद् होता है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद् एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएँ बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद् सभी पंचायतों में आबंटित राशि के वितरण को व्यवस्था करती है।
- ❖ संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग-अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गाँव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिलें।

गाँव का प्रशासन



- ❖ पुलिस थाने का क्षेत्र :-
- ❖ हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं।
- ❖ यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें, जाँच-पड़ताल करें और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करें।
- ❖ राजस्व विभाग का काम :-
- ❖ जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग-अलग राज्यों में इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है- कहाँ पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखाजोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।
- ❖ प्रत्येक पटवारी कुछ गाँवों के लिए जिम्मेदार होता है। आम तौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग-अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं।
- ❖ पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता

है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। इसीलिए जरूरी है कि वह उनको समय-समय पर दुरुस्त करता रहे।

- ❖ किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआँ खोद लेता है। इन सबका हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बंटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बाँट दिया जाता है।
- ❖ जिले के उप-खंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है।
- ❖ वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएँ और राजस्व (विभिन्न तरह के कर) इकट्ठा होता रहे।
- ❖ यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण-पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं।

खेत के नक्शे और रिकॉर्ड

- ☞ किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कम्प्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से

लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहे।

- ☞ रिकॉर्ड को जरूरत नीचे दी गई स्थितियों होती हैं। एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है। एक किसान को अपनी जमीन में कुआँ खोदते के लिए बैंक से कार्य चाहिए। एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे एवं बेटियों में बाटना चाहता है।

❖ एक नया कानून (हिंदू अधिनियम धारा, 2005)

- ❖ जमीन के मालिक आमतौर पर किसान पुरुष को माना जाता है। महिलाओं को खेतों के काम में एक मददगार भर को मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बाँट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा।

नगर प्रशासन

- ❖ नगर निगम सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। > नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियों न फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें काम करती हैं। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करण भी है कि शहर में बीमारियाँ न फैले। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग-बगीचों का रख-रखाव भी करता है।
- ❖ बहुत बड़े शहरों में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं।

नगर निगम के कर

- ☞ निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर (टैक्स) से आता है।
- ☞ कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई किर सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा कर
- ☞ निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर में केवल 25-30 प्रतिशत पैसा ही आता है।
- ☞ शिक्षा पर भी कर लगता है।
- ☞ आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तब उस पर भी कर देना पड़ता है। सिनेमा देखने पर मनोरंजन कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है।

निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी

- ❖ शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा।
- ❖ शहर को अलग-अलग भागों में बाँटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियाँ बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरणस्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ़ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले

की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियों ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है।

- ❖ जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएँ तो स्थानीय पार्षद विनती विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं।
- ❖ जहाँ पार्षदों की समितियों एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त (कमिश्नर) और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं।
- ❖ आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों को सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं।
- ❖ सभी वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबको सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद् के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। शहर में काम को अलग-अलग विभागों में बाँट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग, इत्यादि।
- ❖ हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए, आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है। उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. ग्राम सभा, एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है।
 2. गाँव के व्यक्ति जो 21 वर्ष या उससे अधिक के हों या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है।
- उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -A

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं।
 2. सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है।
 3. सचिव का कार्य, ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है।
- उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. 1 केवल 2
- C. केवल 1 और 3
- D. उपरोक्त सभी

उत्तर -D

3. ग्राम पंचायत के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख-रखाव करना।
2. स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना।
3. गाँव के लोगों को रोजगार देने सम्बन्धी सरकारी योजनाएँ लागू करना।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1

- B. केवल 1 और 2

- C. केवल 1 और 3

- D. उपरोक्त सभी

उत्तर -D

4. ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि।
2. विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है।

उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -C

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद तीसरा स्तर विकास खण्ड का होता है जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं।
2. सविधान में दिये हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसीलिये पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं।

उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न तो 2

उत्तर -B

6. पटवारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है।

2. खेत नापने के लिये कई जगहों पर पटवारी एक लम्बी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं।

3. पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1 और 3
- B. केवल 2
- C. केवल 1 और 2
- D. उपरोक्त सभी

उत्तर -C

उत्तर -D

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

1. किसानों की गतिविधियों की जानकारी, सरकार का राजस्व विभाग रखता है।

2. तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े मसलों को सुना जाता है।

3. विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण-पत्र आदि भी जारी करते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा में कथन सत्य है/है?

- A. केवल 1
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 2
- D. उपरोक्त सभी

उत्तर -D

8. हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. पैतृक सम्पत्ति में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को बराबर का हक मिलेगा।

2. यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा।

उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/है?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो और न ही 2

आजीविकाएँ

ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका

- ❖ **कलपट्टु गाँव**
- ❖ तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गाँव है **कलपट्टु**। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गाँवों की तरह यहाँ भो खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना।
- ❖ कलपट्टु में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। बाजार में तरह-तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा दो दुकानें बीज और खाद की।
- ❖ चार दुकानें चाय की हैं जहाँ 'टिफिन' भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने-पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा, बीडा व मैसूरपाक मिलता है।
- ❖ चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होला है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है। वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है।
- ❖ गाँव में दो परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं।
- ❖ गाँव छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है।

कर्ज लेने पर

- ❖ किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है।
- ❖ अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है।
- ❖ ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है।
- ❖ जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले, यह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया।
- ❖ पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है।
- ❖ भारत में प्रत्येक पाँच ग्रामीण परिवारों में से लगभग दो परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कड़ियों के पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। छोटे किसानों को लें तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80 प्रतिशत किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20 प्रतिशत किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गाँव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है।

- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ-साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गाँवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं।
- ❖ महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं।
- ❖ इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्रतटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गाँव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं।

नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती



- ☞ यह एक गाँव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गाँव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं।
- ☞ वह 'सीढ़ीनुमा' खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे-छोटे सपाट टुकड़ों में बाँटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं

जिससे पानी भरा रह पाए, यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है।

- ☞ चिजामी के लोगों के पास अपने-अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक-दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास-पतवार साफ करते हैं।

अरुणा और पारिवेलन

- ☞ पुदुपेट कलपट्टु से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और 'कैटामरैन' (मछुआरों की खास तरह को छोटी नाव) की पक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमागहमी रहती है।
- ☞ सारे कैटामरैन मछलियाँ पकड़ कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं।
- ☞ ये कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। जो महिलायाँ पकड़ी गई उनमें से परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठा कर रख दीं। बाकी नीलाम कर दी जाती है। इस नीलामी में जो पैसा मिलता है वह चार भागों में बँट जाता है। तीन हिस्से उन तीन लोगों में बँट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं।
- ☞ बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है, जो कैटामरैन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मछलियों मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर-भरकर पास के गाँवों में बेचने के लिए से जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियों खरीदते हैं।
- ☞ हर साल मॉनसून के दौरान करीब चार महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता

है। इन महीनों में व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली माहीने काटना सबसे मुश्किल होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन



- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती-बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं।
- ❖ खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम: प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन आक्रतुओं के इर्द-गिर्द ही चलता है।
- ❖ देश के अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग-अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएँ पाते हैं।
- ❖ लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह बौसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं।

- ❖ कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर-बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार देना पड़ता है या फिर तब लेख पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी जमीनों व्यापार और अन्य काम-धंधों पर फल-फूल रहे हैं।
- ❖ फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गाँव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता।

शहरी क्षेत्र में आजीविका



- ❖ शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीजे बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्व-रोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही सँभालना पड़ता है।
- ❖ वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ व कीम अपनी दुकान लगाएँ। उनकी दुकाने अस्थायी होती हैं। कभी-कभी वो टूटे-फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है या खर्बों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लते हैं।

- ❖ ये अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछा कर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगहें हैं जहाँ ठेलेवालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेलेवाले जो चीजे बेचते हैं वे अक्सर उनके परिवारवाले बनाते हैं। परिवारवाले चीजे को खरीद कर साफ करके, छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज्यादातर घर पर ही बनाया जाता है।
- ❖ अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12 प्रतिशत लोग सड़कों पर काम कर रहे थे।
- ❖ हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग एक करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल-फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलनेवाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास में अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है।
- ❖ सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव

- आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा।
- ❖ ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएँ। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप में आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएँ जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं।
 - ❖ कई तरह के लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी-बड़ी हैं और लोग अलग-अलग चीजे बेचते हैं।
 - ❖ ज्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते। लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं।
 - ❖ ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करना है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे-छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, करियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित पुग्मों पर विचार कीजिये

1. चखेसंग समुदाय- तमिलनाडु का एक गाँव
 2. पुदुपेट - नागालैण्ड को जनजाति
 3. कैटामरैन में मछुआरों को छोटी नाव - कलपुट्टु
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से युग्म सुमेलित है/हैं?
- A. केवल 1 व 3 B. केवल 2
C. केवल 3 D. उपरोक्त सभी

उत्तर- C

2. नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. चिजामी एक गाँव है जो नागालैंड के फेक जिले में है। इस गाँव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं।
2. चिजामी के लोगों के पास अपने-अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक-दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं।

उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?

- A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर- D

3. नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत में केवल 10 प्रतिशत किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं।
 2. ऐसे किसान गाँव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है।
- उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर- B

Class-07

सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-2

1. भारतीय लोकतंत्र में समानता
2. राज्य सरकार
3. लिंग बोध-जेंडर
4. संचार माध्यम
5. बाज़ार

1. भारतीय लोकतंत्र में समानता

समानता

मताधिकार की समानता

- ❖ भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है।
- ❖ 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार', समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री/पुरुष चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है।

अन्य प्रकार की असमानताएँ

- ❖ निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है- जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं, तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में हो जाता है।
- ❖ यदि भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात-पात में विश्वास नहीं करते। परंतु जरा एक प्रमुख समाचारपत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए, तो आप पाएँगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है।
- ❖ 'दलित' एक ऐसा शब्द है, जो निचली कही जानी वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। 'दलित' का अर्थ होता है-कुचला हुआ या टूटा हुआ और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है।

मानवीय गरिमा का मूल्य

- ❖ प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के।
- ❖ जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है, तो उनके सम्मान को ठेस पहुँचती है। यह भी उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे, जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है।

भारतीय लोकतंत्र में समानता

- ❖ भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सभी समान माने जाएँगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम-से-कम भारतीय संविधान में सभी व्यक्ति को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों को रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है।
- ❖ समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं- प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है।
- ❖ दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सभी लोग सार्वजनिक कुओं सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं।
- ❖ चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है।

समानता का अधिकार

☞ भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक के उपबंध समानता के अधिकार के अधीन वर्णित किये गए हैं। समानता के अधिकार के अधीन वर्णित अनुच्छेद इस प्रकार हैं-

☞ अनुच्छेद 14-

- भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित करेगा।
- प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सभी पर यह अधिकार लागू होता है।
- इसके अतिरिक्त 'व्यक्ति' शब्द में साविधानिक निगम, कंपनियों, पंजीकृत समितियाँ या किसी भी अन्य तरह के विधिक व्यक्ति सम्मिलित है।

☞ अनुच्छेद 15

- इसमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर- i) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या ii) पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिये समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निर्वहन या शर्त के अधीन नहीं होगा।
- यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था।

☞ अनुच्छेद 16

- राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर को समता होगी।

☞ अनुच्छेद 17

- अस्पृश्यता को समाप्त करने को व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है।

☞ अनुच्छेद 18

- सभी प्रकार को उपाधियों का अंत (अपवादस्वरूप सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त)

❖ शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है- पहला, कानून के द्वारा और दूसरा, सरकार को योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके।

भेदभाव के विरुद्ध भारत में मौजूदा कानून

☞ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

- इस कानून के माध्यम से किसी भी रूप में अस्पृश्यता अर्थात् छुआछूत का आचरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान है।
- वर्ष 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 बनाया गया था। यह अधिनियम 1 जून, 1955 से प्रभावी हुआ था, लेकिन अप्रैल 1965 में गठित इलायापेरूमल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किये गए तथा इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955) कर दिया गया था।

☞ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

- यह अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने, ऐसे अपराधों के अभियोजन के लिये विशेष न्यायालय बनाने तथा राहत देने और ऐसे अपराधों के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिये प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है।

☞ मातृत्व लाभ अधिनियम 1961

- यह अधिनियम मातृत्व के समय महिला के रोजगार की रक्षा करता है और मातृत्व लाभ का हकदार बनाता है अर्थात् अपने बच्चे की देखभाल के लिये पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है।

- यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। वर्ष 2017 में इस अधिनियम में संशोधन किये गए।
- इसके तहत कामकाजी महिलाओं को दो बच्चों के लिये मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह और दो से अधिक बच्चों के लिये 12 सप्ताह कर दी गई है।
- ❖ **कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013**
- संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत लिंग समानता की गारंटी में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और प्रतिष्ठा के साथ कार्य करने का अधिकार शामिल है।
- कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में एक नागरिक के रूप में समान, सुरक्षित और निरापद वातावरण में कोई भी व्यवसाय या कार्य अपनाने का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया गया है।
- ❖ भारत में ऐसे अनेक कानून हैं, जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार को रक्षा करते हैं। कानून के साथ-साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएँ लागू की हैं।
- ❖ ये योजनाएँ यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है- मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है।
- ❖ यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में छह माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए।
- ❖ इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने

- अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया।
- ❖ पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे। परंतु अब, जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है।
 - ❖ वे माताएँ जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है।
 - ❖ इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ-साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है।
 - ❖ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है। जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं।
 - ❖ यद्यपि शासकीय कार्यक्रम, अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।
 - ❖ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं।
 - ❖ आज भी देश में कई स्कूल हैं, जिनमें दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है। जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इंकार कर देते हैं।
 - ❖ इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का

व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं।

- ❖ वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है, जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है।
- ❖ प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है।

अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे

- ❖ केवल भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा नहीं है जहाँ असमानता का अस्तित्व है और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। विश्व के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में, समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी-अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं।
- ❖ जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी-अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी-अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे, उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था।

नागरिक अधिकार आंदोलन रोजा पार्क्स (1913-2005)

- ☞ एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया।

- ☞ उस दिन उनके इंकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन (सिविल राइट्स मूवमेंट) कहलाया।
- ☞ 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया।
- ☞ इसमें यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सभी स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी-अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं, जहाँ कम सुविधाएँ हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ के सरकारों स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊँचा है।

लोकतंत्र की चुनौती

- ❖ किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं, जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए-नए सवाल उठाते हैं।
- ❖ इसके केंद्र में वह संघर्ष है, जो सभी व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। सभी व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊँचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. अनुच्छेद 15 के राज्य किसी नागरिक के प्रति विभेद नहीं करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के आधार पर।
2. यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सत्य कथन है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –C

2. अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह अधिनियम 1 जून, 1955 से प्रभावी हुआ था,
2. अप्रैल 1965 में गठित इलायापेरूमल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1970 में इसमें व्यापक संशोधन किये गए।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सत्य कथन है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –A

3. समानता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार के अनुसार कानूनन सभी समान हैं अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति यानी देश के राष्ट्रपति से लेकर कामगारों/नौकरों तक सभी को समान कानून का पालन करना है।
2. किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, जन्मस्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/है?

- A. केवल 1

- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –A

4. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी।
2. 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने-अपने राज्य के स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश जारी किये।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सत्य कथन है/है?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –C

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. अमेरिका में अफ्रीकी-अमेरिकियों के साथ असमानता को लेकर नागरिक अधिकार आंदोलन नामक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया।
2. अमेरिका के 1955 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया व अफ्रीकी-अमेरिकी बच्चों के लिये सभी स्कूलों के दरवाजे भी खोल दिये गए।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/है?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –B

6. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये-

1. अनुच्छेद 16 - अस्पृश्यता को समाप्त
 2. अनुच्छेद 17 - अवसर की समता
 3. अनुच्छेद 18 - उपाधियों का अंत
- उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से युग्म सुमेलित है/हैं?
- A. केवल 1 और 2
 - B. केवल 2 और 3
 - C. केवल 3
 - D. उपरोक्त सभी

उत्तर –C

7. मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

1. यह अधिनियम मातृत्व के समय महिला के रोजगार को रक्षा करता है

2. यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।

3. कामकाजी महिलाओं को दो बच्चों के लिये मातृत्व लाभ को सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 36 सप्ताह और दो से अधिक बच्चों के लिये 26 सप्ताह कर दी गई है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 2
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 1 और 3
- D. उपरोक्त सभी

उत्तर –B

2. राज्य सरकार

स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका



स्वास्थ्य क्या है?

- ❖ स्वास्थ्य का अर्थ है, बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। बीमारी के अलावा उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है, जो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, तो वे सामान्यतया स्वस्थ रहेंगे।
- ❖ दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटनभरी अवस्था में रहना पड़े, तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है।

संपूर्ण विश्व में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं।

पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। सन् 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन् 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन् 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई।

भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं, जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है।

भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और

- ❖ सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे-सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं हैं। सभी को तनावमुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं।

भारत में स्वास्थ्य सेवाएँ



- ❖ बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाएँ चाहिए, जैसे-स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएँ, एंबुलेंस को सुविधा, ब्लडबैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके।

भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है।

भारत में करीब पाँच लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक (TB) से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग बीस लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है।

हम सभी को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियाँ पानों के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% जलजनित होती हैं। जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हैपेटाइटिस।

भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं

यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है।

मिलता है और वे अल्प-पोषण के शिकार रहते हैं।

सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएँ



- ❖ हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो वर्गों में बाँट सकते हैं- 1) सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ ii) निजी स्वास्थ्य सेवाएँ
- ❖ ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें।
- ❖ मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाइयों व उपकरण भी चाहिए। जब बीमार होते हैं, तो अपने इलाज के लिए इन सुविधाओं को जरूरत पड़ती है।
- ❖ भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है।
- ❖ ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनमें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँवों में फैली हुई है।
- ❖ साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियाँ उपलब्ध हैं। फिर भी हमारे देश में स्वास्थ्य को स्थिति खराब है।
- ❖ उपर्युक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं।

फिर भी सभी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ देने में असमर्थ हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ

- ❖ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों को एक शृंखला है, जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण को सुविधाएँ प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों (साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियाँ) का इलाज प्रदान करते हैं।
- ❖ ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहाँ प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँवों की जरूरतों को पूरा करता है।
- ❖ जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से 'सार्वजनिक' कहा जाता है।
- ❖ सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए ये सुविधाएँ सभी के लिए हैं।
- ❖ सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य सेवाएँ निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें।
- ❖ स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टी. बी., मलेरिया, पीलिया, दस्त लगाना, हैजा, चिकनगुनिया, आदि को फैलने से रोकना।

- ❖ इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें।
- ❖ हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हिद को सुनिश्चित करना और सभी को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है।
- ❖ सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है, तो इसका तात्पर्य है कि वसे जीवन को सुरक्षा नहीं दी जा रही है।
- ❖ अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ दें, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो।
- ❖ अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था।

सरकार को कर क्यों देना चाहिए?

- ☞ सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है।
- ☞ प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है। अन्यथा, इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते।
- ☞ करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएँ उपलब्ध होती हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं।
- ❖ करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुर्नवास के लिए भी किया जाता है।

- ❖ अन्तरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खासतौर से गरीबों को कुछ सेवाएँ प्रदान करती है, जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है।

निजी स्वास्थ्य सेवाएँ

- ❖ हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएँ पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आर.एम.पी.) मिल जाते हैं।
- ❖ शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत-से विशेषज्ञ की सेवाएँ प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं।
- ❖ काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएँ हैं, जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं, जैसे- एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, आदि। ऐसी दुकानें भी हैं, जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता।
- ❖ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है।
- ❖ आज निजी स्वास्थ्य सेवाएँ चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियाँ दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने-कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं।

स्वास्थ्य सेवा और समानता

- ❖ हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। जहाँ निजी सेवाएँ तो बढ़ रही हैं, परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएँ ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं।
- ❖ इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है। तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है।

- ❖ कुछ निजी सेवाएँ अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं, जो सही नहीं हैं। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है।
- ❖ जनसंख्या के बीस प्रतिशत लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं।
- ❖ एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से चालीस प्रतिशत लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं।
- ❖ गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार-बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते, जितना इन्हें खाना चाहिए।
- ❖ उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएँ जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ़ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है।
- ❖ बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और खराब हो जाती है। कभी-कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है।
- ❖ कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं।

क्या किया जा सकता है?

- ❖ इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य को दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि

वह अपने सभी नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को, गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करें।

- ❖ फिर भी लोगों का स्वास्थ्य, जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना हो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है।

केरल का अनुभव

- ☞ 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनको पूर्ति कर सकती थीं।
- ☞ इससे गाँव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका।
- ☞ इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जाँच की गई, स्कूलों और आगनवाडियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गाँव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया।
- ☞ स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सभी कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएँ तो बनी रहीं, जैसे- दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त विस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना, आदि। इन समस्याओं को दूर करने को आवश्यकता है।

कोस्टारिका का तरीका

- ☞ कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है।
- ☞ कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे।
- ☞ इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली।
- ❖ कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है।

- ❖ कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएँ व सुविधाएँ देती है, जैसे-पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास)।
- ❖ स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर 'स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान' शिक्षा का एक जरूरी भाग है।

राज्य शासन कैसे काम करता है

- ❖ **विधायक कौन होता है?**
- ❖ विधानसभा के सदस्य को 'विधायक' (MLA) कहा जाता है। MLA, 'मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली' का संक्षिप्त रूप है। एम.एल.ए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ❖ भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है।
- ❖ चुनाव में लोग अलग-अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है।
- ❖ बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं।
- ❖ विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी।
- ❖ भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सभी विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस

उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे।

- ❖ विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियाँ भी थीं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे, जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। जो मुख्यमंत्री बनता है।
- ❖ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपना नेता चुना और ये मुख्यमंत्री बना दिए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री, मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है।
- ❖ मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को बलाएँ। उनके अलग-अलग कार्यालय होते हैं।
- ❖ विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों को दोहरी ज़िम्मेदारी हो जाती है- एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में।

विधानसभा में एक बहस

- ❖ विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। ऊपर एक दर्शक दीर्घा होती है जहाँ से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे।
- ❖ विधानसभा किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करती है। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए।
- ❖ सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे, कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
- ❖ मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचारपत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं।

- ❖ हालाँकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य, मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है।
- ❖ सदस्य, सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस करते। ऐसा इसलिए है, क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- ❖ सामान्य भाषा में 'सरकार' शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, जो उनके प्रभारी हैं। इन सभी का सामूहिक प्रमुख 'मुख्यमंत्री' होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है।
- ❖ दूसरी तरफ सारे विधायक, जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जाँच भी करते हैं। इन्हीं में में कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है।

शासन की कार्यप्रणाली

- ❖ केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका-टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की माँग नहीं की जाती। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं।
- ❖ मुख्यमंत्री और मंत्रियों को समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, आदि।

- ❖ उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ समाचारपत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है जैसे प्रेसवार्ता आयोजित करना।
- ❖ सरकार, सफ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो।
- ❖ यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात् विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं।
- ❖ लोकतंत्र में विधायकों (MLA) के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है।
- ❖ फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है।

अभ्यास प्रश्न

1. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): स्वास्थ्य सुविधायें सभी के लिये समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

कारण (R): स्वास्थ्य का अधिकार, मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है।

कूट :

- A. A और R दोनों सही है तथा A, R की सही व्याख्या है।
- B. A और R. दोनों सही है तथा A, R को सही व्याख्या नहीं है।
- C. A सही है, किन्तु R गलत है।
- D. A गलत है, किन्तु R सही है।

उत्तर –C

2. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध नहीं है।

कारण (R): भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल है।

कूट : A. A और R दोनों सही है तथा A, R की सही व्याख्या है।

B. A और R दोनों सही है तथा A, R की सही व्याख्या नहीं है।

C. A सही है, किन्तु R गलत है।

D. A गलत है, किन्तु R सही है।

उत्तर –DB

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत में करीब पाँच लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक (टी.बी.) से मर जाते हैं।

2. स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में संतोषजनक परिवर्तन हुए है।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –B

4. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत में दुनिया के सर्वाधिक चिकित्सकीय महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किये जाते हैं

2. भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –C

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये

1. हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित सुनिश्चित करना और सभी को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है।

2. सरकार, कर से प्राप्त धन का उपयोग सार्वजनिक सुविधाएँ प्रदान करने में नहीं कर सकती।

उपर्युक्त में कौन-सा से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –A

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये

1. राज्यों में विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2. भारत के प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश में विधानसभा है।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –B

7. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं।

कारण (R): भारत में संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाएँ है।

कूट :

- A. A और R दोनों सही है तथा A, R को सही व्याख्या है।
- B. A और R दोनों सही है तथा A, R को सही व्याख्या नहीं है।
- C. A सही है, किन्तु R गलत है।
- D. A गलत है, किन्तु R सही है।

उत्तर –C

3. लिंग बोध-जेंडर

लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना

- ❖ हम यह अनुभव करते हैं कि समाज, लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से हो शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं।
- ❖ लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कार दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़ियाँ। दरानों ही खिलौने, खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर लड़कियों को गुड़ियों और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है?
- ❖ खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे, तो उनका भविष्य अलग-अलग होगा। अगर हम विचार करें, तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी-छोटी बातों में बना कर रखा जाता है।
- ❖ लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन-से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से ये सभी बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे, तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है।
- ❖ अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्त्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है।

लिंग बोध-जेंडर

- ☞ यह आसानी से स्पष्ट नहीं होता है। ऐसा लगता है कि इसका हमारे जीवन से खास लेना-देना नहीं है। वास्तव में तो हम सभी अपने जीवन में रोज ही इस सत्य का अनुभव करते हैं।
- ☞ जिंदगी के बहुत-से विकल्प हमारे लिए अंततः इसके आधार पर ही तय होते हैं। लिंगबोध या जेंडर की हमारी समझ हमारे अपने परिवार और समाज से ही बनती है।

- ☞ यह हमें उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम औरतों और पुरुषों को जो भूमिकाएँ अपने आस-पास निभाते हुए देखते हैं वे स्वाभाविक हैं और पहले से तय हैं।
- ☞ वास्तव में ये भूमिकाएँ दुनिया भर में भिन्न-भिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग होती हैं।
- ☞ अतः लिंगबोध से हमारा आशय उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से है जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है।
- ☞ यह शब्द हमें बहुत-सो असमानताओं और स्त्री व पुरुष के बीच के शक्ति संबंधों को भी समझने में सहायता करता है।
- ☞ जेंडर शब्द के आने पर अकसर एक खास दृष्टि से लोग यह अधूरा अर्थ भी लगा लेते हैं कि यह केवल महिलाओं या लड़कियों से जुड़ा हुआ है।

घरेलू काम का मूल्य

- ❖ सारे विश्व में घर के काम को मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का।
- ❖ फिर भी, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्त्वपूर्ण नहीं समझा जाता। वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं। इसीलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्त्व नहीं देता।

घर पर कार्य करने वालों का जीवन

- ❖ बहुत-से घरों में विशेषकर शहरों और नगरों में लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं- झाड़ू लगाना, सफ़ाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना, आदि।
- ❖ घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियाँ होती हैं। कभी-कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है।
- ❖ घरेलू काम का अधिक महत्त्व नहीं है, इसीलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह पाँच बजे से शुरू होकर देर रात बारह बजे तक भी चलता है।

जी-तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं।

- ❖ वास्तव में, जिसे घरेलू काम कहते हैं। उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है।
- ❖ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्टर सिर पर ढोने पड़ते हैं।
- ❖ कपड़े धोने, सफ़ाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत-से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है।
- ❖ स्त्रियाँ जो काम करती हैं, वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है- जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं।
- ❖ घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू, जिसे हम महत्त्व नहीं देते, यह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय।
- ❖ वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले पर के और बाहर के कामों को जोड़ें, तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक काम करती हैं।

महिलाओं का काम और समानता

- ❖ महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्त्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है।
- ❖ इसीलिए इसके समाधान हेतु, जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन् शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए।
- ❖ समानता हमारे संविधान का महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। परंतु वास्तविकता में लिंगभेद किया जाता है।
- ❖ सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूँढ़ने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण

के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है।

- ❖ स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएँ घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी, तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी।
- ❖ पूरे देश के कई गाँवों में शासन ने आंगनवाड़ियों और बालवाड़ियाँ खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है, जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है, तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी (क्रेश) की सुविधा देनी होगी।
- ❖ बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत-सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत-सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा।

औरतों ने बदली दुनिया



- ❖ कम अवसर और कठोर अपेक्षाएँ
- ❖ एक कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएँ कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं।
- ❖ बहुत-से लोग मानते हैं कि महिलाएँ अच्छी नर्स हो सकती हैं, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिला कर देखा जाता है।
- ❖ इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियों और महिलाएँ तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती।
- ❖ अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत-सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर

बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है, जो लड़कों को मिलता है।

- ❖ अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें।
- ❖ यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है।
- ❖ कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है।
- ❖ लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है, जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धोँस दी जाती है।

रमाबाई (1858-1922)



- ☞ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गईं, पर अपने माता-पिता से उन्होंने पढ़ना-लिखना सीख लिया।
- ☞ उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना-लिखना जानती थीं जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
- ☞ औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में, पुणे के पास खेड़गाँव में एक मिशन स्थापित किया, जहाँ विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने-लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी।

☞ उन्हें लकड़ी से चीजें बनाने, छापाखाना चलाने जैसी कुशलताएँ भी सिखाई जाती थीं जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती हैं। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है।

परिवर्तन के लिए सीखना

- ❖ स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे- जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है।
- ❖ आज कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना 'पहुँच के बाहर' की बात या 'अनुचित' बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे।
- ❖ अधिकार बच्चे यही काम सीखते थे, जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों को स्थिति और भो खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना-लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने को अनुमति नहीं थी।
- ❖ यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी (वस्त्र चुनना) और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियों मिट्टी एकत्र करती थीं और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थीं। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थीं, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था।

रुकैया सखावत हुसैन (1880-1932)



- ☞ रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिसके पास बहुत जमीन थी।
- ☞ उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया।
- ☞ उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था, जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी। जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी।
- ☞ रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। वे एक लेखिका बनीं।
- ☞ 1905 में जब वे केवल पच्चीस वर्ष की थीं अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न।
- ☞ कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी, जो लेडीलैंड नाम की एक जगह पहुँचती है। लेडीलैंड ऐसा स्थान था, जहाँ पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी।
- ☞ इस कहानी में महिलाएँ बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडीलैंड में पुरुषों को आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र-शस्त्र, स्त्रियों को बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग-थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं।
- ☞ सुल्ताना, लेडीलैंड में अपनी बहन साराह के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी।
- ☞ रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी।
- ☞ इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन चदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई।
- ☞ उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन् उससे भी अधिक करने की शक्ति दी।
- ☞ 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो आज भी कार्य कर रहा है।

- ❖ 19वीं शताब्दी में (लगभग 200 वर्ष पूर्व) शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज, जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना-लिखना नहीं सीखा था। अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे।
- ❖ तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद, बहुत-सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना-लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया।

महिला शिक्षा की आवश्यकता

- ☞ महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है।
- ☞ यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि अधिक-से-अधिक शिक्षित महिलाएँ देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएंगी।
- ☞ हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण जारी किया गया है, जिसमें बच्चों को पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच सीधा संबंध दिखाया गया है।
- ☞ इस सर्वेक्षण के अनुसार महिलाएँ जितनी अधिक शिक्षित होती हैं, उनके बच्चों को उतना ही अधिक पोषण आधार मिलता है।
- ☞ कई विकास अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय तक इस विषय का अध्ययन किया है कि किस प्रकार लड़कियों को शिक्षा उन्हें परिवर्तन के एजेंट के रूप में उभरने में सक्षम बनाती है।

वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय

- ❖ आज के युग में लड़के और लड़कियाँ विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है।
- ❖ भारत में हर दस वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। जैसे- उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम, आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल अनेक बातों के

आकलन के लिए करते हैं, जैसे- शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात।

- ❖ 1961 की जनगणना के अनुसार सभी लड़कों और पुरुषों (7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के) का 40% शिक्षित था (अर्थात् वे कम-से-कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था।
- ❖ 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या चढ़कर 82% हो गई है और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों को संख्या 65%। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों, दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है, जो पढ़-लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन अभी भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है।
- ❖ सभी लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है।
- ❖ वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है।
- ❖ मुस्लिम लड़कियाँ स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियों स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल हैं, न ही शिक्षक।
- ❖ यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने-ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते।
- ❖ कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सभी बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी

स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं।

भारत में महिला शिक्षा वर्तमान परिदृश

- ☞ भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को साक्षरता दर काफी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान (52.12%) और बिहार (51.50%) में महिला शिक्षा की स्थिति काफी खराब है।
- ☞ जनगणना आँकड़े यह भी बताते हैं कि देश की महिला साक्षरता दर (64.46%) देश की कुल साक्षरता दर (74.04%) से भी कम है।
- ☞ कई अध्ययनों के अनुसार, भारत में 15-24 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर 11.5% है, जबकि समान आयु वर्ग के युवा पुरुषों के मामले में यह 9.8% है।
- ☞ वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि 15-18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4% लड़कियों स्कूली शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं और इनमें से अधिकतर या तो घरेलू कार्यों में संलग्न होती हैं या भीख मांगने जैसे कार्यों में।
- ☞ आँकड़ों के अनुसार भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएँ हैं, जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं।
- ☞ है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा स्थिति और अधिक गंभीर है।

महिला शिक्षा के मार्ग में बाधाएँ:

- ☞ भारतीय समाज पुरुष प्रधान है।
- ☞ महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है और उन्हें घर की चहारदीवारी तक सीमित कर दिया जाता है।
- ☞ हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में स्थिति अच्छी है, परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
- ☞ भारत दुनिया को सुपर पावर बनने के लिये तेजी से प्रगति कर रहा है, परंतु लैंगिक असमानता की चुनौती आज भी हमारे समक्ष एक कठोर वास्तविकता के रूप में खड़ी है।

- ❖ यहाँ तक कि देश में कई शिक्षित और कामकाजी शहरी महिलाएँ भी लैंगिक असमानता का अनुभव करती हैं।
- ❖ समाज में यह मिय काफी प्रचलित है कि किसी विशेष कार्य या परियोजना के लिये महिलाओं की दक्षता उनके पुरुष समकक्षों के मुकाबले कम होती है और इसी कारण देश में महिलाओं तथा पुरुषों के औसत वेतन में काफी अंतर आता है।
- ❖ देश में महिला सुरक्षा अभी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसके कारण कई अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं।
- ❖ हालांकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में काफी काम किया गया है, परंतु वे सभी प्रयास इस मुद्दे को पूर्णतः संबोधित करने में असफल रहे हैं।

महिला आंदोलन



- ❖ अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है।
- ❖ ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिल कर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आआंदोलन के हिस्से हैं।
- ❖ कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों को मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएँ इसे एक बहुत ही जीवत आंदोलन बनाती है।

- ❖ इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न-भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है।

अभियान

- ❖ भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन् 2006 में एक कानून बना है, जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके।
- ❖ इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए।
- ❖ 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएँ सड़कों पर निकल आईं।
- ❖ उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारी का आदान-प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा।
- ❖ दहेज से संबंधित कानून को बदला गया, ताकि दहेज माँगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके।

विशाखा दिशा-निर्देश- 1997

- ❖ सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त, 1997 में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के संबंध में एक निर्णय दिया था। राजस्थान के चर्चित भंवरी देवी केस (1992) की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले में फैसला दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी अवरोधों के चलते या तो महिलाओं को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई।

- ☞ हालांकि, शिक्षा एवं महिला अधिकारों के लिये की गई पहलों के फलस्वरूप इस स्थिति में बदलाव आया और अनौपचारिक एवं औपचारिक कार्य क्षेत्रों में महिलाओं को भागीदारों में दिनोंदिन वृद्धि देखी गई।
- ☞ यद्यपि इतना सब होने के बावजूद एक अड़चन महिला कर्मियों को लगातार घर से बाहर काम करने के लिये हतोत्साहित कर रही, और वह थी कार्यस्थल पर सुरक्षा।
- ☞ वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में जारी किये गए दिशा-निर्देशों ने कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में युगांतकारी भूमिका निभाई।
- ☞ विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'ऐसा कोई भी अप्रिय हाव-भाव, व्यवहार, शब्द या कोई पहल जो यौन प्रकृति की हो, उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा।
- ☞ अपने इस निर्णय में न्यायालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि 'दि कन्वेंशन ऑन दि एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्मस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन' (सीएडीएडब्ल्यू) का संदर्भ लेते हुए कार्यस्थलों पर महिला कर्मियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कुछ दिशा-निर्देश जारी किये। ये इस प्रकार हैं:
- प्रत्येक रोजगार प्रदाता का यह दायित्व होगा कि यौन उत्पीड़न से निवारण के लिये वह कंपनी की आचार संहिता में एक नियम शामिल करे।
- संगठनों को अनिवार्य रूप से एक शिकायत समिति की स्थापना करनी चाहिए, जिसकी प्रमुख कोई महिला होनी चाहिये।
- नियमों के उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही को जानी चाहिये और पीड़िता के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।
- महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए।
- वस्तुतः इस ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय ने माना कि यौन उत्पीड़न की कोई भी घटना संविधान में अनुच्छेद 14, 15

और 21 के तहत दिये गए मौलिक अधिकारों तथा अनुच्छेद 19 (1) के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

- ☞ उल्लेखनीय है कि विशाखा दिशा-निर्देशों के अनुसरण में ही नवंबर 2010 में 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिला सुरक्षा विधेयक अस्तित्व में आया।

जागरूकता बढ़ाना

- ❖ औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है।

विरोध करना

- ❖ जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियाँ, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं।

बन्धुत्व व्यक्त करना

- ❖ न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बन्धुत्व व्यक्त करता भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनियाभर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961



- ☞ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 सम्पूर्ण भारत में लागू है। इसमें दहेज को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है- ऐसी सम्पत्ति या मूल्यावान वस्तु जिसे शादी के दौरान या पहले, शादी से संबंधित पक्ष देते हैं या देने पर राजी होते हैं।
- ☞ यह लेन-देन वर-वधू के माता-पिता या शादी से जुड़े अन्य संबंधित पक्षों के बीच हो सकता है।

- ☞ कानूनी तौर पर उपहार देने पर तो मनाही नहीं है लेकिन दहेज पर प्रतिबंध है। कानूनी तौर पर वर को किए जाने वाले उपहार अत्यधिक कीमती नहीं होने चाहिए।
- ☞ कानून में 1983 एवं 1986 में दिए गए दो संशोधनों के बाद दहेज लेना एवं दहेज देना, दोनों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
- ☞ इससे न्यायालय को यह अधिकार मिल जाता है कि वह हत्या से संबंधित मामलों में पीड़ित पक्ष द्वारा रिपोर्ट नहीं कराए जाने की स्थिति में भी स्वयं संज्ञान लेकर या पुलिस द्वारा दिए गए सूचना को आधार बनाकर मामले की सुनवाई कर सके।
- ☞ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत ऐसे कृत्य के लिए कम से कम 5 वर्ष की सजा के साथ-साथ कम से कम 15000 रुपए या दहेज के मूल्य के बराबर, इनमें से जो भी ज्यादा हो, जुर्माना किया जा सकता है।
- ☞ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (बी) दहेज हत्या से संबंधित है। इसे भारतीय दण्ड संहिता में 1986 में संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया है।
- ☞ इस कानून के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि शादी के 7 साल के अन्दर किसी महिला की जलने, शारीरिक दुर्घटना या अन्य कारणों से मृत्यु हो जाती है और यह मालूम हो जाता है कि मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिए पति या पति का परिवार प्रताड़ित करता था तो ऐसी स्थिति में इसे दहेज हत्या का मामला माना जाएगा।
- ☞ इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन कर इस बात का भी प्रावधान किया गया कि यदि शादी के 7 वर्ष के अंदर किसी महिला की अप्राकृतिक कारणों (Unnatural Causes) से मृत्यु होती है तो इसे आपराधिक मामला मानकर इसकी जाँच-पड़ताल की जाएगी।
- ☞ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 (ए) भारतीय दण्ड संहिता में 1983 में एक संशोधन के माध्यम से सम्मिलित की गई है।
- ☞ इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी महिला के पति या परिवार वालों के द्वारा उस पर क्रूरता बरती जाती है

तो उन्हें 3 वर्ष तक की कारावास की सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है।

- ☞ इसमें क्रूरता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- जानबूझकर की गई कोई भी ऐसी कार्रवाई जिससे महिला आत्महत्या करती है, गंभीर रूप से घायल होती है या उसके जीवन को खतरा पहुंचता हो।
- ☞ इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम में भी दहेज की मांग को शामिल किया गया है। इसमें प्रावधान है कि यदि गैर कानूनी दहेज की मांग के लिए लड़की या उसके किसी रिश्तेदार को चोट, उत्पीड़न, हानि या उसे किसी तरह के खतरे में डाला जाता है तो उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दौड़त किया जाएगा।
- ☞ सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जून, 2012 को दिए अपने निर्णय में कहा है कि दहेज इत्या जैसे मामलों में आजीवन कारावास से कम दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए विशेषकर वैसे मामलों में जिनमें लड़की की हत्या करने के लिए तरीके अपनाए गए हों।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।
 1. 1961 की जनगणना के अनुसार लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15 प्रतिशत भाग शिक्षित था।
 2. 2011 की जनगणना के अनुसार शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 85 प्रतिशत।
- उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -A

2. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
कथन (A): स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता एक बड़े सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है।
कारण (R): महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला है।
- कूट :
- A. A और R दोनों सही है तथा A, R को सही व्याख्या है।

- B. A और R दोनों सही है तथा A, R को सही व्याख्या नहीं है।
C. A सही है, किन्तु R गलत है।
D. A गलत है. किन्तु R सही है।

उत्तर -C

3. दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारणों से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है, न ही शिक्षक।
2. विद्यालय घर के पास न होने पर लाने-ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या बैन आदि को व्यवस्था का न होना।
3. कुछ परिवारों का अत्यंत निर्धन होने से अपने सभी बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं।

उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है हैं?

- A. केवल 3 B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3 D. उपरोक्त सभी

उत्तर -D

4. वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 15-18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4 प्रतिशत लड़कियाँ स्कूली शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

2. भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएँ हैं, जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ है।

3. भारत के शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा स्थिति और अधिक गंभीर है।

उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 3 B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3 D. उपरोक्त सभी

उत्तर -B

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सन् 2006 में कानून बनाकर घरेलू शारीरिक और मानसिक हिंसा से पीड़ित औरतों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई।

2. 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु विशाखा गाइड लाइन्स जारी किए।

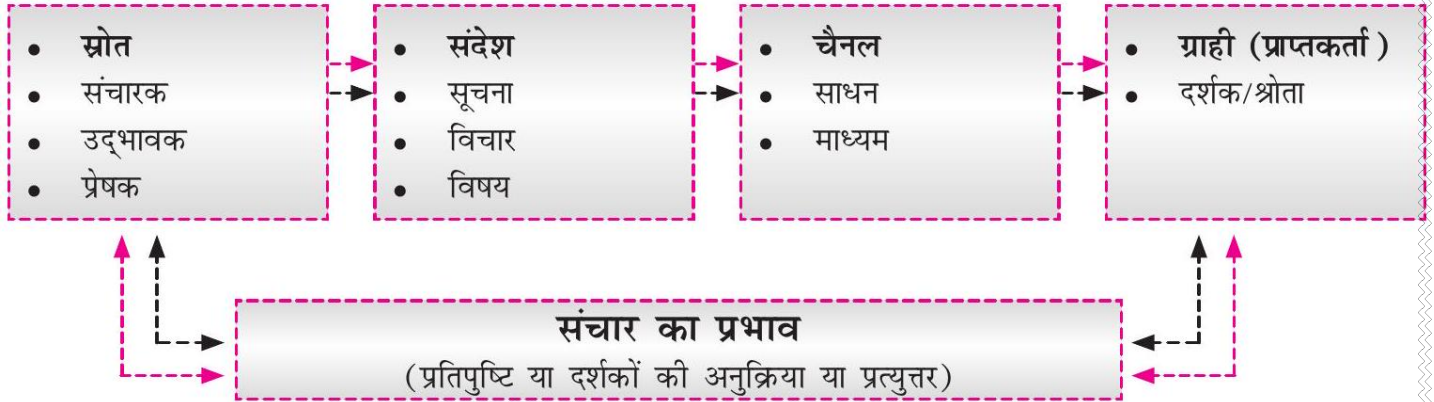
उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -C

संचार माध्यम

संचार माध्यमों को समझना



- ❖ स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टी.वी. के कार्यक्रम तक, जो देखते हैं इन सभी को संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के 'मीडियम' शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है, जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।
- ❖ मीडियम का अर्थ है, माध्यम। क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसीलिए हर चीज, जैसे- फ़ोन पर बात करने से लेकर टी.वी. पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है।
- ❖ टी.वी., रेडियो और अखबार-संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं, जिनकी पहुँच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसीलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या 'मास-मीडिया' कहते हैं।

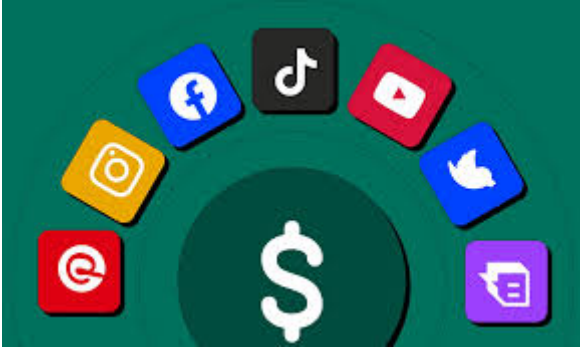
संचार माध्यम और तकनीक



- ❖ संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा। लेकिन केबल टी.वी. और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। > अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टी.वी. तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं।
- ❖ पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है।
- ❖ तकनीक तथा मशीनों को बदल कर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुँचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है।
- ❖ यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है।
- ❖ टेलीविजन के कारण हम अपने-आपको विश्व-समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सेटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों

तक पहुँचाए जाते हैं। टी.वी. पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है।

संचार माध्यम और धन



- ❖ जनसंचार द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली विभिन्न तकनीके अत्यंत खर्चीली हैं। जरा टी.वी. स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचारवाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सेटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है।
- ❖ समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं।
- ❖ जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं। इसीलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है।
- ❖ परिणामतः अधिकांश टी.वी. चैनल और समाचारपत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं।
- ❖ एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइलफोन, आदि।
- ❖ टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार-बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार-बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं। विज्ञापनों की बार-बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे।

संचार माध्यम और लोकतंत्र

- ❖ लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है।
- ❖ यदि लोग चाहे, तो इन समाचारों के आधार पर कार्यवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभिमान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं।
- ❖ जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए।
- ❖ वास्तविकता तो यह है कि केवल एक समाचारपत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएँगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा होता, तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगता।
- ❖ उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना, आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता।
- ❖ दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता, तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी-रोटी खो देंगे क्योंकि पुर्नस्थापन के प्रयास अपर्याप्त है। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है।
- ❖ संतुलित रिपोर्ट वह होती है, जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है।
- ❖ संतुलित रिपोर्ट लिख पाना, संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे।
- ❖ समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- ❖ संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हो नागरिकों के रूप में कार्यवाई करते हैं इसीलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो।
- ❖ तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार, समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जनसमुदाय तक पहुँचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है।
- ❖ भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975-77 तक, आपातकाल का था।
- ❖ सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है।
- ❖ सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचारपत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल हैं।
- ❖ संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसीलिए है, क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है।
- ❖ संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है, जो विज्ञापन देते हैं। इसीलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता।
- ❖ इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसीलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं, तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं।

स्थानीय संचार माध्यम

- ☞ संचार माध्यम उन छोटे-छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेते, जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है इसीलिए कई

स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आते हैं।

- ☞ कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं।
- ☞ कुछ अन्य लोग काफी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी-कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं।
- ☞ दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचारपत्र का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की आठ दलित महिलाओं द्वारा हर पंद्रह दिन में निकाला जाता है।
- ☞ स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस आठ पृष्ठ के समाचारपत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनैतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती हैं।
- ☞ इस समाचार पत्र के पाठक हैं- किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएँ जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना-लिखना सीखा है।

मसौदा तय किया जाना

- ❖ किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों को महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए किसी विद्यालय के वार्षिकोत्सव को खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो, तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है।
- ❖ कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं।
- ❖ हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह

कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं।

- ❖ अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई।
- ❖ सरकार के दवाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है, जिस पर यदि उन की रिपोर्ट न आती, तो हमारा ध्यान भी न जाता।
- ❖ कई बार ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए-पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है।
- ❖ प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता, फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं।
- ❖ एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने 'फैशन वीक' में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचारपत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा कर दिया गया पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया।
- ❖ प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा हो हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं।
- ❖ संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं।

- ❖ यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है।
- ❖ आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त 'तथ्यात्मक जानकारी' भी प्रायः पूर्ण नहीं होती है और एकपक्षीय हो सकती है।

अभ्यास प्रश्न

1. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
कथन:A इतिहास में सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। जिसमें सबसे बुरा समय 1975-77 तक आपातकाल का था।

कारण:R सरकार संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह सेंसर का प्रयोग करती है।

कूट :

- A. A और R दोनों सही है तथा A, R की सही व्याख्या है।
- B. A और R दोनों सही है तथा A, R की सही व्याख्या नहीं है।
- C. A सही है, किन्तु R गलत है।
- D. A गलत है, किन्तु R सही है।

उत्तर -C

2. खबर लहरिया के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की आठ दलित महिलाओं द्वारा मासिक रूप से 'खबर लहरिया' नामक अखबार निकाला जाता है।
2. इसमें दलितों से सम्बन्धित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा, राजनैतिक भ्रष्टाचार से सम्बन्धित खबरें होती हैं।
3. यह समाचार-पत्र हिन्दी भाषा में प्रकाशित होता है। उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?

- A. केवल 2 और 3 B. केवल 1 और 3
- C. केवल 1 D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर -B

बाज़ार

हमारे आस-पास के बाजार

- ❖ **साप्ताहिक बाजार**
- ❖ साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसीलिए पड़ा है, क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलनेवाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं।
- ❖ व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश-भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने आते हैं।
- ❖ साप्ताहिक बाजारों में बहुत-सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए, कि जो पक्की दुकानें होती हैं, उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है।
- ❖ इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनखाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते।
- ❖ साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है।
- ❖ यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत माँगता है, तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख लें, जहाँ संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकें।
- ❖ साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियों,

कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होती हैं।

- ❖ अलग-अलग तरह के सामान के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं, जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों।

मोहल्ले की दुकानें



- ❖ साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अब्ब तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत-सी दुकानें हारे मोहल्ले में भी होती हैं, जो हमें कई तरह की सेवाएँ और सामान उपलब्ध करवाती हैं।
- ❖ पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज-कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं।
- ❖ इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं। जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं।
- ❖ पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं।
- ❖ सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक-दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार, ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने को सुविधा होती है।

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल

- ❖ शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं, जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं।
- ❖ कुछ शहरी इलाकों में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग-अलग मंजिलों पर अलग-अलग तरह की वस्तुएँ मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है।
- ❖ इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी-बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियाँ बड़े-बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है। महँगा होता है।
- ❖ कंपनियाँ अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं।

बाजारों की श्रृंखला

- ❖ सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीजों का उत्पादन करने वाले भी कम मात्रा में, जैसे एक किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे।
- ❖ वे लोग, जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं। उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे- सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियाँ खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है।
- ❖ यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों को लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएँ उपभोक्ता को बेचता है। खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है।
- ❖ यह वही दुकानदार होता है, जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है।

- ❖ हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएँ पहले पहुंचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती हैं।
- ❖ सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो।
- ❖ शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार को एक श्रृंखला बनती है। जब एक सामान खरीदते हैं। तब यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस-किस के पास से सफर करता हुआ तक पहुंचता है।

हर जगह बाजार

- ❖ अलग-अलग जगहों पर तरह-तरह के बाजार हैं, जहाँ तरह-तरह की वस्तुएँ खरीदी-बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी-अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है, कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएँ।
- ❖ अब तो तरह-तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुँचा दिया जाता है।
- ❖ नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लीनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह बेचना-खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो।
- ❖ ये तो बाजार के वे रूप हैं, जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं, जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ विक्रेता और खरीदी जाने वाली चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है, जहाँ खाद के कारखानों से माल मँगाया जाता है।

- ❖ एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टकियाँ, एक्सेल, पहिए आदि अलग-अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद, कार को ही देखते हैं।

बाजार और समानता

- ❖ साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूँजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूँजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग-अलग होती है।
- ❖ साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग-अलग स्थितियाँ हैं।
- ❖ ऐसे बहुत से लोग हैं, जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महँगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं।
- ❖ इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं।
- ❖ सामान के उत्पादन से लेकर, हम तक पहुँचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान, लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए।
- ❖ वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीजों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है।

बाजार में एक कमीज़

इरोड का कपड़ा बाजार

- ❖ तमिलनाडु में सप्ताह में दो बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गाँवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है।
- ❖ बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय है, जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य

व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है।

दादन व्यवस्था-बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना

- ❖ कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं, उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बाँट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया दो लाभ प्राप्त होते हैं।
- ❖ बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है। साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन-सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है।
- ❖ कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं।
- ❖ बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा।
- ❖ कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा, पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है।
- ❖ बुनकर अपनी सारी जमा-पूँजी लगा कर या ऊँची व्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरोदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 है। इसलिए छोटे बुनकर को भी दो करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है।
- ❖ कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3,500 ही कमा पाते हैं।
- ❖ व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था 'दादन व्यवस्था' (Putting-out System) का एक उदाहरण है,

जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है।

- ❖ भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है।

बुनकर सहकारी संस्थाएँ

- ☞ दादन व्यवस्था में व्यापारी, बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों को आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है।
- ☞ एक सहकारी संस्था में वे लोग, जिनके हित समान हैं, इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं।
- ☞ बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बना कर कुछ गतिविधियाँ सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बाँट देते हैं।
- ☞ सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी, करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है।
- ☞ कभी-कभी सरकार, उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार, स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है।
- ☞ सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों को सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार, हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर 'को ओपटेक्स' नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी।

दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना

- ❖ इरोड का व्यापारी, बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बचाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्टरी इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशों खरीदारों को निर्यात की जाती हैं।
- ❖ कमीज के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं, जो स्टोर्स को श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े-बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे

माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की माँग करते हैं।

- ❖ साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा-सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शाक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं।
- ❖ ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने, खर्च में कटौती करने का प्रयास करते हैं। काम करने वालों को जहाँ तक संभव हो सके, न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं।
- ❖ इम्पेक्स गारमेंट फैक्टरी में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएँ हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्टरी मालिक को लगे कि कामगार को आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है।
- ❖ कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है जो लगभग 3,000 प्रतिमाह होता है।
- ❖ स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्तरी करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं?
- ❖ बाजारों की एक श्रृंखला रूई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है।
- ❖ कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने- बेचते से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया।

बाजार और समानता

- ❖ विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। उसकी तुलना में वस्त्र- निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का

रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्टरी के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके।

- ❖ कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सभी बराबर नहीं कमाते हैं।
- ❖ प्रजातंत्र के अंतर्गत सभी को बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। एक ओर बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बनाने और बेचने के अवसर देता है, जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रूई बेच सकता है, तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा।
- ❖ दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं, जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी-बड़ी दुकानें हैं और बहुत जमीनें हैं। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है।
- ❖ गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए (जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है), और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए (जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ) निर्भर रहना पड़ता है।
- ❖ इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे- उत्पादक मिल कर सहकारी संस्थाएँ बनाएँ और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो।

समानता के लिए संघर्ष

- ❖ भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

- ❖ देश के हर वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती या बदलती है।
- ❖ मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है, जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की। लेकिन यह भाव, अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता है।
- ❖ स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैये ने अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते।
- ❖ एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है बड़ी कंपनियों के लंबे-चौड़े विज्ञापन खर्च और अनेक संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है और उनसे पिछड़ जाती है।
- ❖ देशभर में घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएँ हैं, जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती हैं। इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश हैं क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती हैं।
- ❖ गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। दूसरी ओर संसाधनों के न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी।
- ❖ महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएँ थीं।
- ❖ धर्म, जाति और लिंग वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है।
- ❖ गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले-जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है।

- ❖ दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले-जुले कारणों से पैदा हुई है।
- ❖ **समानता के लिए संघर्ष**
- ❖ दुनिया भर के तमाम समुदायों, गाँवों और शहरों में देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं, जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए।
- ❖ इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं।
- ❖ अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करते वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि सम्रता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं।
- ❖ भारत में ऐसे अनेक संघर्ष हैं, जहाँ पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए, जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। मध्य प्रदेश का 'तवा मत्स्य संघ' ऐसा ही उदाहरण है, जहाँ लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए।
- ❖ ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएँ हमारे पास हैं, जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतिहर मज्जदूरों, झुग्गीवासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ीं। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहाँ लोगों ने मिल जुलकर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए।

नदी पर बाँध

- ☞ नदी पर बाँध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके।
- ☞ ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पाती भरता है, जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है।

- ☞ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बाँध की दीवार ऊँची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है।
- ☞ उत्तराखंड में टिहरी बाँध के बनने के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गाँव जिनमें से कुछ पूरी तरह और कुछ आंशिक रूप में पानी के नीचे समा गए।
- ☞ लगभग एक लाख लोग विस्थापित हो गए।

तवा मत्स्य संघ

- ❖ सार्वजंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभ्यारण घोषित कर दिया जाता है और बड़े बाँधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं।
- ❖ पूरे गाँवों के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नयी जिंदगी आरंभ करने के लिए मत्तबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियाँ जहाँ गरीब रहते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है।
- ❖ इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दुबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम-धंधे निगम प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने एकी वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है।
- ❖ लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं।
- ❖ देश में ऐसे बहुत-से संगठन हैं, जो विस्तारितों के हक को लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिदवाड़ा जिले को महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी, होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है।
- ❖ तवा पर एक बाँध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत-सी

कृषि भूमि भी बाँध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे।

- ❖ इनमें से कुछ विस्थापितों ने बाँध के आस-पास रहकर थोड़ी-बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा-सा कमा पाते थे।
- ❖ 1994 में सरकार ने तवा बाँध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए।
- ❖ ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गाँव वालों को धमकियां देता भी आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। गाँव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह 'तवा मत्स्य संघ' नाम के संगठन को बनाया गया।
- ❖ नवगठित 'तवा मत्स्य संघ' (टी.एम.एस.) ने सरकार से माँग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बाँध में मछलियाँ पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह माँग करते हुए 'चक्का जाम' शुरू किया गया।
- ❖ उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गाँव वालों के जीवनयापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देन की अनुशंसा की।
- ❖ 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बाँध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा।
- ❖ दो महीने बाद सरकार ने तवा तवा मत्स्य मत्स्य संघ को बाँध में मछली पकड़ने के लिए पाँच वर्ष का पट्टा (लीज) देना स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गाँवों के लोगों के लिए 'नया साल' सही अर्थों में आरंभ हुआ।
- ❖ तवा मत्स्य संघ (टी.एम.एस.) के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आर्य में इजाफा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई, जो

पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है।

- ❖ देश में ऐसे बहत-से संगठन हैं, जो विस्तारितों के हक को लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिदवाड़ा जिले को महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी, होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है।
- ❖ तवा पर एक बाँध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत-सी कृषि भूमि भी बाँध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे।
- ❖ इनमें से कुछ विस्थापितों ने बाँध के आस-पास रहकर थोड़ी-बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा-सा कमा पाते थे।
- ❖ 1994 में सरकार ने तवा बाँध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। मता से जारी किए
- ❖ ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गाँव वालों को धमकियां देता भी आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। गाँव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह 'तवा मत्स्य संघ' नाम के संगठन को बनाया गया।
- ❖ नवगठित 'तवा मत्स्य संघ' (टी.एम.एस.) ने सरकार से माँग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बाँध में मछलियाँ पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह माँग करते हुए 'चक्का जाम' शुरू किया गया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गाँव वालों के जीवनयापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देन की अनुशंसा की।
- ❖ 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बाँध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा।

- ❖ दो महीने बाद सरकार ने ने तवा तवा मत्स्य मत्स्य संघ को बाँध में मछली पकड़ने के लिए पाँच वर्ष का पट्टा (लीज) देना स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गाँवों के लोगों के लिए 'नया साल' सही अर्थों में आरंभ हुआ।
- ❖ तवा मत्स्य संघ (टी.एम.एस.) के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आर्य में इजाफा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई, जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है।
- ❖ यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुँचाना और वहाँ भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है।
- ❖ ये मछुआरे अब पहले की तुलना में तीन गुना ज्यादा कमाने लगे हैं। तवा मत्स्य संघ ने 'जाल' खरीदने और रखरखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की है।
- ❖ मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ-साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियाँ मिलें।
- ❖ टी.एम. एस. ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी है कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है. तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं।

असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति

- ☞ कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज या अन्य कलाओं, जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं।
- ☞ लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
- ☞ अक्सर ही कविताएँ, गीत और कहानियाँ न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी

करती हैं। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि हमें सही यदिशा में चलता भी सिखाती हैं।

भारत का संविधान-एक जीता हुआ दस्तावेज

- ❖ न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है, वह मनुष्य की समता का ही होता है।
- ❖ भारत का संविधान सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं।
- ❖ तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही हैं। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो।
- ❖ लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश 15 करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है।
- ❖ देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों (मीडिया) पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहद कम आय होना ये सभी लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ हैं।
- ❖ ये वे मुद्दे हैं जो सौधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और सम्पन्न में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं। लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्त्व है।
- ❖ व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए।

अभ्यास प्रश्न

1. टिहरी बाँध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

1. टिहरी बाँध का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया गया।
 2. टिहरी बाँध के बनने के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गाँव जिनमें से कुछ पूरी तरह और कुछ आंशिक रूप में पानी के नीचे समा गए।
 3. टिहरी बाँध से लगभग 5 लाख लोग विस्थापित हो गए।
- उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 3
- D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर -B

2. तवा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

1. तवा नदी छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलकर होशंगाबाद में नर्मदा नदी से मिलती है।
 2. तवा पर बाँध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 काम में न्यूना हुआ।
- उपरोक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों

D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -C

3. किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाई जाती है?

- A. कर्नाटक
- B. गुजरात
- C. आन्ध्र प्रदेश
- D. तमिलनाडु

उत्तर -D

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. कर्नाटक में सप्ताह में दो बार लगने वाला इरोड, का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है।
2. 'दादन व्यवस्था' व्यापारी और बुनकरों के बीच की एक व्यवस्था है जिसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और बुनकरों से तैयार माल प्राप्त करता है।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -B

Class-08

सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-03

1. भारतीय संविधान
2. संसद
3. न्यायपालिका
4. हाशियाकरण की समझ
5. जनसुविधाएँ

भारतीय संविधान

संविधान की आवश्यकता



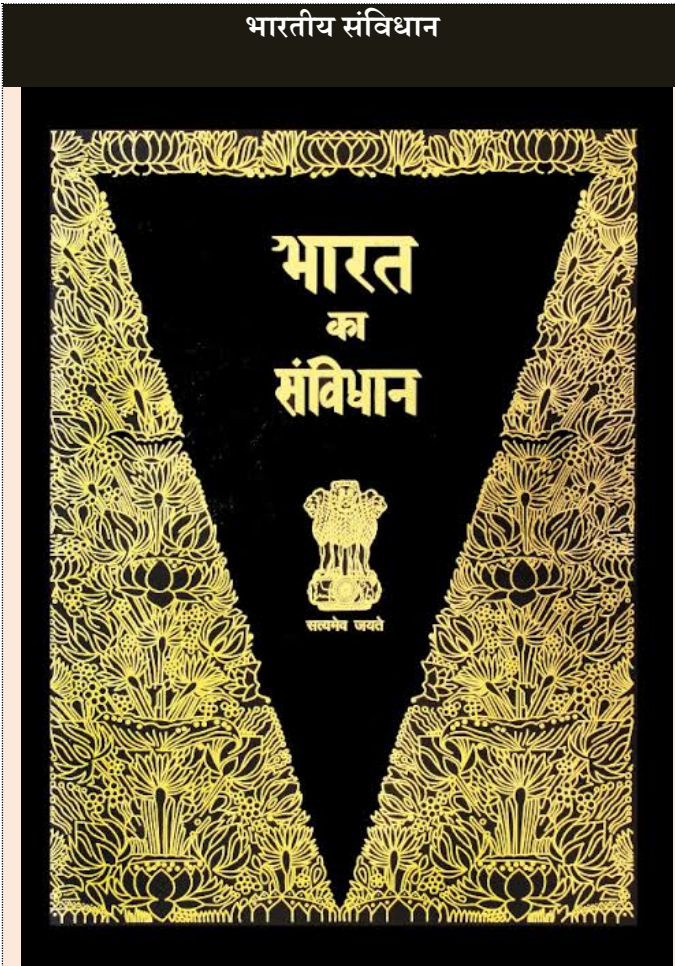
- ❖ दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान अवश्य होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे।
- ❖ संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो।
- ❖ संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए।
- ❖ संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है।
- ❖ लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का ज़िम्मेदारी के साथ प्रयोग कर सकें। फिर भी इस

बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है।

- ❖ राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है।
- ❖ भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खण्ड में दिए गए हैं। भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है।
- ❖ भारतीय संविधान के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है।
- ❖ लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे।
- ❖ संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का खयाल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है।
- ❖ अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है जिसे अंतर-सामुदायिक (Inter-community) वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक (Intra-community) वर्चस्व कहते हैं।
- ❖ संविधान क्यों होना चाहिए- इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम स्वयं को अपने आप से बचा सकें। अर्थात् कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं।

- ❖ संविधान हमें ऐसे फ़ैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुँच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगें कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फ़ौजी शासन हो जाना चाहिए।
- ❖ इस भावना में बह कर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएँगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस-नहस कर देगा।
- ❖ एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है।

भारतीय संविधान



- ☞ सामान्य अवधारणा के अनुसार, संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, जिसके आधार पर किसी राष्ट्र की सरकार का संचालन किया जाता है।
- ☞ यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढाँचा निर्धारित करता है। प्रत्येक देश का संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का संचित प्रतिबिंब होता है।
- ☞ संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि समय के साथ यह निरंतर विकसित होता रहता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान को एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- ☞ भारत में संविधान के निर्माण का श्रेय मुख्यतः संविधान सभा को दिया जाता है। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राय द्वारा दिया गया था। वर्ष 1946 में 'क्रिप्स मिशन' की असफलता के पश्चात् तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया।
- ☞ कैबिनेट मिशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिये एक बुनियादी ढाँचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे 'संविधान सभा' का नाम दिया गया।
- ☞ भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह सरकार के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं, अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है।
- ☞ भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो तत्त्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है।
- ☞ मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणामस्वरूप वर्तमान में इसमें कुल 470 अनुच्छेद (25 भागों में विभाजित) और 12 अनुसूचियाँ हैं।
- ☞ संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वस्तुतः मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है।
- ☞ यह एक प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोध की तरह कार्य करता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान की

धर्मनिरपेक्षता को भी इसकी एक प्रमुख विशेषता माना जाता है।

- ☞ धर्मनिरपेक्ष होने के कारण भारत में किसी एक धर्म को कोई विशेष मान्यता नहीं दी गई है। विदित हो कि वर्ष 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा गया था।
- ☞ संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान की व्याख्या अथवा अर्थविवेचन से जुड़ा हुआ है। नियमों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता या अर्थविवेचनकर्ता है।
- ☞ सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान में निहित प्रावधानों तथा उसमें उपयोग की गई शब्दावली के अर्थ एवं निहितार्थ के विषय में अंतिम कथन प्रस्तुत कर सकता है।

संविधान के अभाव में

- ☞ सामाजिक विनियमन की पहली परिकल्पना थॉमस हॉब्स द्वारा सामाजिक समझौते के सिद्धांत में की गई जिसको मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था (जहाँ मनुष्य को दो ही अधिकार प्राप्त हैं, पहला- अपने जीवन की रक्षा का अधिकार तथा दूसरा अपने जीवन की रक्षा के लिये कुछ भी करने का अधिकार) की परिस्थितियों से बेहतर सामाजिक प्रगति के क्रम में देखा गया।
- ☞ प्राकृतिक अवस्था की परिस्थितियों में समाज में व्यापक स्तर पर अव्यवस्था व्याप्त थी क्योंकि मनुष्य स्वयं की रक्षा के नाम पर किसी दूसरे के अधिकारों का क्षण भर में ही हनन कर देता था। प्राकृतिक अवस्था की स्थिति शक्ति ही सत्य है, पर आधारित थी।
- ☞ अतः इससे लोगों को हमेशा अपने प्राण, अधिकार एवं संपत्ति छिन जाने का संशय रहता था। अतः लोगों ने सामूहिक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक की बेहतर एवं समन्वित व्यवस्था के लिये सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर सहमति व्यक्त की जिसमें सभी लोगों द्वारा एक-दूसरे के अधिकारों के सम्मान की व्यवस्था स्थापित की गई।

संवैधानिक व्याख्या और उसका महत्त्व

- ❖ 'संवैधानिक व्याख्या' का अभिप्राय संविधान के अर्थ या अनुप्रयोग से संबंधित विवादों को हल करने के प्रयास के रूप

में संविधान के विभिन्न प्रावधानों की विवेचना करने से है ताकि प्रावधानों के दायरे को विस्तृत किया जा सके।

- ❖ संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि वह एक गतिशील दस्तावेज है, जो समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समय के साथ विकसित और बदलता रहता है।
- ❖ संसद द्वारा जिन कानूनों को पारित किया जाता है उन्हें आसानी से लागू किया जा सकता है और उतनी ही आसानी से उन्हें निरस्त भी किया जा सकता है जबकि संविधान की प्रकृति कानून से अलग होती है।
- ❖ संविधान का निर्माण भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है और उसे निरस्त करना अपेक्षाकृत काफी कठिन होता है। इसीलिये मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार, इसकी व्याख्या की जानी आवश्यक होती है।

भारत में संवैधानिक व्याख्या का विकास

पहला चरण: पाठवादी दृष्टिकोण

- ❖ अपने शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने एक पाठवादी दृष्टिकोण (Textualist Approach) अपनाया, जो कि संविधान में उल्लिखित शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर केंद्रित था। उदाहरण के लिये वर्ष 1950 में ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के भाग III में उल्लेखित मौलिक अधिकारी की व्याख्या की थी, जो कि इस संदर्भ शुरुआती मामला था।
- ❖ इस मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के नेता ने दावा किया कि निवारक निवलेधकर (निरोध) कानून अनुच्छेद-19 (स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद-22 (मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार) के साथ असंगत था। अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निवलेधकर (निरोध) कानून की वैधता को बरकरार रखा और स्पष्ट किया कि उक्त सभी अनुच्छेद (अनुच्छेद-19, 21, 22) पूर्णतः अलग विषयवस्तु से संबंधित हैं और इन्हें एक साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिये।
- ❖ संवैधानिक व्याख्या के पहले चरण में संविधान से संबंधित सबसे विवादास्पद प्रश्न यह था कि क्या संविधान विशेष रूप से मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिये संसद की शक्ति पर

कोई सीमा है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने पाठवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए निष्कर्ष दिया कि संसद की शक्तियों पर इस प्रकार की कोई सीमा नहीं है।

दूसरा चरण: संरचनावादी दृष्टिकोण

- ❖ दूसरे चरण में सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या के अन्य तरीकों की खोज शुरू की और धीरे-धीरे संवैधानिक व्याख्या हेतु शाब्दिक अर्थ पर केंद्रित पाठवादी दृष्टिकोण का स्थान संविधान की समग्र संरचना और सुसंगतता पर केंद्रित संरचनावादी दृष्टिकोण (Structuralist Approach) ने ले लिया।
- ❖ वर्ष 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति के तहत संविधान के मूल ढाँचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- ❖ इसके पश्चात् वर्ष 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत सरकार वाद में वर्ष 1950 के ए.के. गोपालन मामले के अपने फैसले को ही खारिज कर दिया।
- ❖ इस मामले में जीवन के अधिकार (अनुच्छेद-21) को और अधिक व्यापक रूप दिया गया तथा स्वच्छ हवा, शीघ्र विचारण और मुफ्त कानूनी सहायता जैसे अधिकारों को भी इसमें शामिल किया गया।

तीसरा चरण: परिणाम-उन्मुख व्याख्या

- ❖ संवैधानिक व्याख्या के तीसरे चरण में सर्वोच्च न्यायालय का व्याख्यात्मक दर्शन अधिक परिणाम-उन्मुख हो गया और सर्वोच्च न्यायालय ने वाद से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गहनता से विचार करने के अपने दायित्व की पूर्णतः उपेक्षा की।
- ❖ इसका एक मुख्य कारण यह था कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसकी शुरुआत 8 न्यायाधीशों के साथ हुई थी, में अब 34 न्यायाधीश (1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश) हो गए थे और लंबित मामलों को बढ़ती संख्या के कारण मात्र 2-3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाने लगा जिससे न्यायाधीशों के मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगे।

चौथा चरण: सामाजिक क्रांति और परिवर्तन

- ❖ मौजूदा दौर संवैधानिक व्याख्या के विकास का चौथा चरण है, विदित हो कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई फैसले सुनाए हैं जिनमें व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता देकर सामाजिक परिवर्तन के युग की शुरुआत की गई है। > बीते वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने 10-50 वर्ष की महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से रोकने वाले प्रतिबंध को हटाते हुए कहा था कि 'भक्ति में लिंगभेद नहीं हो सकता'।
- ❖ वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था।

भारतीय संविधान: मुख्य लक्षण

- ❖ बीसवीं सदी तक आते-आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए।
- ❖ ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा।
- ❖ संविधान के निर्माण के लिए अगले तीन साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं। संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे। उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल-पुथल से गुजर रहा था।
- ❖ भारत और पाकिस्तान का बँटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएँगी।
- ❖ जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे। लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय

एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है।

- ❖ उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक-आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया है। भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है-

1. संघवाद

- ❖ इसका तात्पर्य है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होता। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है।
- ❖ भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि क्षेत्र के अनुसार से अलग फैसले भी लिए जा सकें।
- ❖ भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्त्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बचाए गए कानूनों को मानना पड़ता है।
- ❖ कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन-से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है।
- ❖ संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं।

संघवाद क्या है?

- ☞ ज्ञातव्य है कि संघवाद (Federalism) शब्द की उत्पत्ति लैटिन निशब्द 'Foedus' से हुई है जिसका अर्थ है एक प्रकार का समझौता या अनुबंध। वास्तव में महासंघ दो तरह की सरकारों के बीच सत्ता साझा करने और उनके संबंधित क्षेत्रों को नियंत्रित करने हेतु एक समझौता है।

- ☞ इस आधार पर कहा जा सकता है कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम-से-कम दो स्तर मौजूद हैं- पहला केंद्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय या राज्यीय स्तर पर।
- ☞ भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

भारत के लिये संघवाद का महत्त्व

- ❖ भारतीय प्रशासन में शक्ति केंद्र में स्थानीय निकायों यानी पंचायत तक प्रवाहित होती है। इसी कारण देश में विकेंद्रीकरण आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र सभी शक्तियों का अधिग्रहण न करें। यही संघवाद की आवश्यकता को जन्म देता है।
- ❖ यह प्रणाली कार्य के बोझ तले दवं प्रशासन की काफी मदद करती है। गौरतलब है कि केंद्र पर बैठे अधिकारी गाँवों तक नहीं पहुँच पाते जिसके कारण गाँव विकास से अछूते रह जाते हैं। इसलिये स्थानीय सरकार कार्यपालिका को निचले स्तर तक पहुँचने में मदद करती है और देश के सभी नागरिकों को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है।
- ❖ भारत में विभिन्न नस्लों और धर्मों के लोग मौजूद हैं। सरकार ने एक धर्मनिरपेक्ष विचार को अपनाया जो 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया। संघवाद की अवधारण स देश के अंतर्गत विविधता को कायम रखने में मदद करती है।

भारत में संघवाद के समक्ष चुनौतियाँ

- ❖ क्षेत्रवाद को भारत में संघवाद के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि संघवाद सबसे अधिक लोकतंत्र में ही कामयाब रहता है। क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के केंद्रीकरण को कम करता है।
- ❖ संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विपरीत भारत में शक्तियों का वितरण संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित तीन सूचियों के तहत किया जाता है।
- ❖ शक्तियों के विभाजन का आधारभूत सिद्धांत यही माना जा सकता है कि जो विषय राष्ट्रीय महत्त्व के हैं उन पर कानून

बनाने का अधिकार केंद्र के पास है और जो विषय क्षेत्रीय महत्त्व के हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिनमें केंद्र व राज्य दोनों की ही भागीदारी की आवश्यकता होती है। परंतु विवाद की स्थिति में केंद्र को प्रमुख माना जाएगा।

- ❖ इस प्रकार शक्तियों के बँटवारे के कई अन्य प्रावधान भी हैं जिनमें केंद्र को वरीयता दी गई है, जो कि राज्यों के मध्य केंद्रीकरण का भय उत्पन्न करता है।
- ❖ एक सामान्य महासंघ में संविधान में संशोधन की शक्ति महासंघ और इसकी इकाइयों के बीच साझा आधार पर विभाजित होती है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 और अन्य प्रावधानों के तहत केंद्र के ही पास है।
- ❖ भारत में प्रत्येक राज्य के लिये राज्यपाल का कार्यालय एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि यह कभी-कभी भारतीय संघ के सभ्य चरित्र के लिये खतरा बन जाता है। केंद्र द्वारा इस तरह के संवैधानिक कार्यालय का दुरुपयोग किया जाना सदैव ही देश में तीखी बहस और मतभेद का विषय रहा है।
- ❖ ध्यातव्य है कि अरुणाचल प्रदेश में जनवरी, 2016 में राष्ट्रपति शासन लागू करने (जबकि राज्य में एक निर्वाचित सरकार थी) को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक विचित्र घटना माना जाता है। भारत में भाषाओं की विविधता भी कभी-कभी संविधान की संघीय भावना को ठेस पहुँचती है। भारत में संवैधानिक रूप से स्वीकृत 22 भाषाएँ हैं।
- ❖ इसके अतिरिक्त देश में सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब महासंघ की सबसे मजबूत इकाई दूसरों पर एक विशेष भाषा को लागू करने का प्रयास करती है। भारत में आधिकारिक भाषा के लिये लड़ाई अभी भी एक ज्वलंत मुद्दा है।

2. संसदीय शासन पद्धति-

- ❖ सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है।
- ❖ संविधान ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया है। इससे न केवल लोकतांत्रिक

सोच व तौर-तरीकों को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि जाति, वर्ग और औरत-मर्द के फर्क पर आधारित ऊँच-नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है।

- ❖ सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं।

संसदीय सरकार

- ☞ संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, इसमें कार्यपालिका शक्तियाँ एक मन्त्रिमण्डल में निहित होती हैं, इसलिए मन्त्रिमण्डलात्मक सरकार भी कहा जाता है।
- ☞ संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) अपने कार्यों के लिए विधायिका (संसद) के प्रति उत्तरदायी होती है।
- ☞ इसलिए इसे उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। इसमें कार्यपालिका अपने पद पर उसी समय तक रह सकती है, जब तक उसे विधायिका (संसद) का बहुमत या विश्वास प्राप्त है।
- ☞ इस सरकार में मन्त्रिमण्डल का नेता प्रधानमंत्री होता है और समस्त कार्यपालक शक्तियाँ वास्तव में उसी के हाथ में होती हैं। इसमें देश का मुखिया नाममात्र का होता है। देश का शासन नाममात्र के मुखिया के नाम पर मन्त्रिमण्डल द्वारा हो चलाया जाता है।
- ☞ संसदीय सरकार को कुछ विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है :-
- ☞ गार्नर के अनुसार "संसदीय शासन प्रणाली वह है जिसके अन्तर्गत वास्तविक कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) विधानमण्डल या उसके एक सदन (प्रायः अधिक लोकप्रिय सदन) के प्रति प्रत्यक्ष तथा कानूनी रूप से और निर्वाचकों के प्रति अन्तिम रूप से अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी रहती है, जबकि राज्य का नाममात्र का मुखिया अनुत्तरदायी होता है।"
- ☞ C.F. स्ट्रॉंग के अनुसार "संसदीय कार्यपालिका का सार यह है कि अन्तिम विश्लेषण में मन्त्रिमण्डल संसद की एक समिति

है जिसमें लोकतन्त्र की प्रगति के साथ-साथ लोकसभा की समिति बन जाने की प्रवृत्ति निहित है।"

- ☞ कार्टर और हर्ज के अनुसार "संसदीय शासन प्रणाली सरकार के कार्यपालिका व व्यवस्थापिका अंगों के अन्तः पाशन (interlocking) पर आधारित शासन है।"
- ☞ बेजहॉट के अनुसार "संसदीय सरकार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियों के संयोग और घनिष्ठ सम्बन्धों पर आधारित सरकार है।"

संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं

- ❖ संसदीय सरकार में देश का मुखिया नाममात्र का होता है। उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिमण्डल ही करता है।
- ❖ संसदीय सरकार में नाममात्र और वास्तविक दो तरह की कार्यपालिका होती है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है, जबकि राष्ट्रपति या शासनाध्यक्ष नाममात्र का। ऐसी व्यवस्था सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में होती है। संसदीय सरकार में नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका में भेद किया जाता है।
- ❖ संविधान द्वारा देश के प्रधान को जो शक्तियां दी जाती है उनका वास्तविक प्रयोग मन्त्रिमण्डल द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति तो नाममात्र का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है।
- ❖ संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधायिका में आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य विधानमण्डल के भी सदस्य होते हैं और वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये सभी विद्यार्थी कार्यों को करने में व्यवस्थापिका की मदद भी करते हैं। इस तरह मन्त्रिमण्डल कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी है।
- ❖ संसदीय सरकार में कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, जिसे संसद में बहुमत प्राप्त हो।
- ❖ संसदीय शासन में राज्य का मुखिया सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यद्यपि यह औपचारिकता मात्र ही होती है। संसद में बहुमत दल का व्यक्ति ही सरकार का अध्यक्ष चनता है।

- ❖ संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री हो सरकार की धुरी होता है। देश का शासन चलाने की पूर्ण जिम्मेदारी उसी की होती है। संसदीय सरकार में मन्त्रिमण्डल का गठन प्रधानमंत्री द्वारा हो किया जाता है।
- ❖ संसदीय सरकार में मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बिना सदन के सदस्य के रूप में मन्त्री बनता है तो उसे 6 महीने के अन्दर चुनाव लड़कर या मनोनयन द्वारा किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है।
- ❖ मन्त्रिमण्डल में सजातीयता का गुण पाया जाता है। संसदीय सरकार में सभी मन्त्री एक ही दल के बनते हैं, लेकिन भारत इसका अपवाद है। भारत में वर्तमान सरकार में कई राजनीतिक दलों के सदस्य मन्त्री पद पर हैं।
- ❖ संसदीय सरकार में मन्त्रिमण्डल एक सामूहिक संस्था होती है। सभी मन्त्री सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं।
- ❖ संसदीय सरकार का कार्यकाल अनिश्चित होता है। इसमें सरकार उसी समय तक अस्तित्व में रह सकती है। जब तक उसे संसद में बहुमत या विश्वास मत प्राप्त है।
- ❖ संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री संसद को संविधानिक मुखिया के साथ विचार-विमर्श करके विश्वास मत रहते भी भंग करवाने का अधिकार रखता है। संसदीय सरकार में मन्त्रिमण्डल की कार्यवाही गोपनीय होती है।
- ❖ संसदीय सरकार चुनावों को बहुत महत्त्व देती है। इसमें विधानमण्डल का चुनाव निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक मन्त्री होता है। वहीं विभागीय नीतियों की सफलता या असफलता के लिए उत्तरदायी होता है। संसदीय सरकार में संसद सर्वोच्च होती है। वही शक्ति का वास्तविक केन्द्र होती है। संसदीय सरकार में विपक्षी दल को सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है।

संसदीय सरकार के गुण

- ❖ वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली भारत, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक देशों में प्रचलित है और यह बड़ी सफलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। इन

देशों में इसकालोकप्रिय होना इसके महत्त्व को प्रतिपादित करता है। संसदीय शासन प्रणाली का गहन अवलोकन करने से इसके गुण दृष्टिगोचर होते हैं:

उत्तरदायी सरकार-

- ❖ संसदीय सरकार उत्तरदायी सरकार होती है, क्योंकि इसमें मन्त्रिमण्डल अपने सारे कार्यों तथा नीतियों के लिए विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी होता है।
- ❖ वह अपनी शक्तियों का प्रयोग विधानपालिका की इच्छा के अनुसार हो करता है। इस सरकार में व्यवस्थापिका प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर, स्थगन प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, काम रोक प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाती है।
- ❖ विधानपालिका के सदस्य जन-प्रतिनिधि होने के कारण कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने के हर सम्भव प्रयास करते रहते हैं। इसी कारण संसदीय सरकार का प्रमुख गुण इसका उत्तरदायित्व है।

निरंकुशता का अभाव-

- ❖ संसदीय सरकार में मन्त्रिमण्डल अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि मन्त्रिमण्डल कोई मनमानी करता है तो विधायिका उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसे हटा देती है। मन्त्रिमण्डल को संसदीय प्रणाली में विरोधी दल के विचारों का भी ध्यान रखना पड़ता है।
- ❖ भारत में विरोधी दल सरकार को निरंकुश बनने से रोकने में अहम् भूमिका निभाता है इसलिए संसदीय सरकार में निरंकुशता का अभाव पाया जाता है।

कार्यपालिका तथा विधायिका में पूर्ण सहयोग-

- ❖ संसदीय सरकार में सरकार के दो अंगों विधायिका व कार्यपालिका में आपसी सहयोग होता है। इसमें मन्त्रिमण्डल के सदस्य विधानपालिका के भी सदस्य होते हैं। दोनों एक ही उद्देश्य से कार्य करते हैं। मन्त्रिमण्डल विधायिका की एक समिति की तरह कार्य करता है। वह उसका मार्गदर्शक, निरीक्षक और आशाओं का दीपक माना जाता है।
- ❖ इन दोनों के सहयोग के कारण ही अनेकों कानूनों का निर्माण होता है और शासन में दक्षता का गुण आता है। इस सहयोग

व मतैक्य के कारण सत्ता में उत्तरदायित्व का गुण भी बना रहता है।

शीघ्र निर्णय

- ❖ संसदीय सरकार में शासन-शक्ति एक ही स्थान पर केन्द्रित रहने के कारण शीघ्र निर्णय लेना आसान होता है। शीघ्र निर्णय लेना संकटकाल में बहुत लाभदायक होता है।

राजनीतिशास्त्र लचीली सरकार

- ❖ संसदीय सरकार में कोई भी संकट आने पर उसे बदलना आसान होता है। कोई नई परिस्थिति पैदा होने पर इसमें शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकता है। इसमें सरकार को बदलकर समस्या पर काबू पाया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैण्ड में चेम्बरलेन के असफल रहने के कारण उसके स्थान पर चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया गया था।
- ❖ इसी तरह 1991 में भारत में आरक्षण की नीति को लेकर हुए देशव्यापी हंगामों के कारण वी.पी. सिंह की जगह चन्द्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया था। लचीलापन संसदीय सरकार का प्रमुख गुण है।

विरोधी दल का महत्त्व-

- ❖ संसदीय सरकार में आलोचना को बहुत महत्त्व दिया जाता है। इसमें विरोधी दल की रचनात्मक आलोचना को सत्तारूढ़ सरकार बहुत अधिक उपयोगी मानती है। इससे सरकार को अपनी कमियों का पता चल जाता है और भविष्य में उन दोषों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लग जाता है। इससे जनता व सरकार दोनों का ही फायदा होता है।

योग्य व्यक्तियों की सरकार-

- ❖ संसदीय शासन प्रणाली में जनता उसी दल को सत्तासीन करती है जो उसे अधिक योग्य लगते हैं। चुनावों के समय लोग लोकप्रिय नेताओं का ही चुनाव करते हैं। सरकार में शामिल होने से पहले शासक वर्ग को जनता की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। यदि कभी गलत व्यक्ति को मन्त्रिमण्डल में स्थान प्राप्त हो जाए तो बाद में उसे हटा दिया जाता है। प्रत्येक नेता को शासन कार्यों में अपनी पूरी योग्यता दिखाने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस तरह संसदीय सरकार योग्य व्यक्ति ही बनाते हैं और योग्य ही चलाते हैं।

वैकल्पिक शासन या सरकार का प्रावधान-

- ❖ संसदीय शासन प्रणाली में हमेशा उसी दल का शासन होता है जिसे संसद में बहुमत प्राप्त रहता है। सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर उसका स्थान विरोधी दल ले सकता है। यह सुविधा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नहीं होती। इस व्यवस्था से बार-बार चुनावी खर्च से बचा जा सकता है और प्रशासन भी सुचारू ढंग से चलता है। जेनिंग्स ने कहा है- "विरोधी दल का नेता प्रधानमंत्री का स्थान लेने वाला होता है।"

राजनीतिक चेतना व शिक्षा-

- ❖ संसदीय सरकार में राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करते रहते हैं। प्रत्येक दल चुनाव जीतकर शासन की बागडोर सम्भालने के चक्कर में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी नीतियों का प्रचार तथा विरोधी दल की आलोचना करता है। इससे नागरिकों को राजनीति का ज्ञान प्राप्त होता रहता है और उनमें राजनीतिक चेतना का विकास होता है।

जनमत की सरकार-

- ❖ संसदीय सरकार जनमत की इच्छा का परिणाम होती है। इसलिए उसे जनमत का आदर करना पड़ता है। इसमें सरकार लोगों की भावनाओं का अनाद नहीं कर सकती। इसमें सत्तारूढ़ दल चुनार्क वायदों को पूरा करने का हर तरह प्रयास करता है।
- ❖ इसमें मन्त्रिमण्डल जनमत की इच्छा के अनुसार ही सरकार में रहता है। यदि कोई सरकार जनमत की अवहेलना करता है तो आगामी चुनावों में उसे जनता का कोप सहना पड़ता है। इसी भय के कारण संसदीय सरकार में शासक वर्ग जनमत का आदर करता रहता है।
- ❖ इस प्रकार कहा जा सकता है कि संसदीय सरकार उत्तरदायी सरकार होती है और इसमें जनमत की इच्छा का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इसमें सत्तारूढ़ दल अपने अन्तिम क्षणों तक लोकप्रिय बने रहने के प्रयास करता रहता है।
- ❖ कार्यपालिका तथा विधायिका में घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण इस सरकार में आपातकाल में त्वरित निर्णय लेने तथा स्थिति में निपटने में सक्षमता इसका प्रमुख गुण है। सभी वर्गों के हितों की पोषक होने के कारण संसदीय सरकार का महत्त्व निर्विवाद है।

संसदीय सरकार के दोष

- ❖ यद्यपि संसदीय सरकार के अनेक लाभ हैं, लेकिन फिर भी यह दोषों से मुक्त नहीं है। अनेक विद्वानों ने संसदीय सरकार के निम्नलिखित अवगुण बताए हैं :-
- संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री की शक्तियां असीमित होती हैं। उसके साथ मतभेद होने पर मन्त्रियों या जनप्रतिनिधियों को उसकी निरंकुशता का शिकार बनना पड़ता है। यह लोकतन्त्र के विपरीत है।
- अतः संसदीय सरकार मन्त्रिमण्डलीय तानाशाही की जनक है। डॉयसी ने लिखा है कि संसदीय सरकार में कार्यपालिका विधायिका की तानाशाही का शिकार हो जाती है।
- संसदीय सरकार का कार्यकाल अनिश्चित होता है। यह अपने पद पर उसी समय तक रह सकती है जब तक उसे संसद में बहुमत प्राप्त है।
- कार्यपालिका और विधायिका के घनिष्ठ सम्बन्ध शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त के महत्त्व को कम कर देते हैं। इससे शासन व्यवस्था के वे लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाते जो इस सिद्धान्त के लागू होने से प्राप्त होते हैं।
- यह सरकार दलबन्दी को प्रोत्साहन देकर शासन व्यवस्था व समाज में संघर्ष व तनाव की स्थिति पैदा करती है।
- संसदीय सरकार अदक्ष व्यक्तियों की सरकार होती है। इसमें किसी अकुशल मन्त्री को किसी विभाग को सौंपकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। इससे उत्तरदायी सरकार के कर्तव्य पूरे नहीं हो सकते।
- संसदीय सरकार में राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासनिक अधिकारियों पर अधिक आश्रित होने के कारण प्रशासनिक भ्रष्टाचार व नौकरशाहों को निरंकुशता को जन्म देती है।
- अनेक विद्वानों का यह भी मत है कि ऐसी सरकार संकटकाल के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है।
- संसदीय शासन की शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में न होने के कारण महत्त्वपूर्ण निर्णय लेना सम्भव नहीं है। इसमें विरोधी दल की भूमिका संसद की कार्यवाही में बाधक होती है। कई बार विरोधी दल के सदस्य जानबूझकर सरकार को नीचा दिखाने के लिए जनता में उसकी नीतियों का भ्रामक प्रचार करते हैं।

- इस सरकार में कार्यपालिका हमेशा ही विधायिका की चापलूसी में लगी रहती है ताकि उसका पद न चला जाए। उसे अपने कार्यों को करने के लिए विधायिका का समर्थन जुटाने के चक्कर में अपना स्वाभिमान भी दाव पर लगाना पड़ता है। इसलिए संसदीय सरकार में कार्यपालिका अधिक दुर्बल होती है।
 - ❖ इस प्रकार कहा जा सकता है कि संसदीय सरकार में कानून निर्माण का सारा बोझ मन्त्रिमण्डल पर आ जाता है और इससे कार्यपालिका अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा करने में असक्षम रहती है।
 - ❖ कार्यपालिका की पराश्रिता राजनीतिक अस्थिरता का खतरा भी पैदा कर देती है। इसमें दलबन्दी को प्रोत्साहन मिलने के कारण संसद वाद-विवाद का अखाड़ा बनकर रह जाती है और जनहित के कार्यों पर सरकार का अधिक ध्यान नहीं रहता।
- संसदीय सरकार की सफलता की शर्तें**
- ❖ संसदीय शासन प्रणाली में गुणों के साथ-साथ कुछ दोष भी हैं। यदि संसदीय शासन प्रणाली के दोषों को दूर कर दिया जाए तो इससे अच्छी सरकार कोई नहीं दे सकता।
 - ❖ आज संसदीय शासन दलबन्दी का अखाड़ा बनकर रह गया है। इसमें शासन कार्यों के निष्पादन का उत्तरदायित्व तो कार्यपालिका का है, लेकिन शक्तियां विधायिका के पास अधिक हैं। मन्त्रिमण्डल को विधायिका के नियन्त्रण में ही कार्य करना पड़ता है।
 - ❖ इस तरह की अनेक कमियां संसदीय शासन में दृष्टिगोचर होती हैं। इन कमियों को यदि दूर कर दिया जाए तो संसदीय शासन से अच्छा विकल्प कोई नहीं है। इन कमियों को दूर करके संसदीय शासन प्रणाली को सफलता का ताज पहनाया जा सकता है।
 - ❖ कुछ विद्वानों ने संसदीय सरकार को सफलता के लिए निम्न सुझाव दिये हैं:-
 - संसदीय शासन प्रणाली में संसद को सर्वोच्च माना जाए और उसकी कार्यवाही में अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न करने से परहेज किया जाए।

- संसदीय शासन में कार्यपालिका के पास उत्तरदायित्वों का निवर्हन करने के लिए सम्पूर्ण शक्तियां होनी चाहिए। उसे विधायिका के नियन्त्रण से कुछ डील दी जाए।
- संसदीय कार्यवाही में स्पीकर को निष्पक्ष व निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। राजनीतिक तटस्थता ही संसदीय कार्यवाही को प्रभावी बना सकती है। स्पीकर को इसी तटस्थता का पालन करना चाहिए।
- संसदीय शासन प्रणाली की मर्यादा बनाए रखने के लिए समय पर ही चुनाव कराने चाहिए। चुनावों में पूरी पारदर्शिता बरतना भी संसदीय सरकार को विश्वासपात्र बनाता है।
- संसदीय शासन प्रणाली में विरोधी दल को अनावश्यक आलोचना से परहेज करना चाहिए।
- ❖ संसदीय शासन प्रणाली में प्रतियोगी दल व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कड़े संघर्ष के बाद सत्तासीन हुआ जा सके। इसका तात्पर्य यह है कि दलों को मुकाबला बराबरी का होना चाहिए।
- ❖ संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष को नाममात्र बनकर ही कार्य करना चाहिए। उसे प्रधानमंत्री और मन्त्रिमण्डल के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। सत्तारूढ़ दल को जनमत का सम्मान करते रहना चाहिए। उसे कभी भी जनभावनाओं के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए।

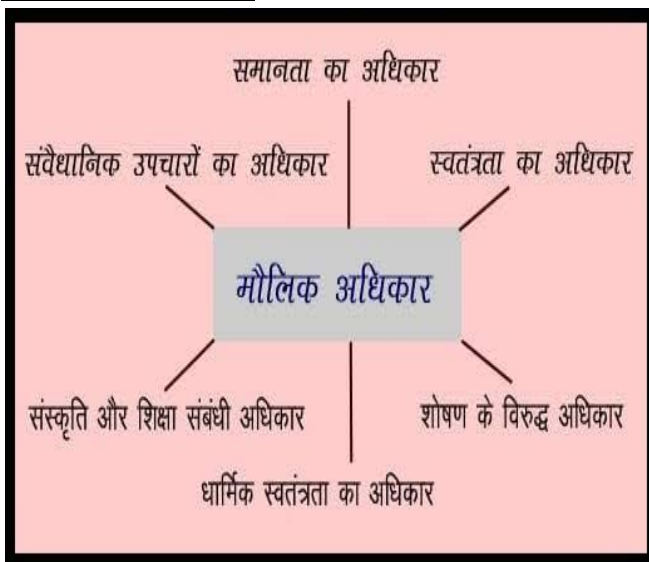
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत-

- ❖ संविधान के अनुसार राज्य के तीन अंग हैं- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है।
- ❖ राज्य की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक-दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बँटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है।
- ❖ भारत के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकार के विभिन्न अंगों के

कार्यों में पर्याप्त रूप से अंतर है, इस प्रकार सरकार का एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

- ❖ जहाँ अनुच्छेद 121 और 211 विधायिका को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने से मना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ, अनुच्छेद 122 और 212 अदालतों को विधायिका की आंतरिक कार्यवाही पर निर्णय लेने से रोकते हैं।
- ❖ इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) विधायकों को उनकी भाषण की स्वतंत्रता और वोट देने की आजादी के संबंध में अदालतों के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं।
- ❖ ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ न्यायपालिका द्वारा विधायिका के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है। यथा अरुण गोपाल बनाम भारत संघ (2017), एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2018), सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018) तथा राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2017) आदि।
- ❖ उल्लेखनीय है कि एनजीटी द्वारा आदेश दिया गया है कि 15 वर्षीय पेट्रोल संचालित और 10 वर्षीय डीजल संचालित वाहन दिल्ली में नहीं चलाए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे वाहनों को अपनाने का निर्देश दिया है, हालाँकि न तो एनजीटी और न हो सर्वोच्च न्यायालय विधायी निकाय हैं।

4. मौलिक अधिकार-



- ❖ मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की 'अंतरात्मा' भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए।
- ❖ मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है।
- ❖ बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है- पहला. प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
- ❖ संविधान के भाग 3 में सन्निहित मूल अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं।
- ❖ मौलिक अधिकारों के विचार का सूत्रपात 1215 इंसर्गों में इंग्लैंड के मैग्नाकार्य से हुआ। फ्रांस में 1789 के संविधान में मानवीय अधिकारों को शामिल करके व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक कुछ अधिकारों की घोषणा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की प्रथा आरंभ हुई।
- ❖ 1791 ईस्वी में अमेरिका के संविधान में संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स (अधिकार पत्र) को शामिल किया गया।
- ❖ भारत में मौलिक अधिकारों को लागू करने की पहली मांग 1895 में उठी। एनी बेसेंट ने होमरूल आंदोलन के दौरान मौलिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की। 1925 ईस्वी में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी इन अधिकारों की मांग की गई।

- ❖ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में इससे संबंधित संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की मांग की गई।
- ❖ कांग्रेस के कराची अधिवेशन (1931) एवं गोलमेज सम्मेलन द्वितीय महात्मा गांधी ने इन अधिकारों की मांग की।
- ❖ कैबिनेट मिशन 1946 को सलाह पर मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक परामर्श समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परामर्श समिति ने 27 फरवरी, 1947 को 5 और समितियों का गठन किया जिनमें से एक मौलिक अधिकारों से संबंधित थी।
- ❖ मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य जे. वी. कृपलानी, मीनू मसानी, के. टी. शाह, ए. के. अय्यर, के. एम. मुंशी, के. एम. पणिककर तथा राजकुमारी अमृत कौर थे। परामर्श समिति तथा उप समिति की सिफारिशों पर संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया।

मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार-

- ❖ वर्तमान में अनुच्छेद 300 (ए) के तहत संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार के रूप में व्यवस्थापित है।
- ❖ अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान रूप से लागू होते हैं।
- ❖ अनुच्छेद 13- रूढ़ि, परंपरा, अंधविश्वास से यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ऐसे तत्त्व न्यायालय द्वारा अवैध घोषित हो सकते हैं।

समानता का अधिकार

- ❖ कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा।
- ❖ इसमें यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- ❖ खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुँच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन

इसके कुछ अपवाद हैं। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है।

समता का अधिकार अनु. 14 से 18

- ☞ अनुच्छेद 14- कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। कानून के समक्ष समानता बिट्टेन के संविधान से उद्धृत है।
- ☞ अनुच्छेद 15 जाति, लिंग, धर्म तथा मूलवंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान है।
- ☞ अनुच्छेद 16- सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता। प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है।
- ☞ अनुच्छेद 17- इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता की आचरण करता को 500 जुर्माना अथवा 6 महीने की कैद का प्रावधान है यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया।
- ☞ अनुच्छेद 18- इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए उपाधियों का अंत कर दिया गया, सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम रही।

स्वतंत्रता का अधिकार

- ❖ इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा/संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने-जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है।

स्वतंत्रता का अधिकार अनु 19 से 22

- ☞ अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है-
 - विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
 - शांति पूर्ण सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता
 - संगठन, संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता
 - भारत के किसी भाग में बसने की स्वतंत्रता

- संपत्ति के अर्जन एवं व्यय की स्वतंत्रता (44वें संशोधन 1978 द्वारा निरस्त)
- ☞ जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1977 में उड़ीसा राज्य बनाम लखन लाल मामले में व्यवस्था दी गई कि मादक पदार्थ, तस्करी तथा नशीले पदार्थ आदि का व्यवसाय जीविकोपार्जन के तहत नहीं आता है)
- ☞ भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता देने के लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (1) (क) में सम्मिलित है।
- ☞ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मुद्रण भी शामिल है।
- ☞ प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (2) द्वारा कुछ परिसीमाओं का निर्धारण किया गया है।
- ☞ राज्य, प्रेस की स्वतंत्रता पर सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, न्यायालय अवमानना अपराध उद्दीपन आदि पर विधियां बना सकता है।
- ☞ अनुच्छेद 20- कोई भी व्यक्ति प्रचलित कानूनों का उल्लंघन करने पर दंडित किया जा सकता है परंतु एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार दोषित किया जाएगा, बार-बार नहीं।
- ☞ अनुच्छेद 21- इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निम्नवत तरीके से परिभाषित किया है-

अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

- ☞ संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम, 2000 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 (ए) जोड़ा गया है। जिसके द्वारा राज्य को 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह व्यवस्था संबंधित प्रांत द्वारा निर्धारित कानून द्वारा होगी।
- ☞ अनुच्छेद 22- इस अनुच्छेद के तहत जो उपबंध दिए गए हैं उन्हें निवारक निरोध अधिनियम कहा जाता है।
- ☞ पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण तुरंत बता दिया जाता है कारण न बताए जाने पर गिरफ्तार व्यक्ति जमानत के उपरांत कारण जान सकता है।

- ☞ ऐसा विधान उपबंधित है कि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना अनिवार्य है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

- ❖ संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार अनु. 23 से 24

- ☞ अनुच्छेद 23 मनुष्य का क्रय विक्रय, बलात श्रम, बेगार, शारीरिक शोषण किसी भी व्यक्ति का किसी के द्वारा किया जाना वर्जित है। अनुच्छेद 24-14 वर्ष तक के बच्चे को किसी खतरनाक कार्य में लगाना वर्जित है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

- ❖ सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनु. 25 से 28

- ☞ अनुच्छेद 25- नैतिकता, धार्मिक सुव्यवस्था तथा स्वास्थ्य के प्रति इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण को स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
- ☞ अनुच्छेद 26- इसके तहत धार्मिक समुदाय एवं उससे संबंधित विशेषाधिकारों का वर्णन दिया गया है। दान द्वारा ट्रस्ट का निर्माण एवं विकास किया जा सकता है।
- ☞ अनुच्छेद 27- राज्य अपनी ओर से किसी धर्म को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित नहीं कर सकता।
- ☞ अनुच्छेद 28- राज्य को पूर्णतया, अंशतः किसी प्रकार से धर्म द्वारा शिक्षा देना वर्जित है परंतु धार्मिक न्यास पर आधारित संगठन इस तरह की शिक्षा दे सकते हैं जैसे मदरसा ।

सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार

- ❖ संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई, सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने-अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं।

सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनु. 29 से 30

- ☞ अनुच्छेद 29 (i) ऐसे वर्ग के लोग जिन्हें भारत की भाषा या लिपि उनकी संस्कृति के अनुकूल न लगती हो वह अन्य भाषा लिपि एवं संस्कृति अपना सकती हैं।
- ☞ अनुच्छेद 29 (ii) अनुच्छेद 29 (ii) में वर्गीकृत समूह के लोगों के साथ उनकी भाषा एवं लिपि के कारण उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए।
- ☞ अनुच्छेद 30 (i) ऐसी अलग भाषा एवं संस्कृति वाले लोग अपना भाषा एवं संस्कृति के विकास के लिए शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं।

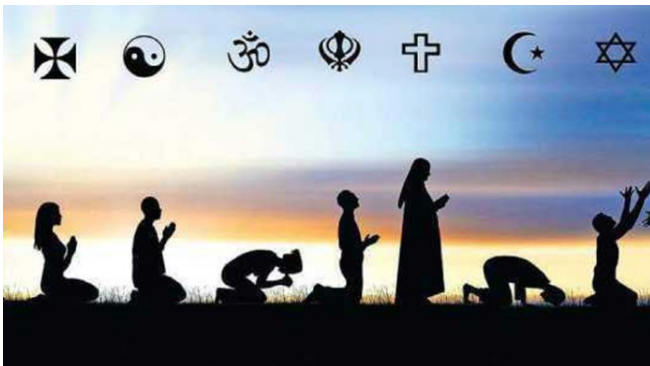
संवैधानिक उपचार का अधिकार

- ❖ यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनु. 32 से 35

- ☞ अनुच्छेद 32- किसी भी व्यक्ति या राज्य द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा पांच प्रकार की याचिका जारी की जाती है जो निम्नवत है- बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा संविधान सभा में अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी।

धर्मनिरपेक्षता-



- ❖ भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं।

- ❖ भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर-तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक-दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है।

धर्म राज्य से अलग-

- ❖ धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राजसत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ-साथ रहते हैं।
- ❖ प्रत्येक देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुँच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है।
- ❖ बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। उनके साथ जोर-जबरदस्ती हो सकती है। यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है।
- ❖ धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है।
- ❖ बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन, वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग-अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है।
- ❖ लोकतान्त्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है?

❖ भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार, केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि-

1. कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दवाए;
2. कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दवाएँ; और
3. राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा।

❖ इसे रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है-

- पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है।
- भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। इसका तात्पर्य है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए, राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है।
- धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है।
- धर्म के नाम पर अलग-थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इसी तरह माँ-बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित 'निजी कानूनों' में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है।
- राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर-प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है।

❖ अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो "धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते" हों या "धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते" हों।

❖ इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म, दोनों ही एक-दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते।

❖ भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है।

❖ भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।

❖ ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है।

❖ भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने सवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है।

अभ्यास प्रश्न

1. संविधान के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना संविधान होता है।
 2. समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण संविधान करता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर - B

2. संविधान सभा के गठन से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- रि ए हों। कीय धर्म में और 1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। 2. दिसम्बर 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से असत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -D

3. भारतीय संविधान के सन्दर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये-

1. अल्पसंख्यक वर्गों को भारतीय संविधान में संरक्षण प्रदान किया गया है।
2. संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -C

4. संविधान के अनुसार सरकार के अंगों में शामिल है/हैं-

1. न्यायपालिका
2. कार्यपालिका
3. विधायिका
4. नगर पालिका

कूट :

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1, 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. उपर्युक्त सभी

उत्तर -B

5. निम्नलिखित पर विचार कीजिये-

1. राज्य शब्द का संदर्भ संविधान में राज्य सरकारों से नहीं होता है।
2. संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/है?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -C

6. निम्नलिखित अधिकारों में से कौन-से संविधान निर्माण के समय अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे?

1. सम्पत्ति का अधिकार
2. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
3. स्वतंत्रता का अधिकार
4. शोषण के विरुद्ध अधिकार
5. संवैधानिक उपचार का अधिकार
6. समानता का अधिकार
7. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार

कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें:

कूट :

- A. केवल 1, 2, 3 और 4
- B. केवल 1, 2, 4 और 5

- C. केवल 1,2,4,5 और 6
D. उपर्युक्त सभी

उत्तर -D

7. भारत के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. लोगों की राज्य की सत्ता के साथ-साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा मौलिक अधिकार करते हैं।
 2. धर्मनिरपेक्षता, धर्म को राज्य से अलग रखने को अवधारणा को कहा जाता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य कथन है/हैं?
- A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -A

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतन्त्रता भारत में सभी को आसानी से प्राप्त नहीं है।
 2. भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -B

9. धर्म निरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. भारतीय राज्य कभी-कभी धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिये 'हस्तक्षेप' करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध भी करता है।
 2. राज्य की बागडोर न तो किसी एक ही धार्मिक समूह के हाथों में जाये और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे।
 3. राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट धार्मिक क्रिया-कलापों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए देता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/है?
- A. केवल 3

- B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 2
D. उपरोक्त सभी

उत्तर -D

10. प्रातः कालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिये निम्नलिखित में से कौन-से स्कूल किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते?
- A. निजी स्कूल
B. सरकारी स्कूल
C. निजी व सरकारी दोनों
D. कोई नहीं

उत्तर -B

11. अमेरिका से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. किसी भी धर्म को अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर राजकीय धर्म घोषित कर सकती है।
 2. संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते हैं।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से असत्य है/हैं?
- A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -A

12. भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्तों का विरोध करते हैं।
 2. संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/है?
- A. केवल 1
B. केवल 2

- C. 1 और 2 दोनों
D. न तो। और न ही 2

उत्तर -A

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. फ्राँस में कानून के द्वारा 2004 में, धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों व प्रतीकों को धारण करके स्कूल में आना वर्जित कर दिया गया।

2. फ्राँस के अप्रवासी लोगों ने इस कानून का समर्थन किया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
C. 1 और 2 दोनों
B. केवल 2
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -D

14. भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- A. भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा है।
B. भारत का संविधान संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है।
C. इसमें विभिन्न देशी रियासतों में प्रचलित कानूनों को भी स्थान दिया गया है।
D. संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था।

उत्तर -C

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्त्व संविधान की कठोरता है।
2. भारत की शासन प्रणाली संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है।
3. संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त पाया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 3

- D. केवल 2 और 3

उत्तर -C

16. गणतंत्रात्मक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- A. गणतंत्रात्मक व्यवस्था को ब्रिटेन में नहीं अपनाया गया है।
B. गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है।
C. राष्ट्रपति का चुनाव भारत में जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है।
D. उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर -D

17. निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है?

- A. जनता
B. संविधान
C. संसद
D. विधायिका एवं कार्यपालिका

उत्तर -A

18. संवैधानिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. ऐसी शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।
2. ऐसी शासन व्यवस्था राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -A

19. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में 'सही नहीं' है?

- A. सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है।

- B. एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया है।
C. लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है।
D. संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है।

उत्तर -B

20. भारत में पंथनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत में पंथनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है।
2. पंथनिरपेक्षता की मूल प्रस्तावना में चर्चा की गई है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई मामले में पंथनिरपेक्षता को संविधान के आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य हैं?

- A. केवल 1 और 2
B. केवल 3 और 4
C. केवल 1, 3 और 4
D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर -B

21. निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?

- A. नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
B. गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व है।
C. यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है।
D. ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं हैं।

उत्तर -C

22. निम्न कथनों में से कौन सा कथन 'नीति निर्देशक तत्वों' के संदर्भ में सत्य है?

- A. इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है।
B. इनकी प्रकृति समाजवादी है।
C. ये स्वतः लागू हो जाते हैं।
D. इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है।

उत्तर -B

23. निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?

- A. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार:- अनुच्छेद 29-30
B. समता का अधिकार :- अनुच्छेद 14-18
C. संपत्ति का अधिकार :- अनुच्छेद 31
D. शोषण के विरुद्ध अधिकार:- अनुच्छेद 23-24

उत्तर -A

24. निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

- A. शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद ने पास किया था।
B. अनुच्छेद 21 (क) का संबंध शिक्षा के अधिकार से है।
C. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86 वें संविधान संशोधन को पास कर बनाया गया था।
D. इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है।

उत्तर -A

25. निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

- A. मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थीं।
B. अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है।
C. भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से
D. भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिया गया है।

उत्तर -A

26. निम्न में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

- A. अनुच्छेद 51 A : मौलिक कर्तव्य
B. अनुच्छेद 110 : धन विधेयक की परिभाषा
C. अनुच्छेद 112 : बजट
D. अनुच्छेद 312: लोक सेवा आयोगों के कार्य

उत्तर -D

27. निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?

- A. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 29-30
B. समता का अधिकार : अनुच्छेद 14-18
C. संपत्ति का अधिकार : अनुच्छेद 31
D. शोषण के विरुद्ध अधिकार : अनुच्छेद 23-24

उत्तर -A

28. निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

- A. शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद ने पास किया था।
- B. अनुच्छेद 21 (क) का संबंध शिक्षा के अधिकार से है।
- C. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86 वें संविधान संशोधन को पास कर बनाया गया था।
- D. इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है।

उत्तर -A

29. निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

- A. मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थी।
- B. अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है।
- C. भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।

- D. भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिया गया है।

उत्तर -A

30. निम्न में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

- A. अनुच्छेद 51 A: मौलिक कर्तव्य
- B. अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा
- C. अनुच्छेद 112 : बजट
- D. अनुच्छेद 312 : लोक सेवा आयोगों के कार्य संक्षिप्त

उत्तर -D

संसद

लोगों का फैसला

- ❖ भारत 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था।
- ❖ इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह-तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया।
- ❖ वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था।
- ❖ स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल दी। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी माँगें पेश करने लगे।
- ❖ 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माँग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए।
- ❖ 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालाँकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएँ राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दवाव के कारण ही बनी थीं, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे।
- ❖ औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह-तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं।
- ❖ स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार

को लोगों की जरूरतों और माँगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा।

- ❖ स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया।
- ❖ संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है।

संसद

- ☞ संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का 'वेस्टमिंस्टर मॉडल' भी कहते हैं, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है।
- ☞ संविधान के पांचवें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है।

लोग और उनके प्रतिनिधि

- ❖ सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थानबिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है।
- ❖ इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है।
- ❖ जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने

निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं।

संसद का गठन

- ❖ संविधान के अनुसार भारत की संसद के तीन अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा।
- ❖ 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा, उच्च सदन कहलाता है (दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा) जबकि लोकसभा निचला सदन (पहला चैम्बर या चर्चित सभा) कहलाता है।
- ❖ राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।
- ❖ हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है लेकिन राष्ट्रपति, संसद का अभिन्न अंग है।
- ❖ ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता, जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। राष्ट्रपति, संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उदाहरण स्वरूप- राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, वह अध्यादेश जारी कर सकता है आदि। इस मामले में भारतीय संविधान, अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की संसद ताज (राजा या रानी), हाउस ऑफ लॉर्ड (ऊपरी सदन) व हाउस ऑफ कॉमन्स (निचला सदन) से मिलकर बनती है। इसके विपरीत, अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है।
- ❖ कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट (ऊपरी सदन) हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (निचला सदन) होते हैं। सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। अतः हमारे यहां संसद में राष्ट्रपति, ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है। राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में

विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति, कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है।

दोनों सदनों की संरचना –

- ❖ राज्यसभा की संरचना राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें में 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि (अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे।
- ❖ वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।
- ❖ संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है।

1. राज्यों का प्रतिनिधित्व:

- ☞ राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि, का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
- ☞ राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग-अलग राज्यों में अलग होती है। उदाहरणस्वरूप-उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य हैं जबकि त्रिपुरा से सदस्य है।
- ☞ अमेरिका में सीमेंट में राज्यों का प्रतिनिधाय बराबर होता है (जनसंख्या के आधार पर नहीं)। हालांकि अमेरिका में, जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों को सोनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है।
- ☞ अमेरिकी सोनेट में कुल 100 सीटें हैं तथा प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्राप्त हैं।

2. संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व

- ☞ राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिये निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है।

- ☞ यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
- ☞ 7 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 2 (दिल्ली व पुडुचेरी) के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। अन्य पांच संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।

3. नामित या नाम निर्देशित सदस्य –

- ☞ राष्ट्रपति, राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित या नाम निर्देशित करता है। जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे का कारण है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्य में जा सकें। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता है।

लोकसभा की संरचना

- ☞ लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या नाम निर्देशित एंग्लो-इंडियन समुदाय से हैं।
- ☞ नोट:- संसद द्वारा 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद- 334 में संशोधन करके एंग्लो इंडियन (अनुच्छेद- 330) को राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

1. राज्यों का प्रतिनिधित्व

- ☞ लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार 61वें संविधान

संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दिया।

2. संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व:

- ☞ संविधान ने संसद को संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं।

3. नामित या नाम निर्देशित सदस्य:

- ☞ एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो, तो राष्ट्रपति इस समुदाय के दो लोगों को नामित या उनका नाम निर्देशित कर सकता है। शुरुआत में यह उपबंध 1960 तक के लिए था लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस उपबंध को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 2019 से इसे समाप्त कर दिया गया है।

संसद की भूमिका

- ❖ आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत हैं- निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है।
- ❖ लोक सभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आम तौर पर लोक सभा के लिए हर पाँच साल में चुनाव करवाए जाते हैं।
- ❖ देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन देना क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं-

राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना

- ❖ भारतीय संसद के तीन अंग हैं राष्ट्रपति, राज्य सभा और लोक सभा। लोक सभा चुनावों के बाद सांसदों को एक सूची

बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए।

- ❖ चूँकि लोक सभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोक सभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए।
- ❖ संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोक सभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है।
- ❖ कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जेहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है।
- ❖ भारत का प्रधानमंत्री लोक सभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा सँभालते हैं।
- ❖ राज्य सभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्य सभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है।
- ❖ किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्य सभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्य सभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- ❖ संसद का यह सदन लोक सभा द्वारा पारित किए गए कानूनों को समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है।
- ❖ राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्य सभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। ना सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना

- ❖ जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारीयाँ हासिल करते हैं।
- ❖ इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालियों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।
- ❖ लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जनसमर्थन जुटाते हैं।
- ❖ सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अतिरिक्त वित्त से संबंधित सभी मामलों में ससर की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है।
- ❖ यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है।

कानून बनाना

- ❖ कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। संसद के प्रतिनिधि-
- ❖ संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए, अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब चढ़ गए हैं।
- ❖ जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं। दलित, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है।
- ❖ प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यह बात साफ दिखाई

देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग-अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते।

- ❖ इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों (एस.सी.) और अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के लिए आरक्षित की गई हैं, ताकि इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो ताकि वे दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं।
- ❖ हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है।
- ❖ 60 साल पहले संसद में केवल 4 प्रतिशत महिलाएँ थीं। आज भी उनकी संख्या 9 प्रतिशत से जरा-सा ऊपर ही पहुँच पाई है। आधी आबादी औरतों की है तो यह साफ़ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है।
- ❖ इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रतिनिधिक है या नहीं।

कानून-

- ❖ कानून के शासन का तात्पर्य है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या सेठ और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों न हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे।
- ❖ कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग-अलग व्यक्ति को अलग-अलग सज़ा दी जाती थी। जैसे निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज्यादा सजा दी जाती थी।

- ❖ औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे-जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा।
- ❖ भारत में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों में इस पर काफी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं- एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था।
- ❖ भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। वह जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज बहुत मायने रखती है।

अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून

- ❖ कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है।
- ❖ भारत जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं।
- ❖ जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। जैसे- नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैरकानूनी घोषित किया गया है।
- ❖ इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ-सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं। तभी लोग आसानी से फुटपथों पर चल पाएँगे। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले

किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीजें और सेवाएँ बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुँचाते हैं। इसी से उनकी रोजी-रोटी भी चलती है।

- ❖ 4. भारतीय संसद से सम्बंधित निम्न अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, जैसा वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है।
- ❖ नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नजर रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है।
 2. लोकतांत्रिक सरकार का गठन लोगों का निर्णय ही करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -C

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है।
 2. संसद के लिये जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1

- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -C

3. निम्नलिखित में से कौन-से निकाय संसद के अंगों में शामिल ?

1. राष्ट्रपति
2. लोकसभा
3. राज्यसभा
4. विधानमंडल

कूट:

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1, 2 और 3
- C. केवल 1, 3 और 4
- D. उपर्युक्त सभी

उत्तर -B

4. भारतीय संसद से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. राज्य सभा व लोक सभा में क्रमशः 245 व 545 सदस्य होते हैं जिनके सभापति व अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति होते हैं।
 2. भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -B

5. निम्नलिखित पर विचार कीजिये-

1. लोक सभा में निवर्तमान 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं।
 2. राज्य सभा में निवर्तमान 245 सदस्यों में से 235 निर्वाचित व 10 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनित किया गया है।
- उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों

D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -A

6. भारतीय संसद से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिये मिलकर काम करते हैं।
 2. लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2 में

उत्तर -C

7. राज्य सभा के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिये-

1. मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में राज्य सभा काम करती है।
 2. लोक सभा में विधि निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को पहले पेश किया जाता है तत्पश्चात् राज्य सभा में।
 3. लोक सभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा राज्य सभा करती है व आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है।
 4. विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्य सभा में सदस्यों का चुनाव करते हैं।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से असत्य है/है?

कूटः

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2
- C. केवल 2 और 4
- D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर -B

8. भारतीय संसद की कार्यवाही से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सरकार को भी सांसदों के प्रश्नों से महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है व सरकार भी चुस्त रहती है।

2. प्रश्न काल के माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारीयाँ हासिल करते हैं व इसके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है।

3. विपक्षी दल लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में एक अहम भूमिका अदा करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- C. केवल 2 और 3
- B. केवल 1 और 3
- D. उपर्युक्त सभी

उत्तर -D

9. आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. संसद में अल्पसंख्यक समूहों के हितों को सुनिश्चित करने हेतु विशेष वर्गों के लिये स्थान आरक्षित किये गए हैं।
 2. महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु संसद में 33% सीटें आरक्षित की गई हैं जिन्हें बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1. न ही 2

उत्तर -A

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे।
 2. कानून के शासन के द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिये एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से असत्य है?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1. न ही 2

उत्तर -A

3. न्यायपालिका

- ❖ सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहाँ नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं।
- ❖ राज्य का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है।

परिचय

- ☞ भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तम्भ न्यायपालिका है। भारत की शासन प्रणाली संघात्मक है अर्थात् यहां शक्तियों या कार्यों का विभाजन केन्द्र सरकार (भारत) तथा राज्य सरकारों के मध्य हुआ है किन्तु इन सबके बावजूद भी यहाँ न्यायपालिका एकीकृत है। इसका अर्थ पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। केन्द्र और राज्यों के लिए पृथक-पृथक न्यायालय नहीं है और न ही यहाँ विभिन्न न्यायालयों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है जिसके तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर, 1937 को की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मौरिस ग्वेयर थे। भारत को आजादी के बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को दिल्ली में किया गया।

न्यायपालिका

- ☞ किसी प्रजातंत्र में, वृहत्तर सामाजिक पर्यावरण में कानून-व्यवस्था एवं न्यायपालिका महत्वपूर्ण घटक हैं। भारत में आधुनिक न्यायपालिका अपने संविधान से व्युत्पन्न है, और विधायिका एवं कार्यपालिका के यादृच्छिक निर्णयों पर एक नियंत्रण के रूप में काम करती है। संविधान सभा ने अधिकारों एवं न्याय के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका के महत्व को पहले ही जान लिया था। जबकि सर्वोच्च

न्यायालय भारत में कानून का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसके निर्णय सभी पर समान रूप से बाध्यकारी होते हैं, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय क्रमशः राज्य एवं जिला स्तरों पर न्याय सुनिश्चित करते हैं।

न्यायपालिका की भूमिका

- ❖ न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है-

विवादों का निपटारा-

- ❖ न्यायिक व्यवस्था नागरिकों, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है।

न्यायिक समीक्षा-

- ❖ संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढाँचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है।

न्यायिक सक्रियता का मानव जीवन पर प्रभाव

- ☞ न्यायिक सक्रियता का मानव जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है -
- ☞ 1. उच्चतम न्यायालय ने जनहितकारी विवादों को मान्यता प्रदान की है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह अथवा वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनों अथवा सवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।
- ☞ 2. उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की नवीन व्याख्या की है तथा आम आदमी के जीवन व सुरक्षा को वास्तविक बनाने का प्रयास किया गया है।
- ☞ 3. उच्चतम न्यायालय ने नागरिकों को गरिमा तथा प्रतिष्ठा की सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान केन्द्रित किया है।

☞ 4. उच्चतम न्यायालय ने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि कार्यपालिका के 'स्वविवेक' पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।

कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन-

- ❖ देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है।
- ❖ सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है।
- ❖ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए।

स्वतंत्र न्यायपालिका

- ❖ हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है 'शक्तियों का बंटवारा'। इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएँ न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं। न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं।
- ❖ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को शक्ति देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है।
- ❖ न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है।

स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता

☞ प्रत्येक समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या व्यक्ति समूहों का आपस में अथवा व्यक्ति समूहों का सरकार के साथ निरंतर कुछ कारणों से विवाद चलता रहता है। इसी विवाद को निष्पक्ष रूप से सुलझाने के लिए न्यायपालिका की स्थापना की गई है। जो इस प्रकार के विवादों की जांच कर दोषी को सजा देने का कार्य करती है और साथ ही साथ विधायिका द्वारा या संसद द्वारा बनाये गये नियमों की जांच एवं कार्यपालिका द्वारा किये गये कार्यों की जांच भी निष्पक्ष रूप से करती है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

☞ न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करके उनके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाये ताकि वह अपना कार्य सही ढंग से करे और निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके। संघात्मक सरकार में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान की सर्वोच्चता बनाये रखने का दायित्व न्यायपालिका पर ही होता है। इसके साथ-साथ उस पर मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। इसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अति आवश्यक है।

भारत में अदालतों की संरचना

- ❖ भारत में तीन अलग-अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है।
- ❖ जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बँटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है।
- ❖ प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊँची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नयी दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च

न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं।

- ❖ एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है।

न्यायपालिका का आकार

- ❖ भारतीय न्यायपालिका का संगठन शंकु की आकृति का है जिसमें सबसे शिखर पर उच्चतम न्यायालय उसके नीचे उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय (जिला न्यायालय) विभिन्न जिलों में स्थापित किये गये हैं। जब वह सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो वह जिला न्यायाधीश और जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो सत्र न्यायाधीश कहलाता है। जिला एवं सत्र न्यायालय के नीचे मुंसिफ न्यायालय होते हैं जो हर जिले में अनेक होते हैं एवं मुंसिफ न्यायालय के नीचे न्याय पंचायतें कार्य करती हैं जो गांव में एक होती है।

विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएँ

- ❖ दहेज हत्या का यह मामला 'समाज के विरुद्ध अपराध' की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है।
- ❖ फौजदारी कानून के अतिरिक्त हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है।

फौजदारी कानून	दीवानी कानून

ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि।	इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद।

इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रभावित पक्ष की ओर से

पर प्रथम सूचना न्यायालय में एक याचिका रिपोर्ट/प्राथमिकी (FIR) दर्ज दायर की जाती है। अगर कराई जाती है। इसके बाद मामला किराये से संबंधित है पुलिस अपराध की जाँच तो मकान मालिक या करती है और अदालत में किरायेदार मुकदमा दायर केस फाइल करती है। कर सकता है।

अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा करती है। जैसे- अगर मकान सकता है और उस पर मालिक और किरायेदार के जुर्माना भी किया जा सकता बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किरायेदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए।

प्रत्येक व्यक्ति अदालत की शरण

- ❖ सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय माँगने का अधिकार है। न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ❖ किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएँ सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है।
- ❖ 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका (पी.आई.एल.) की व्यवस्था विकसित की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुँच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है।
- ❖ न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च

न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है।

- ❖ अष सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र बा. तार (टेलीग्राम) को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दे पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और विहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। सहकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन (मिड-डे मील) दिया जाता है उसको व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी।
- ❖ आम आदमी के लिए अदालत तक पहुँचना हो न्याय तक पहुँचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं।
- ❖ अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है।
- ❖ अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना (मिड-डे मील) सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं।
- ❖ गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों/झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं।
- ❖ न्याय तक आम लोगों की पहुँच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ़ का कत्ला।
- ❖ लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा की है।

न्यायपालिका और संसद में सम्बन्ध

- ☞ न्यायपालिका और संसद संविधान निर्माण के पश्चात् अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते आ रहे हैं। न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर सक्रियता के साथ-साथ राजनैतिक व्यवहार से संविधान का पालन न करने वालों पर भी अंकुश लगाया है।
- ☞ जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे उन्हें अब इस दायरे में ले लिया गया है जैसे- राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ।
- ☞ इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि मामाने नरसिंहराव मामले और पेटोल पंपों के अवैध आवंटन जैसे मामलों में सो. बी. आई. को निर्देश दिया कि वह भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करें।
- ☞ भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध तथा संतुलन के सिद्धान्त पर आधारित है। सरकार के प्रत्येक अंग का अपना-अपना कार्यक्षेत्र है।
- ☞ संसद या विधायिका का कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य कानूनों का क्रियान्वयन करना तथा न्यायपालिका का कार्य विधायिका द्वारा बनाये गये कानूनों, नियमों, विनियमों एवं कार्यपालिका द्वारा किये गये कार्यों की जांच करना है, लेकिन पृथक-पृथक कार्यों के होते हुए भी विधायिका और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद भारतीय राजनीति की विशेषता रही है।
- ☞ संविधान लागू होने के बाद सम्पत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया।
- ☞ संसद सम्पत्ति के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है।
- ☞ 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही

महत्वपूर्ण हो गया। यह वाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस मुकदमें में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढाँचे से छेड़-छाड़ नहीं कर सकता।

- ☞ संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढाँचे को नहीं बदला जा सकता। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने कहा कि सम्पत्ति का अधिकार मूल ढाँचे का हिस्सा नहीं है और इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
- ☞ न्यायालय ने यह निर्णय का अधिकार भी अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढाँचे का हिस्सा है या नहीं यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है।

आपराधिक न्याय प्रणाली

अपराध की जाँच में पुलिस की भूमिका

- ❖ पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जाँच करना। जाँच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जाँच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोपपत्र चार्जशीट दाखिल कर देती है।
- ❖ प्रत्येक व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी कानून के तहत है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जाँच करनी चाहिए।
- ❖ सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशानिर्देश वम किए हुए है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार पुलिस को जाँच के दौरान किसी को भी सताने, पोटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती।
- ❖ संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं-
- ❖ 1. गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है।

- ❖ 2. गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार।
- ❖ 3. गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार।
- ❖ 4. पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
- ❖ 5. 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता।

प्रथम सूचना रिपोर्ट/प्राथमिकी (एफ.आई.आर.)

- ☞ पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध को सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफ.आई.आर. दर्ज करनी चाहिए।
- ☞ पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित, किसी भी रूप में मिल सकती है।
- ☞ एफ.आई.आर. में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है।
- ☞ अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। एफ.आई.आर. में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफ.आई.आर. की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है।

सरकारी वकील की भूमिका

- ❖ किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीडित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है।
- ❖ अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जाँच पूरी करके अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर देती है। सरकारो बकौल को इस जाँच में कोई भूमिका नहीं होती। उसे राज्य को ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है।

- ❖ न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे। तभी अदालत सही फैसला दे सकती है।

न्यायाधीश की भूमिका

- ❖ न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जाँच करते हैं।
- ❖ अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं।

निष्पक्ष सुनवाई

- ❖ निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
- ❖ संविधान और कानून, दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए।
- ❖ कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा।

अभ्यास प्रश्न

1. वर्तमान में न्यायिक पुनर्विलोकन को व्यवस्था विद्यमान है-

- A. केवल यू.एस.ए. और द. अफ्रीका में
- B. केवल कनाडा में
- C. केवल भारत में
- D. भारत और यू.एस.ए. में

उत्तर -D

2. न्यायपालिका के दायित्वों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए: नीचे दिये गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिये:

- 1. संविधान के संरक्षक का कार्य करना
- 2. मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
- 3. विवादों का निपटारा करना
- 4. न्यायिक समीक्षा करना
- 5. कानून की रक्षा करना

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1, 2 और 3
- B. केवल 2, 3, 4 और 5
- C. केवल 2, 4 और 5
- D. उपर्युक्त सभी।

उत्तर -D

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

- 1. सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है।
- 2. न्यायिक व्यवस्था नागरिकों, नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -C

4. मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

- 1. अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार क्षेत्र नहीं रखते हैं।
- 2. अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक/गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है साथ ही स्वास्थ्य का अधिकार इसी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से असत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -A

5. दीवानी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- 1. इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन व अवहेलना से होता है, जैसे जमीनी मामले, किराए व तलाक संबंधी विवाद।
- 2. इसके अंतर्गत दायर याचिका पर अदालत राहत की व्यवस्था करवाती है।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए:

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -C

6. निम्नलिखित पर विचार कीजिये-

- 1. न्यायपालिका को भारतीय संविधान में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है, सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है।
- 2. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकारों का हस्तक्षेप नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1

- B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -B

7. न्यायपालिका के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. स्वतंत्र न्यायपालिका होने के बावजूद भी न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं।
2. शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएँ न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से असत्य है/हैं?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -A

8. उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई।
2. 1964 में दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन हुआ था।
3. एक व एक से अधिक राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में सम्मिलित हो सकते हैं।
4. पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर का एक ही उच्च न्यायालय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से असत्य हैं?

- A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 4
C. केवल 2, 3 और 4
D. केवल 1, 2 और 4

उत्तर -B

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. देश का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को देश के बाकी सभी अदालतों को मानने होते हैं।
2. प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय है।
3. अधीनस्थ न्यायालय/जिला अदालत जिले या तहसील के स्तर पर होती है।
4. नई दिल्ली में अवस्थित सम्पूर्ण देश का एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से असत्य है/हैं?

- A. केवल 2
B. 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 4
D. उपर्युक्त सभी

उत्तर -A

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये

1. भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है अर्थात् ऊपर को अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं।
2. निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला अगर किसी व्यक्ति को सही नहीं लगता है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से असत्य है/हैं?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -D

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सभी के लिये उपलब्ध होते हुए भी अदालती सेवाएँ अत्यधिक धन व समय की बर्बादों के चलते ये आम आदमी को पहुँच से काफी दूर है।
2. जनहित याचिका (पी.आई.एल.) की व्यवस्था का विकास सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के दशक में किया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
B. केवल 2

- C. 1 और 2 दोनों
D. न तो। और न ही 2

उत्तर -C

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए किसी पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है।
 2. बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने व सजा काटने के बाद में भी रिहा न किये जाने वाले कैदियों को रिहा करवाने में जनहित याचिका की अहम भूमिका थी।
 3. सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दिये जाने वाले 'मिड-डे-मील' भोजन की शुरूआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी।
 4. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरटिज नामक एक संगठन ने जनहित याचिका दायर कर अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में भीवन के अधिकार, को भी शामिल करने को माग की थी।
- जनहित याचिका के संदर्भ में उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है?

- A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 4
C. केवल 1 और 3
D. उपर्युक्त सभी

उत्तर -D

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. दुनिया को सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में भारतीय न्यायपालिका शामिल है।
 2. संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का दायरा अत्यंत व्यापक है, इसमें भोजन, स्वास्थ्य व आजीविका का अधिकार भी शामिल है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -C

14. फौजदारी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इसके अन्तर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल या दोनों को सजा दी जा सकती है।
2. इसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनको कानूनन अपराध माना जाता है जैसे चोरी, दहेज के लिये प्रताड़ना व हत्या इत्यादि।
3. इसके अंतर्गत प्राथमिको फाइल होने पर पुलिस जाँच करती है और अदालत में केस दर्ज कराती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 C. केवल 2 और 3
D. उपरोक्त सभी

उत्तर -D

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार एक वकील के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है।
2. संविधान के अनुच्छेद 39 (ए) के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब हैं या वकील करने में असमर्थ हैं; उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो। और न ही 2

उत्तर -C

16. संविधान के अनुच्छेद 22 व फौजदारी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन-सा/से सत्य कथन है/हैं?

1. गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश 2 होने का अधिकार प्राप्त है।
2. गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार।
3. गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है।

4. 75 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिये ही थाने में बुलाया जा सकता है। नीचे दिए गए कष्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए:

- A. केवल 1, 2 और 3
- B. केवल 1, 3 और 4
- C. केवल 1 और 2
- D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर -A

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. अपराधिक उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य द्वारा दाखिल किया जाता है।
 2. एफआईआर की एक नकल प्राप्त करने का शिकायतकर्ता को कानूनी अधिकार है।
 3. किसी भी व्यक्ति द्वारा किये गए अपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है।
- उपर्युक्त कथनों में से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. केवल 2 और 3
- D. उपर्युक्त सभी

उत्तर -D

18. संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये-

1. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है।
2. किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिये ही छोना जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1

- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1, न ही 2

उत्तर -C

19. कानून के समक्ष समानता के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं, चाहे वे विभिन्न वर्गों, धर्म, जाति और वैचारिक मान्यताओं के हों।
2. प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1, न ही 2

उत्तर -C

20. निम्नलिखित में से कौन-से कार्य किसी घटना के होने पर पुलिस द्वारा किये जाने वाले कार्यों में शामिल हैं?

1. आरोपपत्र दाखिल करना।
2. गवाहों के बयान दर्ज करना व सबूत इकट्ठा करना।
3. आरोपी को हिरासत में लेना।
4. अपराध की जानकारी मिलने पर उसकी जाँच करना।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1, 2 और 4
- C. केवल 2 और 4
- D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर -D

हाशियाकरण की समझ

हाशियाकरण

- ☞ हाशियाकरण का मतलब मुख्यधारा से अलग रह जाना या किनारे पर रह जाना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं की कुछ लोगों का समाज के विकास में शामिल न होना या मुख्यधारा में कम भागीदार होना आदि।
- ☞ इसके कई कारण या वजह हो सकती हैं जैसे भाषा के आधार पर या रीतिरिवाजों के आधार पर या अल्पसंख्यक होने के कारण आदि।
- ☞ वे मुख्यधारा से अलग रह जाने के कारण गरीब रह जाते हैं और अपने आप को हाशिये पर मानते हैं। विभिन्न कारणों से अलग रह जाने के कारण वे संसाधनों या मौकों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाते। हाशियाकरण को विभिन्न रूपों में समझा जा सकता है।

सामाजिक रूप से हाशिये पर

- ❖ हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिये पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता।
- ❖ समाज में ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें बेदखली का अहसास रहता है। उनके हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति-रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं।
- ❖ वे अपनी गरीबी के कारण, सामाजिक हैसियत में 'कमतर' माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिये पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं।
- ❖ फासले और अलग-थलग किए जाने का यह अहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है।
- ❖ फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चुक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर

और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का अहसास रहता है जिनके पास जमीन है, धन-दौलत है, जो ज्यादा पढ़े-लिखे और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता।

- ❖ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं।

आदिवासी लोग

- ❖ आदिवासी शब्द का मतलब होता है 'मूल निवासी'। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं।
- ❖ भारत की लगभग 8 प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जैसे- जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई आदि।
- ❖ भारत में 500 से ज्यादा आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है।
- ❖ अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग-अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊँच-नीच का फ़र्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति-वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं।
- ❖ आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदु, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अकसर अपने पुरखों की, गाँव और प्रकृति की उपासना करते हैं।

- ❖ प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएँ हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वहीं निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अकसर गाँव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता-कुंजों में पूजा की जाती है जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है।
- ❖ आदिवासी अपने आस-पास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आस-पास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है।
- ❖ उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएँ इसी के उदाहरण हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आदिवासियों को अपनी भाषाएँ रही हैं (उनमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं)।
- ❖ इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी 'मुख्यधारा' की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वालों को संख्या सबसे ज्यादा है। उनको अपनी पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएँ मौजूद हैं।

आदिवासी और प्रचलित छवियाँ

- ❖ हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फ़िल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग-बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते-गाते दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त हम उनकी जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है।
- ❖ आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं।

आदिवासी और विकास

- ❖ भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, ताँवे, सोने व

- चाँदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी-बूटियाँ और पशु उत्पाद (मोम, लाख, शहद) और स्वयं जानवर (हाथी, जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है), ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं।
- ❖ इसके अतिरिक्त जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है।
- ❖ 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था।
- ❖ इसीलिए आदिवासी समुदाय बड़ी-बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, चल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है।
- ❖ औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह वहर कर कम रहते थे।
- ❖ वे स्थानांतरित खेती के साथ-साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएँ अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न हो उन तक सीधी पहुँच है।
- ❖ इमारती लकड़ी और खेतों व उद्योगों के लिए विशाल वनभूमियों को साफ़ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है।
- ❖ इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार-बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है।

- ❖ सरकारी आँकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50 प्रतिशत से ज्यादा केवल आदिवासी रहे हैं।
- ❖ आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79 प्रतिशत आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बाँधों के जलाशयों में डूब चुकी है।
- ❖ भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क और 372 वन्य जीव अभयारण्य हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 1,09,652 वर्ग किलोमीटर है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है।
- ❖ अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं।
- ❖ अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे-मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियाँ करनी पड़ती हैं। इस तरह वं गरीबी और लाचारी के जाल में फँसत चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 35 प्रतिशत आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुत्तर असर करते हैं।
- ❖ इसकी वजह से वे कई तरह के अभयों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है।
- ❖ जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति-रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत हैं।
- ❖ आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे

दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीनाझपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अकसर दर्दनाक और हिंसक होती है।

- ❖ आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं।
- ❖ उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियाँ दवाइयों के तौर पर; 325 प्रजातियाँ कीटनाशकों के तौर पर 425 प्रजातियाँ गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियाँ रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
- ❖ इनमें से 3500 प्रजातियाँ भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है।

अल्पसंख्यक और हाशियाकरण

- ❖ मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आवादी के मुकाबले बहुत कम हैं।
- ❖ लेकिन यह अवधारणा कंवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुँच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं।
- ❖ भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है।
- ❖ ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं।
- ❖ असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं।

- ❖ संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है।

मुसलमान और हाशियाकरण

- ❖ 2001 की जनगणना के अनुसार भारत को आबादी में मुसलमानों की संख्या 13.4 प्रतिशत है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है।
- ❖ उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक-आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं।
- ❖ मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है।
- ❖ समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती-जुलती है। उदाहरण के लिए, 7-16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक-धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं।
- ❖ मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों को तरह मुसलमानों के भी कई रीति-रिवाज और व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफी अलग हैं।
- ❖ मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं। वहाँ से निकलने लगे हैं जिससे अकसर उनका 'घेटीआइजेशन' होने लगता है। कभी-कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है।

- ❖ संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएँगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएँगे।

हाशियाकरण से निपटना-

- ❖ आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लिया है।

- ❖ दलित शब्द का मतलब होता है 'दबा-कुचला'। दलित समूहों ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए खुद चुना है।

मौलिक अधिकारों का उपयोग

- ❖ संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- ❖ ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है। उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह इस्तेमाल किया है- **पहला**, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। **दूसरा**, उन्होंने इस बात के लिए दवाब डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करें। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं।
- ❖ संविधान के अनुच्छेद-17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और

लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है।

- ❖ संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए, संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- ❖ समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं।
- ❖ उन्होंने बार-बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे।
- ❖ मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और न हो वह नष्ट हो।

हाशियाई तबकों के लिए कानून

- ❖ सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है। लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्यवाही नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं।
- ❖ बहुत-सी नीतियाँ या योजनाएँ किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती हैं। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन

- ❖ संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएँ लागू करती हैं। उदाहरण के लिए, कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएँ हासिल कर सकें जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हों।
- ❖ कुछ जरूरी सुविधाएँ मुहैया कराने के अतिरिक्त सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके।
- ❖ आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून/नीति है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है।
- ❖ हमारे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने-लिखने और नयी निपुणताएँ हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
- ❖ देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों (या दलितों), अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों की अपनी-अपनी सूचियाँ हैं। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है।
- ❖ जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण-पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है।
- ❖ कॉलेजों, खासतौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने 'कट-ऑफ' या न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते।

- ❖ इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है।

दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा

- ❖ हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अतिरिक्त हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं।

कबीर

- ☞ कबीर पंद्रहवीं सदी के कवि थे। पेशे से बुनकर कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे।
- ☞ कबीर की कविता परमसत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्मों और पंडे-पुजारियों के चंगुल से आजाद था।
- ☞ उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार-बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और जातीय पहचानों के लिए लोगों को साँचे में कैद कर देते हैं।
- ☞ उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं।
- ☞ उनके पद सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं।
- ☞ वे एक साधारण कुम्हार, बुनकर और घड़े में पानी लाती औरत, सबके श्रम का सम्मान करते हैं। उनके पदों में श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनकी प्रत्यक्ष, साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है।
- ☞ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में दलित, हाशियाई समूह और सामाजिक ऊँच-नीच से घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

- ❖ यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की माँगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे।

- ❖ इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने अधिकार के लिए पुरजोर आवाज उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आबात उवाई, बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए।

- ❖ इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोच कर ही दिल दहल जाता है।

- ❖ इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं।

- ❖ इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सज्जा भी देते हैं।

हाथ से मैला उठाना

- ❖ बहुत सारे लोग झाड़ू, टिन और टोकरियों के सहारे पशुओं/इंसानों के मल-मूत्र को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले (सूखे) शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंककर आते हैं।

- ❖ हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। यह काम आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है।

- ❖ आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आआंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 13 लाख लोग यह काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वालों के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग 96 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफाई करते हैं।
- ❖ सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनको आँखों त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है।
- ❖ भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है। फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है।
- ❖ गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिक्कलयार इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गाँव के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता है। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास जाने भी नहीं दिया जाता है।
- ❖ 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ़ मैनुअल स्केवेंजर्स एंड कस्ट्रक्शन ऑफ़ ड्राई लैट्रीन्स (प्रॉहिविशन) एक्ट, 1993 पारित किया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है।
- ❖ 2003 में सफाई कर्मचारी आआंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों (जिनमें 7 मैला ढोने वाले थे) ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी।
- ❖ याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है।
- ❖ याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है।

- ❖ न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग/मंत्रालय को आदेश दिया कि वे 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएँ।
- ❖ अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

आदिवासियों की माँगों और 1989 का अधिनियम

- ❖ 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उन्हें इस कानून के तहत सज्जा दी जानी चाहिए। यह कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था।
- ❖ संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर-आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता सी.के. जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं।
- ❖ इसके अतिरिक्त जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएँ बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सकें और काम कर सकें।
- ❖ जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली-सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है।

निष्कर्ष

- ❖ किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने का यह मतलब नहीं होता कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है।

- ❖ इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती हैं। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नयी बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार, लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रियाएँ जारी रहनी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. संविधान के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति हमारा संविधान संकल्पबद्ध है।
 2. न्यायपालिका कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में अहम भूमिका निभाती है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर :- C

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 2005 में सरकार ने मुसलमानों के विकास के आयामों की जाँच के लिये न्यायमूर्ति खेहर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।
2. उक्त उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जाँच करने पर इस समुदाय की स्थिति को अनुसूचित जाति व जनजाति के समान पाया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य नहीं है/हैं?

- A. केवल 1
- C. 1 और 2
- B. केवल 2
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर :- A

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों एवं इनको साकार करने वाले कानूनों की रक्षा करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है।
 2. हाशियाकरण से कमजोर हैसियत ही नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिल पाती है।
 3. हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के अहसास से होता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. 2 और 3
- C. केवल 3
- D. उपर्युक्त सभी

उत्तर :- B

4. मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मन्दिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता।
 2. दलित समानता के सिद्धान्त का हनन होने पर अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर :- C

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है।
2. शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों को आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत विशेष आरक्षण प्राप्त होता है।

3. केन्द्र व राज्य के स्तर पर जातियों की आरक्षण के संदर्भ में अलग-अलग सूचियाँ होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सत्य हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. उपर्युक्त सभी

उत्तर :- D

6. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 लागू होने के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें-

1. किसी अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला को अपमानित करने जोर जबरदस्ती करने हमला करने पर।
2. अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी व्यक्ति के स्वामित्व वालो जमीन पर किसी के द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने खेती करने जमीन अपने नाम स्थानान्तरित करवा लेने पर।
3. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई खाद्य पदार्थ या गंदा पदार्थ खाने या पोने हेतु विवश करने पर।
4. किसी अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति को नंगा करके या मुँह पर रंग लगाकर घुमाने पर अधात् उसकी प्रतिष्ठा के विपरीत काम करने पर।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा से सत्य है/है?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2
- C. केवल 3 और 4
- D. उपरोक्त सभी

उत्तर :- D

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 1989 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम का आदिवासियों ने अपनी परम्परागत जमीन की बहाली के लिये सहारा लिया।
2. सवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर-आदिवासियों को बेचा जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- C. 1 और 2 दोनों
- B. केवल

- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर :- A

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. सरकार ने 1993 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स (प्रांतिविशन) एक्ट 1993 पारित किया।

2. उक्त कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/है?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1, न ही 2

उत्तर :- C

9. संविधान के भाग-XVI में कुछ वर्गों के लिये विशेष उपबंध किया गया है। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

A. भारत के संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

B.: राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये जारी सूची में किसी अनुचित जाति अथवा जनजाति को जोड़ या हटा सकता है।

C. भारत के संविधान में उपबंध है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके बनाएगा।

D. भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल-भारतीय समुदाय को परिभाषित किया गया है।

उत्तर :- C

10. भारत में संवैधानिक आयोग के विषय में विचार कीजिये:

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

4. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
उपरोक्त में से कौन-कौन संवैधानिक आयोग में शामिल हैं?

- A. केवल 1, 2 और 4
- B. केवल 2, 3 और 4
- C. केवल 3 एवं 4
- D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर :- C

11. भारत के संविधान के भाग-XVI में उपबंध किया गया है:

- 1. अल्पसंख्यक वर्गों के लिये।
 - 2. आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये।
 - 3. पिछड़े वर्गों के लिये।
 - 4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिये।
- नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये
- A. केवल 2 और 4
 - B. केवल 3 और 4
 - C. केवल 2, 3 एवं 4
 - D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर :- C

12. भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया है?

- A. चौथी अनुसूची
- B. पाँचवी अनुसूची
- C. छठी अनुसूची
- D. सातवी अनुसूची

उत्तर :- C

13. जनजातीय सलाहकार परिषद के विषय में निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही नहीं है?

- A. संविधान की छठी अनुसूची में इसका उपबंध दिया गया है।
- B. इस परिषद के तीन-चौथाई सदस्य उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे।
- C. यह परिषद 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी।
- D. यह परिषद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उत्थान के लिये सलाह देती

उत्तर :- A

14. सविधान को पाँचवी अनुसूची के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
- 2. राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू न करे या कुछ परिवर्तन या अपवादस्वरूप लागू करे।
- 3. संविधान में उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु एक आयोग का गठन किया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं।

- A. केवल 1
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर :- D

15. भारत का संविधान असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के प्रत्येक स्वशासी जिले के लिये एक जिला परिषद् का उपबंध करता है। इस परिषद् के विषय में निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही है?

- A. इसका उपबंध संविधान की पाँचवी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है।
- B. यह परिषद् तीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी।
- C. परिषद् के सभी सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष की अवधि का होगा।
- D. परिषद् के सभी सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किये जाएंगे।

उत्तर :- B

16. अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण संबंधी तथ्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?

- A. 24
- B. 38
- C. 29
- D. 32

उत्तर :- C

17. संविधान की छठी अनुसूची के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. स्वशासी जिलों की स्थापना या पुनर्स्थापना करने, इसके क्षेत्रों को घटाने या बढ़ाने तथा नाम परिवर्तन करने या सीमाएँ निर्धारण करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है।
 2. राज्यपाल, स्वशासी जिलों एवं स्वशासी प्रदेशों के प्रशासन की जाँच करने और रिपोर्ट देने के लिये किसी भी समय आयोग की नियुक्ति कर सकेगा।
 3. राज्यपाल उपर्युक्त आयोग की सिफारिश पर जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् का विघटन कर सकता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर :- D

18. भारत में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को एक जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना आवश्यक है।
2. संबंधित राज्य के सलाहकार परिषद के तीन-चौथाई सदस्यों को राज्य को विधानसभा में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि होना चाहिए।
3. यदि किसी स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियाँ हैं, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल उस जिले को विभिन्न स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सत्य है?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर :- D

19. नालंदा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का एक अभिनव संकाय विकास कार्यक्रम है, जिसका प्रारम्भ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से किया गया है।
2. परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य संकाय सदस्यों को नवीन तरीकों से उत्कृष्टता प्राप्त कराना है, जिससे उनका विकास हो सके।
3. यह नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक था, की पुनर्स्थापना तथा पुनरुत्थान की योजना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 3
- D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर :- C

20. संविधान की छठी अनुसूची में वर्णित जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में दिये गये कथनों पर विचार कीजिए-

1. असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया था।
2. राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर :- A

जनसुविधाएँ

जीवन के अधिकार के रूप में पानी

- ❖ जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है।
- ❖ भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। उनमें उसका स्थान काफी ऊपर आता है।
- ❖ पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज्यादा भारतीय मौत के मुँह में चले जाते हैं। उनमें से ज्यादातर पाँच साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं।
- ❖ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर-गरीब, हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुँच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए।
- ❖ उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुँच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए।"

संयुक्त राष्ट्र 2002 जनसुविधाएँ

- ❖ पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएँ भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं। इन्हें जनसुविधाओं के नाम से जाना जाता है।
- ❖ किसी जनसुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गाँव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है।

- ❖ इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है: किसान अपने खेतों को सिंचाई के लिए पंपसेट चला सकते हैं, लोग बिजली से चलने वाली छोटी-मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ने-लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गाँव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है।

सरकार की भूमिका

- ❖ जनसुविधाएँ इतनी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर जरूर आनी चाहिए। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जनसुविधाएँ मुहैया कराए। स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जनसुविधाओं में निजी कंपनियां को दिलचस्पी हो सकती है।
- ❖ शहर में कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियाँ जनसुविधाएँ तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं।
- ❖ यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएँ पाएँगे, यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी।
- ❖ जनसुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सकें।
- ❖ संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जनसुविधाएँ मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजिमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए।

चेन्नई में पानी की आपूर्ति : क्या सबको पानी मिल रहा है?

- ❖ इसमें कोई शक नहीं कि जनसुविधाएँ सभी को मुहैया होनी चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है।
- ❖ चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगरपालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है।
- ❖ कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहाँ पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज्यादा पानी आता है, जबकि दूर की वस्तियों को कम पानी मिलता है।
- ❖ जलापूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज्यादा आसानी से इसका हल ढूँढ़ लेते हैं। वे बोरवेल खोद कर, टैंकों से पानी खरीद कर या बोतलबंद पानी खरीद का अपना काम चला लेते हैं।
- ❖ पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की 'सुरक्षित' पेयजल तक पहुँच है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज्यादा विकल्प होते हैं। ये बोतलबंद पानी और जलशोधक उपकरणों के सहारे याफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ़ पानी मिल जाता है। परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं।
- ❖ जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति 'पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने' के लक्ष्य से बहुत दूर है।

किसानों से पानी छीनना

- ☞ पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारी निजी कंपनियाँ शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीद कर शहरों में बेचती हैं।
- ☞ चेन्नई में मामंदूर, पालुर, कारुनगिड्री जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गाँवों से पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं।

☞ हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की जमीन से पानी निकाल सकें। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है, बल्कि गाँवों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। इन सारे कस्बों और गाँवों में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह गिर चुका है।

विकल्पों की तलाश

- ❖ गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के अनेक दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगरपालिका को जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियाँ ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। > ये कंपनियाँ अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी जबरदस्त गैर-बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 वाल्टी के बराबर है। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए-

 1. दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम हैं।
 2. दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुँच चुकी है।
 3. जहाँ जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इज्जाफा हुआ। इस कारण वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीन कर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी।
 4. भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम हैं और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है।
 - ❖ हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इज्जाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई

योजनाएँ शुरू की हैं ताकि भूमिगत जलस्तर में सुधार लाया जा सके।

- ❖ वहाँ पर पानी की दुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएँ ली जा रही हैं। लेकिन पानी के टैकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वहीं उन्हें काम करने की इजाजत देता है। इसलिए इन टैकरों को 'अनुबंधित' कहा जाता है।

पोतों एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति

- ☞ पोतों एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है।
- ☞ यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है।
- ☞ यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है।
- ☞ जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं।
- ☞ जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएँ तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है।

- ❖ जनसुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है।
- ❖ इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जनसुविधाएँ मुहैया करवाए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है।
- ❖ महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गाँवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न

बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है।

- ❖ इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएँ समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए।

स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार

- ❖ पीने के साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है।
- ❖ 2001 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 68 प्रतिशत परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएँ (घर के भीतर शौचालय) 36 प्रतिशत परिवारों में ही उपलब्ध हैं। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज्यादा कमजोर दिखाई देती है।
- ❖ गैर-सरकारी संगठन 'सुलभ इंटरनेशनल' पिछले तीन दशक से निम्न जाति, निम्न आय वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है।
- ❖ इस संगठन ने 75,000 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालय इकाइयाँ और 12,00,000 से ज्यादा निजी शौचालय बनाए हैं जिससे एक करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।
- ❖ सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयाँ बनाने के लिए नगरपालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए हैं।
- ❖ स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं जबकि रख-रखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है (शहरों में शौचालयों के इस्तेमाल पर एक रुपया शुल्क लिया जाता है)।

कानून और सामाजिक न्याय

- ❖ कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, ईरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हों, उपभोक्ता हों या उत्पादक हों।
- ❖ लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर-तरीकों पर अंकुश लगाया जाए। निजी कंपनियाँ, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं।
- ❖ मुनाफे को बाह में कई बार ये मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मतद को उनका मेहनताना न देना कानून की नजर में गैर-कानूनी या गलत है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी सकती।
- ❖ न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। निम्न तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं।
- ❖ इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण न हो। कानून बना देना ही काफी नहीं होता। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी होता है।
- ❖ जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देनी चाहिए।

- ❖ इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
- ❖ इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

सामाजिक न्याय की अवधारणा

- ☞ सामाजिक न्याय को संकल्पना बहुत व्यापक शब्द है जिसके अन्तर्गत 'सामान्य हित' के मानक से सम्बन्धित सब कुछ आ जाता है जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से लेकर निर्धनता और निरक्षरता के उन्मूलन तक सब कुछ पहलुओं को इंगित करता है।
- ☞ यह न केवल विधि के समक्ष समानता के सिद्धान्त का पालन करने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से सम्बन्धित है, जैसा हम पश्चिमी देशों में देखते हैं, बल्कि इसका सम्बन्ध उन कुत्सित सामाजिक कुरीतियों जैसे द्रविडता, बीमारी, बेकारी और भुखमरी आदि के दूर करने से भी है जिसकी तीसरी दुनिया के विकासशील देशों पर गहरी चोट पड़ी है।
- ☞ इसके साथ इसका सम्बन्ध उन निहित स्वार्थों को समाप्त करने से है जो लांकहित को सिद्ध करने के मार्ग में और यथास्थिति बताए रखने के पक्ष में हैं।
- ☞ इस दृष्टि से दुनिया के पिछड़े और विकासशील देशों में सामाजिक न्याय का आदर्श राज्य के लिए यह आवश्यक बना देता है कि वह पिछड़े और समाज के कमजोर वर्गों को हालत सुधारने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें।
- ☞ सामाजिक न्याय का अभिप्राय है नागरिक, नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को अन्य विकास के पूर्ण अवसर सुत्तम हों।
- ☞ सामाजिक न्याय को धारणा में एक निष्कर्ष यह निहित है कि व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण न हो और उसके व्यक्तित्व

को एक पवित्र सामाजिक न्याय की सिद्धि के लिए माना जाए मात्र साधन के लिए नहीं।

- ☞ सामाजिक न्याय की व्यवस्था में सुधार और सुसंस्कृत जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का भाव निहित है और इस संदर्भ में समाज को राजनीतिक सत्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विद्यार्थी तथा कार्यकारी कार्यक्रमों द्वारा क्षमतायुक्त समाज को स्थापना करें।
- ☞ सामाजिक न्याय की मांग है कि समाज के सुविधाहीन वर्गों को अपनी सामाजिक आर्थिक असमर्थताओं पर काबू पाने और अपने जीवन स्तर में सुधार करने के योग्य बनाया जाए, समाज के गरीबी के स्तर से नीचे के सर्वाधिक सुविधा वंचित वर्गों विशेष रूप से निर्धनों के बच्चों, महिलाओं और सशक्त व्यक्तियों को सहायता की जाए और इस प्रकार शोषणविहोत समाज की स्थापना की जाए।
- ☞ सामाजिक न्याय का अभिप्राय है कि मनुष्य के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए, प्रत्येक व्यक्तियों को अपनी शक्तियों के समुचित विकास के समान अवसर उपलब्ध हों, किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण न हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों, आर्थिक सत्ता चन्द हाथों में केन्द्रित न हो, समाज का कमजोर वर्ग अपने को असहाय महसूस न करे।
- ☞ समाज के दुर्लभ वर्गों को ऊंचा उठाए बिना, हरिजनों पर अत्याचार को रोके बिना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का विकास किए बिना सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती।
- ☞ मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवादी समाज में बुर्जुआ स्वामित्व और शोषण को समाप्त कर दिया गया है, उसमें यह माना जाता है कि वह वितरण न्यायपूर्ण है जिसमें हरेक को सामाजिक उत्पाद में दिए गए श्रम के योगदान के अनुसार अपना हिस्सा प्राप्त हो।
- ☞ मार्क्सवादियों के अनुसार, न्याय का यह सिद्धान्त कार्ल मार्क्स के चिन्तन में यत्र-तत्र बिखरा पड़ा है।
- ☞ इस प्रकार सामाजिक न्याय का आदर्श एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और विकसित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है। इस नाते

कानून समाज विज्ञान बन जाता है और वकीलों को अपने लिए समाज वैज्ञानिक समझना चाहिए।

- ☞ इस कारण, कानून के शासन के आधार वाक्य व्यापक हो जाते हैं। लोगों की समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के साथ-साथ यहां ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को अनुप्राणित करें।
- ☞ सामाजिक न्याय की अवधारणा ने आधुनिक युग में लोगों में जागृति उत्पन्न करने में प्रभावक भूमिका उत्पन्न की है। भारत में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के विचारों में सामाजिक न्याय की मांग पर जोर दिया गया था।
- ☞ महात्मा गांधी तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उनके संरक्षित सिद्धांत में समाज सुधार कार्यों में हमें सामाजिक न्याय के प्रति उनकी जागरूकता स्पष्ट परिलक्षित होती है।
- ☞ जवाहर लाल नेहरू का मानवतावाद सामाजिक न्याय के विचार में ओत-प्रोत था। उनका समाजवादी दर्शन सामाजिक-आर्थिक न्याय का ही प्रतिविम्ब था।
- ☞ उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि सामाजिक न्याय की प्रस्तावना के लिए आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण न हो और विकास कार्यों का लाभ समाज के सभी वर्गों के लोगों को मिले।
- ☞ भारतीय संविधान में यत्र-तत्र सामाजिक न्याय के सिद्धान्त बिखरे पड़े हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद विकासशील देशों में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता की खाई में आर्थिक विकास बनाम सामाजिक न्याय के सवाल को ओर भी तेज कर दिया।
- ☞ सामाजिक न्याय सुलभ करने के लिए यह आवश्यक है कि देश की राजसत्ता विद्यार्थी और कार्यकारी कृत्यों द्वारा समतायुक्त समाज की स्थापना का प्रयत्न करें।

सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन

- ❖ कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए।

- ❖ सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया।
- ❖ जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिक उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहें।
- ❖ सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार-बार मंजूरी देते रहे। कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों को रक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनी, दोनों ही उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज करती जा रही थीं।
- ❖ जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए-नए कारखाने खोलते जा रहे हैं तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज्यादा बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत और बढ़ गई है।

पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून

- ❖ 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमजोर थी। पर्यावरण को एक 'मुम' चीज माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा-पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। चाहे नदियाँ हों, हवा हो या भूमिगत पानी हो- पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था।
- ❖ ढोले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी।

- ❖ भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे।
- ❖ पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दवाब से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए।
- ❖ पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए।
- ❖ सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण-मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है।
- ❖ यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्मा लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएँ तय करें।

निष्कर्ष

- ❖ निजी कंपनियाँ, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर-तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखे। न सरकार को केवल 'सही कानून' बनाने चाहिए, बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए।
- ❖ अगर कानून कमजोर हों और उनको सही ढंग से लागू न किया जाए तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है, आम लोग भी दवाब डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं।
- ❖ पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहाँ लोगों ने जनहित के लिए दवाब डाला है और न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के

अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है।

- ❖ लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकारों (यानी काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित कार्यस्थितियों का अधिकार) के क्षेत्र में भी अभी हालात काफी खराब हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को भारतीय संविधान समान रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है।
 2. सभी के लिये भारत सरकार समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?
- A. केवल 1
 - B. केवल 2
 - C. 1 और 2 दोनों
 - D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर-C

2. निम्नलिखित में से कौन-से बिंदु सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं?

1. प्रदूषण मानक स्थापित करना।
 2. चीजों के गुणवत्ता मानक निर्धारण।
 3. बाल मजदूरी रोकने संबंधी कानून।
 4. कार्यस्थल पर सुरक्षा इन्तजाम।
 5. कीमत नियंत्रण कानून।
 6. न्यूनतम वेतन कानून।
- नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिये:

- A. 1, 2 और 3
- B. 1, 2 और 4
- C. 1, 2, 3 और 4
- D. उपर्युक्त सभी

उत्तर-D

3. निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी?

- A. मेथेन
- B. मिथाइल प्रोपाइल
- C. मिथाइल आइसोसायनाइड
- D. कार्बन डाई-ऑक्साइड

उत्तर-C

4. शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. किसी को भी शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता।
2. 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को संविधान के अनुसार किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सत्य कथन है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर-C

5. "सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मान्य है" यह सिद्धांत किससे संबंधित है?

- A. समाजवाद
- B. सार्वभौमिकता
- C. अन्तः क्रियावाद/समष्टिवाद
- D. विशिष्टवाद

उत्तर-B

6. संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

- A. "समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष" शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे।
- B. उक्त शब्द 1980 के संशोधन द्वारा जोड़े गए।
- C. उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए।
- D. उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है।

उत्तर-A

7. निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?

- A. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग: 1993
- B. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग :1993
- C. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग: 2010
- D. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग: 2007

उत्तर-C

8. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है।

- A. अनुच्छेद 19
- B. अनुच्छेद 20
- C. अनुच्छेद 21
- D. अनुच्छेद

उत्तर-C

Class-09

लोकतांत्रिक राजनीतिक - 01

1. समकालीन विश्व में लोकतंत्र
2. चुनावी राजनीति
3. संस्थाओं का कामकाज
4. लोकतान्त्रिक अधिकार

समकालीन विश्व में लोकतंत्र

- ❖ लोकतंत्र का फैलाव बहुत सरलता से और एक जैसे रूप में नहीं हुआ है। विभिन्न देशों में इसने काफी सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं। आज भी लोकतंत्र की स्थिरता और उसके टिकाऊपन को लेकर संदेह बना रहता है।

लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण

- ❖ आधुनिक लोकतंत्र की कहानी कम-से-कम दो सदी पहले शुरू हुई। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के इस जनविद्रोह ने फ्रांस में टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी। 19वीं सदी में फ्रांस में बार-बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया और बार-बार इसे बहाल किया गया, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह-जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी।
- ❖ ब्रिटेन में लोकतंत्र की तरफ कदम उठाने की शुरूआत फ्रांसीसी क्रांति से काफी पहले ही हो गई थी, लेकिन वहाँ प्रगति की रफ्तार काफी कम थी।
- ❖ 18वीं और 19वीं सदी में हुए राजनैतिक घटनाक्रमों ने राजशाही और सामंत वर्ग की शक्ति में कमी कर दी थी। फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तर अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में खुद को आजाद घोषित कर दिया था।
- ❖ 1787 में इन उपनिवेशों ने साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया, लेकिन इस व्यवस्था में भी मतदान का अधिकार पुरुषों तक सीमित था।
- ❖ 19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष अक्सर राजनैतिक समानता, आजादी और न्याय जैसे मूल्यों को लेकर ही होते थे। एक मुख्य माँग यह रही कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार हो।
- ❖ यूरोप के जो देश तब लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते जा रहे थे वे भी सभी लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं देते थे। कुछ देशों में केवल उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार था, जिनके पास सम्पत्ति थी। अक्सर महिलाओं को तो वोट का

अधिकार मिलता ही नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे देश में अश्वेतों को 1965 तक मतदान का अधिकार नहीं था।

- ❖ लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोग सभी वयस्कों औरत या मर्द, अमीर या गरीब, श्वेत या अश्वेत को मतदान का अधिकार देने की माँग कर रहे थे। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौम मताधिकार कहा जाता है। यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के यही देश आधुनिक लोकतंत्र का पहला समूह बनाते हैं। उपनिवेशवाद का अंत काफी लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश बने रहे।
- ❖ परतंत्र देशों के लोगों को आजादी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह लड़ाई अपने औपनिवेशिक शासकों से आजादी की ही नहीं थी, इसमें अपना नेता खुद चुनने की इच्छा भी शामिल थी।
- ❖ भारत ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष किया। इनमें से अनेक देशों ने दूसरे विश्वयुद्ध के तत्काल बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना ली। भारत ने 1947 में आजादी हासिल की और एक गुलाम देश से लोकतांत्रिक देश बनने की राह पर चल पड़ा। उपनिवेश रहे अधिकांश दूसरे देशों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है।

हाल का दौर

- ❖ 1989-90 के दौर में पोलैंड और अनेक दूसरे देश सोवियत नियंत्रण के बाहर हो गए। उन्होंने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई। 1991 में सोवियत संघ खुद भी बिखर गया। सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे। ये सभी स्वतंत्र देशों के रूप में सामने आए। इनमें से अधिकांश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही अपनाई।
- ❖ पूर्वी यूरोप पर से सोवियत नियंत्रण की समाप्ति और सोवियत संघ के टूटने का दुनिया के राजनैतिक नक्शे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इस समय भारत के पड़ोस में भी काफी बड़े बदलाव हुए।

संयुक्त राष्ट्र संघ

- ❖ संयुक्त राष्ट्र के सभी 192 सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक-एक वोट मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र

महासभा की बैठक सदस्य देश के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती है।

- ❖ महासभा का स्वरूप काफी कुछ संसद की तरह है जिसमें सभी तरह की चर्चाएँ होती हैं। विभिन्न देशों के बीच टकराव की स्थिति में महासभा कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।
- ❖ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेती है। इसके कुल पंद्रह सदस्य होते हैं। परिषद् के पाँच स्थायी सदस्य हैं- अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। बाकी दस सदस्यों का चुनाव आम सभा दो वर्ष के लिए करती है। पर असली ताकत पाँच स्थायी सदस्यों के हाथ में ही होती है। स्थायी सदस्यों को चीटो अधिकार मिला है। अगर कोई भी स्थायी सदस्य देश इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद् उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती।
- ❖ संयुक्त राष्ट्र को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की माँग करने वाले लोगों और देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसके सभी 190 सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। कोई देश इस कोष में जितने धन का योगदान करता है उसी अनुपात में उसके वोट का वजन भी तय होता है।
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करीब आधे वोटों पर सिर्फ सात देशों (अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, चीन और रूस) का अधिकार है। 166 सदस्य इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फैसलों को ज्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। विश्व बैंक में भी वोटिंग की ऐसी ही प्रणाली है।
- ❖ राष्ट्रीय सरकारों के लोकतांत्रिक होने न होने के लिए हम जिस सरल कसौटी का प्रयोग करते हैं, अधिकांश वैश्विक संस्थाएँ उस पर खरी नहीं उतरतीं। विभिन्न राष्ट्र तो पहले की तुलना में ज्यादा लोकतांत्रिक हो रहे हैं पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोकतांत्रिक चरित्र में कमी आती जा रही है।
- ❖ 20 साल पहले दुनिया में दो महाशक्तियों थी अमेरिका और सोवियत संघ। इन दो महाशक्तियों और उनके पीछे रहने वाले देशों के समूहों की प्रतिद्वंद्विता और टकराव से इन सभी वैश्विक संगठनों का शक्ति संतुलन ज्यादा बेहतर रहा करता था।

- ❖ सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका दुनिया को एकमात्र महाशक्ति लगता है। यह अमेरिकी प्रभुत्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कामकाज को प्रभावित करता है।
- ❖ पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों के लोग अपनी सरकारों की मदद के बिना एक-दूसरे के ज्यादा संपर्क में आए हैं। उन्होंने युद्ध और दुनिया पर कुछ देशों या व्यापारिक कंपनियों के प्रभुत्व के खिलाफ वैश्विक संगठन बनाए हैं।
- ❖ किसी भी देश में लोकतंत्र जिस तरह लोगों के संघर्षों और पहल से मजबूत हुआ है वैसे ही वैश्विक मामलों में यह पहल भी लोगों के संघों से ही आगे बढ़ी है।

संयुक्त राष्ट्र संघ

- ☞ संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी, 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें यह निर्णय हुआ कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर धुरी-राष्ट्रों का सामना करेंगे।
- ☞ इस संगठन को 'संयुक्त राष्ट्र' अथवा 'यूनाइटेड नेशन्स' का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया।
- ☞ 30 अक्टूबर, 1943 को संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड तथा सोवियत संघ की सरकारों ने अपने-अपने विदेश मंत्रियों के माध्यम से एक संयुक्त घोषणा की।
- ☞ इस घोषणा में कहा गया कि "जितनी जल्दी संभव हो सके, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए। यह संगठन सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों को सम्प्रभुता पर आधारित होगा। ऐसे सभी छोटे-बड़े राज्य इसके सदस्य बन सकेंगे। इसका उद्देश्य होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना।"
- ☞ संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त, 1944 को वाशिंगटन में आयोजित किया गया जो 7 अक्टूबर, 1944 तक चला।
- ☞ इस सम्मेलन में यह स्वीकार कर लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्षेत्र केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने तक ही सीमित न रखा जाए बल्कि उसका कार्य आर्थिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी

होना चाहिए। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों- महासभा, सुरक्षा परिषद्, सचिवालय एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निर्णय लिया गया।

- ☞ इस सम्मेलन के प्रस्तावों में महासभा एवं सुरक्षा परिषद् की कार्य-प्रणाली पर तो सहमति हो गई, परन्तु सुरक्षा परिषद् में मतदान प्रणाली के संबंध में सोवियत संघ एवं पश्चिमी शक्तियों के मध्य मतभेद बने ही रहे।
- ☞ सोवियत संघ के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी, 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन प्रारम्भ हुआ।
- ☞ सुरक्षा परिषद् में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय याल्टा सम्मेलन में लिए गए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जून, 1945 को जब संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या 50 हो चुकी थी। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाला भारत भी संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्यों में गिना जाता है।
- ☞ सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व ए. रामास्वामी मुदालियर के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में 'संयुक्त राष्ट्र' के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया।
- ☞ अधिकार-पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून, 1945 को हस्ताक्षर किए गए, पोलैण्ड का प्रतिनिधित्व अधिवेशन में नहीं हुआ था। उसने बाद में इस पर हस्ताक्षर किए और 51 मूल सदस्यों में सम्मिलित हो गया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में एक नया अधिकार-पत्र (Charter) स्वीकार किया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा जाता है।
- ☞ चार्टर के अनुच्छेद 110 में यह कहा गया था कि सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन गणराज्य तथा शेष अधिकांश राज्यों की सरकारों द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त चार्टर लागू माना जाएगा।
- ☞ 24 अक्टूबर, 1945 तक को संयुक्त राष्ट्र का प्रादुर्भाव हुआ।
- ☞ इसके सदस्य देशों को वर्तमान संख्या 193 है।
- ☞ संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इस मुख्यालय में महासभा भवन (1951 में स्थापित), महासम्मेलन भवन तथा

पुस्तकालय भवन स्थित है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र का एक पोस्ट ऑफिस भी कार्यरत है, जो संयुक्त राष्ट्र के हो टिकट का प्रयोग करता है।

- ☞ 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

लोकतंत्र

परिभाषा

- ❖ लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर-लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। > जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है।
- ❖ इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे-समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुँच पाएँगे।

लोकतंत्र की विशेषताएँ

- ❖ लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं:-
- ❖ किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ होना आवश्यक है।

प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ

- ❖ पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशरफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक सख्तापलट को अगुवाई की। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया।
- ❖ बाद में खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और बाद में एक जनमत संग्रह कराके अपना कार्यकाल पाँच साल के लिए बढ़वा लिया।

- ❖ पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की गई है।
- ❖ अगस्त में लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है।
- ❖ मंत्रिपरिषद् के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं।
- ❖ इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास है। जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं।
- ❖ लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं हैं। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते।
- ❖ अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में है जो जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती।
- ❖ ऐसे मामलों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुँचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए।

एक व्यक्ति-एक वोट-एक मोल

- ❖ जिस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है।

- ❖ किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं हैं। सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है।
- ❖ एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। लोकतंत्र राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र को तीसरी विशेषता को जान लेते हैं: लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए।
- ❖ **लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क**
- ❖ लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आए जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं:-
 - लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। इससे अस्थिरता पैदा होती है।
 - लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनैतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती।
 - लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। इसके चलते खराब फैसले होते हैं।
 - लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी; इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए।
- ❖ निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है।
- ❖ सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी-जल्दी नेतृत्व

परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है।

- ❖ इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है। वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता।

लोकतंत्र के पक्ष में तर्क

- ❖ चीन में 1958-61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब तीन करोड़ लोग भूख से मरे। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति चीन से बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई।
- ❖ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की।
- ❖ अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है।
- ❖ यदि चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है।
- ❖ लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है।
- ❖ गैर-लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा।
- ❖ अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले, आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दें। लोकतांत्रिक

शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है।

- ❖ गैर-लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है।
- ❖ लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहस हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है।
- ❖ इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है लेकिन महत्वपूर्ण मामलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज्यादा उग्र या गैर-जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है।
- ❖ लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा।
- ❖ भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा होता है। अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग समूहों के लोग रहते हैं। विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएँ अलग-अलग हैं और जातियाँ भी अलग-अलग।
- ❖ दुनिया को ये सभी अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है।
- ❖ इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते।
- ❖ लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। विभिन्न समूह एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत

की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है।

- ❖ बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है।
- ❖ यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है-लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है।
- ❖ लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े-लिखे लोगों को है।
- ❖ लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियाँ करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं।
- ❖ लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है।

लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ

- ❖ लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र।
- ❖ हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है।
- ❖ यह जरूरी हो जाता है क्योंकि: आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक

नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता।

- ❖ हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है। लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के वृहत्तर अर्थ को समझना होगा। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है।
- ❖ लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है, उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार-विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना यानि जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्त्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का।
- ❖ इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए:-
 - इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी।
 - लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है।
 - हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी
- ❖ अगर इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थानों को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार-बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्त्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें

न्यूनतम या कामचलाऊ लोकतन्त्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है।

- ❖ समानता के आधार पर चर्चा और विचार-विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना।
- ❖ किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती।
- ❖ इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है।
- ❖ यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है।
- ❖ राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती।
- ❖ दरअसल, अधिकांश गैर लोकतान्त्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है।

संविधान निर्माण

- ❖ लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार, दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है।
- ❖ देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर-तरीकों का निर्धारण करता है।

नए संविधान की ओर

- ❖ 26 अप्रैल, 1994 को मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला।
- ❖ नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएँ और गोरो को माफ कर दें।
- ❖ सभी नस्लों तथा स्त्री-पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की थी।
- ❖ नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ-साथ बैठें। दो वर्षों की चर्चा और वहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा।
- ❖ दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। अभी हाल तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर-तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है।
- ❖ यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ।

संविधान" शब्द की उत्पत्ति

☞ संविधान को अंग्रेजी में Constitution कहते हैं। मूलतः इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द "कॉन्स्टीट्यूटस" (Constitutes) से हुई है, जिसका अर्थ "शासन करने के लिए सिद्धांत" होता है। संविधान एक मौलिक दस्तावेज है, इसे मूल तौर पर हम देश की आधारभूत तथा सर्वोच्च विधि कह सकते हैं। इन विधियों के द्वारा राज्य के तीन प्रमुख अंगों यथा-विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को विभिन्न शक्तियाँ प्रदान किया जाता है।

☞ किसी भी समूह को अनुशासन तथा सर्वसम्मत रूप में विकास करने के लिए सार्वजनिक रूप से कुछ आधारभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है जो समूह के सभी सदस्यों को बुनियादी तौर पर पता हो ताकि आपस में एक मूल समझ तथा समन्वय कायम रह सके। इसी समझ और समन्वय को लागू करने का कार्य संविधान करता है।

☞ संविधान समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है और निर्णय तथा संशोधन करने की शक्ति को भी स्पष्ट करता है। इसके साथ ही यह सरकार के सृजन तथा उसके द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किये जाने वाले कानूनों का भो रास्ता तय करता है।

☞ इसके अलावा संविधान एक मजबूत ढाँचा प्रदान करता है। जिसके द्वारा सरकार कुछ सृजनात्मक कार्य कर सके तथा समाज की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को न्यायपूर्ण तरीके से फलीभूत कर सके। इसे हम "न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए कुंजी" भी कह सकते हैं।

☞ कोई भी संविधान किसी राष्ट्र विशेष की आधारभूत पहचान का कार्य करता है। इसके ही द्वारा किसी राष्ट्र विशेष का नागरिक अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और विभिन्न स्वतंत्रताओं का उपयोग करता है। संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है जिसके द्वारा हम अपने कर्तव्य, अधिकार तथा सीमाओं के बारे में जान पाते हैं।

संवैधानिक राज्य से तात्पर्य है

☞ कानून का शासन।

☞ संविधान के माध्यम से शासकों के अनियंत्रित शक्ति पर नियंत्रण यानी सीमित शासन।

☞ शक्ति का विभाजन।

☞ जनता के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को सुनिश्चित करना।

संविधान का उद्देश्य

☞ सरकार के प्रमुख अंगों का सृजन करना। उदाहरण:- विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका आदि।

☞ सरकार के अंगों की शक्तियों, कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्धारण करना।

☞ सरकार के सभी अंगों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना।

☞ नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करना।

☞ सरकार के विभिन्न तंत्रों के बीच शक्ति विभाजन करना।

संविधान क्यों

❖ नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले, दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक-दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे।

❖ बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी।

❖ गोर लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए।

❖ भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या-क्या कर सकती है और क्या-क्या नहीं कर सकती यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं। पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें।

❖ दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी

सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं।

- ❖ संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग-अलग समूहों के लोग रहते हैं।
- ❖ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं।
- ❖ संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों (जिन्हें नागरिक कहा जाता है) के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ-साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख हैं:
 - पहला यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है।
 - दूसरा यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा।
 - तीसरा यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, और
 - चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है।
- ❖ जिन देशों में संविधान है, वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया।
- ❖ फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो।

भारतीय संविधान का निर्माण

- ❖ दक्षिण अफ्रीका की हो तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और

विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था।

- ❖ विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम दस लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी।
- ❖ अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आजादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी।

संविधान निर्माण का रास्ता

- ❖ सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी।
- ❖ भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन् अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था।
- ❖ आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं। पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी।
- ❖ 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के आठ अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा।
- ❖ दोनों दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार

और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी।

- ❖ औपनिवेशिक शासन की राजनैतिक संस्थाओं को जानने-समझने से भी नई राजनैतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था।
- ❖ इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थीं।
- ❖ विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएँ और व्यवस्थाएँ बनानी थीं और चलाना था।
- ❖ भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून।
- ❖ आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई।
- ❖ नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे।
- ❖ वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की।

संविधान सभा से

- ❖ चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे

संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे।

- ❖ संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर, 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बँट गया।
- ❖ संविधान सभा भी दो हिस्सों में बँट गई भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है। यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है।
- ❖ दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनैतिक दलों की सहमति नहीं थी।
- ❖ कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है।
- ❖ पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए। किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनैतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है।
- ❖ संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का हो प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे।
- ❖ तीन वर्षों में कुल 114 दिनों को गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कांस्टीट्यूट असेम्बली डिबेट्स नाम से 12 खंडों में प्रकाशित किया गया।

संविधान सभा

- ☞ कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई, 1946 में हुआ। 9 दिसम्बर, 1946 को आहूत

संविधान सभा की बैठक में कांग्रेस भी सम्मिलित हुई यद्यपि वह उसकी कई धाराओं से असहमत थी।

- ☞ संविधान सभा का पहला अधिवेशन डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसम्बर, 1946 को आरम्भ हुआ। सभा के सदस्यों में कांग्रेस में पांच भूतपूर्व सदस्य, प्रांतीय कांग्रेस समितियों के ग्यारह अध्यक्ष, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कार्य समिति के आठ सदस्य, मुस्लिम लीग को प्रांतीय समितियों के दो अध्यक्ष, प्रांतों के आठ मुख्यमंत्री, दस मंत्री, 155 विधान सभा सदस्य, हिंदू महासभा के तीन भूतपूर्व अध्यक्ष तथा उद्योगपति, कुलपति, पत्रकार एवं लेखक थे।
- ☞ 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाये गये। 22 दिसम्बर, 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' के साथ ही संविधान निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ।
- ☞ $3\frac{1}{2}$ तीन वर्ष की अवधि में सावधान सभा को बैठक मात्र 161 दिन हुई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित संविधान सभा की कई सीमाएं थी। सभा का गठन ब्रिटिश सम्राट के निर्देशानुसार गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था।
- ☞ इस प्रक्रिया में संविधान सभा जो संविधान बनाती उसे ब्रिटिश संसद के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाना था। इधर ब्रिटेन द्वारा भारत में स्वशासन के विकास की कल्पना स्पष्ट रूप से ब्रिटिश डोमिनियन के रूप में ही की गयी थी। लेकिन 15 अगस्त, 1947 को भारत के स्वतंत्र होने पर ये सभी सीमायें स्वतः समाप्त हो गयीं।
- ☞ भारत और पाकिस्तान के दो राष्ट्रों में विभाजित हो जाने के कारण भारतीय संविधान सभा की संरचना को पुनः गठित करना पड़ा।
- ☞ प्रथमतः इसको सदस्य संख्या में कमी की गयी क्योंकि सिंध, कलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, बंगाल, पंजाब तथा असम के सिलहट जिले के प्रतिनिधि भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गये।
- ☞ पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रांतों में नये निर्वाचन हुए। संविधान सभा की बैठक जब पुनः 31 अक्टूबर, 1947 को आहूत की गयी तो सदन की सदस्यता घटकर 299 (पूर्व में 389) ही रह गयी। इनमें से 284 सदस्य ही 26 नवम्बर,

1949 को उपस्थिति थे। जिन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए।

- ☞ संविधान निर्माण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 'प्रारूप समिति' द्वारा किया गया जिसकी स्थापना 29 अगस्त, 1947 को की गयी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीम राव अम्बेडकर थे।
- ☞ प्रस्तावों को शामिल करते हुए भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया जिसे फरवरी, 1948 में प्रकाशित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा विचार करने की प्रक्रिया 17 अक्टूबर, 1949 को पूर्ण हुई।
- ☞ तृतीय वाचन हेतु संविधान सभा की बैठक 14 नवम्बर, 1949 को आरम्भ हुई और यह वाचन 26 नवम्बर, 1949 को समाप्त हुआ।
- ☞ सभा के सभापति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इसी तिथि को संविधान पर हस्ताक्षर करके उसे पारित घोषित कर दिया। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता।
- ☞ भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था।
- ☞ इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे।
- ☞ इस तरह संविधान सभा द्वारा संविधान बना दिया गया। जिसे 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी, 1950 को औपचारिक रूप से इस संविधान को लागू किया गया।
- ☞ यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूर दृष्टि का प्रमाण है कि वे देश को ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था।
- ☞ यद्यपि कि भारतीय संविधान में समय, स्थान एवं परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक

4. संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिये:

1. समाजवादी	2. पंथनिरपेक्ष
3. गणराज्य	4. लोकतंत्रात्मक
5. प्रभुत्वसम्पन्न	

कूट :

A. 1, 2, 5, 4, 3	B. 5, 1, 2, 4, 3
C. 4, 5, 1, 2, 3	D. 1, 2, 4, 5, 3

उत्तर- B

5. सूची-I को सूची- II से सुमेलित कीजिये तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए:

सूची- I सूची- II

- | |
|---|
| A. धारा :- 1. किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद |
| B. संविधान :- 2. देश का सर्वोच्च कानून |
| C. प्रारूप :- 3. कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप |
| D. दर्शन :- 4. किसी सोच और काम को दिशा देने वाले बुनियादी विचार |

कूट: A B C D

- | |
|------------|
| A. 1 2 3 4 |
| B. 2 1 4 3 |
| C. 4 1 3 2 |
| D. 2 1 3 4 |

उत्तर- A

6. प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अबुल कलाम आजाद की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में वे कौन-सा/से सत्य है/हैं?

1. लेखक	2. शिक्षाविद्
3. धर्मशास्त्रों के ज्ञाता	4. अरबी के विद्वान
- नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
- | | |
|-----------|----------------|
| A. केवल 1 | B. केवल 1 और 2 |
|-----------|----------------|

C. केवल 1, 2 और 3	D. उपरोक्त सभी

उत्तर- D

7. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

- | |
|---|
| 1. राजेंद्र प्रसाद - संविधान सभा के अध्यक्ष |
| 2. एच.सी. मुखर्जी- संविधान सभा के उपाध्यक्ष |
| 3. जॉन मथाई- अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री |
| 4. वल्लभभाई पटेल-अंतरिम सरकार में गृह, सूचना व प्रसारण मंत्री |

उपर्युक्त युग्मों में कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

A. केवल 3	B. केवल 1, 3 और 4
C. केवल 3 और 4	D. उपरोक्त सभी

उत्तर- D

8. भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कब अंगीकृत किया गया था?

A. 26 नवंबर, 1949	B. 26 जनवरी, 1949
C. 26 जनवरी, 1950	D. 26 नवम्बर, 1950

उत्तर- A

9. निम्नलिखित में से किसने 13 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा में उद्देशिका संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना?

A. डॉ. बी आर अम्बेडकर	B. पं. जवाहरलाल नेहरू
C. सरदार वल्लभभाई पटेल	D. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

उत्तर- B

10. संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था?

A. 15 अगस्त, 1947	B. 26 नवम्बर, 1949
C. 12 दिसम्बर, 1946	D. 26 जनवरी, 1950

उत्तर- B

चुनावी राजनीति

चुनावों की जरूरत

- ❖ किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के सौ से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं हैं, वहाँ भी चुनाव होते हैं।

भारत में सरकार की संरचना

- ☞ भारत में चयनित सरकार की संरचना को समझना बहुत है, कि क्या सरकार सही रूप में काम कर रही है। पता चलता है, साथ ही इस बात को समझने में आसानी होती है।
- ☞ केंद्र सरकार की संरचना: भारत सरकार के मुख्यतः तीन भाग हैं इन तीनों भाग के अपने मुख्य कार्य हैं - एग्जीक्यूटिव - इसके अंतर्गत देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, जिनका काम संसद में बने कानूनों को पास करना होता है।
- ☞ संसद का विधान मंडल- संसद विधान मंडल के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री आते हैं। सरकार के इस भाग का काम देशवासियों के हित के लिए कानून बनाना है।
- ☞ ज्यूडीशरी- इसका काम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच समन्वय स्थापित करना होता है। इस कार्य के साथ ज्यूडीशरी जन साधारण सम्बंधित अन्य समस्याओं का भी हल निकालती है।
- ☞ राज्य सरकार की संरचना: केंद्र सरकार की ही तरह: राज्य सरकार की भी एक व्यवस्थित संरचना है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार अपना काम करती है। यहाँ पर राज्य सरकार की संरचना का विवरण है। इसके भी तीन मुख्य भाग हैं। केंद्र की तरह इन तीनों भाग के भी अपने मुख्य कार्य हैं।
- ☞ विधानसभा- इसके अंतर्गत वे सभी प्रतिनिधि आते हैं, जिन्हें विधान सभा चुनाव के दौरान निर्वाचित किया जाता है। इस निर्वाचन में आम जनता हिस्सा लेती है।
- ☞ गवर्नर- प्रत्येक राज्य के लिए गवर्नर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

- ☞ विधान परिषद्- इसमें आने वाले सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है। फिलहाल देश के 5 राज्यों में एमएलसी नियुक्त किये जाते हैं। ये राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक है।
- ☞ केंद्र शासित प्रदेश: भारत देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है।
- ☞ इन केन्द्रशासित प्रदेशों के नाम हैं: दिल्ली, पांडिचेरी, दादरा और नागर दमन और दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख है।
- ☞ दिल्ली और पांडिचेरी को आंशिक रूप से राज्य का दर्जा मिला है किन्तु यह अभी भी पूर्ण राज्य घोषित नहीं हुआ है। इन केन्द्रशासित प्रदेशों के निर्वाचित मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमन्त्री के न होने पर प्रदेश का सारा कार्यभार लेफ्टिनेंट गवर्नर संभालता है।
- ☞ इन दोनों के अलावा बाकी सभी केन्द्रशासित प्रदेश पूर्ण केंद्र सरकार के अधीन है। इन प्रदेशों को चलाने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी आईएएस अथवा सांसद की नियुक्ति होती है।
- ☞ पंचायत राज: सरकार द्वारा गाँवों के लिए जारी योजनाओं के नियमन के लिए पंचायत राज का गठन होता है। इसके अंतर्गत तीन मुख्य भाग आते हैं- ग्राम पंचायत, तालुका अथवा तहसील, जिला पंचायत और ग्रामपंचायत के अंतर्गत सरपंच तथा अन्य सदस्य की नियुक्ति होती है।

भारत के चुनाव में ग्राम पंचायत की भूमिका

- ☞ किसी क्षेत्र का ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक योजनाएँ बनाता है, उसका नियमन करता है तथा समाज में 'सोशल जस्टिस' को बनाए रखता है।
- ☞ ब्लाक पंचायत अथवा पंचायत समिति में क्षेत्र के सांसद, विधायक, एसडीओ तथा गाँव के पिछड़े हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ लोग शामिल होते हैं।

- ❖ ब्लॉक पंचायत किसी तहसील के लिए कार्य करता है और इसे ब्लॉक डवलपमेंट कहा जाता है। जिला पंचायत के अंतर्गत आईएएस ऑफिसर तथा उसके साथ कुछ निर्वाचित जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं।

भारत के चुनाव में महानगर निगम

- ❖ महानगर निगम अथवा म्युनिसिपल देश के शहरों के विकास को नियमित करने के लिए गठित होता है। इसके प्रत्येक वार्ड में सभासद और मेयर होते हैं।
- ❖ सभासद आम लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। वैसे शहर जिनकी जनसंख्या एक लाख से ऊपर है, म्युनिसिपल कारपोरेशन के अंतर्गत आते हैं। ये आंकड़ा पहले 20,000 था।
- ❖ जिस नगर की जनसंख्या 11,000 से अधिक तथा 25,000 से कम होता है, वैसे नगरों के लिए नगर पंचायत अथवा नगर परिषद् का गठन होता है।

चुनाव में मतदाता

- ❖ मतदाता अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा-निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं।
- ❖ लोकतांत्रिक देशों में चुनाव कई तरह से होते हैं। यहाँ तक कि अधिकांश गैर- लोकतांत्रिक देशों में भी किसी ना किसी तरह के चुनाव होते हैं।
- ❖ लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें निम्नलिखित हैं : पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो। यानि हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पाँचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें।

- ❖ ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता।

राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता

- ❖ चुनाव का मतलब राजनैतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनैतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता।
- ❖ निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएँगे।
- ❖ विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियाँ और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते।
- ❖ भारतीय संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे। फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है।
- ❖ एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनैतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। असल जीवन में ऐसा नहीं होता।
- ❖ दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी-से-बड़ी कुर्सी और ज्यादा-से-ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं।
- ❖ उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो पर उन्हें यह मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही न बैठे।

- ❖ एक तरीका राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज्यादा व्यावहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएँ जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले।

चुनाव की प्रणाली

- ❖ भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर पाँच साल बाद होते हैं। पाँच साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है।
- ❖ लोकसभा और विधानसभाएँ भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग-अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं।
- ❖ कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य को मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है। इसे उपचुनाव कहते हैं।

चुनाव क्षेत्र

- ❖ भारत में क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बाँट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं।
- ❖ एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं।
- ❖ लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। इसीलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो।
- ❖ प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बाँटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं।
- ❖ प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई-कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगरपालिका के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है।
- ❖ प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बाँटा जाता है जो छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगरपालिका के

लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है।

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र

- ❖ भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है।
- ❖ संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुँच नहीं पाएँ। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हों ही नहीं।
- ❖ संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज ही नहीं पहुँच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी।
- ❖ संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए।
- ❖ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं।
- ❖ लोकसभा की 79 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 41 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में हैं। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेतीं।
- ❖ कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण (पंचायतों) और शहरी (नगरपालिका और

नगर निगमों) स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है।

- ❖ हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग-अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।

मतदाता सूची

- ❖ एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
- ❖ लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं।
- ❖ यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त-अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है।
- ❖ व्यवहार में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए।
- ❖ जब तक ठोस कारण न हों किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग-अलग नागरिक अनेक मामलों में एकदूसरे से भिन्न होते हैं: कोई अमीर है, कोई गरीब कोई बहुत पढ़ा-लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित; कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं। पर हर कोई इंसान तो है, और, अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए।
- ❖ हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो उसे मत देने का अधिकार है।
- ❖ अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है।

- ❖ सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं।
- ❖ हर पाँच वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताजा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में फोटो पहचान-पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है।
- ❖ सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान-पत्र साथ रखना होता है जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे।
- ❖ मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं।

उम्मीदवारों का नामांकन

- ❖ लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो।
- ❖ हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
- ❖ उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों पर रोक है लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। राजनैतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिह्न और समर्थन मिलता है।
- ❖ चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा-पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है।

- ❖ अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक पोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देते होते हैं:
- उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले।
- उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा।
- उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता।
- ❖ इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाता है। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है।

चुनाव अभियान

- ❖ चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए, कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन-सी है। इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है।
- ❖ भारत में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आम तौर पर दो सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं। राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनैतिक पार्टियाँ अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं।
- ❖ चुनाव अभियान के दौरान राजनैतिक पार्टियाँ लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं। विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारे निम्नलिखित हैं :
- इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी।
- 1977 में हुए अगले लोकसभा चुनावों में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई

ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वायदा किया।

- वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन-जोतने वाले को का नारा दिया था।
- 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था।
- ❖ चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी के सब काम नहीं कर सकती:
- मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना।
- उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट माँगना।
- चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना।
- लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना।
- ❖ अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनैतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार को आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है;
- चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग।
- सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग।
- चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएँ देने वाले वायदे नहीं कर सकते।

मतदान और मतगणना

- ❖ चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आम तौर पर चुनाव का दिन कहते हैं।
- ❖ पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग-अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिह्न पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिह्न बने होते हैं।

- ❖ किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है।

भारत में लोकतांत्रिक चुनाव

- ❖ अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अकसर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है:
 - मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की।
 - शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की।
 - अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की।
 - मतदान के दिन चुनावी धांधली।
 - मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना।

स्वतंत्र चुनाव आयोग

- ❖ चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं इसे जाँचने का एक सरल तरीका है यह देखना कि उनका संचालन कीन करता है। भारत में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है।
- ❖ मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है।
- ❖ विश्व के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक, पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है।

- ❖ चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सरकार को दिशा-निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है।
- ❖ चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। चुनाव अधिकारियों का आदेश देते हैं।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ

- ❖ भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू होती है।
- ❖ कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है।
- ❖ पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े-बहुत अपवाद हैं और यही चीज भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है।
 - ज्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियों गलत तरीके से चुनाव जीत हो जाएँगे यह कहना मुश्किल है पर उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है।
 - देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं।
 - अलग-अलग पार्टियों में कुछेक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं।
 - अकसर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों को नीतियाँ और व्यवहार कमोबेश एक-से होते हैं।
 - बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की पेशानियाँ उठानी पड़ती हैं।
- ❖ ये चुनौतियाँ भारत की ही नहीं हैं। कई स्थापित लोकतंत्रों को भी यही स्थिति है। कुछ समस्याओं में मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलावों की माँग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है।

चुनावी धांधली

- ❖ चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब। इसमें कुछ ही लोगों द्वारा काफी सारे लोगों के वोट डाल देना: एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदान अधिकारियों को डरा धमकाकर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें शामिल हैं।

मतदान केंद्र पर कब्जा

- ❖ किसी उम्मीदवार या पार्टी के समर्थकों या भाड़े के अपराधियों द्वारा मतदान केंद्र पर कब्जा करना, असली मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर आने से रोकना और खुद सारे या ज्यादातर वोट डाल देना।

निर्वाचन क्षेत्र

- ❖ एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।

आचार-संहिता

- ❖ चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे-कानून और दिशा-निर्देश।

भारत में चुनाव के प्रकार-

- ❖ भारत में विभिन्न स्तर की नियुक्ति के लिए विभिन्न तरह के चुनाव होते हैं। मुख्य तौर पर दो तरह के चुनाव भारत में अति महत्वपूर्ण हैं। ये दो चुनाव हैं: लोकसभा तथा विधानसभा।

लोकसभा चुनाव-

- ❖ आम तौर पर प्रत्येक पांच साल के अंतराल पर लोकसभा चुनाव होता है। इस चुनाव के लिए देश को विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है और प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के विभिन्न उम्मीदवारों में से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है।
- ❖ संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार इस निर्वाचन का नियंत्रण और नियमन भारत निर्वाचन आयोग के हाथों होता है। इस निर्वाचन आयोग के कार्यों को करने के लिए भारतीय सिविल सर्विस द्वारा दो उप निर्वाचन अधीक्षकों की नियुक्ति होती है।
- ❖ इस चुनाव में निर्वाचित लोग देश के संसद में हिस्सा लेते हैं। संसद में कुल 552 सांसद होते हैं। इसे 'लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट' भी कहा जाता है। लोकसभा में चुने गये

प्रतिनिधियों को सांसद अथवा 'मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट (एमपी)' कहते हैं।

लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया

- ❖ भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव आयोजित किया जाता है। इसके लिए देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग जगहों को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बाँट दिया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से विभिन्न पार्टियाँ अपना उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए उतारती हैं।
- ❖ विभिन्न पार्टियाँ अपने पार्टी फण्ड का इस्तेमाल करके अपने-अपने उम्मीदवारों का प्रचार करती हैं। प्रचार चुनाव के एक दिन प[अहले बंद हो जाता है। पहले बंद हो जाता है। लोकसभा चुनाव पार्टियों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी लड़ सकते हैं।

लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए योग्यता

- ☞ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को निम्न शर्तों पर खरा उत्तरना होता है-
- ☞ उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना होता है।
- ☞ उम्मीदवार की उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही समय समय पर संसद द्वारा बनाये गये अन्य क्वालिफिकेशन पर खरा उतरना होता है।
- ☞ उम्मीदवार पर किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए।
- ☞ उम्मीदवार का नाम देश के किसी भी हिस्से से मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए, यानि उम्मीदवार का मतदाता होना अनिवार्य है।
- ☞ यदि उम्मीदवार किसी भी तरह से निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत आता है, तो उसका आवेदन निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द कर दिया जायेगा।
- ☞ यदि उम्मीदवार किसी तरह के 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' में शामिल है।
- ☞ यदि उम्मीदवार 'अनुन्मुक्त दिवालिया' हो।
- ☞ यदि उम्मीदवार किसी तरह में 'लोकसभा उम्मीदवार होने की रातों पर काबिल नहीं हो पाता।

लोकसभा सीट खाली होने के कारण-

☞ कोई निर्वाचित लोकसभा सदस्य की सदस्यता निम्न कारणों से खारिज भी हो सकती है- यदि सांसद लोकसभा स्पीकर को अपना त्यागपत्र दे देता है। यदि सदस्य लगातार 60 दिनों तक बिना स्पीकर की अनुमति से संसद में अनुपस्थित रहता है। यदि किसी कारणवश लोकसभा सदस्य अयोग्य घोषित हो जाता है।

राज्यसभा-

- ❖ इसे 'अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट' भी कहा जाता है। संवैधानिक तौर पर इसमें कुल 250 सीटें होती हैं। भारत के राष्ट्रपति इस हाउस के लिए कला, विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को चुन सकते हैं।
- ❖ राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्य सभा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र न्यूनतम 30 वर्ष की होनी चाहिए।
- ❖ राज्यसभा सांसदों के चुनावों में आम नागरिकों की कोई भूमिका नहीं होती। राज्यसभा सांसदों का निर्वाचन विधानसभा से होता है। देश के विभिन्न राज्यों के विधान सभा से 'सिंगल ट्रांसफरेंसल वोट' निर्वाचित राज्यसभा सांसद राज्यसभा के बहस में हिस्सा लेते हैं।

विधान सभा चुनाव-

- ❖ विधानसभा राज्य सरकार के गठन के लिए होने वाले चुनावों को कहा जाता है। ये भी देश के विभिन्न राज्यों में प्रत्येक पांच वर्षों में संपन्न होता है।
- ❖ राज्य का कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या इससे अधिक का हो तथा इलेक्शन कमीशन में अपना नाम एनरोल कराया हो, अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अपना वोट दे सकता है। विधान सभा में चुने गए जन-प्रतिनिधि को विधायक कहा जाता है।

विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया-

- ❖ लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव भी निर्वाचन आयोग की देख-रेख में पांच वर्ष के अंतराल पर होता है। राज्य के आकर और जनसंख्या के अनुसार विभिन्न राज्यों के विभिन्न संख्या में विधानसभा सीटें हैं। इन विधान सभा सीटों से कई

क्षेत्रीय पार्टी, निर्दलीय और राष्ट्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं।

पद के उम्मीदवारों की योग्यता-

- ☞ उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए।
- ☞ उम्मीदवार के विरुद्ध किसी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार 'मेंटली' स्वस्थ होना चाहिए।
- ☞ उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होता अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में होना भी अनिवार्य है।

भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव-

- ❖ भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विभिन्न राज्यों के विधायकों की प्रतिभागिता रहती है। ये चुनाव वात्कालिक राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के पहले होता है। संविधान के अधिनियम संख्या 55 के अनुसार 'प्रोपोरशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम' के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव होता है, जिसमें 'सीक्रेट बैलट' व्यवस्था का प्रयोग होता है।
- ❖ भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के सीधे वोटिंग से होता है। यह चुनाव उपराष्ट्रपति के ऑफिस में निर्वाचन आयोग द्वारा कंडक्ट होता है।

भारत में चुनाव परिणाम और बहुमत-

- ❖ चुनाव के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होती है। ये प्रक्रिया काफी देख रेख में होती है। यदि वोटिंग रिजल्ट में किसी पार्टी को कुल सीटों की दो तिहाई सीटों पर जीत हासिल होती है, तो उस राजनैतिक पार्टी की जीत होगी और सरकार बनाने का मौका मिलेगा।
- ❖ यदि किसी भी राजनैतिक पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हो पाता है, तो गठबंधन की सरकार बनती है। इस तरह की सरकारी में एक से अधिक राजनैतिक पार्टियों हिस्सा लेती हैं और कैबिनेट में दोनों पार्टियों के लोग शामिल होते हैं। विपक्ष में आने के लिए हारी हुई पार्टियों में न्यूनतम कुल सीटों का 10 प्रतिशत प्राप्त करना होता है।

भारत का निर्वाचन आयोग-

- ❖ भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो भारत के विभिन्न चुनावों की प्रक्रिया पूर्ण करती है। इस संस्था की स्थापना 25 जनवरी, 1950 में हुई थी। इस संस्था

की मुख्य भूमिका चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शिता देने में हैं। देश के लोकतंत्र में निर्वाचन की बहुत अहम भूमिका है।

भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका-

- ❖ निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सहायता से चुनाव को पारदर्शी बनाए रखना है। ये संस्था स्वतंत्र है और किसी सरकार के अधीन कार्य नहीं करती।
- ❖ यदि किसी चुनाव के दौरान कोई उम्मीदवार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करता है, तो आयोग उसके विरुद्ध नोटिस जारी करती है और केस न्यायालय में पहुँच जाता है।
- ❖ इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चयनित अफसर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य-

- ❖ निर्वाचन आयोग को भारत में होने वाले चुनावों की पारदर्शिता का संरक्षक माना जाता है।
- ❖ ये प्रत्येक चुनाव में राजनैतिक पार्टियों तथा उनके उम्मीदवारों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है, ताकि लोकतंत्र पर कोई आंच न आये।
- ❖ ये सभी राजनैतिक पार्टियों का पंजीकरण करता है तथा उनके रेगुलेशन का नियमन करता है।
- ❖ ये सभी राजनैतिक पार्टियों तथा उनके उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार के अधिकतम खर्च की सीमा तय करती है।
- ❖ सभी राजनैतिक पार्टियों को अपने वार्षिक रिपोर्ट निर्वाचन आयोग में जमा करना होता है। साथ ही साल भर की ऑडिट भी पार्टियों को जमा करना होता है।

भारत के निर्वाचन आयोग के अधिकार-

- ❖ निर्वाचन आयोग आवश्यकता पड़ने पर ओपिनियन पोल के परिणाम दबा सकता है। आयोग यदि चुनाव के बाद भी किसी उम्मीदवार को ऐसी अवस्था में पाता है, कि उसने चुनाव के दौरान आवश्यक निर्देशों की अवहेलना की है, तो उसकी सदस्यता को बर्खास्त करने की पहल कर सकता है।

- ❖ यदि किसी उम्मीदवार को चुनाव के दौरान किसी तरह के गैरकानूनी काम में पाया जाता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय आयोग से बात कर सकता है।
- ❖ यदि कोई उम्मीदवार समय पर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दे पाता तो, आयोग उसकी सदस्यता बर्खास्त कर सकता है।
- ❖ इस तरह भारत के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव बहुत जरूरी कदम है। देश के सभी मतदाताओं का चुनाव में हिस्सा लेना और अपनी सूझ बूझ के साथ बिना किसी के बहकावे में आये मतदान करना बहुत जरूरी है।

अभ्यास प्रश्न

1. भारतीय चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. चुनाव आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और अवधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
2. सविधान में सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त को सरकार द्वारा किसी भी नियुक्ति पर रोक का प्रावधान है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर – A

2. भारत में होने वाले चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या कुछ अंतराल में अलग-अलग दिन जो चुनाव होते हैं, उन्हें आम चुनाव कहते
2. किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए पद के लिये जो चुनाव होते हैं उन्हें उपचुनाव कहते हैं।
3. सिर्फ अनुसूचित जनजाति के सदस्य ही अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं।
4. देश को लोक सभा चुनाव के लिये 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं-

- A. केवल 1 और 2

- B. केवल 1, 3 और 4
C. केवल 1 और 3
D. उपर्युक्त सभी

उत्तर – D

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष की उम्र में प्राप्त हो जाता है जबकि विधान सभा के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिये न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
2. हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा/व्यवस्थित किया जाता है व पाँच वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर – C

4. भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. चुनाव आयोग द्वारा देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त 8. करवाए जाते हैं।
2. भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को जाती है तथा नियुक्ति के पश्चात् चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तथा नियुक्ति के पश्चात् चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह होता है।

उपपक्त कथनों में से कौन-सा से सत्य है/है?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर – A

5. निम्नलिखित कथनों में से कौन-से कथन आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित है?

1. मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन के लिये नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर खाना करत
 2. उम्मीदवार द्वारा वादा करना कि चने जाने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चलवाएगा।
 3. उम्मीदवार या उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा झुग्गी बस्ती वोट के वायदे को लेकर कम्बल बाँटना।
 4. उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को मंदिर में ले उनको अपने उम्मीदवार को वोट देने की शपथ दिलाना।
- नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

- A. केवल 1, 2 और 3
B. केवल 2, 3 और 4
C. केवल 1, 3 और 4
D. उपर्युक्त सभी।

उत्तर – C

6. चुनाव आयोग के अधिकार कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों का नियंत्रण सरकार के हाथ में न होकर चुनाव आयोग के हाथों में होता है।
2. चुनाव के दौरान आयोग सरकार को दिशा-निर्देश मानने का आदेश दे सकता है।
3. यह आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी को सजा देता है।
4. चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लंका चुनावी नतीजों की घोषणा तक, पूरी चुनाव प्रक्रिया के हर पहलू पर निर्णय लेता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/है?

- A. केवल 1
B. केवल 1 और 3
C. केवल 1, 2 और 3
D. उपर्युक्त सभी।

उत्तर – D

7. निम्न में से कौन-सा एक भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची की सही-सही व्याख्या करता है?

- A. इस सूची में संघ और राज्यों के बीच विधानसभा सीटों का वितरण सूचीबद्ध है

- B. इसमें संविधान में सूचीबद्ध जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण का प्रावधान है
C. इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान हैं
D. इसमें राज्य सभा में स्थानों का आवंटन है

उत्तर – D

8. निर्वाचन आयोग का बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
A. निर्वाचन आयोग एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है।
B. इसका कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल के चुनाव सम्पन्न कराना है।
C. संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं।

- D. यह एक अखिल भारतीय संस्था नहीं है।

उत्तर – D

9. निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य नहीं है?
A. यह लोक सभा, विधान सभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है।
B. राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है।
C. किसी ससद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना।
D. विधान परिषद् के सदस्यों की निर्हता से सम्बंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह देना।

उत्तर – C

3. संस्थाओं का कामकाज

संसद की आवश्यकता क्यों

- ❖ प्रत्येक लोकतंत्र में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सभा, जनता को ओर से सर्वोच्च राजनैतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है।
- ❖ राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अलग-अलग देशों में इनके नाम अलग-अलग हो सकते हैं पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह से राजनैतिक अधिकार का प्रयोग करती है:
 1. किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदे नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं या मौजूदा कानून को खत्म कर उसको जगह नये कानून बना सकती हैं।
 2. दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती हैं। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं।
 3. सरकार के पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है।
 4. सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना माँग सकती है।
- ❖ संसद के दो सदन चूँकि आधुनिक लोकतंत्रों में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बाँट दिया है।
- ❖ पहले सदन के सदस्य आम तौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता को ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं।

- ❖ दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है।
- ❖ हमारे देश में संसद के दो सदन हैं। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा के नाम से जाना जाता है।
- ❖ भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसीलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति को मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं।

लोकसभा बनाम राज्य सभा

- ❖ राज्यसभा को कभी-कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होती है।
- ❖ यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अधिकतर मामलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है।
 1. किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है।
 2. लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या न माने।

3. लोकसभा मंत्रिपरिषद् को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद् पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है।

राजनैतिक कार्यपालिका

- ❖ किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है।
- ❖ सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आम तौर पर कार्यपालिका से ही होता है।

राजनैतिक और स्थायी कार्यपालिका

- ❖ किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनैतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं।
- ❖ लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के वावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनैतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं।
- ❖ नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारथ और जानकारी होती है।
- ❖ वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज्यादा हो सकती है। कभी-कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा, उद्योग,

स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है।

- ❖ इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है।
- ❖ वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढाँचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती।
- ❖ सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है लेकिन विशेषज्ञ अकसर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है।
- ❖ दरअसल, ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पुरे मामले को भली भाँति समझते हैं, वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। विशेषज्ञ नहीं करते।

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद्

- ❖ इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं।
- ❖ राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
- ❖ किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है।
- ❖ प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है।
- ❖ प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत

हासिल हो। का प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है। वशतें वे संसद के सदस्य हों। कभी-कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो। लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है।

- ❖ मंत्रिपरिषद् उस निकाय का सरकारो नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 6 से 8 मंत्री होते हैं।
- ❖ कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद् के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद् का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 2 मंत्री होते हैं।
- ❖ स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट को बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं।
- ❖ सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यावहारिक नहीं है लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं।
- ❖ इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप कहा जाता है।
- ❖ मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले को खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। प्रत्येक मंत्रालय में सचिव होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं।

प्रधानमंत्री के अधिकार

- ❖ संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं।
- ❖ यह कैबिनेट की बैठकों को अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है।
- ❖ यह विभिन्न विभागों को सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है।
- ❖ इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। विश्व के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी-कभी सरकार का प्रधानमंत्रीय रूप कहा जाने लगा है।
- ❖ राजनीति में राजनैतिक दलों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है।
- ❖ भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था।
- ❖ इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों को तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थीं। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है।
- ❖ हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं।
- ❖ गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझीदारों की राय भी माननी होती है।

- ❖ उसे गठबंधन के साझीदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है, आखिर उन्हों के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है।

राष्ट्रपति

- ❖ एक ओर जहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहाँ राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनैतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है।
- ❖ भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन को महारानी की तरह होता है। जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनैतिक संस्थाओं के काम को निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिल-जुलकर काम करें।
- ❖ राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद सदस्य और राज्य को विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है।
- ❖ राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। सारी सरकारी गतिविधियाँ राष्ट्रपति के नाम पर हो होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है।
- ❖ वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है।
- ❖ सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है।
- ❖ राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही

सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है।

- ❖ इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हो कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है।
- ❖ वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति स्वविवेक से करनी चाहिए।
- ❖ जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता।
- ❖ लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है।
- ❖ वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है।

न्यायपालिका

- ❖ सर्वोच्च न्यायालय के पास सरकार की कार्रवाइयों को आँकने का अधिकार नहीं होता। मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता। भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते।
- ❖ इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है।
- ❖ भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं।
- ❖ भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना

होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है: देश के नागरिकों के बीच; नागरिकों और सरकार के बीच; दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच; और केंद्र और राज्य सरकार के बीच।

- ❖ यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है।
- ❖ न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है।
- ❖ न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें, विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से नियुक्त करता है।
- ❖ व्यावहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। इसमें राजनैतिक कार्यपालिका को दखल की गुंजाइश बेहद कम है।
- ❖ सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है।
- ❖ किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग दो-तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ।
- ❖ भारत को न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है।
- ❖ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान को व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई

कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है।

- ❖ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद, संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती।
- ❖ भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। चगरिकों को संविधान से मिले मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अलतों ने सार्वजनिक हित और मानकधिकारी के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए

अभ्यास प्रश्न

1. भारत की राजव्यस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है।
 2. प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल यही करता है।
 3. राष्ट्रपति द्वारा मंत्रीपरिषद् की नियुक्ति स्वेच्छा से की जाती है।
 4. लोक सभा व राज्य सभा दोनों से मिलकर संसद बनती है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन असत्य है?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1, 2 और 3
- C. केवल 3 और 4
- D. उपर्युक्त सभी।

उत्तर -C

2. द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में 1979 में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था।

2. अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये 27 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की थी।

3. इस आयोग को सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिये मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाना का जिम्मा दिया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 2 और 3
- D. उपर्युक्त सभी।

उत्तर -D

3. सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है-

- 1. सेना, पुलिस व न्यायलय का संगठनिक विकास करना।
- 2. कर इकट्ठा करना।
- 3. नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना।
- 4. शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करना।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए :

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1 और 4
- C. केवल 3 और 4
- D. उपर्युक्त सभी

उत्तर -D

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अल्पसंख्यक वर्गों को संविधानिक संरक्षण न मिलने से अल्पसंख्यक समुदाय भाषा, धर्म व संस्कृति के क्षेत्र में पिछड़ते चले जाते हैं।

2. विभिन्न आलोचकों का मानना है कि लोकतंत्र की कार्यपद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज्यादा ताकत दे देती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न हो 2

उत्तर -C

5. निम्नलिखित में से कौन-से विवाद न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं?

- 1. देश के नागरिकों के बीच
- 2. दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच
- 3. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच
- 4. नागरिकों और सरकार के बीच

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए :

- A. केवल 1, 2 और 3
- B. उपर्युक्त सभी।
- C. केवल 2, 3 और 4
- D. उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर -C

6. सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार

- 1. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णानुसार संसद, संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित नहीं कर सकती।
- 2. न्यायाधीश, कार्यपालिका व विधायिका के अधीन न होकर स्वतंत्र होते हैं। इसीलिये न्याय की समुचित व्यवस्था संभव हो पाती है।
- 3. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों को बदल सकता है।
- 4. सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी व दीवानी दोनों मामलों में अपील के लिये सर्वोच्च संस्था है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 3 और 4
- D. उपर्युक्त सभी

उत्तर -D

A. केवल 1 और 2

B. केवल 1 और 3

C. केवल 3 और 4

D. उपर्युक्त सभी

उत्तर -D

7. निम्नलिखित में से कौन-से सदस्य राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते हैं-

- 1. राज्य सभा के सभी सदस्य
- 2. राज्य विधान परिषदों के सभी सदस्य
- 3. लोक सभा के सभी सदस्य

4. संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 4
- C. केवल 1, 2 और 3
- D. केवल 3 और 4

उत्तर -B

8. राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए-

- A. संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है।
- B. राष्ट्रपति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पृथक् रूप से दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित करता है।
- C. राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की विधायिका शक्ति के साथ साहविस्तारित होती है।
- D. सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों की वैधानिकता एवं वैधता की जांच कर सकता है।

उत्तर -B

9. निम्नलिखित कथनों में से कौन-से कथन असत्य है?

- 1. राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश को सम्बोधित करते हुए त्याग पत्र दे सकता है।
- 2. राष्ट्रपति पर अपने पद से सत्यापित कदाचार एवं संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है।
- 3. राष्ट्रपति अपने पद को सुशोभित करेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण न करे।
- 4. राष्ट्रपति के पदत्याग से संसद के दोनों सदनों को सूचित किया जायेगा।

निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए

- A. केवल 2 और 3
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 1, 3 और 4
- D. केवल 1, 2 और 4

उत्तर -D

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- 1. एक मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य है, को दूसरे सदन में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है।
- 2. उसे उस सदन में मत देने का अधिकार है, जिसका वह सदस्य नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -A

11. निम्नलिखित में से कौन-सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं की जाती है?

- A. अत्यांतिक वीटो
- B. विशेषित वीटो
- C. निलंबन वीटो
- D. पॉकेट वीटो

उत्तर -B

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- 1. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस सामान्य नियम का अपवाद हैं कि संघ के सभी सिविल सेवक अपना पद राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत धारण करते हैं।
- 2. CAG को पद से केवल संसद द्वारा हटाया जा सकता है।
- 3. CAG का वेतन एवं सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा विनिर्धारित की जायेंगी।
- 4. CAG को पदावधि 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु. इनमें में जो भी पहले हो, तक होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य है?

- A. केवल 1 और 3
- B. केवल 1,2 और 3
- C. केवल 3 और 4
- D. केवल 1,3 और 4

उत्तर -C

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है।

2. राष्ट्रपति को याचिकाकर्ता की सुनवाई करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -C

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संविधान राष्ट्रपति की शक्तियों के कार्यकरण के मामले में सामान्य अवधि एवं आपातकाल के बीच कोई अंतर स्पष्ट नहीं करता है।

2. आपातकाल के दौरान शक्तियों के विवेकपूर्ण कार्यकरण हेतु कोई भी विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

A. केवल 1

C. 1 और 2 दोनों

B. केवल 2

D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर -C

लोकतांत्रिक अधिकार

अधिकार

- ❖ अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बड़कर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान न हो, कोई कष्ट न हो।
- ❖ हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए, अधिकार तभी समय है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दें या नुकसान पहुंचाएं।
- ❖ समाज जिस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसीलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है।
- ❖ 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार न होना ही अजीब लगता है।
- ❖ जब समाज में मान्य कायदों को लिखत पड़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार हो रह जाते हैं।
- ❖ गुआआंतानामो वे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है। पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू करा दे। ठ जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है। फिर हम उन्हें लागू करने की माँग कर सकते हैं। उतु अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, इनका उल्लंघन करते हैं तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं।
- ❖ ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखट सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की माँग कर

सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें ये तीन बुनियादी चीजें होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है।

लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत

- ❖ लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है।
- ❖ लोकतांत्रिक चुनाव हो इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनैतिक पार्टी बनाने और राजनैतिक गतिविधियों की आजादी का होना जरूरी है।
- ❖ लोकतंत्र में अधिकारों को एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करें।
- ❖ अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे हैं। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहें तो स्थिति बिगड़ सकती है।
- ❖ यह स्थिति आम तौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है या संभव है, वह नागरिक के अधिकारों की रक्षा न करे।
- ❖ इसीलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊँचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं।

भारतीय संविधान में अधिकार

- ❖ विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज हैं। हमारे जीवन के लिए बुनियादी

रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। संविधान को प्रस्तावना सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करती है। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यावहारिक रूप देते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। भारतीय संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

समानता का अधिकार

- ❖ भारतीय संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद, चाहे जो हो सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं।
- ❖ कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता।
- ❖ प्रधानमंत्री हो या दूरदराज के गाँव का कोई खेतिहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती।
- ❖ दुकान, होटल और सिनेमाघरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएँ, तालाब, स्नानघाट सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है।
- ❖ सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर को समानता है। उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार

दिया जा सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरत का खपाल रखते हुए समान व्यवहार करना। प्रत्येक आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना है।

- ❖ कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही करता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।
- ❖ किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप-छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे।
- ❖ किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है।
- ❖ यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नजर से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसीलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है।

स्वतंत्रता का अधिकार

- ❖ स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का न होना है। व्यावहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल न होना-न सरकार का, न व्यक्तियों का।
- ❖ हम समाज में रहना बहते हैं सकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं। कोई हमें यह आदेश न दे कि इसे ऐसे करा. वैसे करो। भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएँ दी हैं-
 - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
 - शांतिपूर्ण ढंग में जमा होने की स्वतंत्रता
 - संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता,
 - देश में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता
 - देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है, और

- कोई भी काम करने, पेशा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता।
- ❖ प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता हो।
- ❖ अभिव्यक्ति की आजादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है।
- ❖ दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार-विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हों, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आजादी है।
- ❖ सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने मां-बाप, दोस्तों या रिश्तेदार से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना करने को स्वतंत्र हैं।
- ❖ अपने विचारों को परचा छापकर या अखबारों-पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते।
- ❖ किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसको प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
- ❖ नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान-प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं।
- ❖ ऐसी बैठक शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन

बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए।

- ❖ नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं।
- ❖ किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है। संभव है कि उसने इस शहर को देखा भी न हो या यहाँ उसका कोई संपर्क न हो।
- ❖ भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गाँवों से निकल कर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकल कर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं, बस जाते हैं।
- ❖ संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर। इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता।

शोषण के खिलाफ अधिकार

- ❖ स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण न कर सके। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण न हो सके।
- ❖ संविधान ने खास तौर से तीन बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें गैर-कानूनी घोषित किया है। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आम तौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएँ होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, भारतीय संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज इत्यादि के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तीसरा, भारतीय

संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दियासलाई बनाने, प्रिटिंग और रंगरोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल हैं।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

- ❖ स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता विशेष रूप से चौकस थे। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग-अलग धर्म को मानते हैं।
- ❖ भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। प्रत्येक को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है।
- ❖ प्रत्येक धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आजादी है, लेकिन अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है।
- ❖ निस्संदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसे, कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता।
- ❖ औरतों को कमतर मानने या औरतों की आजादी का हनन करने वाले धार्मिक रीतिरिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे, कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता या उसे सिर्फ सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
- ❖ धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसा शासन

किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है।

- ❖ सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

- ❖ प्रत्येक संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर सचेत थे। लोकतंत्र की कार्यपद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज्यादा ताकत दे देती है।
- ❖ अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है। अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों
- ❖ नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है।

अधिकार कैसे मिल सकते हैं?

- ❖ यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह हैं तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं हैं, अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला न हो। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए इन्हें लागू किया जा सकता है।
- ❖ उपर्युक्त अधिकारों को लागू कराने की माँग करने का अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय हैं। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। यह भी एक मौलिक अधिकार है।
- ❖ यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो।

- ❖ अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉ. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था।
- ❖ मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता।
- ❖ विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कमी हो तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा।
- ❖ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनको नीतियों और फैसलों को या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसी उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं।
- ❖ वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार को मामले में दखल दे सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है।
- ❖ अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती है और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती हैं।
- ❖ भारत की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी हो, वह करने में
- ❖ मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है। लेकिन अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है।

अधिकारों का बढ़ता दायरा

- ❖ संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार हो नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। मौलिक अधिकार बाकी सारे

अधिकारों के स्रोत हैं। भारतीय संविधान और कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है।

- ❖ समय-समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीजें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार हैं, उन्हीं से निकली हैं। स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार को जिम्मेदारी है।
- ❖ संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया है। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के तहत ही है। हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना माँगने और पाने का अधिकार है।
- ❖ हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। साथ ही, अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्न कथनों पर विचार करें:

1. विद्यालयी शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का समावेशिक अध्ययन संविधान के पंथनिरपेक्ष भावना के विरुद्ध प्रत्यय नहीं कहा जा सकता।
2. धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत लक्षण है।
3. किसी भी धार्मिक समूह को सार्वजनिक धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है।

उपरोक्त कथनों में सत्य कथन है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. केवल 1 और 2
- D. केवल 1 और 3

उत्तर - C

2. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में जानने का अधिकार है?

- A. अनुच्छेद 19 (1) (क)
- B. अनुच्छेद 16 (4) (ख)
- C. अनुच्छेद 325
- D. अनुच्छेद 16(5)

उत्तर - A

3. निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का कार्य माना जाता है?

- A. किसी व्यक्ति को सामान विक्री या सेवाएँ देने से रोकना।
- B. धार्मिक, दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना।
- C. किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना।
- D. उपर्युक्त सभी।

उत्तर - D

4. शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के हित के लिए बनाया गया है?

- A. 8 से 16 वर्ष
- B. 6 से 12 वर्ष
- C. 5 से 10 वर्ष
- D. 6 से 14 वर्ष

उत्तर - D

5. स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन-से अधिकार सम्मिलित हैं?

- 1. शांतिपूर्ण सम्मलेन का अधिकार
 - 2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
 - 3. कोई भी काम-धंधा करने व पेशा चुनने का अधिकार।
 - 4. देश में कहीं भी आने-जाने व वसने का अधिकार
- नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए :

- A. केवल 1, 2 और 3
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 1, 2 और 4
- D. उपर्युक्त सभी।

उत्तर - D

6. शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के हित के लिए बनाया गया है?

- A. 8 से 16 वर्ष
- B. 6 से 12 वर्ष
- C. 5 से 10 वर्ष
- D. 6 से 14 वर्ष

उत्तर - D

7. मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

- 1. किसी मुद्दे पर नागरिकों को जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने व जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है।
- 2. दोषी सिद्ध हुए नागरिक को कानूनी आधार पर उसके जीवन के अधिकार व निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर - B

8. शोषण के खिलाफ अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- 1. किसी किस्म के 'बेगार' या जबरन काम करवाने का निषेध।
- 2. बंधुआ मजदूरी पर रोक।
- 3. बाल मजदूरी पर रोक।
- 4. मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध।
- 5. शिक्षा का अधिकार।

उपर्युक्त में से कौन-से शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल हैं?

- A. केवल 1, 2 और 3
- B. केवल 1, 2, 3 और 4
- C. केवल 1 और 2
- D. उपर्युक्त सभी।

उत्तर - B

9. धार्मिक औधकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को-

1. धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है।
 2. धर्म का प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है।
 3. प्रचार-प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है।
- नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए :
- A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. उपर्युक्त सभी।

उत्तर - A

10. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. किसी निजी संस्था द्वारा संचालित संस्थान शैक्षिक संस्थान में किसी को प्रार्थना में हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशों को मानने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता।
2. धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना नहीं है।
3. सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख-रखाव के लिये 'कर' देने के लिये किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- A. केवल 1 B. केवल 1 और 2
C. केवल 1 और 3 D. उपर्युक्त सभी।

उत्तर - D

11. निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का कार्य माना जाता है?

- A. किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएँ देने से रोकना।
B. धार्मिक, दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना।
C. किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना।
D. उपर्युक्त सभी।

उत्तर - D

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. संवैधानिक उपचार के अधिकार द्वारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया गया है।
 2. डॉ. अम्बाडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की 'आत्मा व हृदय' माना है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/है?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो। और न ही 2

उत्तर - C

13. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. आयोग का गठन 1993 में किया गया। यह आयोग भी न्यायपालिका की तरह सरकार से स्वतंत्र होता है।
2. यह किसी भी अदालत की तरह चरमदीद गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकता है।
3. आर्याग अपनी रिपोर्ट या सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की तरफ से स्वयं न्यायालय में अपील करता है।
4. आयोग में राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर सेवानिवृत्त वज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों की नियुक्ति की जाती है।
5. आयोग देश में मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चंतना जगाने का काम करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन असत्य है/है?

- A. केवल 1 और 4
B. केवल 1, 2 और 4
C. केवल 1, 2, 4 और 5
D. उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर - D

14. भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक -

- A. कानूनी अधिकार
B. मौलिक अधिकार
C. संविधानेत्तर अधिकार
D. संवैधानिक अधिकार

उत्तर - B

15. मानवाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें;

1. काम करने के अधिकार
2. कामगारों को सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार
3. सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार
4. शिक्षा का अधिकार उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सत्य है?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1, 2 और 3
- D. उपर्युक्त सभी।

उत्तर – D

Class-10

लोकतांत्रिक राजनीतिक – 02

1. सत्ता की साझेदारी
2. लोकतंत्र और विविधता
3. लोकतंत्र के परिणाम

|

सत्ता की साझेदारी

- ❖ सत्ता के बँटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंश कम हो जाता है। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है।
- ❖ बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी वर्बादी का कारण बन जाता है।
- ❖ सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है- इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है।
- ❖ लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बाँटा जाए। इसलिए, वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं।

सत्ता की साझेदारी के रूप

- ❖ राजनीतिक सत्ता का बँटवारा नहीं किया जा सकता- इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए।
- ❖ यदि फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा, लेकिन, लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्व-शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं।
- ❖ एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, और सार्वजनिक नीतियों तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता

है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए।

- ❖ सत्ता की साझेदारी के रूप आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं।

1. शासन के विभिन्न अंग

- ❖ शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बँटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षेत्रीय वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी-अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं।
- ❖ ऐसे बँटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है।
- ❖ हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है पर यह संसद के अधीन कार्य करती है; न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को 'नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था' भी कहते हैं।

2. सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा-

- ❖ पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग सरकार रहे। ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं, प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है।
- ❖ कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं। लेकिन हमारी तरह, जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बँटवारा किस तरह होगा।
- ❖ राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही

इकाईयाँ हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बँटवारे को उर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है।

3. सत्ता का बँटवारा-

- ❖ सत्ता का बँटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषायी और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए।
- ❖ प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग-अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है।

4. दबाव समूह –

- ❖ सत्ता के बँटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव-समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए।
- ❖ समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियाँ सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं।
- ❖ पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे।
- ❖ सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं।

संघवाद का अर्थ

- ☞ एकाग्रता और शक्तियों के वितरण के आधार पर हम दो प्रकार की सरकार पाते हैं सरकार का एकात्मक तथा संघात्मक स्वरूप। सरकार का संघीय स्वरूप एक आधुनिक खोज है जो अमेरिकी संविधान के प्रादुर्भाव से अस्तित्व में आया। तथापि फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा के 'फोएडस' शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है 'संधि या समझौता'।

- ☞ सामान्यतः एक संघीय सरकार दो प्रकार से उत्पन्न होती है। यह अभिकेंद्री या अपकेंद्री ताकतों के कारण हो सकता है।
- ☞ जब कुछ स्वतंत्र राज्य अपनी भौतिक तथा आर्थिक कमजोरी के कारण एकजुटता पर सहमति जताते हैं तब वे सामान्य संप्रभुता को मानते हुए एक संघ का निर्माण करते हैं।
- ☞ भारत सरकार अधिनियम 1935 अपकेंद्री शक्तियों के माध्यम से संघवाद की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान का स्वरूप एकात्मक लक्षणों के साथ संघात्मक है।
- ☞ अमेरिका, स्विस् तथा ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। लेकिन यह प्रक्रिया अपकेंद्री कहलाती है जब कोई एकात्मक राज्य संघ राज्य में परिवर्तित होता है। कनाडा जो मूल रूप से एकात्मक राज्य था टूटकर संघ राज्य के रूप में पुनर्गठित हुआ।
- ☞ शक्तियों के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हम राज्यों को दो प्रकार से बांटते हैं- संघीय राज्य तथा एकात्मक राज्य।
- ☞ संघीय राज्य में शक्तियों का बंटवारा केंद्र तथा राज्य इकाईयों के बीच होता है। संघीय सरकार का मुख्य लाभ यह है कि यह छोटे राज्यों को बड़े तथा शक्तिशाली राज्यों के साथ एकजुट होने तथा उससे फायदा उठाने के योग्य बनाता है।
- ☞ संघीय सरकार क्षेत्रीय स्वायत्तता का राष्ट्रीय एकता के साथ मिलाप कराती है। यहां दोनों चीजें एक साथ कार्य करती हैं।
- ☞ संघवाद क्षेत्रीय स्वायत्तता को बरकरार रखता है। दूसरे यह राष्ट्रीय एकता भी प्रदान करता है। शासन सरकार के इस स्वरूप में शक्तियों का बंटवारा संभव है।
- ☞ राष्ट्रीय हितों के मामले जैसे कि रक्षा, विदेश, संचार, आयाकर, रेलवे आदि केंद्र सरकार को तथापि क्षेत्रीय महत्त्व के मामले जैसे कि भू-राजस्व, पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासी निकाय आदि राज्य इकाईयों को सौंपे जाते हैं। यह व्यवस्था संपूर्ण देश में कानून नीति तथा प्रशासन को एकरूपता प्रदान करती है। यह व्यवस्था छोटे राज्यों के लिए अधिक लाभप्रद है क्योंकि वे अपनी स्वतंत्र रूप से रक्षा करने तथा अन्य राज्यों से स्वतंत्र राजनयिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। संघवाद राज्य स्तर पर उपयोग की व्यवस्था करता है। संघवाद कुशलता प्रदान करता है। इसमें केंद्र तथा राज्य अपने-अपने निश्चित क्षेत्र या विषयों में कार्य करते हैं।

तथा एकात्मक राज्यों की तरह केंद्र सरकार अधिक बोझिल नहीं होती है।

- ☞ जहां धर्म, भाषा तथा नस्ल की विविधता विद्यमान होती है वहां शासन का संघीय रूप ही उपयुक्त होता है। इकाईयों को हम राज्यों या केंटोन आदि के रूप में जानते हैं।
- ☞ शास्त्रीय सिद्धांत का अनुभव ऐसा माध्यम है जो व्यापक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की राजनीतियों को इस प्रकार एकजुट करता है जिससे वे अपनी मौलिक राजनीतिक अखंडता बनाए रख सकें।

संघवाद

- ❖ संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर, राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं।
 - ❖ सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है।
 - ❖ एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाको इकाईयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है।
 - ❖ संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने-अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:-
1. यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है।
 2. अलग-अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना-अपना अधिकार क्षेत्र होता है।
 3. विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है।

4. संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों को सहमति से ही हो सकते हैं।
 5. अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों को व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है।
 6. वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग-अलग स्रोत निर्धारित हैं।
 7. इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक-दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं: आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति।
 8. केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग-अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई।
- ❖ संघीय शासन व्यवस्थाएँ आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का।
 - ❖ दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग-अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं- संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि।
 - ❖ संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वालो व्यवस्था में राज्यों के बदले केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है। अक्सर इस

व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं पर विशेष स्थिति में किसी-किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं।

संघवाद की परिभाषा

- ☞ हैमिल्टन के अनुसार, "संघीय राज्य राज्यों का एक संगठन है तथा यह एक नवीन प्रकार है।"
- ☞ गार्नर के अनुसार, "संघीय राज्य एक व्यवस्था है जिसमें सरकार की संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र सरकार तथा राज्यों या अन्य प्रादेशिक उपखंडों में जिनसे संघ बना है राष्ट्रीय संविधान या जैविक संसदीय अधिनियम के माध्यम से विभाजित तथा वितरित की जाती है।"
- ☞ के.सी. व्हेबर के अनुसार, "संघीय सरकार वह है जो मुख्य रूप से सामान्य तथा क्षेत्रीय प्राधिकरणों के बोच शक्तियों को बांटती है तथा वे अपने क्षेत्र में समन्वय करते हुए भी एक-दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं।"
- ☞ डायसी के अनुसार, "यह एक राजनीतिक युक्ति है जिसका उद्देश्य राज्यों के अधिकारों को बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय एकता तथा शक्ति का मिलाप है।"
- ☞ संघवाद सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें राजनीतिक शक्ति के संप्रभु प्राधिकरण को विभिन्न इकाईयों के बीच वितरित किया जाता है। सामान्य शब्दों में इस प्रकार के शासन को संघ या संघ राज्य भी कहा जाता है।
- ☞ केंद्र राज्य, पंचायत या निगम इसकी इकाईयें हैं। केंद्र को संघ भी कहा जाता है। संघ की घटक इकाईयों को अमेरिका में राज्य, स्विट्जरलैंड में कैंटोन, कनाडा में प्रति तथा भूतपूर्व सोवियत संघ में रिपब्लिक कहा जाता है।
- ☞ संघ शब्द का शाब्दिक अर्थ है अनुबंध संघ एक अनुबंधीय संघ है। एक संघीय राज्य का निर्माण संप्रभु राज्यों के विजय द्वारा प्राप्त राज्यों के संघ को संघीय संघ नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक सिद्धांत जो संघीय व्यवस्था को प्रेरित करते हैं वे सौदेबाजी को प्रधानता तथा विभिन्न शक्ति केंद्रों के बीच समझौते पर जोर देते हैं।
- ☞ वे शक्ति केंद्रों के तितर-बितर होने को स्थानीय स्वतंत्रता के बचाव का माध्यम मानते हैं। संघवाद केवल एक संगठनात्मक व्यवस्था नहीं है वरन् यह राजनीति तथा

सामाजिक व्यवहार का विशेष तरीका समझौते के लिए प्रतिबद्धता व्यक्तिगत तथा संस्थाओं का सक्रिय सहयोग तथा इसके साथ-साथ अपनी गरिमा को संरक्षित करने का गौरव प्रदान करता है।

- ☞ प्रोफेसर सी.एफ. स्ट्रॉंग के अनुसार, "एक संघ राज्य वह है जिसमें कुछ राज्य एक निश्चित सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकजुट होते हैं।"
- ☞ केंद्रीय या संघीय प्राधिकरण कुछ शक्तियों में इकाईयों से सीमित होता है जो सामान्य उद्देश्यों के लिए एकजुट हुई हैं।
- ☞ इस शक्ति वितरण के लिए कोई प्राधिकरण आवश्यक है। यह प्राधिकरण स्वयं संविधान है। एक संघीय राज्य में संघ तथा इकाईयां अपनी शक्तियां स्वयं संविधान से प्राप्त करती हैं।
- ☞ उपरोक्त उपागम अनिवार्य रूप से कानूनी है जिसमें कानून या संघवाद के संवैधानिक ढांचे पर जोर दिया गया है। कानूनी ढांचे की पर्याप्त समझ उन विभिन्न सामाजिक शक्तियों की खोज की मांग करती है जो संघवाद को जन्म देती है।
- ☞ लिविंग्स्टोन के अनुसार, "संघवाद का सार इसके संस्थानात्मक या संवैधानिक ढांचे में नहीं बल्कि स्वयं समाज में निहित है। संघीय सरकार एक ऐसी युक्ति 'यंत्र' है जिसके द्वारा समाज के संघीय गुणों को स्पष्ट तथा संरक्षित किया जाता है।"

भारत में संघीय व्यवस्था

- ❖ भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है।
- ❖ संघीय व्यवस्था की सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था-संघ सरकार और राज्य सरकारें। - केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। वाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया।
- ❖ किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह भारत में भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग-अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के

बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्से में बाँटा गया है। ये तीन सूचियों इस प्रकार हैं:

- ❖ संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है।
- ❖ राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है।
- ❖ समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदुर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार, दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है।
- ❖ ऐसे क्षेत्र जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं हैं। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है।
- ❖ अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधान सभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देख-रेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में

फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है।

- ❖ सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए सरूये राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं।

संघीय व्यवस्था

- ❖ संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संबैधानिक प्रावधान जरूरी हैं पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों का होना नहीं है।
- ❖ भारत में संघीय व्यवस्था को सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को जाता है। इसी संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संग-साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ।

संघवाद का ऐतिहासिक संदर्भ

- ☞ संघवाद की शुरुआत प्राचीन काल के यूनानी नगर राज्यों और दूसरों शताब्दों के डच महासंघ से मान सकते हैं। हालांकि इसका प्रबल उदाहरण 1787 ई. में अमेरिकी संघवाद की स्थापना में मिलता है।
- ☞ 1787 ई. में अमेरिका में तथा 1848 ई. में स्विट्जरलैंड में जन भावनाओं को प्रभाव में लाने के लिए संघवाद अस्तित्व में आया।
- ☞ उल्लेखनीय है कि 1787 ई. में संघीय संविधान आने से पहले अमेरिकी उपनिवेशों ने ग्रेट ब्रिटेन से प्रतिरोध के दौरान 1777 ई. में हो परिसंघ के अनुच्छेद की रूपरेखा तैयार कर ली थी।
- ☞ एक सदनीय कांग्रेस प्रत्येक राज्य से एक वर्ष के लिए प्रतिनिधियों को स्थिर नियुक्ति: जो विदेशी मामलों के निर्धारण के लिए प्राधिकृत किए गए मुद्रा तथा अन्य निश्चित महत्वपूर्ण मामले आते हैं। इन सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जैसा कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने अपनी कृति 'दी फंडरलिस्ट' में अभिव्यक्त किया है "तेरह विभिन्न संप्रभु इच्छाओं की सहमति:"

- ☞ दूसरे शब्दों में 1777 के अनुच्छेद ने सामान्य सरकार की अधीनता के सिद्धांत के आधार पर राज्यों का संगठन स्थापित किया अर्थात् कांग्रेस का क्षेत्रीय सरकारों पर।
- ☞ 1787 ई. के वर्तमान अमेरिकी संविधान के सिद्धांत 1777 ई. के अनुच्छेदों के सिद्धांतों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न थे।
- ☞ वेयर के अनुसार वर्तमान संविधान तथा परिसंघ के अनुच्छेदों में अंतर इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्तमान संविधान सामान्य सरकार की क्षेत्रीय सरकारों पर अधीनता तथा निर्भरता को बदलकर सामान्य तथा क्षेत्रीय सरकारों में तालमेल व अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता के सिद्धांत को लागू करता है।
- ☞ इस प्रकार 1787 ई. के संविधान द्वारा निर्मित राज्यों को समिति को संघ माना गया और यह राज्य को शक्ति का विभाजन सहयोग तथा स्वतंत्र प्राधिकरणों में करता है।
- ☞ अमेरिका का संविधान पूरे राज्य के लिए सीमित शक्ति देता है और इसी प्रकार राज्य के अन्य भागों के लिए भी सीमित शक्ति प्रदान करता है। जैसे ही संविधान ने शक्ति क्षेत्रों का विभाजन कर दिया प्रत्येक सरकार ने अपने दिए गए क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र रूप से संचालन शुरू कर दिया।
- ☞ संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि एक संघ तभी अस्तित्व में आता है जब कुछ राज्य सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तालमेल बैठकर संगठित होते हैं।
- ☞ डायसी के अनुसार संघ का अर्थ संविधान द्वारा संस्थाओं में शक्तियों का बंटवारा है जो संविधान द्वारा निर्मित तथा नियंत्रित हैं।
- ☞ ऐतिहासिक परिस्थितियों ने संघ के लक्षणों को आकार दिया है। सभी जगह संघवाद का उद्देश्य नागरिकों की दो परस्पर विरोधी भावनाओं में तालमेल बैठाना है- राष्ट्रीय एकता को इच्छा तथा प्रत्येक राज्य या केंट्रों के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने की अभिलाषा।
- ☞ लिखित संविधान में इस तालमेल का तरीका प्रतिबिंबित होता है जो राष्ट्र से संबंधित विषयों को सामान्य या राष्ट्रीय सरकार के अधीन रखता है तथा अन्य सभी मामलों को जो सामान्य हित के नहीं हैं अलग-अलग राज्यों के अधीन रखता है।

- ☞ संघीय संविधानों में शक्ति विभाजन का विवरण भिन्न-भिन्न हो सकता है परंतु इसमें अंतर्निहित सिद्धांत एक ही रहेगा। अर्थव्यवस्था की गतिशील ताकतों कल्याणकारी उद्देश्यों का प्रभाव और राष्ट्रीय दलों के उद्भव से संघवाद की परिस्थिति में गहरा परिवर्तन आया।
- ☞ इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मौजूदा संघ में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रगाढ़ता से कार्य करने लगी तथा वह अब तक का सबसे गतिशील परिवर्तन था। इस केंद्रीकरण के दो प्रभाव हुए।
- ☞ पहला राज्य की स्वायत्तता कुछ मंद पड़ी। दूसरा केंद्र तथा राज्यों की सीमा कुछ धुंधली पड़ी। अतः आज संघवाद को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- ☞ यदि किसी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य दोनों अपनी स्थिति और शक्ति संविधान से प्राप्त करते हैं ना कि किसी केंद्रीय कानून द्वारा तथा वे अपने-अपने क्षेत्रों में पर्याप्त स्वायत्तता का प्रयोग करते हैं तो वह संघवाद का लक्षण होगा।

संघवाद के प्रकार

- ❖ संघीय राजनीतिक व्यवस्था वह है जिसमें एक सामान्य सरकार की स्थापना दो या अधिक सरकारों के समूह से होती है तथा इसमें उनकी शक्तियां पर्याप्त रूप में सुरक्षित तथा संरक्षित होती हैं।
- ❖ यह निश्चित तौर पर आधुनिक संघों की परिभाषा है। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। इसमें स्वशासन तथा साझा-शासन की व्यवस्था होती है। इसके अंतर्गत संघ, परिसंघ तथा इसी प्रकार के अन्य राजनीतिक तथा संगठनात्मक संबंध शामिल हैं।
- ❖ सामान्यतः संघीय व्यवस्था में परिसंघों को संघों से भिन्न रूप में देखा जाता है। इसमें साझा शासन की संस्थाएं घटक सरकारों पर निर्भर होती हैं इसलिए केवल एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन तथा राजकोषीय आधार होता है।
- ❖ संघीय सरकार में नागरिकों पर प्रत्यक्ष शासन चलाया जाता है। इसके विपरीत परिसंघ में साझा संस्थाओं और शासन के सदस्य राज्य में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसके ऐतिहासिक

उदाहरणों में स्विट्जरलैंड (1291-1847) तथा अमेरिका (1776-1789) मिलते हैं।

संघवाद की विशेषताएं

- ❖ संघीय प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें साझा हितों की प्राप्ति के लिए घटक इकाइयों की एकजुटता की मंशा तथा अन्य उद्देश्यों के लिए स्व-शासन की इच्छा की गहरी जड़ें होती हैं।
- ❖ सरकारों के बीच संघीय शक्तियों की विभेदता सभी संघीय व्यवस्थाओं का एक प्रमुख लक्षण है। यद्यपि संघ में अक्सर विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं परंतु दोनों में अंतर है।
- ❖ संघ में न केवल जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण होता है बल्कि घटक सरकारों द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों की संवैधानिक गारंटी भी होती है। यद्यपि संघ की एकात्मक व्यवस्था से पृथक् करने के सामान्य लक्षणों में शक्ति की सीमा सरकार के विभिन्न स्तरों पर दी जाने वाली जिम्मेदारी एवं संसाधन आते हैं।
- ❖ बहुल सूचकांक जो गैर-बराबर हैं उनमें विधायी तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकारों का बंटवारा वित्तीय संस्थानों की अवस्थिति गैर-सरकारी संस्थाओं का विकेंद्रीकरण संवैधानिक सीमा तथा संघीय सरकार में घटक सरकारों का निर्णय निर्माण की सहभागिता का स्तर आदि आते हैं।
- ❖ एक बार स्थापित होने के पश्चात् संघीय व्यवस्थाएं स्थिर ढांचा नहीं रहती हैं वे गतिशील और विकसित इकाइयाँ हैं। यह बात अमेरिका तथा कनाडा की संघीय व्यवस्था के इतिहास से अनेक लेखकों द्वारा स्पष्ट की गई है।
- ❖ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा जातीय कारकों की पारस्परिक क्रिया ने राजनीतिक प्रक्रिया व संस्थानात्मक ढांचे को बचाया कुछ संघों ने विकेंद्रीकरण की प्रकृति को उत्पन्न किया।
- ❖ एक दूसरी रिपोर्ट 4 फरवरी, 1979 को 'कमिंग टू टर्म्स' शीर्षक से आई जिसमें कनाडाई एकता पर बनी टास्क फोर्स परिसंघ तथा संघ के विभिन्न लक्षणों को प्रकाशमान करती है तथा कनाडा को संघ की श्रेणी में रखती है। इस रिपोर्ट में सात तत्त्व सम्मिलित हैं:

- दो स्तर की सरकारों का अस्तित्व जो अपने अधिकार संविधान के अंतर्गत लेती हैं तथा उनमें से प्रत्येक; समान नागरिकों पर प्रत्यक्ष शासन करती हैं।
- केंद्र सरकार पूरे संघ के निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है विधान द्वारा अपनी सत्ता का प्रयोग करती है तथा पूरे देश पर कर लगाती है।
- क्षेत्रीय सरकार क्षेत्र द्वारा चुनी जाती है तथा कानून व करों के द्वारा प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है।
- दो स्तर की सरकारों के मध्य विधायी तथा कार्यकारी अधिकारों तथा राजस्व के स्रोतों का बंटवारा।
- एक लिखित संविधान जो एकतरफा संशोधित नहीं हो सकता।
- शक्तियों के बंटवारे से संबंधित विवादों के नियमन के लिए मध्यस्थ।
- vii) सरकारों के मध्य बातचीत के लिए युक्तियाँ। एक संघ के चार लक्षण होते हैं एक लिखित संविधान, दोहरी राज व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्याय व्यवस्था।

1. लिखित संविधान

- भारत में एक लिखित संविधान है। यह सर्वोच्च कानून है तथा केंद्र तथा राज्य दोनों पर लागू होता है। दूसरा यहां दोहरो राज व्यवस्था है क्योंकि यहां दो स्तर पर सरकार पाई जाती है। एक केंद्र या संघ सरकार और दूसरी राज्य सरकारें जो संविधान के अनुच्छेदों में बंधी हुई है और दोनों में से कोई भी इनकी अवहेलना नहीं कर सकता।

2. छोटे राज्यों के लिए उपयोगी

- संघ छोटे तथा कमजोर राज्यों को एक अवसर देता है। छोटे राज्य स्वतंत्र रूप से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। वे विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधनों को आवंटित नहीं कर सकते और न ही अन्य राज्यों के साथ राजनयिक संबंध बना सकते हैं।
- बड़े और शक्तिशाली राज्यों के मध्य छोटे राज्यों का अस्तित्व अस्थिर होता है। छोटे राज्य अपनी पहचान की धारणा के साथ अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक समस्याओं को सुलझाने का लाभ उठाते हैं।

3. स्थानीय स्वायत्तता का राष्ट्रीय एकता के साथ समन्वय:

- एक संघ में लोग एक सशक्त राष्ट्र निर्माण के साथ स्थानीय स्वायत्तता के समन्वय के अवसर पाते हैं।
- ई.बी. शूज के अनुसार, 'संघवाद के पक्ष में मुख्य तर्क है कि स्थानीय स्वायत्तता की संवैधानिक गारंटी अति-केंद्रीकरण के रास्ते में सतुलित प्रभावी गतिरोध है।' :
- संघवाद के अंतर्गत स्थानीय समस्याएं स्थानीय प्रयासों से सुलझा र जाती है।
- शक्तियों के बंटवारे के कारण एक क्षेत्र के लोग अपनी समस्या को जानने का अवसर पाते हैं और उसे अच्छे तरीके से सुलझाते हैं।
- ❖ इस प्रकार यह उन देशों के लिए उपयोगी है जहां बड़ी संख्या में नस्लीय सांस्कृतिक और भाषायी विभिन्नताएं होती हैं। यह राष्ट्रीय एकता तथा स्थानीय स्वतंत्रता को मिलाता है।

4. विविधता में एकता

- ❖ संघवाद जहां जरूरत होती है वहां विधायी तथा प्रशासनिक नीतियों में एकरूपता को संभव बनाता है और जहां मांग होती है वहां विविधता लाता है।
- ❖ परिसंघ संप्रभु राज्यों का एक संघ है जो सामान्य सुरक्षा व अन्य सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त होते हैं। उनके पास एक कार्यकारिणी व एक विधायिका होती है लेकिन उनकी शक्तियां सीमित हैं। यहां परिसंघ की कुछ परिभाषाओं का उल्लेख करना उचित होगा।
- ❖ हॉल के अनुसार "एक परिसंघ एक संघ होता है जो राज्यों से भिन्न होता है तथा स्थायी तौर पर कुछ विशेष क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्रता छोड़ने को सहमत होता है।" ये सब एक सामान्य सरकार के अधीन होते हैं तथा राज्य अपने को अंतर्राष्ट्रीय एकता से अलग करते नजर आते हैं।"
- ❖ ओपेनीहिम के अनुसार "एक परिसंघ के अंतर्गत कुछ पूर्ण संप्रभु राज्य होते हैं जो अपने बाहरी मामलों तथा स्वतंत्रता के लिए एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संधि से जुड़े होते हैं।"
- ❖ 1776 से 1787 तक अमेरिका एक परिसंघ था लेकिन संयुक्त राष्ट्र एक परिसंघ नहीं है। उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि कुछ संप्रभु राज्य सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त केंद्र की स्थापना करते हैं और अपनी इच्छा से कुछ शक्तियों को स्थानांतरित करते हैं।

- ❖ उनका संघ अपनी इच्छा से होता है। जो संघ बनाता है उस राज्य की संप्रभुता में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं होती। वे अपनी इच्छा से संघ छोड़ सकते हैं। संघ तथा परिसंघ दोनों ही शब्द लैटिन भाषा के शब्द फोएडस से लिए गए हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है।
- ❖ संघ उन राज्यों के नागरिकों पर कोई कर नहीं लगा सकता जो संघ का निर्माण करते हैं। घटक राज्य अपनी इच्छा तथा आवश्यकता होने पर परिसंघ में योगदान कर सकते हैं। वे निर्णयों को भी कार्यान्वित करते हैं।
- ❖ यह रिपोर्ट परिसंघ के प्रमुख लक्षणों का उदाहरण देती है: इन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक परिसंघ संप्रभु राज्यों का संगठन होता है जो किसी समझौते या अंतर्राष्ट्रीय कानून या संविधान द्वारा आपस में जुड़े हैं। इसमें वे अपने कुछ सीमित अधिकार, विशेषकर विदेशी मामले में एक केंद्रीय एजेंसी को प्रदत्त करते हैं। इसे डाइट, सभा, परिषद या कांग्रेस कह सकते हैं तथा आमतौर पर इसके अनिवार्य प्रतिनिधि सदस्य राष्ट्रों द्वारा नियुक्त होते हैं।

संघवाद की कार्यप्रणाली

- ❖ यद्यपि, संघ में अक्सर विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं, परंतु दोनों में अंतर है। संघ में न केवल जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण होता है बल्कि घटक सरकारों द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों की संवैधानिक गारंटी भी होती है। इलैजर और ओसैया संघों को गैर-विकेंद्रीकृत कहना पसंद करते हैं।
- ❖ विकेंद्रीकरण से तात्पर्य पदानुक्रम के साथ ऊपर से नीचे की और सत्ता के स्थानांतरण से है जबकि गैर-केंद्रीकरण संवैधानिक तौर पर सत्ता का ढाचागत बिखराव करता है जो संघ का एक आवश्यक लक्षण है।
- ❖ यद्यपि यह सामान्य लक्षण संघों को एकात्मक व्यवस्था से पृथक करता है जैसा नैथन तथा वाट्स ने कहा है। संघों के मध्य शक्ति की सीमा जिम्मेदारियों सरकार के विभिन्न स्तरों को दिए गए संसाधनों के आधार पर व्यापक विभेदताएं है।
- ❖ कोई भी मात्रात्मक सूचकांक प्रभावी क्षेत्रीय गैर-केंद्रीकरण को तथा उसमें निहित निर्णय लेने की स्वायत्तता को व्यापक रूप से माप नहीं सकता। किसी भी संघ में दो स्तर की

सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा दो कारणों से महत्वपूर्ण है।

- ❖ पहला, ये संसाधन सरकारों को दी गई विधायी तथा कार्यकारी जिम्मेदारियों की निभाने के लिए सक्षम बनाते हैं या उन्हें विवश करते हैं। दूसरा, कर तथा व्यय शक्ति स्वयं अर्थव्यवस्था को प्रभावित व नियमित करने के महत्वपूर्ण साधन हैं।
- ❖ यह असंभव सिद्ध हुआ है कि एक संघीय संविधान बनाया जाए जिससे स्वायत्त राजस्व स्रोतों के आवंटन से प्रत्येक स्तर को सरकार के खर्च की जिम्मेदारियां पूरी हो सकें।
- ❖ यदि यह आरंभ में संभव हो भी जाए तो विभिन्न चरणों के सापेक्ष मूल्य लागत और व्यय के क्षेत्रों में समय के साथ बदलाव असंतुलन पैदा करेगा। इसके अतिरिक्त, अधिकांश संघों ने घटक इकाइयों की राजस्व क्षमता की असमानता व असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया है।
- ❖ ये राजकोषीय व्यवस्थाएं सरकारों के बीच अत्यधिक विवादास्पद मुद्दों में रही हैं और हाल ही की संघीय राजकोषीय बाधा ने इस तनाव पर जोर दिया है।
- ❖ इन संघों के साझा राजस्व प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित अनुदान समकारी व्यवस्था तथा राजकोषीय व्यवस्थाओं के संबंध में इन संघों के तुलनात्मक अध्ययन ने सरकारों के बीच सहयोग तथा संघर्ष की प्रकृति पर प्रकाश डाला है।
- ❖ संघीय राजनीतिक व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य अपने क्षेत्र के घटक समुदायों की सुरक्षा करना है। सामान्यतः क्षेत्रीय समानता तथा साझा संस्थाओं में नागरिकों के समान प्रतिनिधित्व के बीच संघर्ष होता है।
- ❖ अधिकांश संघ इन दो प्रकार की समानताओं में संतुलन के इच्छुक होते हैं। इस प्रकार का संतुलन प्राप्त करने तथा इन संघों की अतिरिक्त राजनीतिक सक्रियता में साझा संस्थाओं के अंतर्गत कार्यकारी विधायिका संबंध निर्णायक है।
- ❖ इस संबंध के विभिन्न रूप अमेरिका के कांग्रेसी ढांच में शक्ति का बंटवारा स्विटजरलैंड में निश्चित काल की कार्यकारी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम, भारत तथा मलेशिया में संसदीय जिम्मेदारी के साथ कार्यकारी विधायिका संयोग में इसके उदाहरण मिलते हैं।

- ❖ इन्होंने न केवल राजनीति व साझा संस्थानों के प्रशासन के चरित्र को रूप दिया बल्कि सरकारों के मध्य संबंधों की प्रकृति व संघों के अंतर्गत सहयोग या संघर्ष की भी उत्पत्ति की है।

संघ के निर्माण की शर्तें

- i) भौगोलिक समीपता: संघ के लिए भौगोलिक निकटता एक आवश्यकता। यदि इकाइयां भौगोलिक रूप से दूर होंगी तो उनका संघ नहीं बन सकता।
- ii) संघ की इच्छा: एक संघ का निर्माण तभी संभव है जब इकाइयों की इच्छा निश्चित सामान्य उद्देश्यों की हो। इसके लिए वे अपनी पहचान खोए बिना कुछ शक्तियां संघ को देते हैं।
- iii) संघीय इकाइयों के मध्य विभेद की अनुपस्थिति: राज्यों के मध्य अत्यधिक असमानता नहीं होनी चाहिए। यदि अत्यधिक अंतर होता है तो बड़े राज्य छोटे राज्यों के ऊपर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेंगे।
- iv) पर्याप्त अत्यधिक संसाधन: राज्यों के मध्य पर्याप्त आर्थिक संसाधन होना चाहिए। एक दोहरी सरकार में खर्चों पर अधिक जोर होता है। यदि राज्य के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं तो वह प्रत्येक चीज के लिए केंद्र पर निर्भर रहेगा और केंद्र अपनी शर्तें लगाएगा।
- v) सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं की समानता: एक राज्य में सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाएं आमने-सामने होनी चाहिए।
- vi) राजनीतिक शिक्षा: संघ एक जटिल संयुक्त संस्था है और यदि इसके नागरिक राजनीतिक तौर से शिक्षित और प्रबुद्ध होंगे तो यह ठीक से कार्य करेगा।
- vii) राष्ट्रीय भावना: सभी इकाइयों में केंद्र के प्रति निष्ठा की भावना होनी चाहिए जिससे युद्धकाल और अन्य आपातकाल के समय वे सब एकजुट रह सकें।

संघ तथा परिसंघ

- ❖ सबसे पहले 1982 ई. में किंग द्वारा संघवाद और संघ में विभेद देखा गया। यद्यपि, इस आयातित विचार में कुछ अस्पष्टता देखी गई।
- ❖ किंग जैसों के लिए संघवाद एक नियामक तथा दर्शनात्मक संकल्पना थी जिसमें संघीय सिद्धांतों की वकालत की गई है। वहीं संघ एक विस्तृत शब्द है जो एक विशेष प्रकार के संस्थानिक संबंधों की ओर इशारा करता है।

- ❖ अन्य जैसे इलैज़र, वर्गस और गैंगमैन ने इन दोनों शब्दों को वर्णनात्मक बताया। उनके अनुसार संघवाद राजनीतिक संगठनों की एक कोटि है जिसमें अनेक प्रजातियां जैसे संच, परिसंघ से जुड़े राज्य, लीग, कॉडोमिनिलम्स सवैधानिक, क्षेत्रात्मकता तथा संवैधानिक गृह शासन आते हैं।
- ❖ संघवाद की व्यापक कोटि के अंतर्गत संघ एक प्रजाति है। वास्तव में, संघवाद और संघ पर बनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान संगठन की शोध कमेटी ने भी यह भेद स्वीकार किया है।
- ❖ नियामक संकल्पना के तौर पर संघवाद में एक या दो सामान्य संकल्पनाएं निहित हैं। एक है साझा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साझा प्रयास जो नागरिकों की वरीयता है और दूसरा अन्य उद्देश्यों के लिए घटक इकाइयों को स्वशासन नियामक संकल्पना। संघवाद इन दोनों तत्त्वों के व्यवहारिक संतुलन की वकालत करता है।
- ❖ यह संकल्पना जे हैमिल्टन की दी फंडरलिस्ट ऑफ मेडीशन (1788) से उत्पन्न हुई है तथा अंग्रेजी भाषी विश्व में इस प्रकार के संघवाद की पैरवी की है। इसके मुख्य उदाहरण हेयर (1963) तथा इलैज़र (1987) हैं।
- ❖ दूसरी संकल्पना विचारात्मक आधार पर उत्पन्न हुई जो विशेषकर अनेक यूरोपीय किंग (1982) तथा बगैस और गैंगमैन (1993) के संघवाद की पैरवी करते हैं।
- ❖ संघ एक मिश्रित राज्य शासन विधि है जिसमें घटक इकाइयां और सामान्य सरकार नागरिकों द्वारा एक संविधान के जरिए प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करती है। प्रत्येक सरकार नागरिकों से सीधे संबंध रखती है तथा विधायी, प्रशासनिक कराधान शक्ति का प्रयोग करने में सशक्त होती है तथा नागरिकों द्वारा सीधे चुनी जाती है।
- ❖ यद्यपि भारत एक संघ राज्य है संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, इंडिया अर्थात् भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसने एक विवाद को जन्म दिया कि संविधान निर्माताओं ने भारतीय शासन व्यवस्था की प्रकृति को व्याख्या के लिए संघीय शब्द की बजाय संघ शब्द का प्रयोग किया गया है।

- ❖ यह संभवतः इस कारण होगा कि संघ शब्द संघीय शब्द को अपेक्षा देश की एकता और अखंडता पर अधिक जोर देता है।

व्यवहार में संघवाद

- ❖ संघवाद अमेरिकी संविधान (जो 1787 ई. से अस्तित्व में आया) जितना ही पुराना है। अंग्रेजों द्वारा शासित 13 उपनिवेशों को अपनी स्वतंत्रता तथा एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए संघ की आवश्यकता थी। इसलिए सबसे पहले उन्होंने संयुक्त राज्यों के नाम से एक परिसंघ बनाया। तथापि वे युद्ध में विजयी हुए तथा 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह महसूस किया जाने लगा कि राज्यों के प्रबंधन के लिए परिसंघ अधिक कारगर नहीं है। अतः वॉशिंगटन, हैमिल्टन, मेडिसन तथा अनेक नए राज्यों ने संघ के निर्माण का प्रयास किया।
- ❖ इस संदर्भ में 1787 की फिलाडेल्फिया सम्मेलन में उन्होंने यह सिद्धांत अपनाया कि केंद्र सरकार के कार्य तथा शक्तियां संविधान द्वारा परिभाषित व प्रगणित होगी जबकि अशिष्ट शक्तियां राज्यों से संबंधित होंगी।
- ❖ संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य भारत कनाडा तथा अमेरिका की केंद्र सरकार से भी ज्यादा शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस मामले में अमेरिका की केंद्र सरकार भारत तथा कनाडा की सरकार से तुलनात्मक रूप में कमजोर है।

भारतीय संघवाद

- ❖ भारतीय संघवाद 1935 के भारत सरकार अधिनियम से शुरू हुआ। 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए इंडिया अर्थात् भारत. राज्यों का एक संघ होगा। भारत संघ का एक विशिष्ट उदाहरण है।
- ❖ माइकल स्टेवर्ट नं मॉडर्न फर्म ऑफ गवर्नमेंट में दर्शाया है कि भारतीय संघ 'एक एकात्मक राज्य तथा एक संघात्मक राज्य के बीच का रूप है।' प्रो. के.सी. व्हेयर मानते हैं कि भारतीय संविधान अर्ध-संघीय है।

बहु-स्तरीय संघवाद

- ☞ भारत में संघीय सिद्धांतों के संस्थानीकरण को भारत की उत्तर- औपनिवेशिक समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में समझना होगा।

- ☞ यद्यपि, लोकतंत्र और संघवाद पर्यायवाची नहीं हैं लेकिन भारत के संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं सोचा शायद वे भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रख रहे थे। राज्य निरंतर अपने साथ सौतेला व्यवहार होने की शिकायत करते हैं हिंसा की राजनीति होने तथा संबंध विच्छेद को मांग करते हैं।
- ☞ लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत को ठीक से प्रयोग के लिए रूपांतरित नहीं किया गया। केवल प्रादेशिक प्रभुसत्ता को साइत करना तथा संसाधनों का बंटवारा करना अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- ☞ संघवाद अभी भी बहुल समाजों के लिए कारगर संस्थानिक व्यवस्था है। संघ व्यवस्था एकता तथा सामाजिक नृजातीय तथा क्षेत्रीय विविधता के बीच समझौते पर आधारित है।
- ☞ यह केंद्रीय शक्ति की आवश्यकता और शक्ति पर अंकुश वा नियंत्रण के बीच प्रभावी है। हालांकि आवश्यकता इस बात की है कि (विविध समूहों और समुदायों के बीच उनके इतिहास और परंपराओं का सम्मान करते हुए, प्रभुसत्ता साझा करने को अधिकार को बढ़ाकर लोकतंत्र और संघवाद के बीच रिश्ते को सशक्त किया जाए।
- ☞ समकालीन पहलुओं के अनुसार ढांचागत संघीय भारत को बदलना होगा। इसके पश्चात् यह भारत में संघवाद की ऐतिहासिक उत्पत्ति की चर्चा करता है।
- ☞ इसके साथ संविधान के उन अनुच्छेदों के नए प्रावधानों की चर्चा करता है जो भारत को एक संघ बनाते हैं।
- ☞ आधुनिक समय में संगठन की राजनीति प्रादेशिक राष्ट्र-राज्यों को केंद्रीय स्थान देती है। प्रादेशिक राज्य प्रभुसत्ता की शक्ति के प्रयोग द्वारा नागरिकों पर शासन करता है। इस प्रकार शासन में हमेशा एक प्रादेशिक आयाम है।
- ☞ आधुनिक समय में सभी राष्ट्र राज्य प्रादेशिक आधार पर केंद्रीय और क्षेत्रीय प्रांतीय या स्थानीय संस्थानों में बंटे होते हैं। एक संघीय व्यवस्था निश्चित कार्य के आबंटन के साथ दो स्तर की सरकार की स्थापना करती है। कानूनी तौर पर दोनों में से कोई भी एक-दूसरे के अधीनस्थ नहीं हैं।
- ☞ कानूनी प्रभुसत्ता संघीय सरकार और घटक राज्यों के बीच साझा होती है। एक संघ से राज्यों का अस्तित्व और कार्य

- सुरक्षित होते हैं। इसका अर्थ है कि वे केवल संविधान संशोधन द्वारा ही परिवर्तित हो सकते हैं।
- ☞ राज्यों की यह सुरक्षित स्थिति संघों (जैसेकि अमेरिका और कनाडा) को एकात्मक सरकारों (जैसेकि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस) से भिन्न बनाती है। लगभग सभी संघों में राष्ट्रीय नीति-निर्माण में राज्यों के मत की गारंटी ऊपरी सदन (जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है) द्वारा होती है। इस प्रकार संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच प्रभुसत्ता को साझा करने का सिद्धांत है।
- ☞ यह बहुलवाद की वृहत विचारधारा का एक हिस्सा है। बहुलवाद विविधता या बहुविविधता अर्थात् अनेक का अस्तित्व में विश्वास तथा प्रतिबद्धता है। ऐसा माना जाता है कि विविधता स्वस्थ और आवश्यक है क्योंकि यह स्वतंत्रता भागीदारी और जवाबदेही को प्रोत्साहन देती है।
- ☞ यह विश्वास करतो है कि शक्ति को समाज में व्यापक तथा समरूप वितरित करना चाहिए न कि एक समूह या संस्था में केंद्रीकरण के आधार पर। परिणामस्वरूप यह लोकतंत्र के स्वस्थ रूप से कार्य करने का आधार प्रदान करती है।
- ☞ प्रभुसत्ता को साझा करना केंद्रीय और प्रादेशिक प्रांतीय संस्थाएं दो संघ व्यवस्थाएं समान नहीं होतीं। केंद्रीय और क्षेत्रीय प्रांतीय या संस्थाओं के बीच प्रभुसत्ता साझा करना इसका एक मुख्य लक्षण है।
- ☞ कम-से-कम सैद्धांतिक तौर पर यह सुरक्षा देती है कि किसी भी सार की सरकार दूसरे की शक्तियों में अतिक्रमण नहीं करेगी। सिद्धांत रूप में यह लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे-सहभागिता जवाबदेहिता वैधता आदि का अनुभव कराती है। स्थानीय संस्थाएं लोगों के अधिक समीप होती हैं। इसमें न केवल सरकार को सामाजिक हितों के प्रति बलिक कुछ समूहों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति भी जिम्मेदार बनाया जा सकता है। इसके साथ स्थानीय स्तर पर लिए गए निर्णय अधिक वैधता प्राप्त करते हैं।
- ☞ सरकारी शक्तियों के वितरण और नियंत्रण व संतुलन के नेटवर्क द्वारा यह संघ व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संस्थाओं की स्वायत्तता की सुरक्षा करने में समर्थ होती है। कुछ एकात्मक राज्यों के विपरीत संघ आवश्यक तौर पर सोच-विचार कर संवैधानिक समझौते द्वारा उत्पन्न होते हैं।

- ☞ सभी संघीय व्यवस्थाएं जिसमें भारत भी शामिल है का अध्ययन अमेरिका के संदर्भ में होता है।
- ☞ अर्थ-संघवाद जो भारतीय संघवाद से जुड़ा आदि के लक्षण इन्हीं अकादमिक अध्ययनों का परिणाम हैं। इसी प्रकार का सम्मेलन कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। इस प्रकार संघवाद जैसाकि हम वर्तमान में समझते हैं कुछ सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पृथक इकाइयों के बीच समझौता है।
- ☞ आज के समय में एक संघ के निर्माण के लिए सैन्य तथा आर्थिक कारक एक आधार के रूप में महत्व खो चुके हैं। 21वीं सदी में कोई भी ऐसा बड़ा सामान्य खतरा नहीं है जिसकी वजह से प्रभुसत्ता को साझा करने की आवश्यकता पड़े। गठबंधनों का निर्माण इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक प्रभुसत्ता से समझौता किए बिना आर्थिक लाभों की भी मुक्त व्यापार क्षेत्रों के निर्माण से बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार का संघवाद एकता में विविधता की अनुमति देता है। अतः यह विविध राजनीतिक समाजी, जहां पहचान का विवाद रहता है। वहां की स्थितियों के लिए एक आदर्श होगा।

संघवाद के नए संदर्भ

- ❖ भारतीय संघवाद के उद्भव की प्रक्रिया राजनीतिक विकास, क्षेत्रीय पहचान का उदय एक दल के प्रभुत्व काल का अंत, संविधान की न्यायिक व्याख्या आदि से प्रभावित हुई है।
- ❖ तीन दशकों के विचार, जैसे पहले चर्चा की गई है। में भारतीय राष्ट्र को परिभाषित किया गया है कि कैसे राष्ट्र विदेशी कब्जे से मुक्त हुआ तथा स्वतंत्र भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की रूपरेखा ने राष्ट्रीय नेतृत्व को वे विचार व उद्देश्य दिए जिससे नव-स्वतंत्र राष्ट्र का शासन चलाया जा सके।
- ❖ इन सब उद्देश्यों में सबसे ऊपर राष्ट्रीय एकता व गरिमा को सभी आंतरिक व यास्य खतरों से हर कीमत पर बचाना था। देश का विभाजन केवल उनके संकल्पों को मजबूत करता है।
- ❖ असंतुष्ट घरेलू, जातीय, धार्मिक भाषायी और सांस्कृतिक समूह की मांग के साथ निपटने में आजादी के बाद से दो कड़े नियमों का पालन किया गया।

- ❖ पहला किसी भी अलगाववादी आंदोलन को अवैध माना जाएगा तथा यदि आवश्यकता हुई तो उसे सशस्त्र बलों की मदद से कुचला जाएगा। स्वतंत्र भारत में सभी अलगाववादी मांगों को जो मजबूती पकड़ रही थीं, विशेषकर देश के उत्तर-पूर्व के राज्यों और बाद में पंजाब और कश्मीर में इसी प्रकार से निपटा गया।
- ❖ दूसरा किसी धार्मिक समुदाय के किसी रूप में राजनीतिक मान्यता की मांग पर रोक है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के कानूनों व रीतियों को बचाए रखने की स्वतंत्रता होगी (जिन्हें वे उचित समझे) लेकिन वे अपने समुदाय के लिए यहां तक कि भारतीय संघ के अंतर्गत भी पृथक निर्वाचन या सरकारी निकायों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग नहीं रख सकते।
- ❖ स्वतंत्रता के पश्चात् केंद्र-राज्य तनावों तथा विरोधाभासों में बड़ा परिवर्तन आया। हितों पर विचार पर बड़ा राजनीतिक विवाद था। केंद्र में शासन करने वाले दल और व्यापक प्रकार के विरोधी दलों के बीच की शक्ति किसी भी काल में केंद्रों को विकल्प देती है गठबंधन के रूप में केंद्र में तथा विभिन्न क्षेत्रों में।
- ❖ स्वतंत्रता प्राप्ति तथा विखंडन के पश्चात् ही केंद्र-राज्य संबंधों में सांस्कृतिक तथा भाषायी मतभेदों ने नए राजनीतिक मुहावरे जोड़ दिए।
- ❖ जहां राजनीतिक तथा आर्थिक तनाव केंद्र-राज्य तनावों के आयाम का विकास करते हैं वहीं सांस्कृतिक भाषायी तथा यहां तक कि सांप्रदायिक तनाव कुछ निश्चित परिस्थितियों में महत्व रखते हैं।
- ❖ भाषा तथा संस्कृति पर गैर हिंदी भाषी राज्यों (विशेषकर उन प्रदेशों में जो भारत के हिंदी भाषी मूल क्षेत्र-उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से बाहर थे।) ने जोर दिया तथा यह बहुराष्ट्रीयता जिनसे भारत निर्मित हुआ का विशेष लक्षण है।
- ❖ विवादों की प्रकृति तथा उसके समाधान ने भारत के राजनीतिक विकास के तरीकों का अनुसरण किया। समकालीन समय में दल व्यवस्था में हुए परिवर्तन केंद्र तथा राज्य स्तर पर गठबंधन राजनीति के उदय ने संघ के समीकरणों को पुनः लिखा।

- ❖ भारतीय संसदीय संघवाद और गठबंधन राजनीति के बीच संबंध थोड़े उदार है। राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दलों में अंतर उनकी स्पर्धा के आधार पर नहीं होता है। उनमें से अधिकतर विधानसभा तथा संसदीय चुनाव दोनों के लिए ही स्पर्धा करते हैं।
- ❖ भारत में राज्य जनसंख्या तथा आकार के आधार पर भिन्न हैं तथा वे विभिन्न दावों के लिए संसद में कार्य करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उनके बढ़ते महत्त्व से वे केंद्रीय दलों की चतुराई तथा विवेक को कम करने में समर्थ हुए हैं। यह भारत में संघीय संबंधों को पुनर्जीवित करने के परिणाम के रूप में आया।
- ❖ एक नया बदलाव आर्थिक क्षेत्र में भी देखने को मिला। स्वतंत्रता पश्चात् लिए गए विकास मार्ग में परिवर्तन आया तथा भारत ने उदारवाद के द्वारा सुधार का रास्ता अपनाया। आर्थिक सुधार तथा भूमंडलीकरण ने भारतीय संघ व्यवस्था के निरीक्षण को आवश्यक बना दिया। विशेषकर जब संघ की सभी परतें साथ-साथ विदेशी सरकारों तथा भूमंडलीय आर्थिक निगमों से रूबरू होती है।
- ❖ समकालीन भारत में नियोजित बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन राज्य को भूमिका को पुनः परिभाषित करने तथा विकेंद्रीकरण के स्पष्ट लक्षण पाए जाते हैं।
- ❖ परंपरागत मौजूदा व्यवस्था आर्थिक संसाधनों के संवैधानिक बंटवारे पर आधारित थी। सामाजिक इंजीनियरिंग के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत नियोजन को अपनाया गया।
- ❖ आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन ने आर्थिक शक्तियों को केंद्र में निहित किया है। समय के साथ विकास जैसे योजना आयोग का निर्माण मुख्य आर्थिक संस्थानों जैसे बैंकिंग, बीमा आदि के राष्ट्रीयकरण ने केंद्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया तथा राज्यों पर राजनीतिक नियंत्रण बढ़ा क्योंकि वे वित्तीय क्षेत्र में केंद्र पर निर्भर थे।
- ❖ भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1980 में धीरे-धीरे हुई तथा 1990 के प्रारंभ में बाहरी संकट के दबाव में इसने गति पकड़ी।

संघवाद के राजनीतिक तथा राजस्व आयाम

- ☞ भारत जैसे जटिल और सांस्कृतिक विषम लोकतंत्र ने संघीय संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से अपनी विविधता का प्रबंध

करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय समाज में समूहों की अधिक-से-अधिक शक्ति संसाधन और स्वायत्तता के लिए मांग बढ़ गई है।

- ☞ कुछ मांगों को केंद्र-राज्य संबंधों के रचनात्मक प्रबंधन के द्वारा राजनीतिज्ञों दलों तथा सरकार ने सफलतापूर्वक शामिल कर लिया। एक संघ में सामान्य सरकार तथा कुछ क्षेत्रीय सरकार होती हैं जिनमें से प्रत्येक एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप में संविधान से प्राप्त सत्ता का प्रयोग करती है।
- ☞ एक परिसंघ जैसा ओपेनहेम कहते हैं कुछ संप्रभु राज्य अपनी बाहरी तथा अंतर्राष्ट्रीय संधि को बरकरार रखने के लिए आपस में एक संघ से जुड़ते हैं तथा इसके अंगों को कुछ शक्तियां दी जाती हैं, लेकिन इन राज्यों के नागरिकों पर केंद्र शक्तियों का प्रयोग नहीं करता।
- ☞ इस प्रकार परिसंघ संप्रभु राज्यों का एक संगठन है जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना है। इसका निर्माण एक औपचारिक समझौते या सदस्य राज्यों के बीच अनुबंध से होता है।
- ☞ परिसंघ के अनुच्छेदों के अंतर्गत एकल कांग्रेस जिसमें प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधियों को एक वर्ष के लिए चुना जाता है उनके पास युद्ध तथा शांति राजदूतों को भेजना तथा बुलाना संधि तथा समझौता मुद्रा तथा कुछ अपवादों को छोड़कर स्थल तथा नौसेना का नियमन आदि की अनन्य शक्तियां होती हैं।
- ☞ अपनी इन शक्तियों के प्रयोग के लिए कांग्रेस तरह संप्रभु सदस्य राज्यों की सहमति पर निर्भर होती है। इस प्रकार 1787 के सौवधान से पहले सामान्य सरकार की प्रादेशिक सरकारों पर निर्भरता के लक्षण पाए जाते थे।
- ☞ वर्तमान संघीय संविधान अपने पूर्ववर्ती से भिन्न है। वर्तमान संगठन का सिद्धांत सामान्य तथा प्रादेशिक सरकारों का अपने-अपने क्षेत्र में सहयोग तथा स्वतंत्र स्थिति का है।
- ☞ संघ को भाति हो परिसंघ में सदस्य राज्य कुछ निश्चित सामान्य उद्देश्यों को पूर्ति के लिए एकत्र होते हैं तथा इन उद्देश्यों के लिए उपर्युक्त केंद्रीय मशीनरी का निर्माण किया जाता है। इन दोनों में समानता प्रतीत होती है परंतु फिर भी संघ तथा परिसंघ में महत्वपूर्ण अंतर है।

- ☞ पहला, राज्यों के इन समागमों में संगठन का सिद्धांत एक-दूसरे से भिन्न है। परिसंघ में अधीनस्थता का सिद्धांत है- सामान्य सरकार प्रादेशिक सरकार के अधीन होती है। वहीं संघ में सामान्य तथा प्रादेशिक सरकारें अपने निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्र रहते हुए सहयोग करती हैं।
- ☞ दूसरा एक मूल अंतर दोनों प्रकार के संघों की संप्रभुता के स्रोत में है। एक परिसंघ संप्रभु राज्यों की एक लीग है वहीं दूसरी ओर संघ एक नए राज्य को शामिल करता है।
- ☞ तीसरा परिसंघ एक अस्थायी संघ है जो सदस्य राज्यों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय सौंध में भाग लेता है। दूसरी ओर संघ एक स्थायी संगठन है तथा इसकी कुछ निश्चित मूल, विधि परायणता है।
- ☞ एक परिसंघ में संप्रभु राज्यों को किसी भी समय परिसंघ से अलग होने की प्राकृतिक रूप से स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार अलगाव का कानूनी अधिकार संघ की इकाईयों के पास नहीं।
- ☞ इस प्रकार यदि परिसंघ में शामिल राज्य आपसी सशस्त्र विद्रोह या तनाव में फंसते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का रूप ले लेता है।
- ☞ वहीं संघ में इस प्रकार का तनाव गृह-युद्ध कहलाता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि परिसंघ का ढीलाढाला ढांचा इसे अस्थिर संघ बना देता है।
- ☞ सामान्यतः परिसंघ का अंत अलगाव विघटन संघ या एकात्मक राज्य के निर्माण से होता है। इसके विपरीत संघ काफी स्थिर है।
- ☞ अंतिम, एक संघ में केंद्र तथा राज्य सरकारें लोगों पर प्रत्यक्ष कार्य करती हैं, वहीं परिसंघ में केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों पर कार्य करती है और राज्य सरकारें अकेले ही लोगों पर प्रत्यक्ष कार्य करती हैं। एक परिसंघ स्थायी संगठन है जो दो या अधिक राज्यों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौते पर आधारित होता है।
- ☞ वे राज्य अपनी प्रभुसत्ता तथा कानूनी समानता अपने पास रखते हैं तथा उनका उद्देश्य अपने संगठन के माध्यम से अतिरिक्त तथा बाह्य उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है।

- ☞ नई स्थापित सत्ता राज्यों का अतिक्रमण नहीं करती बल्कि उसका एक अपना स्थायी अंग उसे दूसरे से भिन्न करता है। इस कारण एक परिसंघ के पास अंतर्राष्ट्रीय कानूनी चरित्र होता है। वहीं दूसरी ओर एक संघ राज्य एक जटिल सत्ता है जिसमें मौजूदा राज्य शामिल है, एक नए प्रकार का राज्य ढांचा है जो संविधान पर आधारित है।

नए राज्यों में संघवाद

- ❖ नव-स्वतंत्र राज्यों में संघवाद का परंपरागत सिद्धांत बदलता हुआ नजर आ रहा है। भारत तथा मलाया इसके उदाहरण हैं जो शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का प्रावधान करते हैं तथा सहयोगी संघवाद के विस्तृत यंत्र हैं।
- ❖ इन उभरते संघवादों के राजनीतिक समाजों में अधिक विविधता पाई जाती है। अतः संघ की संस्थाएं समाज की संघीय प्रकृति को प्रतिबिंबित करती हैं।
- ❖ इसके साथ-साथ व्यापक सामाजिक सुधारों की आवश्यकता तथा त्वरित आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता ने इन राज्यों को व्यापक आर्थिक नियोजन की दिशा की ओर बढ़ाया। नियोजन तथा संघ के बीच किसी प्रकार का गठबंधन संघ के लिए आपदा ही लाता है।
- ❖ योजना केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, जिससे संघवाद बचना चाहता है। इसके अलावा कुछ उभरते संघों में एकदलीय व्यवस्था की वरीयता ने संविधानिक ढांचे में पहले से मौजूद केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है।
- ❖ ये राजनीतिक शक्तियां इन देशों में केंद्रीकृत संघवाद को लाई तथा वे देश धीरे- धीरे अपने आप को इसके अनुकूल बना रहे हैं।

भाषायी राज्य

- ❖ भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन् 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन-यात्रा शुरू की।
- ❖ नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएँ बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएँ।

- ❖ इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं (एथनीसिटी) की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया।
- ❖ इनमें नगालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा।
- ❖ केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया है।

भाषा-नीति

- ❖ भारत के संघीय ढाँचे की दूसरी परीक्षा भाषा-नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया पर हिंदी सिर्फ 40 फ़ीसदी (लगभग) भारतीयों की मातृभाषा है इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए।
- ❖ संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएँ हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है।
- ❖ श्रीलंका के ठीक विपरीत हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया।
- ❖ संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में चंद हो जाना चाहिए था पर अनेक गैर-हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस माँग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया।

- ❖ राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थाम सकती है जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं।

केंद्र-राज्य संबंध

- ❖ केंद्र-राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की सवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं।
- ❖ जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर सवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल था।
- ❖ सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया।

भारत में विकेंद्रीकरण

- ❖ संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं। भारत में दो स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता।
- ❖ भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है।
- ❖ भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बाँटने की जरूरत है।

- ❖ भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी तीन स्तरों पर करने की जरूरत है जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो।
- ❖ भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। इसके फलस्वरूप तीन स्तरों की सरकार का संघीय ढाँचा सामने आया जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है।
- ❖ जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है।
- ❖ लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है।
- ❖ इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों को स्थापना स्व-शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद से गाँव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई हैं।
- ❖ सभी राज्यों में गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगरपालिकाओं की स्थापना की गई थी। पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था।
- ❖ स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था।
- ❖ वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया।
- ❖ स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
- ❖ प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है।
- ❖ सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग-अलग है। गाँवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है।
- ❖ प्रत्येक गाँव में (और कुछ राज्यों में ग्राम-समूह की) एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद् है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतया पंच कहा जाता है।
- ❖ अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गाँव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है।
- ❖ गाँव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम दो या तीन बार बैठक करनी होती है।
- ❖ स्थानीय शासन का ढाँचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला 4 परिषद् का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है।

- ❖ जिला परिषद् में उस जिले से लोक सभा और विधान सभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर को संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं।
- ❖ जिला परिषद् का प्रमुख इस परिषद् का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएँ शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगरनिगम का गठन होता है।
- ❖ नगरपालिका और नगरनिगम, दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगरपालिका प्रमुख नगरपालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगरनिगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं।
- ❖ स्थानीय सरकारों की यह नयी व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है।
- ❖ स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से भारत में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को मजबूत किया है। इन सबके बावजूद अभी भी अनेक परेशानियाँ कायम हैं।
- ❖ पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं लेकिन ग्राम सभाओं की बैठके नियमित रूप से नहीं होतीं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. 'फेडरेशन' शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है।
2. भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में भारत अर्थात् इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों

D. न तो 1 और न हो 2

उत्तर –C

2. भारत एवं अमेरिका के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान एक समान है?
A. दोनों के संविधान में तीन सूचियाँ हैं।
B. दोनों में एकल नागरिकता का प्रावधान है।
C. दोनों में इकहरी न्यायपालिका पाई जाती है।
D. संविधान के निर्वचन के लिये एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है।

उत्तर –D

3. भारत एवं ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
A. दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है।
B. दोनों देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है।
C. दोनों देशों ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है।
D. दोनों देशों का संविधान नम्य (लचीला) है।

उत्तर –A

4. सूची-I को सूची II से सुमेलित कीजिये तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए:

सूची-I (भारतीय संविधान के लक्षण) सूची-II संबंधित देश)

A. समवर्ती सूचो	1. जर्मनी
B. संघात्मक व्यवस्था	2. कनाडा
C. आपात उपबंध	3. रूस (पूर्व सोवियत संघ)
D. मूल कर्तव	4. ऑस्ट्रेलिया

कूट:

A B C D

A. 1 2 3 4

B. 1 2 4 3

C. 4 2 3 1

D. 3 2 4 1

उत्तर –C

5. निम्नलिखित में से किन आधारों पर संघ और राज्यों के बीच संबंध निर्भर करते हैं?

1. नियोजन प्रक्रियाओं के आधार पर
 2. संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर
 3. न्यायिक व्याख्याओं के आधार पर
 4. परम्पराओं तथा व्यवहारों के आधार पर
- उपरोक्त में से कौन-सा कथन सत्य है?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1, 2 और 3
- C. केवल 1, 2 और 4
- D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर –D

6. निम्नलिखित में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?

1. संघ सूची 97 विषय
2. राज्य सूची 67 विषय
3. समवर्ती सूची 47 विषय

उपरोक्त में से कौन-सा संबंध सही है?

- A. केवल 1
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर –C

7. भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत के संविधान ने अमेरिकी संविधान की भाँति अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र में निहित की गई हैं।
2. भारत शासन अधिनियम, 1935 में अवशिष्ट शक्ति भारत के गवर्नर जनरल में निहित थी।
3. भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख स्पष्ट रूप से कहीं नहीं किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 2
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर –A

8. भारत का संविधान संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति सौंपती है, यदि:

1. कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची में विधि बनाई जाए।
2. राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में रहने पर।
3. राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम-से-कम एक तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर दिया गया है।
4. अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिये।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- A. केवल 2 और 4
- B. केवल 1, 2 और 3
- C. केवल 1, 2 और 4
- D. केवल 2, 3 और 4

उत्तर –A

9. निम्नलिखित पर विचार कीजिये:

1. आर्थिक और सामाजिक नियोजना
2. सेवाओं पर करा
3. जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजना
4. शिक्षा।

उपर्युक्त में से कौन-से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल हैं?

- A. केवल 1 और 3
- B. केवल 3 और 4
- C. केवल 1, 3 और 4
- D. केवल 2, 3 और 4

उत्तर –C

10. भारतीय संविधान के अन्तर्गत विषय तथा संबंधित सूची के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है:

विषय	सूची
A. वन	: समवर्ती सूची
B. शेयर बाजार	: समवर्ती सूची
C. डाकघर बचत बैंक	: संघ सूची
D. जन स्वास्थ्य	: राज्य सूची

उत्तर –B

11. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये तथा नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:

सूची-I (विषय)	सूची-II (सूची) र
A. केन्द्र सूची	1. पुलिस एवं लोक व्यवस्था
B. राज्य सूची	2. अन्तरिक्ष अनुसंधान के
C. समवर्ती सूची	3. जनगणना
D. अवशिष्ट विषय परिवार नियोजन	4. जनसंख्या नियंत्रण एवं

कूट:

A B C D

A. 3 1 4 2

B. 3 4 1 2

C. 2 4 1 3

D. 2 1 4 3

उत्तर –A

12. भारतीय संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन-सा एक शामिल नहीं होता है?

- A. कानून और व्यवस्था
- B. पुलिस
- C. कारागार
- D. दण्ड प्रक्रिया संहिता

उत्तर –D

13. निम्नलिखित में से किस/किन आयोग/समिति का संबंध केन्द्र-राज्य संबंधों से नहीं रहा है?

- 1. सरकारिया आयोग
- 2. राजमन्मार समिति
- 3. इन्द्रजीत गुप्ता समिति
- 4. पुंछी आयोग

उपर्युक्त में से सही कथन का चुनाव करें :

- A. केवल 3
- B. केवल 1 और 4
- C. केवल 1, 2 और 4
- D. केवल 1,3 और 4

उत्तर –A

14. भारत में राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन-सी संविधानेतर संस्था/संस्थाएँ है/हैं?

- 1. राष्ट्रीय विकास
- 2. परिषदराज्यपालों का सम्मेलन
- 3. अंतर्राज्यीय परिषद
- 4. क्षेत्रीय परिषद

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:

- A. केवल 1
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 1, 2 और 3
- D. केवल 1,3 और 4

उत्तर –B

15. संविधान में उपबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- A. संसद विधि के द्वारा अंतर्राज्यीय नदी या नदी-दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी 1 विवाद के न्याय निर्णय के लिये उपबंध कर सकती है।
- B. संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय विवादों की जाँच करने और सलाह देने के लिये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकेगी।
- C. संसद ने वर्ष 1956 में नदी बोर्ड अधिनियम पारित किया।
- D. संसद ने वर्ष 1956 में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम पारित किया।

उत्तर –B

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- 1. संविधान के भाग-15 में उपबंध है कि संघ के लिये एक लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक राज्य के लिये एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा।
- 2. प्रत्येक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिये संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों

D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –D

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।
 2. राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
 3. संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर –C

18. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं तथा इसे संसद में मतदान के लिये नहीं रखा जाता है।
 2. संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को एवं राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –A

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत किया गया था।

2. लोक सेवा आयोग के सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं।

3. संसद विधि के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग और राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 2
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर –C

20. भारत के संघ लोक सेवा आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- A. यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है।
- B. इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है।
- C. यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा-निर्देश भेजता है।
- D. इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिये जाते हैं।

उत्तर –B

21. निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है?

- A. भारत के राष्ट्रपति
- B. राज्यपाल
- C. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति
- D. प्रधानमंत्री

उत्तर –A

22. निम्नलिखित में से कौन-से आयोग अधिकारी संवैधानिक आयोग/ अधिकारी है?

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
4. भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिये विशेष अधिकारी

उपर्युक्त में से कौन सा सही संबंध है?

- A. केवल 3 और 2
- B. केवल 1, 2 और 3
- C. केवल 1, 2 और 4
- D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर –C

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पाँच अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा।
2. 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया है।
3. 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को अलग किया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 3
- B. केवल 2
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर –C

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग एवं आंग्ल-भारतीय समुदाय के संबैधानिक संरक्षण एवं अन्य विधिक संरक्षण को जाँच की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर –D

25. संविधान में उपबंध है कि भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित संघ राज्यक्षेत्रों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिये विधि बना सकता है:

1. लक्षद्वीप
2. दादर एवं नागर हवेली
3. दिल्ली
4. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:

- A. केवल 1, 2 और 3
- B. केवल 1, 2 और 4
- C. केवल 2, 3 एवं 4
- D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर – B

लोकतंत्र और विविधता

समानताएँ, असमानताएँ और विभाजन

- ❖ सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है।
- ❖ जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन अपने आस-पास देखते हैं चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा-सबकी चमड़ी का रंग अलग-अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएँ या अक्षमताएँ अलग-अलग हैं।
- ❖ सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ-बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं।
- ❖ प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएँ लोगों के बीच बँटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर हैं लेकिन यही विभिन्नताएँ कई बार अलग-अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं।

सामाजिक विभाजनों की राजनीति

- ❖ पहली नजर में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है।
- ❖ अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ़ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है।

जाति, धर्म और लैंगिक मसल

लैंगिक मसले और राजनीति

- ❖ लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहे कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है लेकिन, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियों और तथ्यशुदा सामाजिक भूमिकाएँ हैं।

निजी और सार्वजनिक का विभाजन

- ❖ लड़के और लड़कियों के पालन-पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन-पोषण करने की है। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है।
- ❖ औरतें घर के अंदर का सारा काम काज, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों को देखरेख करना आदि करती है जबकि पुरुष घर के बाहर का काम करते हैं। शहरों में भी कोई गरीब स्त्री किसी मध्यमवर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यमवर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएँ अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती है लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता।
- ❖ श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ है कि औरत तो घर की चारदीवारी में सिमट के रह गई है और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है।
- ❖ मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है पर सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में उनको भूमिका नगण्य ही है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है।
- ❖ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए।
- ❖ इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्ज को ऊँचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के

अवसर बढ़ाने की माँग की गई मूलगामी बदलाव की माँग करने वाले महिला आआंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की माँग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आआंदोलन कहा जाता है।

- ❖ लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक लामबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की।
- ❖ आज वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालयी शिक्षक जैसे पेशों में बहुत-सी औरतों को पाते हैं जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों, जैसे स्वीडन, नार्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊँचा है।
- ❖ हमारे देश में आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है पर वे अभी भी पुरुषों से काफी पीछे हैं। हमारा समान अभी भी पितृ-प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। उनका दमन होता है-
- ❖ महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54 फीसदी है जबकि पुरुषों में 76 फीसदी। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती हैं।
- ❖ भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक-आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है।
- ❖ आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आजादी और गाँवों में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है।

राजनीति में जाति

- ❖ सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति हो सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है।

- ❖ इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता।
- ❖ राजनीति में जाति अनेक रूप से सकती है- जब पार्टियों चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए।
- ❖ जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। राजनीतिक पार्टियाँ और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों का मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है।
- ❖ सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति-एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को लामबंद राजनीतिशास्त्र इससे उन जातियों के लोगों में नयी चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था।
- ❖ देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है।
- ❖ अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माता जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता।
- ❖ ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी-किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता।
- ❖ हमारे देश में सत्तारूढ़ दल, वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक

दलों से रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग-अलग होते हैं।

- ❖ एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग-अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर अक्सर निर्णायक असर होता है।
- ❖ जाति के अंदर राजनीति अभी तक हमने इसी चीज पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है। पर, इसका यह मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एकतरफा संबंध होता है।
- ❖ राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह, सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत लामबंदी भी हुई हैं, जैसे 'अगड़ा' और 'पिछड़ा'। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएँ निभाती है और एक तरह से यही चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती है। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियाँ वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को लामबंद करने का प्रयास करती हैं।
- ❖ कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएँ और असमानताएँ वचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी माँगने की गुंजाइश भी पैदा की है।
- ❖ इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुँचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है।

जन-संघर्ष और आंदोलन

- ❖ सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं हैं। अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दवाव से वे मुक्त नहीं रह सकते। लोकतंत्र में अमूमन हितों और नजरियों का टकराव चलते रहता है।
- ❖ हितों और नजरियों के इस इंद्र की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी माँगों और दवावों में सतुलन बैठाना पड़ता है।

नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन

- ❖ सन् 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन-आंदोलन उठ खड़ा हुआ। नेपाल लोकतंत्र की 'तीसरी लहर' के देशों में एक है जहाँ लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ।
- ❖ नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। आत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेन्द्र ने स्वीकार कर लिया था। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया।
- ❖ सन् 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था।
- ❖ संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 'सेवेन पार्टी अलायंस' (सप्तदलीय गठबंधन एस.पी.ए.) बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में चार दिन के 'बंद' का आह्वान किया।
- ❖ संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियाँ वापस ले ली गईं।
- ❖ नवी संविधान-सभा के निर्वाचन के तौर-तरीकों पर एस.पी.ए. और माओवादियों के बीच सहमति बनी। इस संघर्ष को नेपाल का 'लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन' कहा गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र-प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

बोलिविया का जल-युद्ध

- ❖ नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएँ लोकतंत्र की स्थापना अथवा उसके पुनरुद्धार की बातें बताती हैं। लेकिन, जन-संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती।

- ❖ बोलिविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र को जीवतता से जन-संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है।
- ❖ बोलिविया लातिनी अमरीका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला।
- ❖ सरकार ने कोचंबा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। इस कंपनी ने आनन-फानन में पानी की कीमत में चार गुना इजाफा कर दिया।
- ❖ सन् 2000 को जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया और इस गठबंधन ने शहर में चार दिनों की कामयाब आम हड़ताल की।
- ❖ सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई। फिर भी, कुछ हाथ नहीं लगा। फ़रवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने 'मार्शल लॉ' लगा दिया।
- ❖ जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी माँगें माननी पड़ी।
- ❖ बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति दोबारा नगरपालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गई। इस आंदोलन को 'बोलिविया के जलयुद्ध' के नाम से जाना गया।

लोकतंत्र और जन-संघर्ष

- ❖ नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था जबकि बोलिविया के जन-संघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की माँग मानने के लिए बाध्य किया गया। बोलिविया का जन-संघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे लेकिन इनके प्रभाव के स्तर अलग-अलग थे।

- ❖ इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक हैं। ये दो कथाएँ राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण हैं। जन-समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुँचाया। इसके साथ-साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है।
- ❖ लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएँ और ऐसे फैसलों के पोछे किसी तरह का संघर्ष न हो। फिर भी, इसे अपवाद ही कहा जाएगा। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ो अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है।
- ❖ कभी-कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाया। लेकिन, जब विवाद ज्यादा गहन होता है तो ये संस्थाएँ स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती है। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है।
- ❖ ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं न कहीं जरूर मौजूद होता है लेकिन जनता को स्वतःस्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है।
- ❖ संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल हैं।

दबाव-समूह और आंदोलन

- ❖ बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन, राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता।
- ❖ दबाव-समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त

करने के लिए एकजुट होते हैं। नेपाल में हुए जन-संघर्ष को 'लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन' कहा गया था।

- ❖ हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन-आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता सुनते हैं, जैसे-नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब-विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन।
- ❖ दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सौधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन, दबाव समूहों के विपरीत आंदोलनों में संगठन डीला-ढाला होता है।
- ❖ आंदोलनों में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। आंदोलन जनता की स्वतःस्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं न कि दबाव समूह पर।

वर्ग विशेष के हित-समूह और जन-सामान्य के हित-समूह पर

- ❖ हित-समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं।
- ❖ मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और पेशेवरों (वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि) के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं क्योंकि ये समान के किसी खास तबके मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म-विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है।
- ❖ कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के ही हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये संगठन सर्व सामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं जिनको रक्षा जरूरी होती है।
- ❖ संभव है, ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता हो उससे इसके सदस्यों को कोई लाभ न हो। बोलिविया का 'फेडंकार' (FEDECOR) नाम का संगठन ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहाँ मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी को थी।

- ❖ इन दूसरे किस्म के संगठनों को जन-सामान्य के हित-समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ❖ कुछ मामलों में संभव है कि जन-सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे आएँ जिससे बाकियों के साथ-साथ उन्हें भी फायदा होता हो। उदाहरण के लिए 'बामसेफ' (बैकवर्ड एंड मायनॉरिटी कम्युनिटी एम्पलाइज फेडरेशन-BAMCEF) का नाम लिया जा सकता है। यह मुख्यतया सरकारी कर्मचारियों का संगं उन है जो जातिगत भेद भाव के खिलाफ अभियान चलाता है।
- ❖ यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है।

आंदोलनकारी समूह

- ❖ दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल रहते हैं। जिससे इनको एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं।
- ❖ ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं।
- ❖ नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था।
- ❖ भारत में, नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बाँध के कारण लोग विस्थापित हुए।
- ❖ यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बाँध को बनने से रोकना था। धीरे-धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया। इसने सभी बड़े बाँधों और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए जिसमें बड़े बाँधों को

अनिवार्य सावित किया जाता है। ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है और उनका संगठन भी होता है लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं।

- ❖ किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलनों के वरक्स उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज्यादा मुद्दे होते हैं। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही आंदोलनों की मिसाल हैं।
- ❖ ऐसे आंदोलनों के नियंत्रण अथवा दिशा-निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास-खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल हैं।
- ❖ इनके सबके संगठन अलग-अलग हैं नेतृत्व भी अलहदा है और नीतिगत मामलों पर अक्सर इनकी राय अलग-अलग होती है। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के ये साझीदार हैं और इनका दृष्टिकोण एक जैसा है। इसी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है।
- ❖ कभी-कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का एक ढीला-ढाला सा सर्व-समावेशी संगठन होता है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट (NAPM) ऐसा ही संगठनों का संगठन है।
- ❖ विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं। यह संगठन अपने देश में अनेक जनांदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है।
- ❖ दबाव-समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं: दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है।
- ❖ ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज्यादा ध्यान दे।
- ❖ ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुँचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी

- ❖ संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी माँगों की तरफ ध्यान देने के लिए वाध्य हो।
- ❖ व्यवसाय-समूह अक्सर पेशेवर 'लॉबिस्ट' नियुक्त करते हैं अथवा महँगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं।
- ❖ हालाँकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं।
- ❖ अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होते लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष।
- ❖ कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं।
- ❖ कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से है।
- ❖ ऐसे दबाव समूहों के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। कभी-कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए 'विदेशी' लोगों के विरुद्ध छात्रों ने 'असम आंदोलन' चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने 'असम गण परिषद्' का रूप ले लिया।
- ❖ सन् 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में समाज-सुधार आंदोलन चले थे। अधिकांशतया दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं। फिर भी, इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है।

- ❖ आंदोलनकारी समूहों ने नए-नए मुद्दे उठाए हैं और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव-समूह अथवा आंदोलनकारी समूहों से आते हैं।

क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक हैं?

- ❖ शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं हैं। लोकतंत्र में किसी एक तबके के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए।
- ❖ यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते।
- ❖ संभव है कि दबाव समूहों और आंदोलनों को जनता से समर्थन अथवा धन न मिले। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव-समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो लेकिन उनके पास धन ज्यादा हो और इसके वृत्ते अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाएँ।
- ❖ लेकिन थोड़ा संतुलित नजरिया अपनाएँ तो स्पष्ट होगा कि दबाव-समूहों और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं वरन् इसका अवसर सबको प्राप्त हो।
- ❖ सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं।

जन-साधारण के हित-समूह तथा आंदोलन

- ❖ इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। वर्ग-विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हों तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता।
- ❖ यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके

प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियाँ उस तरह से न बनाई जाएँ।

- ❖ सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति-संतुलन करना संभव होता है।

राजनीतिक दल

राजनीतिक दल की जरूरत

- ❖ किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है।
- ❖ अगर देश के दूर-दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएँ और कम पढ़े-लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम न हो। बहरहाल, राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ न कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियाँ बहुत लोकप्रिय हैं।
- ❖ अधिकतर लोग आम तौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं।
- ❖ राजनीतिक दल का अर्थ राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है।
- ❖ समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। इसे लेकर सबकी राय अलग-अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर हैं।
- ❖ वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं।

- ❖ पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग/समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। तब, इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी।
- ❖ निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे। लेकिन, देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा।
- ❖ गैर-दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालाँकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गाँव कई खेमों में बँट जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का 'पैनल' उतारता है।
- ❖ राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नज़र आते हैं- चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील।
- ❖ राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है।
- ❖ जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है।
- ❖ विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है।
- ❖ प्रत्येक प्रतिनिधि-सरकार की ऐसी जो भी जरूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है।

राजनैतिक दल का अर्थ

- ☞ राजनैतिक दल लोगों का एक समूह है जो शासन में राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने तथा उसे बनाये रखने के लिए कार्य करता है, यह समान विचारधारा वाले लोगों का एक संगठन है।
- ☞ दल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है जिसका अर्थ है- विभाजन, अर्थात् जब भी समाज में परस्पर विरोधी मतों (विचारों) के व्यक्तियों के मध्य स्वयं की स्वतंत्र पहचान स्थापित करने के लिए संघर्ष होता है तो इस संघर्ष के परिणामस्वरूप राजनैतिक दलों का जन्म होता है।
- ☞ जिस प्रकार विद्यालय में एक समान रुचि वाले छात्र/छात्राएं अपना एक गुट बना लेते हैं, उसी प्रकार राजनीति में एक समान विचारधारा व सिद्धांत में विश्वास रखने वाले लोग अपना एक दल बना लेते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि देश के व्यवस्था उनके विचारों व सिद्धांतों के अनुसार चले।
- ☞ किसी भी राजनैतिक दल के तीन मुख्य तत्त्व होते हैं
- ☞ नेता जो चुनाव लड़ते हैं।
- ☞ सक्रिय सदस्य जो चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन पार्टी के कार्यों में सक्रियता से भाग लेते हैं।
- ☞ समर्थक, जो पार्टी से बाहर रहकर पार्टी का समर्थन करते हैं और प्रायः पार्टी के स्थायी वोटर होते हैं।

राजनैतिक दलों की परिभाषा

- ❖ विभिन्न लोगों ने राजनैतिक दलों की परिभाषा दी है जिनमे से एडमंड बर्क के अनुसार राजनैतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांत पर चलते हुए अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित का परिवर्तन करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे होते हैं।

राजनैतिक दलों की आवश्यकता क्यों

- ❖ किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सफल संचालन के लिए राजनैतिक दलों का होना अनिवार्य है क्योंकि इनके अभाव में प्रत्येक उम्मीदवार स्वतंत्र होगा जिस कारण वह कोई बड़े राजनैतिक बदलाव के लिए वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए राजनैतिक दलों का होना अनिवार्य है।

राजनीतिक दल के कार्य

- ❖ मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरीके से करते हैं-
- 1. **चुनाव लड़ना** : अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमरीका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों, जैसे भारत में, दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं।
- 2. **नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के सम्मुख रखना देश के लिए कौन-सी नीतियाँ ठीक हैं-** इस बारे में हममें से सभी की राय अलग-अलग हो सकती है। पर कोई भी सरकार इतने अलग-अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते-जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियाँ यही काम करती हैं। पार्टियाँ तरह-तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियाँ तय करती है।
- 3. **कानून बनाना**: पार्टियाँ देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं।
- 4. **निर्णयन**: नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियाँ नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सकें।
- 5. **विरोधी पक्ष की भूमिका**: सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी

अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी लामबंद करते हैं।

- 6. **जनमत तैयार करना**: विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश-भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दवाव समूह भी काम करते रहते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द-गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है।
- 7. कार्यक्रमों का क्रियान्वयन दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुँच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान-पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है।
- 8. प्रतिनिधित्व करना राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है।

बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है।

- ❖ जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है।
- ❖ विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेदारी सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है।
- ❖ प्रत्येक प्रतिनिधि-सरकार की ऐसी जो भी जरूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त हैं।

कितने राजनीतिक दल?

- ❖ लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं।
- ❖ भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज्यादा है। लेकिन, हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने और

सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछेक पार्टियाँ ही सक्रिय होती हैं। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। इस कारण उन्हें एकदलीय शासन-व्यवस्था कहा जाता है।

- ❖ चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालाँकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता।
- ❖ हम एकदलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए।
- ❖ कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियाँ हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमरीका और ब्रिटेन में ऐसी ही दो दलीय व्यवस्था है।
- ❖ जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक-ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं।
- ❖ जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियाँ चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे, 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे तीन प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा।
- ❖ अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है पर

इसके साथ हो इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है।

- ❖ दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली सभी चीजें अपनी भूमिका निभाती हैं।
- ❖ इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे, अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि दो-तीन पार्टियाँ इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम हैं। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले यह संभव नहीं है।

राजनीतिक दलों में जन-भागीदारी

- ❖ वर्तमान में राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है।
- ❖ बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि : दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती।
- ❖ जो लोग दलों पर 'एकदम भरोसा नहीं' 'बहुत भरोसा नहीं' के पक्ष में बोले उनका अनुपात 'कुछ भरोसा' या 'पूरा भरोसा' बताने वालों से काफी ज्यादा था।
- ❖ यही बात ज्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। बहरहाल, राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा है।
- ❖ खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा है। पिछले तीन दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे-धीरे बढ़ता गया है। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ता गया है।

राष्ट्रीय राजनीतिक दल

- ❖ विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में दो तरह के राजनीतिक दल हैं: संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल।
- ❖ भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियाँ पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयाँ हैं। पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयाँ राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती हैं।
- ❖ देश की हर पार्टी को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएँ देता है। इन्हें अलग चुनाव चिह्न दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को 'मान्यता प्राप्त' दल कहते हैं।
- ❖ चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर 'मान्यता प्राप्त' दल बन सकता है।
- ❖ जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6 फीसदी या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम दो सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है।
- ❖ अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अधवा चार राज्यों के विधान सभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6 प्रतिशत हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम चार सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है।

देश के राष्ट्रीय दल निम्नलिखित हैं :

- ❖ **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** : इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए हैं। आजादी के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया।

- 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया। 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में कमी आई पर अभी यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है।
- अपने वैचारिक रुझान में मध्यमार्गी (न वामपंथी न दक्षिणपंथी) इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य अजेंडा बनाया है।
- यह दल नयी आर्थिक नीतियों का समर्थक है पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े।
- ❖ **भारतीय जनता पार्टी:** पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य; भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (या हिंदुत्व) एक प्रमुख तत्व है।
- ❖ **बहुजन समाज पार्टी:** स्व. काशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठना। बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियाँ और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा।
- ❖ **भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (सीपीआई-एम) :** 1964 में स्थापित: मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी।
- यह पार्टी भारत में सामाजिक-आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों के सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार। गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़। यह पार्टी देश में पूँजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नयी आर्थिक नीतियों की आलोचक है।
- ❖ **भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई):** 1925 में गठित। मार्क्सवाद-लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था। अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी।

यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है।

- 1964 की फूट (जिसमें माकपा इससे अलग हुई) के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी स्थिति ठीक है।

- ❖ **राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी :** 1999 में यह पार्टी बनी। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद लोकतंत्र, गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था।
- ❖ यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्में नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है।

राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ

- ❖ आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के चार पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए।
- ❖ पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है। न नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते।
- ❖ सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है न ही कोई और माध्यम।
- ❖ परिणामस्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। चूंकि कुछेक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है।
- ❖ दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है-यह है वंशवाद को चुनौती। चूंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने

और ऊपर आने की गुंजाइश काफी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं।

- ❖ अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुँच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है।
- ❖ तीसरी चुनौती दलों में, (खासकर चुनाव के समय) पैसा और अपराधी तत्त्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। चूंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है अतः इसके लिए कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करती। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती हैं जिनके पास काफी पैसा हो या जो पैसे जुटा सकें।
- ❖ किसी पार्टी को ज्यादा धन देने वाली कंपनियों और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियों चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद लेती हैं।
- ❖ दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित हैं।
- ❖ चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे, ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजरवेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है।
- ❖ दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस व्यौरों का रह गया है कि नीतियाँ कैसे बनाई जाएँ और उन्हें कैसे लागू किया जाए। देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है।
- ❖ जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया

नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते-जाते रहते हैं।

प्रांतीय दल

- ❖ उपर्युक्त पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को चुनाव आयोग ने 'प्रांतीय दल' के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियाँ क्षेत्रीय ही हो। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं पर उन्हें कुछ प्रांतों में ही सफलता मिल पाई है।
- ❖ समाजवादी पार्टी, समता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयाँ हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा और मिजो नेशनल फ्रंट जैसी पार्टियाँ अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं।
- ❖ परिणामस्वरूप राष्ट्रीय दल प्रांतीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक प्रांतीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है।

(b) क्षेत्रीय राजनैतिक दल :

- ☞ उपरोक्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय राजनैतिक दल भी हैं जिनका अलग अलग राज्यों में पूर्ण प्रभाव है, जिनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्रीय राजनैतिक दल निम्न हैं।

राजनैतिक दलों का पंजीकरण:

- ☞ भारत में राजनैतिक दलों को मान्यता देने का कार्य चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गयी थी। चुनाव आयोग हो राजनैतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है।

दलों को कैसे सुधारा जा सकता है?

- ❖ दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम फैसला राजनेता ही करते हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं।

- ❖ विधायकों और सांसदों को दल-बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्रीपद या पैसे के लोभ में दल-बदल करने में आई तेज्जी को देखते हुए ऐसा किया गया।
- ❖ नए कानून के अनुसार अपना दल-बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गँवानी होगी। इस नए कानून से दल-बदल में कमी आई है पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है, सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है।
- ❖ दल-बदल कानून 8वें लोकसभा चुनाव के बाद 24 जनवरी, 1985 को 52 वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिये लोकसभा में पेश किया था, यह 30 जनवरी को लोकसभा और 31 जनवरी को राज्य सभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम अस्तित्व में आया, संविधान की दसवीं अनुसूची को ही दल-बदल कानून के तौर पर जाना जाता है।
- ❖ उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथपत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है।
- ❖ इस नयी व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएँ उपलब्ध होने लगी है, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएँ सही हैं या नहीं, यह जाँच करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
- ❖ चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। पर कई बार ऐसा सिर्फ दिखावा करने के लिए होता है।
- ❖ यह बात अभी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं:

- ❖ राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएँ और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएँ-यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए।
- ❖ राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में (करीब एक तिहाई) जरूर टिकट दें। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए।
- ❖ चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फ़ोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नकद पैसा दिया जा सकता है।
- ❖ राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनसे कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए।
- ❖ दलों को जरूरत से ज्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूँढ़ने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है।
- ❖ पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। यह काम चिट्ठियाँ लिखने, प्रचार करने और आंदोलनों के जरिये किया जा सकता है।
- ❖ आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे।
- ❖ सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न लें और बाहर से ही बाते करते रहें तो सुधार मुश्किल है।

अभ्यास प्रश्न

1. भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है?

- A. एकदलीय B. द्विदलीय
C. बहुदलीय D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर –C

2. लोकतंत्र का कार्य संचालन निम्नलिखित में से किसके अभाव में असंभव है?

- A. नौकरशाही के B. योजना के
C. राजनीतिक दल के D. पंचायती राज के

उत्तर –C

3. निम्नलिखित में से कौन-सी भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है?

- A. विभिन्न राजनीतिक दलों को नीतियों और कार्यक्रमों में काफी समानताएं हैं।
B. विभिन्न क्षेत्रीय या राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार
C. अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित हैं।
D. उपर्युक्त सभी

उत्तर –D

4. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है।

कथन (R): राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। कूट :

- A. A और R दोनों सही हैं तथा A, R की सही व्याख्या है
B. A और R दोनों सही हैं तथा A, R की सही व्याख्या नहीं है
C. A सही है, किन्तु R गलत है
D. A गलत है, किन्तु R सही है

उत्तर –A

5. निम्नलिखित में से कम-से-कम कितने राज्यों में राज्यस्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है ?

- A. 2 B. 3
C. 4 D. 6

उत्तर –C

6. किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता निम्नलिखित में से कौन देता है?

- A. राष्ट्रपति B. विधि मंत्री
C. निर्वाचन आयोग D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर –C

7. किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब प्रदान की जाती है?

- A. वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ती हो।
B. वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम-से-कम 5% मत प्राप्त कर लेती है।
C. उसे चार या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो।
D. वह कम से कम 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर ले।

उत्तर –C

8. भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए?

- A. 10% वैध मत चार तथा अधिक राज्यों में
B. 4% वैध मत चार अथवा अधिक राज्यों में
C. 15% वैध मत दो राज्यों में
D. 25% वैध मत एक राज्यों में

उत्तर –B

9. भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है –

- A. साम्प्रदायिक दलों का अभाव
B. बहुदलीय पद्धति
C. क्षेत्रीय दलों का अभाव
D. द्विदलीय पद्धति

उत्तर –B

10. प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया था ?

- A. 7 B. 12
C. 14 D. 21

उत्तर –C

11. वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी है ?

- A. 3 B. 5
C. 7 D. 8

उत्तर –D

12. निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्षेत्रीय दल है ?

- A. भाजपा B. माकपा
C. अकाली दल D. कांग्रेस

उत्तर –C

13. किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम-से-कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए ?

- A. 1% B. 2%
C. 3% D. 4%

उत्तर –D

14. भारत में दलीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक व्यवस्था का अंग है ?

- A. सांस्कृतिक व्यवस्था B. सामाजिक व्यवस्था
C. राजनीतिक व्यवस्था D. आर्थिक व्यवस्था

उत्तर –C

15. निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय साम्यवादी दल में विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का जन्म हुआ ?

- A. 1962 ई. B. 1964 ई.
C. 1966 ई. D. 1969 ई.

उत्तर –B

लोकतंत्र के परिणाम

लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन

- ❖ लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएँ ज्यादा दोषपूर्ण हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि,
 - यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है;
 - व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है;
 - इससे फैसलों में बेहतरी आती है;
 - टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है; और
 - इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है।
- ❖ अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं: सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता।
- ❖ आज दुनिया के अनेक देश किसी-न-किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही, वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं।
- ❖ लोकतंत्र के ये तत्त्व तो अधिकांश देशों में समान हैं पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक-दूसरे से काफी अलग-अलग हैं।
- ❖ स्पष्ट है कि इन सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे यह जरूरी नहीं है।
- ❖ लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होतीं तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं।

- ❖ लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है।
- ❖ यह कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियाँ तो बना सकता है पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं।

उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन

- ❖ लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे।
- ❖ वक्त-जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों को जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे।
- ❖ ऐसी सरकार को कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है। लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार न करें और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय ले सकती है।
- ❖ इसने पूरी प्रक्रिया को माना है इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता।
- ❖ दूसरा पहलू : लोकतंत्र में इस बात की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे-कानून के अनुसार होंगे और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं।
- ❖ यह गैर-लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना

उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो नियम-कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी।

- ❖ लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है।
- ❖ इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा: नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार।
- ❖ इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियाँ बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ ज्यादा सफल हुई हैं पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है।
- ❖ नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इनकी तुलना जब हम गैर-लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही रहता है।
- ❖ एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की जरूरतों और माँगों का ध्यान रखने वाली हों और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन करें। इन दोनों मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है।
- ❖ एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है: यह वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्य-कुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की जरूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है।

आर्थिक संवृद्धि और विकास

- ❖ हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएँगे कि आर्थिक संवृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है।
- ❖ उच्चतर आर्थिक संवृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है-आर्थिक विकास कई कारकों मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है।
- ❖ तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज्यादा हो लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव हो बेहतर है क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं।

लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ

- ❖ आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की ही तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है।
- ❖ लोकतान्त्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में ऊपरी 20 फीसदी लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60 फीसदी हिस्से पर कब्जा है जबकि सबसे नीचे के 20 फीसदी लोग राष्ट्रीय आय के मात्र 3 फीसदी हिस्से पर जीवन यापन करते हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज्यादा बेहतर हैं।

असमानता और गरीबी में कमी

- ❖ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी।
- ❖ एएस-वेस्ट लैटिन अमरीका, केगल कार्ट्स लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है।

- ❖ व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है लेकिन इसके साथ-साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं।
- ❖ कुछ धनी लोग आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है।
- ❖ समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जोवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मुश्किल आती हैं।
- ❖ वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफी बड़ी है इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी।

सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य

- ❖ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आम तौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंद्विताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है।
- ❖ कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है।
- ❖ गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को नजरअंदाज करती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। श्रीलंका इस बात की याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शतों को पूरा करना होता है:
- लोकतंत्र का सीधे-सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है।

- बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। उसके साथ काम करने की जरूरत होती है। तभी, सरकार जन-सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है।
- बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषायी आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता।
- बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग-अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं।
- लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक, प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है।
- अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता।

नागरिकों की गरिमा और आजादी

- ❖ व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर, टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया।
- ❖ गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ इस चीज को मानती हैं-कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर अलग-अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग-अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करतीं। फिर, जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं।
- ❖ महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है और आज अगर कहीं यह हालत है तो उसका यह मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है।

- ❖ बहरहाल, एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है।
- ❖ अलोकतान्त्रिक व्यवस्था में यह बात संभव न थी क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आजादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है, न नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है।
- ❖ भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता।
- ❖ लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जाँच-परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जाँच पर खरा उतरे तो अगली जाँच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की माँग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं।
- ❖ यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं को बता देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं।

लोकतंत्र की चुनौतियाँ

- ❖ समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है। इसे कोई गंभीर चुनौती नहीं है और न कोई दूसरी शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंद्वी है।
- ❖ लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएँ हैं दुनिया में अभी कहीं भी उन सबका लाभ नहीं उठाया गया है। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है-इसका यह मतलब भी नहीं कि उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं है।
- ❖ लोकतंत्र की अपनी इस किताबी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर हमने देखा है कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के

सामने गंभीर चुनौतियाँ हैं। ये चुनौतियाँ किसी आम समस्या जैसी नहीं हैं। हम आम तौर पर उन्हीं मुश्किलों को 'चुनौती' कहते हैं जो महत्त्वपूर्ण तो हैं, लेकिन अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो उसे हम चुनौती कहते हैं। एक बार जब हम चुनौती से पार पा लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। अलग-अलग देशों के सामने अलग-अलग तरह को चुनौतियाँ होती हैं।

- ❖ अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ को सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यावहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियाँ हैं।
- ❖ इसका यह भी मतलब है कि कम से कम ही चीजें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में एक अमेरिका जैसे देशों के सामने भी यह चुनौती है।
- ❖ तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती है ही। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बरतावों को मजबूत बनाना शामिल है।
- ❖ लेकिन, अलग-अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग-अलग अपेक्षाएँ होती हैं इसलिए यह चुनौती दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग अर्थ और अलग स्वरूप ले लेती है।

राजनीतिक सुधारों पर विचार

- ❖ लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव 'लोकतांत्रिक सुधार' या 'राजनीतिक सुधार' कहे जाते हैं।
- ❖ अगर सभी देशों की चुनौतियाँ एक जैसी नहीं हैं तो इसका यह भी मतलब है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता।

- ❖ कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य या स्थानीय स्तर पर भी दिए जा सकते हैं। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए तरीका और जरिया ढूँढ़ते समय कुछ दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जा सकता है।
- ❖ कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। नए कानून सारी अवांछित चीजें खत्म कर देंगे यह सोच लेना भले ही सुखद हो लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
- ❖ सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे। परंतु विधिक-संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता।
- ❖ कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार परिणाम एकदम विपरीत निकलते हैं, जैसे कई राज्यों ने दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएँ लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुई जबकि ऐसा करने के पीछे यह मंशा न थी।
- ❖ आम तौर पर किसी चीज की मनाही करने वाले कानून राजनीति में ज्यादा सफल नहीं होते। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं।
- ❖ सूचना का अधिकार-कानून लोगों को जानकारी बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड आयद करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद करता है। लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं। इसलिए, राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए।

लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा

- ❖ लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लें; चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद ज्वाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। ये विकल्प और अवसर हर किसी को बराबरी में उपलब्ध होने चाहिए।
- ❖ विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे।
- ❖ लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि ये अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर के नहीं हैं। कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना ही चाहिए।
- ❖ हमने सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना था और सरकारों और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है।
- ❖ लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकती और अल्पसंख्यक आवाजों का आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। भेदभाव को समाप्त करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण काम है।

अभ्यास प्रश्न

1. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): लोकतंत्र में जितनी संभावनाएँ हैं दुनिया में अभी कहीं भी उन सबका लाभ नहीं उठाया गया है।

कथन (R): लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है-इसका मतलब यह नहीं कि उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं है।

कूट :

- A. A और R दोनों सही हैं तथा A, R की सही व्याख्या है
- B. A और R दोनों सही हैं तथा A, R की सही व्याख्या नहीं है
- C. A सही है, किन्तु R गलत है
- D. A गलत है, किन्तु R सही है

उत्तर -A

2. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): लोकतंत्र में शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है।

कथन (R): लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं।

कूट :

- A. A और R दोनों सही है तथा A,R की सही व्याख्या है
- B. A और R दोनों सही है तथा A,R की सही व्याख्या नहीं है
- C. A सही है, किन्तु R गलत है
- D. A गलत है, किन्तु R सही है

उत्तर -A

3. लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन पर विचार कीजिए:

- 1. यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है।
 - 2. व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है।
 - 3. टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. केवल 1, 2 और 3

उत्तर -D

4. लोकतंत्र की चुनौतियों के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए

- 1. स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार-संपन्न बनाना।
- 2. संघ की सभी इकाईयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यावहारिक स्तर पर लागू करना।
- 3. महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. केवल 1, 2 और 3

उत्तर -D

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है।

कथन (R): तानाशाही शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर प्रतिकूल रूप से नकारात्मक होती है।

कूट :

- A. A और R दोनों सही है तथा A, R की सही व्याख्या है
- B. A और R दोनों सही है तथा A,R की सही व्याख्या नहीं है
- C. A सही है, किन्तु R गलत है
- D. A गलत है, किन्तु R सही है

उत्तर -C

6. राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य है?

- A. राजनीतिक दलों में सुधार को राजनीतिक सुधार कहा जाता है
- B. लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं।
- C. राजनीतिक व्यवस्था में सुधार
- D. राजनीतिक गतिविधियों में सुधार।

उत्तर -B

7. लोकतंत्र की परिभाषा वा अर्थ बताएँ।

- A. लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासको का चुनाव करते हैं।
- B. लोकतंत्र संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा रूप है।
- C. लोकतंत्र विभिन्न प्रकार चुनौतियों का सामना करता है।
- D. अफसरशाही के माध्यम से चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है।

उत्तर -A

8. एक अच्छे लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है?

- A. एक अच्छे लोकतंत्र में शासक को जनता चुने और जनता को भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप शासक काम करे।
- B. अच्छे प्रशासक और अच्छे प्रशासनिक तंत्र अच्छे लोकतंत्र के गुण है।
- C. शासन में जनता की भागीदारी ही अच्छे लोकतंत्र के गुण हैं।
- D. जनता को अधिक से अधिक अधिकार मिलना हो अच्छे लोकतंत्र की विशेषता है।

उत्तर -A

9. लोकतांत्रिक सुधारों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है?

- A. लोकतांत्रिक सुधारों को कानून और विभिन्न नीतियों या फार्मूलों से लागू किया जा सकता है।
- B. लोकतांत्रिक सुधारों को प्रशासनिक तंत्र द्वारा लागू किया जा सकता है।
- C. लोकतांत्रिक सुधारों को योजना आयोग के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- D. लोकतांत्रिक सुधारों को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लागू किया

उत्तर -A

10. दुनिया के कितने भागों में लोकतांत्रिक शासन नहीं है?

- A. लगभग आधे भागों में
- B. लगभग एक तिहाई भागों में
- C. लगभग एक चौथाई भागों में
- D. लगभग दो तिहाई भागों में

उत्तर -C

11. चुनौती किसे कहते है?

- A. विभिन्न प्रकार के संघर्ष
- B. विभिन्न तरह की मुश्किलें
- C. लोकतांत्रिक अव्यवस्था
- D. उपरोक्त सभी

उत्तर -B

12. विस्तार की चुनौती से आप क्या समझते हैं?

- A. लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धान्तों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना।
- B. स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार सम्पन्न बनाना।
- C. महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना
- D. उपरोक्त सभी।

उत्तर -D

13. लोकतंत्र की एक चुनौती का उल्लेख करें।

- A. भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था की चुनौती
- B. बुनियादी आधार बनाने की चुनौती जैसे सेना का नियंत्रण समाप्त करना
- C. समस्याओं से छुटकारा पाना
- D. आर्थिक असमानता को दूर करने की चुनौती।

उत्तर -B

14. लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का एक उदाहरण है

- A. महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- B. स्थानीय निकाय शासन को अधिक शक्ति प्रदान करना
- C. पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना
- D. दलितों और अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

उत्तर -A

15. लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती का एक उदाहरण दें।

- A. संस्थाओं की कार्यपद्धति को सुधारना
- B. राजनीतिक दल में सुधार लाना
- C. सत्ता का विकेंद्रीकरण करना
- D. उपरोक्त सभी।

उत्तर -A

Class-11

भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार

1. भारतीय संविधान
2. भारतीय संविधान में अधिकार
3. चुनाव और प्रतिनिधित्व
4. कार्यपालिका
5. विधायिका
6. न्यायपालिका
7. संघवाद
8. स्थानीय शासन
9. संविधान एक जीवंत दस्तावेज

भारतीय संविधान

संविधान की आवश्यकता क्यों

संविधान तालमेल बढ़ाता है

- ❖ किसी समूह में लोगों की अलग-अलग धार्मिक निष्ठाएँ हैं उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं- वे अलग-अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यताएँ हैं।
- ❖ ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक-दूसरे पर आश्रित हैं। उन्हें एक-दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है।
- ❖ इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएँ। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों। ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए वरन् उन्हें लागू भी किया जाना चाहिये।
- ❖ यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि इन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा।
- ❖ संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराये जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे।

निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएँ

- ❖ संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको

सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाये गये नियम सर्वश्रेष्ठ हैं।

- ❖ राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है जबकि कुछ संविधान, जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनायेगी, और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा।
- ❖ यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिये। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो, सर्वप्रथम, सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी।

सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ

- ❖ अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किये जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। ये सीमाएँ इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती।
- ❖ संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिक के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न कर सके।
- ❖ इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएँ भिन्न-भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं। लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाये जाते हैं।
- ❖ नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है जैसे भाषण की

स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि।

- ❖ व्यवहार में, इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापिस लिया जा सकता है।

समाज की आकांक्षाएँ और लक्ष्य

- ❖ अधिकतर पुराने संविधानों में केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था। लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान - जिनमें भारतीय संविधान भी सम्मिलित है, एक ऐसा सक्षम ढाँचा भी प्रदान करते हैं जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके।
- ❖ भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नये प्रयोग किये। जिन समाजों में अनेक प्रकार की असमानताएँ हों, वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन् वहाँ सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। उदाहरणस्वरूप भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएँ जिसमें जातिगत भेदभाव न हों।
- ❖ यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है, तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके।
- ❖ दक्षिण अफ्रीका नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। उसके नये संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वह नस्ली भेदभाव को मिटा सके।
- ❖ वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक चीजें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिये जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्म-सम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके।
- ❖ भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक-कल्याणकारी कदम उठा

सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे-जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसा सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और ये संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाये जाते हैं।

राष्ट्र की बुनियादी पहचान

- ❖ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है।
- ❖ इस सामूहिक पहचान को बताने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन-कौन से लोग होंगे।
- ❖ संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएँ होती हैं। लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढाँचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगा कर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं।
- ❖ अतः संविधान एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा, और अंतिम, यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किये गये हैं।
- ❖ अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग-अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएँ दिखाई देंगी। लेकिन उनमें काफी कुछ साझा भी है।
- ❖ अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग-अलग संविधानों में अलग-अलग ढंग की होती है।
- ❖ ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। ये किसी राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं, जैसे जर्मनी का निर्माण 'जर्मन नस्ल' के आधार पर हुआ।

- ❖ संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न-भिन्न अवधारणाएँ होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है।
- ❖ अधिकतर देशों में 'संविधान' एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम इसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं।

संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका

- ❖ अनेक देशों में संविधान इसीलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाये जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती।
- ❖ विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया।
- ❖ भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी।
- ❖ संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया। जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी।
- ❖ संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं।

- ❖ भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ। लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है।

संविधान के मौलिक प्रावधान

- ❖ एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें।
- ❖ कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएँ देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे-छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी।
- ❖ यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी 'पहचान' को दबाया जा रहा है तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा।
- ❖ कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढाँचा उपलब्ध कराता है। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता को जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसको सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है।

संवैधानिक विकास रेग्युलेटिंग एक्ट या अधिनियम 1773

- ❖ कपनी द्वारा शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसीडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के चार (फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल) सदस्य थे, जो अपनी शक्ति का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे।

- ❖ कंपनी के साथ शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई। इसे सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों में अधिकारता प्राप्त थी।

संशोधनात्मक अधिनियम, 1781

- ❖ कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
- ❖ कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए। सर्वोच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र और स्पष्ट कर दिया गया।

पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784

- ❖ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण हेतु उसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैण्ड का सम्राट करता था।
- ❖ भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसकी तीन सदस्यों वाली एक परिषद को दे दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई साथ ही मद्रास तथा बंबई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। बंबई तथा मद्रास प्रेसीडेंसी गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दी गई।

1786 का अधिनियम

- ❖ गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियाँ दे दी गई। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को विशेष परिस्थिति में रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया।

चार्टर अधिनियम 1793

- ❖ इसके द्वारा सभी कानूनों एवं विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अपनी परिषद के निर्णयों 62 को रद्द करने को जो शक्ति लार्ड कार्नवालिस को दी गई थी, वह आने वाले गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को भी दे दी गई।

चार्टर अधिनियम 1813

- ❖ भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार

करने की खुली छूट मिली। भारतीय शिक्षा पर एक लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। भारत में इसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई।

चार्टर अधिनियम 1833

- ❖ भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत 1833 के चार्टर अधिनियम में मिलते हैं। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गये।
- ❖ बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तिया प्रदान की गई। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए एक विधि आयोग की व्यवस्था की गई।

चार्टर अधिनियम 1853

- ❖ विधायी कार्यों के लिए परिषद में 6 विशेष सदस्य जोड़कर इसका विस्तार कर दिया गया। कंपनी के लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की एक प्रणाली को आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया।
- ❖ इसी अधिनियम के द्वारा भारत में संसदीय पद्धति के आरंभ का संकेत मिलता है। इसके तहत पहली बार कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक ठोस कदम उठाया गया और संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। आगे चलकर इसी विधान परिषद ने एक लघु संसद का रूप धारण कर लिया।
- ❖ इन सदस्यों को विधियां तथा विनियम बनाने के लिए बुलाई गई बैठकों के अलावा परिषद में बैठने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं था। इन सदस्यों को विधायी परिषद कहा जाता था।

ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास

1858 का अधिनियम

- ❖ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन प्रारंभ होना। गवर्नर जनरल को द वायसरॉय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। यह प्रतिवर्ष भारत नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था।

- ❖ भारत सचिव नाम का एक नया पद बनाया गया जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, किंतु उसका वेतन भारत पर भारित था।

1861 का अधिनियम

- ❖ इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने वायसराय तथा प्रांतों के गवर्नर के अधिकार बढ़ा दिए। भारतीयों के साथ व्यवस्थापन के कार्य की बात अवश्य हुई थी। लेकिन अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं था। पोर्टफोलियो व्यवस्था का प्रारंभ हुआ तथा वायसराय को विपत्ति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।

1892 का अधिनियम

- ❖ यह अधिनियम 1861 के अधिनियम का एक संशोधनात्मक विधेयक था। व्यवस्थापिकाओं में प्रवेश प्रतिबंधित समिति एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान किया गया।
- ❖ सदस्यों को व्यवस्थापिकाओं में बजट पर विचार-विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ससदीय व्यवस्था का प्रारंभ कहा जा सकता है। 1909 का अधिनियम
- ❖ यह भारत के सचिव मालें तथा गवर्नर जनरल मिटी के प्रयासों द्वारा तैयार किया गया था, अतः यह माले-मिटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
- ❖ इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं की सदस्य संख्या बढ़ा दी गयी। प्रथम बार वर्ग और धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया। मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए।
- ❖ पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर को कार्यपरिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था।
- ❖ अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार व्यवस्थापिका सदस्यों को दिया गया।

1919 का अधिनियम

- ❖ यह मांटैग्यू चेसफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये दोनो क्रमशः भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल थे।

इसमें एक प्रस्तावना भी जोड़ी गई। द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका का प्रावधान एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया।

- ❖ सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों को और अधिक व्यापक बनाया गया, केवल उन लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया जो एक निश्चित धनराशि सरकार को कर के रूप में देते थे।
- ❖ प्रांतों में दोहरे शासन प्रबंध की स्थापना की गयी अर्थात् आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी द्वारा करता था और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों की सहायता से करता था। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था।

1935 का भारतीय शासन अधिनियम

- ❖ 1932 में तैयार किए गए एक श्वेत पत्र (वाइट पेपर) पर आधारित था, इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी।
- ❖ इसमें अखिल भारतीय संघ जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र तथा स्वेच्छा से सम्मिलित होने वाली देसी रियासतें सम्मिलित थीं।
- ❖ केंद्र व उसकी इकाइयों के बीच तीन सूचियां संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची बनाए गई, जिसमें क्रमशः 59, 54 और 36 विषय थे। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थीं। इसके तहत 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ।
- ❖ प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, उन्हें स्वतंत्र एवं स्वशासन का अधिकार दिया गया। किंतु गवर्नर को विशेष अधिकार प्रदान किये गए। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना तथा मताधिकार का विस्तार किया गया।
- ❖ शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा प्रांतों में किया गया तथा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया।
- ❖ ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही तथा बर्मा, वराड़ एवं अदन को भारत से पृथक कर दिया गया।

भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

- ❖ 3 जून, 1947 को प्रस्तुत की गई माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई, 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया तथा इसे 18 जुलाई, 1947 को सम्राट द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई।
- ❖ 15 अगस्त, 1947 को यह लागू कर दिया गया। भारत को एक स्वतंत्र व संप्रभुता संपन्न राज्य घोषित किया गया। इसमें 15 अगस्त, 1947 से दो डोमिनियन राज्य भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना की गई।
- ❖ दोनो राज्यों के लिए ब्रिटिश सरकार पृथक-पृथक और यदि दोनों सहमत हों तो संयुक्त गवर्नर जनरल नियुक्त करेगी। दोनों राज्य अपनी-अपनी संविधान सभा में अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सकते हैं। जब तक नया संविधान नहीं बनेगा, तब तक शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा।
- ❖ ब्रिटिश सरकार 15 अगस्त, 1947 के पश्चात दोनो राज्यों पर कोई भी नियंत्रण नहीं रखेगी। इन राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा बनाए गए कानून को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा।

अन्य तथ्य

- ❖ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग्स था, जबकि अंतिम गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, जबकि अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था।
- ❖ भारत का प्रथम वायसराय लार्ड कैनिंग था, जबकि अंतिम वायसराय लार्ड माउंटबेटन था। 1858 के बाद से गवर्नर जनरल, वायसराय कहा जाने लगा।
- ❖ स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लार्ड माउंटबेटन था, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एवं वायसराय सी. राजगोपालाचारी थे।

प्रमुख क्रमिक तिथि - संचिका

- ☞ 1687- मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन किया गया।
- ☞ 1772 - लॉर्ड वारेन हैस्टिंग्स ने जिला कलेक्टर का पद निर्मित किया।

- ☞ 1829- लार्ड विलियम बेंटिक द्वारा मंडल आयुक्त का पद निर्मित किया गया।
- ☞ 1859- लार्ड केनिंग ने पोर्टफोलियो पद्धति प्रारंभ की।
- ☞ 1860- बजट प्रणाली लायी गयी।
- ☞ 1870- वित्तीय विकेंद्रीकरण के संबंध में लार्ड मेयो के प्रस्ताव ने भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थाओं के विकास का प्रारूप तैयार किया।
- ☞ 1872- लार्ड मेयो के समय में भारत की पहली जनगणना हुई।
- ☞ 1881- लार्ड रिपन के कार्यकाल में भारत की पहली नियमित जनगणना हुई।
- ☞ 1882- लार्ड रिपन के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का अधिकृत आदिलेख या महाधिकार पत्र (मैग्नाकार्टा) माना जाता है। लार्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है।
- ☞ 1905- लार्ड कर्जन ने कार्यकाल की पद्धति को आरंभ किया।
- ☞ 1905- भारत सरकार के एक निर्णय के तहत रेलवे बोर्ड का गठन हुआ।
- ☞ 1921- केंद्र में लोक लेखा समिति बनाई गई।
- ☞ 1921- आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया।
- ☞ 1935- केंद्रीय विधायिका के एक अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।

भारतीय संविधान एवं संविधान का निर्माण

- ❖ औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त, 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई।
- ❖ 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति- 'कैबिनेट मिशन' ने प्रस्तावित किया था।

- ❖ ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात 1946 में एक त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस (भारत सचिव) व ब्रिटेन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स तथा नौसेना अध्यक्ष ए.बी. एलेक्जेंडर सदस्य थे।
 - ❖ कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता करवाना तथा वायसराय को भारत की संविधान सभा के गठन में सहायता करना था।
 - ❖ भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 1946 में किया गया था। निर्वाचन केवल तीन संप्रदायों, मुस्लिम सिख व अन्य हिंदू में विभक्त किया गया था।
 - ❖ चीफ कमिश्नरी प्रांतों को भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, जिनमें 229 प्रांतों में से तथा 93 देशी रियासतों से चुने गए थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए थे।
 - ❖ संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व निर्धारित किए गए (10 लाख पर 1)। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 9 तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी।
 - ❖ इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गईं। मोटे तौर पर दस लाख को जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गईं।
 - ❖ प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बाँट दिया गया।
 - ❖ प्रांतीय विधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तब किया गया।
 - ❖ संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुस्लिम लीग ने इसका का बहिष्कार किया था। 11 दिसंबर, 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
 - ❖ श्री बी. एन. राव को संविधान सभा के सवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, यह प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जून 1947 को पारित कर दिया।
 - ❖ संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियाँ, जैसे प्रक्रिया समिति वार्ता समिति, संचालन समिति कार्य समिति, संविधान समिति, झंडा समिति आदि का निर्माण किया गया। विभिन्न समितियों में प्रमुख प्रारूप समिति थी, जो कि 19 अगस्त, 1947 को गठित की गयी थी, इसका अध्यक्ष डाक्टर बी. आर. अंबेडकर को बताया गया।
 - ❖ संविधान सभा की बैठक तृतीय वाचन (अंतिम वाचन) के लिए 14 नवंबर, 1949 को हुई, यह बैठक 26 नवंबर, 1949 को समाप्त हुई। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन में किया गया था।
 - ❖ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी, 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान सभा को ही आगामी संसद के चुनाव तक भारतीय संसद के रूप में मान्यता प्रदान की गयी।
- संविधान सभा की विभिन्न समितियाँ**
- ❖ समितियाँ संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने सबसे पहले 13 समितियों का गठन किया इन समितियों ने अगस्त, 1947 तक अपनी-अपनी रिपोर्ट भेजी और उसके पश्चात उन रिपोर्ट्स पर संविधान सभा ने विचार किया।

- ❖ एन. माधव राव, बी. एल. मित्र के स्थान पर बाद में नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्य श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर, अलादी कृष्णास्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के. एम. मुशी. बी. एल. मिल और डी. पो. खेतान थे।
- ❖ डॉ. बी. आर. अंबेडकर संविधान सभा सभा के सदस्य समिति के लिए बंगाल से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वालों में महात्मा गांधी, जय प्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू प्रमुख हैं।
- ❖ संविधान निर्माण के लिए कई समितियाँ बनाई गई थीं, जिनमें से कुछ **प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष थे:** संचालन समिति (अध्यक्ष: राजेन्द्र प्रसाद), वित्त और कर्मचारी समिति (अध्यक्ष: राजेन्द्र प्रसाद), क्रेडेंशियल समिति (अध्यक्ष: अल्लादी कृष्णास्वामी अयंगर), हाउस कमेटी (अध्यक्ष: बी पट्टाभि सीतारामय्या), प्रारूप समिति (अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर)

संविधान सभा का स्वरूप

- ❖ 3 जून, 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आये थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घट कर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर, 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किये।
- ❖ इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया।
- ❖ भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अलसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गये थे पर उसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधिपरक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया।

- ❖ सभी धर्म के सदस्यों को ऊपर बतायी गयी विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में उस समय के 'अनुसूचित वर्गों' के 26 सदस्य थे।
- ❖ जहाँ तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 82 प्रतिशत सीटें प्राप्त थीं। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर

- ☞ अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता है, जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो।
- ☞ सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ जीवन के उस मार्ग से है, जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है।
- ☞ स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक-पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए।
- ☞ ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं कि इनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल कर देना है।
- ☞ स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता है, समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है। और न ही स्वतंत्रता और समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है।
- ☞ समताविहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों को अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। स्वतंत्रताविहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते।

संविधान सभा के कामकाज की शैली

- ❖ संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर (हालांकि पूर्ण रूप से नहीं) सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार-विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार

था। जहाँ प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न करें।

- ❖ संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार-विमर्श किया। सदस्यों में प्रायः मतभेद हो जाते थे लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बना कर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो।
- ❖ संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद-विवाद के पास हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा।
- ❖ इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यावहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता था।
- ❖ संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही है। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए।
- ❖ संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे-मोटे खंडों में प्रकाशित हुई है और हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई है वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है।

कार्यविधि

- ❖ संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट था। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की आठ मुख्य कमेटियाँ थीं। आम तौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद या अंबेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक-दूसरे के समान नहीं थे।
- ❖ अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे।

- ❖ पटेल और नेहरू बहुत-से मुद्दों पर एक-दूसरे से असहमत थे। फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आम तौर पर संविधान के कुछ-कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई।
- ❖ आम तौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में न हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए।
- ❖ ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत हो सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। दो वर्ष और ग्यारह महीने को अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली।

राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत

- ❖ कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के वृत्ते नहीं बनता। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था।
- ❖ इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे।
- ❖ राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' में मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था।
- ❖ इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जिसे संविधान के
- ❖ भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार बसे मौलिक प्रावधान कहा गया था वह वास्तव में उद्देश्य-प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। इसी प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता

लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सर्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया।

- ❖ अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं को भूलभुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिये गये आश्वासनों को पूरा करेगी।

उद्देश्य-प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु

- ☞ भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य है।
- ☞ भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं, का एक संघ होगा थे।
- ☞ संघ की इकाइयों स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई।
- ☞ संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है।
- ☞ भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय: कानून के समक्ष समानता: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जायेगी।
- ☞ अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जायेगी।
- ☞ गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जायेगी।
- ☞ विश्वशांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा।

संस्थागत व्यवस्थाएँ

- ❖ संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन-कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो।

- ❖ संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार-मंथन किया।
- ❖ संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया जो एक ओर विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है।
- ❖ शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। इसी प्रकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया।
- ❖ उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था बल्कि वात इससे बिलकुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है।

संविधान की प्रस्तावना

- ❖ "हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा इसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"
- ❖ प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किये गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है।
- ❖ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया।

प्रस्तावना के चार घटक इस प्रकार हैं:

1. यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है।
2. यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है।
3. यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है।

❖ **हम भारत के लोग-** इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है, अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वहाँ संविधान का आधार है अर्थात् दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है।

❖ **संप्रभुता-** इस शब्द का आशय है कि, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है।

❖ **समाजवादी-** समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूँजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो।

❖ **पंथनिरपेक्ष-** पंथनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि, संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करने चाहते थे।

○ इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) जोड़े गए। भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएँ विद्यमान हैं अर्थात् हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है।

❖ **लोकतांत्रिक-** संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद् रूप से किया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है।

○ व्यस्क मताधिकार, समाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राजव्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं।

❖ **गणतंत्र-** प्रस्तावना में 'गणराज्य' शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं 'वंशागत लोकतंत्र' तथा 'लोकतंत्रीय गणतंत्र' में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है।

○ गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिये चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं।

○ पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। दूसरी यह कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिये हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिये खुला होगा।

❖ **स्वतंत्रता-** यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर हो किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिये अवसर प्रदान करता है।

❖ **न्याय-** न्याय का भारतीय संविधान को प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे तीन भिन्न रूपों में देखा जा सकता है- सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय व आर्थिक न्याय।

❖ सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव मानव के बीच जाति, वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो।

❖ आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ हो हाथों में केंद्रीकृत ना हो जाए।

❖ राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का अधिकार।

❖ **समता-** भारतीय संविधान को प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर को क्षमता प्रदान करती है जिसका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार

की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने को उपबंध।

- ❖ **बंधुत्व-** इसका शाब्दिक अर्थ है- भाईचारे को भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।

विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान

- ❖ **ब्रिटिश संविधान**
 - सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला
 - सरकार का संसदीय स्वरूप
 - कानून के शासन का विचार
 - विधापिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका
 - कानून निर्माण की विधि
- ❖ **अमेरिका का संविधान**
 - मौलिक अधिकारों की सूची
 - न्यायिक पुनरावलोकन को शक्ति और न्यायपालिका को स्वतंत्रता
- ❖ **आयरलैंड का संविधान**
 - राज्य के नीति निर्देशक तत्व
- ❖ **फ्रांस का संविधान**
 - स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत
- ❖ **कनाडा का संविधान**
 - एक अर्द्ध-संघात्मक सरकार का स्वरूप (सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था)
 - अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत

निष्कर्ष

- ❖ यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि वे देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था।
- ❖ यही वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया संविधान न केवल अस्तित्व में है, बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है जबकि दुनिया के अन्य अनेक संविधान कागजी पोथों में हो दब कर रह गए।

- ❖ भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य अनेक देशों, खासतौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि एक ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएँ अस्त-व्यस्त या कामचलाऊ व्यवस्थाएँ मात्र न हो बल्कि लोगों को आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोये रख सकें।

अभ्यास प्रश्न

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है?

A. 2	B. 3
C. 4	D. 5

उत्तर –B

2. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएँ विद्यमान हैं।

कथन (R): पंथनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख किया गया।

कूट :

- A. A और R दोनों सही हैं तथा A,R की सही व्याख्या है
- B. A और R दोनों सही हैं तथा A,R को सही व्याख्या नहीं है
- C. A सही है, किन्तु R गलत है
- D. A गलत है, किन्तु R सही है

उत्तर –D

3. राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश 1946 में प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' में मिलता है। यह उद्देश्य प्रस्ताव किस द्वारा प्रस्तुत किया गया था?

A. जवाहरलाल नेहरू	C. सरदार पटेल
B. राजेन्द्र प्रसाद	D. अंबेडकर

उत्तर –A

4. संविधान सभा की बैठक तृतीय वाचन (अंतिम वाचन) कब प्रारम्भ हुई?

- A. 12 नवंबर, 1949 को B. 14 नवंबर, 1949 को
C. 20 नवंबर, 1949 को D. 22 नवंबर, 1949 को

उत्तर –B

5. 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में सम्राट द्वारा अनुमति कब प्रदान कर दी गई?

- A. 4 जुलाई, 1947 B. 18 जुलाई, 1947
C. 22 जुलाई, 1947 D. 24 जुलाई, 1947

उत्तर –B

6. ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को किस एक्ट के द्वारा पृथक् किया गया?

- A. पिट्स का इण्डिया एक्ट B. 1833 ई. का चार्टर एक्ट
C. 1813 ई. का चार्टर एक्ट D. रेग्युलेंटिंग एक्ट

उत्तर –A

7. किस एक्ट को पारित करवाने के मुद्दे पर ब्रिटेन में पहली और आखिरी बार किसी भारतीय मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का पतन हो गया था?

- A. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861
B. 1853 ई. का चार्टर एक्ट
C. पिट्स का इण्डिया एक्ट
D. 1813 ई. का चार्टर एक्ट

उत्तर –C

8. 1853 ई. के चार्टर अधिनियम में कम्पनी का भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियन्त्रण के अधिकार को बढ़ाया गया

- A. अगले बीस वर्षों के लिए B. अगले दस वर्षों के लिए
C. हमेशा के लिए D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर –D

9. भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी?

- A. 1819 ई. के B. 1892 ई. के
C. 1809 ई. के D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर –B

10. भारतीय स्वतन्त्रता का मैग्नाकार्टाश कौन-से अधिनियम को माना जाता है?

- A. 1853 ई. का चार्टर अधिनियम
B. भारतीय शासन अधिनियम, 1919
C. भारत सरकार अधिनियम, 1935
D. 1858 ई. का भारत शासन अधिनियम

उत्तर –D

11. 1784 ई. के पिट्स इण्डिया एक्ट से गठित बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल समाप्त हुआ

- A. 1861 ई. के अधिनियम से
B. 1858 ई. के अधिनियम से
C. 1853 ई. के अधिनियम से
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर –B

12. भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार शामिल किया गया था

- A. 1880 ई. में B. 1862 ई. में
C. 1817 ई. में D. 1809 ई. में

उत्तर –B

13. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 में मुसलमानों को दिए गए पृथक् निर्वाचन प्रणाली के अधिकार की माँग मुस्लिम प्रतिनिधियों ने किसके नेतृत्व में की थी?

- A. नवाब सलीमुल्ला खाँ B. मौलाना मुहम्मद अली
C. आगा खाँ D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर –C

14. 1892 ई. के अधिनियम द्वारा संस्था में अतिरिक्त सदस्यों की की गई भारत सरकार की विधि निर्मात्री संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी

- A. 16 B. 12
C. 18 D. 14

उत्तर –A

15. भारत का शासन ब्रिटिश संसद के नियन्त्रण में किस वर्ष से गया?

- A. 1859 ई.
- B. 1861 ई.
- C. 1860 ई.
- D. 1858 ई.

उत्तर –D

16. कानून निर्मात्री संस्था में सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का सीमित रूप में अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था?

- A. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 द्वारा
- B. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892 द्वारा
- C. उपरोक्त में से कोई नहीं
- D. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861 द्वारा

उत्तर –B

17. गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ?

- A. 1853 ई. के
- B. 1833 ई. के
- C. 1861 ई. के
- D. 1892 ई. के

उत्तर –C

18. इंग्लैण्ड में भारतीय मामलों पर नियन्त्रण के लिए भारत सचिव की नियुक्ति कब की गई थी?

- A. 1861 ई. में
- B. 1859 ई. में
- C. 1858 ई. में
- D. 1860 ई. में

उत्तर –C

19. केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था?

- A. इनमें से कोई नहीं
- B. वर्ष 1935 के

C. वर्ष 1919 के

D. वर्ष 1909 के

उत्तर –C

20. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 में 1892 ई. के भारतीय परिषद् अधिनियम के कौन-कौन-से अधिकारों की व्यावृद्धि हुई थी?

- A. विधानमण्डल की सदस्य संख्या में
- B. निर्वाचन प्रणाली पर
- C. बजट पर चर्चा के
- D. उपरोक्त सभी

उत्तर –D

21. भारत में कम्पनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था किस एक्ट में की गई?

- A. 1853 ई. का चार्टर एक्ट
- B. 1833 ई. का चार्टर एक्ट
- C. 1892 ई. का भारतीय परिषद् एक्ट
- D. 1811 ई. का भारतीय परिषद् एक्ट

उत्तर –A

22. 1853 ई. के चार्टर एक्ट में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई?

- A. 20
- B. 18
- C. 16
- D. 15

उत्तर –B

23. 1833 ई. के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था?

- A. लॉर्ड विलियम बैटिक
- B. इनमें से कोई नहीं
- C. लॉर्ड हेस्टिंग्स
- D. लॉर्ड ऑकलैण्ड

उत्तर –A

24. रेग्युलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय

- A. मद्रास तक
- B. बम्बई तक
- C. ये सभी
- D. बंगाल तक

उत्तर –D

25. किस एक्ट के तहत अंग्रेजों को बिना अनुमति भारत आने और यहाँ भूमि खरीदने की आज्ञा प्राप्त हो गई थी?

- A. 1861 का अधिनियम
- B. 1813 ई. का चार्टर एक्ट
- C. 1853 ई. का चार्टर एक्ट
- D. 1833 ई. का चार्टर एक्ट

उत्तर –D

26. गवर्नर जनरल को ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि की उपाधि कब प्राप्त हुई थी?

- A. 1861 ई. में
- B. 1853 ई. में
- C. 1858 ई. में
- D. 1859 ई. में

उत्तर –C

27. भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली पहली बार प्रारम्भ की गई

- A. उपरोक्त में से कोई नहीं
- B. भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 द्वारा
- C. मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा
- D. भारतीय परिषद् अधिनियम 1892 द्वारा

उत्तर – C

भारतीय संविधान में अधिकार

अधिकारों का घोषणापत्र

- ❖ अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी।
- ❖ संविधान द्वारा प्रदान किये गये और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को 'अधिकारों का घोषणापत्र' कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणापत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है।
- ❖ नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किये जाने की आवश्यकता होती है।
- ❖ यह आवश्यक है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग (विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका) अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार

- ❖ स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्त्व समझा था और माँग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिये। 1928 में ही 'मोतीलाल नेहरू समिति' ने 'अधिकारों के एक घोषणापत्र' की माँग उठाई थी।
- ❖ अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी।
- ❖ संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें 'मौलिक अधिकारों' की संज्ञा दी गई।
- ❖ मौलिक अधिकार अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं और इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाये गये हैं।

- ❖ संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न हैं। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है।
- ❖ सामान्य अधिकारों को संसद कानून बना कर परिवर्तित कर सकती है लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता।
- ❖ विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं हैं। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है।
- ❖ भारत का संविधान अपने भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक विभिन्न मौलिक अधिकारों को संयोजित किया है। संविधान के निर्माण के समय इन अधिकारों को ने अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाया था।

परिभाषा

- ❖ मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के वे अधिकार होते हैं, जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है तथा न्यायालयों को यह शक्ति है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को शून्य घोषित करें।
- ❖ उपरोक्त परिभाषा को साधारण रूप में हम इस तरह व्याख्या कर सकते हैं:- "किसी भी समुदाय के विकास के लिए उसे समानता, स्वतंत्रता 'शिक्षा व 'शोषण' के विरुद्ध' इत्यादि के लिए अधिकार चाहिए तथा इसकी रक्षा के लिए एक संरक्षक भी चाहिए"।
- ❖ "अतः मौलिक अधिकार एक कवच है तो न्यायालय इस कवच का संरक्षक" उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद-13 का खण्ड (2) इस प्रकार कहता है: "राज्य ऐसी कोई विधि नहीं

बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।"

- ❖ इसके अलावा एक गहन अध्ययनकर्ता ने भी मौलिक अधिकार के पक्ष में निम्नलिखित कथन पेश किया है:- "ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में मूल अधिकारों ने एक नई समानता का सृजन किया है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने में सहायता की उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अधिकार सम्बन्धीवादों की संख्या को देखने से अधिकारों के मूल्य का भास होता है।"
- ❖ मौलिक अधिकार "अहस्तांतर्य नैसर्गिक अधिकार" (Inalienable Natural Rights) के सिद्धांत पर आधारित है जो स्वतंत्र समाज में व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार मानव को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम भूमि एवं जलवायु उपलब्ध कराते हैं।
- ❖ सिद्धांततः मौलिक अधिकारों का अर्थ है परिसीमित प्रशासन और परिसीमित प्रशासन का उद्देश्य है कार्यपालिका विधानमण्डल की स्वतंत्र अथवा सम्मिलित रूप में तानाशाही की प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाना।
- ❖ जिन संविधानों में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं होती, वह बहुत जल्दी तानाशाही के साधन बन जाते हैं। अतएव मौलिक अधिकारों का आधारभूत सिद्धांत यह है कि राज्य की शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की जाए।
- ❖ अतः वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। व्यक्ति के इन अधिकारों को निम्न आधारों पर मौलिक अधिकार कहा जाता है-

मौलिक अधिकार के आधार तत्त्व

1. व्यक्ति के पूर्ण मानसिक भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार बहुत आवश्यक हैं। इनके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इसलिए लोकतन्त्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं।

2. देश की मौलिक विधि अर्थात् संविधान में स्थान दिया जाता है और साधारणतया संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अलावा इनमें और किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में मुख्य न्यायाधीश पातंजलि शास्त्री ने कहा था, "मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर हैं।"

मौलिक अधिकार की प्रेरणायें

- ☞ 1215 के मैग्नाकार्टा,
- ☞ 1628 के पिटिशन ऑफ राइट्स
- ☞ 1689 के बिल ऑफ राइट्स
- ☞ 1776 के अमेरिकी घोषणा पत्र
- ☞ 1789 के फ्रांसीसी क्रान्ति और नागरिक घोषणा पत्र
- ☞ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े 1928 का नेहरू समिति घोषणा पत्र
- ☞ कांग्रेस अधिवेशन 1931 करांची घोषणा पत्र
- ☞ 1948 का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र

मौलिक अधिकार के उद्देश्य

1. व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करते हुए किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार को अस्वीकार करना है। इसे न्यायालय द्वारा न्याय योग्य बनाया गया है।
2. किसी भी प्रकार के भेदभाव एवं अस्पृश्यता के अंत जैसे प्रावधानों को स्थापित करते हुए। संविधान में विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण जैसी संकल्पना को स्वीकार किया गया है।
3. अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, बच्चे तथा महिलाओं के पक्ष में "रचनात्मक भेदभाव" के सिद्धांत को मान्यता दी गई है।
4. व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के साथ ही अभियुक्तों एवं सजा पाए लोगों के अधिकार की भी व्यवस्था है।
5. श्रमिकों, बच्चों एवं महिलाओं के शोषण के विरुद्ध प्रावधान।
6. आस्था, प्रार्थना, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के साथ ही अल्पसंख्यकों की भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण एवं

उन्हें शैक्षणिक संस्थाएँ खोलने का अधिकार भी दिया गया है।

7. इसके साथ ही मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए नागरिकों व्यक्तियों को न्यायालय में जाने का भी अधिकार दिया गया है।

❖ भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं

- ❖ यद्यपि मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में भारतीय संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य आधुनिक संविधानों से प्रेरणा ली गई है, लेकिन भारतीय संविधान का अधिकार-पत्र अधिकारों और उनसे सम्बद्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में वैसे ही नहीं है जैसे कि अन्य संविधानों के अधिकार-पत्र है।
- ❖ भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

1. विस्तृत अधिकार पत्र-

- ❖ भारतीय संविधान का तृतीय भाग जिसमें मौलिक अधिकारों का विवेचन किया गया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार-पत्र से विस्तृत है।
- ❖ मौलिक अधिकार के सम्बन्ध में संविधान के कुल 23 अनुच्छेद (अनुच्छेद-12 से 30 और 32 से 35) हैं और इनमें से कुछ अनुच्छेद तो असाधारण रूप से लम्बे हैं। उदाहरण के लिए, संविधान के 19वें अनुच्छेद के मौलिक रूप में 450 शब्द थे, अब तक हुए संशोधनों से इसके आकार में वृद्धि हो गई।
- ❖ अधिकार-पत्र के इतने अधिक व्यापक होने का एक प्रमुख कारण यह रहा है कि प्रत्येक अधिकार के साथ प्रतिबन्धों की भी व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था के प्रयोग से ही अधिकार-पत्र इतना विस्तृत हो गया है।

2. व्यावहारिकता पर आधारित-

- ❖ भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कोरे सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित और सम्पूर्ण समाज के लिए उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए सभी व्यक्तियों हेतु समानता के अधिकारों को स्वीकार करते हुए भी पिछड़े हुए और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में विशेष हितों की रक्षा का प्रवन्ध किया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता के

अधिकार की व्यवस्था इस दृष्टिकोण से की गई है कि समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिले।

3. मौलिक अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं-

- ❖ भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं वरन् संविधान के द्वारा ही उन पर प्रतिबन्ध भी लगा दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में अन्तर यह है कि अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए गए हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस शक्ति के सिद्धांत के आधार पर राज्य को सामान्य हित में मौलिक अधिकारों पर आवश्यक और उचित नियन्त्रण लगाने की शक्ति दे दी है।

4. प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं-

- ❖ भारतीय संविधान के अन्तर्गत प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है और संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। इस सम्बन्ध में अमेरिकी संविधान की स्थिति भिन्न है।
- ❖ अमेरिकी संविधान के नवम् संशोधन में उल्लेख है कि "संविधान में कुछ अधिकारों को शामिल कर देने का यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि अन्य अधिकार जिन पर सभी का स्वामित्व है, उपेक्षित अथवा अमान्य होंगे।"
- ❖ भारतीय संविधान में अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान में उल्लिखित अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों को लागू करने की कार्यवाही नहीं कर सकता।

5. मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था-

- ❖ भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार केवल कागजी प्रतिज्ञाएं मात्र नहीं हैं। वे पूर्ण वैधानिक अधिकार हैं और संविधान ने न्यायालयों को आज्ञा दी है कि वे देखें कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न होने पाए।
- ❖ संविधान के अनुच्छेद-32 के अन्तर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे सभी कानूनों और

कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देगी जो मौलिक अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबन्धित करते हो।

- ❖ संविधान के द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार के उपचारों की व्यवस्था की गई है, वे पर्याप्त प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है।

मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित सिद्धांत

पृथक्करणीयता का सिद्धांत-

- ❖ यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक होता है तो प्रश्न उठता है क्या उस पूरे अधिनियम को हो शुन्य घोषित कर दिया जाए या केवल उसके उसी भाग को अवैध घोषित किया जाए जो संविधान के उपबन्धों से असंगत है?
- ❖ उच्चतम न्यायालय ने पृथक्करणीयता का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा है कि यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग उसके शेष भाग से बिना विधानमण्डल के आशय अर्थात् अधिनियम के मौलिक उद्देश्य को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मौलिक अधिकारों से असंगत वाला भाग ही अवैध घोषित किया जाएगा पूरे अधिनियम को नहीं।

आच्छादन का सिद्धांत-

- ❖ आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद-13 के उपखण्ड (1) पर आधारित है। अनुच्छेद-13 (1) के अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होंगी जिस तक वे मौलिक अधिकारों से असंगत है।
- ❖ ऐसी विधियां प्रारम्भ से ही शून्य नहीं होती, बल्कि अधिकारों के प्रवर्तित हो जाने के कारण वे मृतप्राय हो जाती है और उनका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता, वे केवल मौलिक अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं और सुषुप्तावस्था में रहते हैं।
- ❖ इसके आधार पर अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने यह शक्ति प्राप्त कर ली है कि संविधान में वर्णित अधिकारों के अलावा भी मानव जीवन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य अधिकारों को लागू करा सकता है।

अधित्याग का सिद्धांत-

- ❖ कोई भी व्यक्ति संविधान प्रदत्त अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता है। मौलिक अधिकार केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं वरन् लोकनीति के आधार पर जनसाधारण के

हित के लिए संविधान में समाविष्ट किए गए हैं, अतः अधित्याग का सिद्धांत उन अधिकारों पर नहीं लागू होता है।

भूतलक्षी नहीं –

- ❖ अनुच्छेद-13 का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है। संविधान पूर्व विधियां प्रारम्भ से ही अवैध नहीं होती। मौलिक अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने के पश्चात् ही अवैध होगी।
- ❖ यदि किसी व्यक्ति ने संविधान लागू होने के पहले कोई ऐसा काम किया है जो उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार अपराध था, तो वह संविधान लागू होने पर यह नहीं कह सकता कि उसे अपराध के लिए दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान ऐसे दण्ड को वर्जित करता है। संक्षेप में, मौलिक अधिकार का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, बल्कि इसका भावी प्रभाव है।

दोहरा जोखिम का सिद्धांत

- ❖ अनुच्छेद-20 के खण्ड (2) में 'दोहरा जोखिम' का सिद्धांत समाविष्ट है। क्योंकि इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 'किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जाएगा। यह किसी व्यक्ति को उन कार्यवाहियों से मुक्ति प्रदान नहीं करता जो न्यायालय के समक्ष नहीं हैं।
- ❖ अतः न्यायालय द्वारा अभियोजित और दोष सिद्ध सरकारी कर्मचारी को उसी अपराध के लिए विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत भी दण्डित किया जा सकता है। इस प्रकार विभागीय रूप से दण्डित व्यक्ति पर न्यायालय में अभियोग चलाया जा सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किन्तु 44वें संवैधानिक संशोधन (1979) द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अब सम्पत्ति का अधिकार केवल एक विधिक अधिकार के रूप में है।

मौलिक अधिकार

1. समानता का अधिकार:

- ☞ कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
- ☞ धर्म, जाति, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15)

☞ सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)

☞ अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17)

☞ शीर्षक का उन्मूलन (अनुच्छेद 18)

2. स्वतंत्रता का अधिकार:

☞ भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा, और संघ बनाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)

☞ देश के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)

☞ कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)

☞ कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण (अनुच्छेद 20)

☞ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)

☞ शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)

☞ हिरासत में लेने का कारण और 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करने का अधिकार (अनुच्छेद 22)

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार:

☞ बलात् श्रम और मानव व्यापार का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23)

☞ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने से प्रतिषेध (अनुच्छेद 24)

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार:

☞ अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)

☞ धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)

☞ किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)

☞ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)

5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार:

☞ अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा और लिपि का संरक्षण (अनुच्छेद 29)

☞ अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार (अनुच्छेद 30)

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार:

☞ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार (अनुच्छेद 32)

समता का अधिकार

❖ 'समता का अधिकार' ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह सार्वजनिक स्थलों - जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआँ, स्नान घाट और पूजा-स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है।

❖ जाति, नस्ल, रंग, लिंग, धर्म या जन्म-स्थान के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यह उपर्युक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है।

❖ यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में इन जगहों पर सबके साथ समान बरताव नहीं होता था। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है।

❖ 'समता के अधिकार' के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। इसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

❖ इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके।

❖ प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख है: प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले।

❖ संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएँ तथा निर्णय लागू कर सकती है।

विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण

❖ अनुच्छेद-14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

❖ प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात् साविधानिक निगम, कंपनियाँ,

पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है।

विधि के समक्ष समता

- ❖ ब्रिटिश राजव्यवस्था से प्रभावित इस सिद्धांत का प्रयोग संविधान विशेषज्ञ डायसी ने किया है। किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं।
- ❖ प्रत्येक व्यक्ति ऊँच-नीच या अन्य किसी भी भेदभाव किए बिना देश की सामान्य विधि के अधीन है और सामान्य न्यायालय के न्यायिक अधिकारिता के अधीन है।
- ❖ विधि, मुख्यमंत्री और सामान्य व्यक्ति में अथवा मुख्य सचिव और साधारण लिपिक में कोई अंतर नहीं करती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के लिए उत्तरदायी है। यह अवधारणा नकारात्मक प्रकृति की है क्योंकि इसके तहत किसी भी विशेषाधिकार को स्वीकार नहीं किया गया है।

विधि का समान संरक्षण

- ❖ यह संकल्पना अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था से प्रभावित है। आशय यह है कि जो समान है उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और जो असमान है उसके साथ असमान व्यवहार किया जाएगा।
- ❖ यह समान व्यवहार की संवैधानिक गारंटी देता है। वे सभी व्यक्ति जो एक ही परिस्थितियों में हैं एक से नियमों द्वारा शासित होंगे।
- ❖ समान संरक्षण का सिद्धांत असमान व्यक्तियों को सुविधाएं और अवसर प्रदान करके राज्य द्वारा सकारात्मक कार्य किए जाने की अपेक्षा करता है।
- ❖ इस सिद्धांत का आशय यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से कर लगाया जाएगा, किन्तु यह अर्थ है कि समान व्यक्तियों पर समान मानक से कर लगाया जाएगा। उदाहरणस्वरूप प्रगतिशील करारोपण एवं आरक्षण का सिद्धांत।
- ❖ आशय यह है कि यदि विभेदकारी वर्गीकरण के लिए युक्तियुक्त आधार है तो सक्षम विधानमंडल को यह हक है कि ऐसा जिम्मेदार व्यवहार कर सके।

❖ उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग-अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता यद्यपि अनुच्छेद-14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है।

❖ यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेने-देने के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है। लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए। बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए।

विधि का शासन

❖ ब्रिटिश न्यायवादी ए.वी. डायसी का मानना है कि 'विधि के समक्ष समता' का विचार 'विधि का शासन' के सिद्धांत का मौलिक तत्त्व है। इस संबंध में उन्होंने निम्न तीन अवधारणायें प्रस्तुत की हैं-

1. इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति अर्थात् किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाए दण्डित नहीं किया जा सकता।
 2. विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है। कोई व्यक्ति (अमीर-गरीब, ऊँचा-नीचा, अधिकारी-गैर-अधिकारी) कानून के ऊपर नहीं है।
 3. व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता अर्थात् संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है। जैसा कि न्यायालयों द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है न कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है।
- ❖ पहले एवं दूसरे कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत है।

❖ सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मौलिक तत्त्व है। इसलिये इसे किसी भी तरह, यहां तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है।

समता के अपवाद

❖ विधि के समक्ष समता का नियम, पूर्ण नहीं है तथा इसके लिये कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है-

1. भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों अनुच्छेद 361 के अंतर्गत को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं:-

- i) राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किये गये किसी कार्य या लिये गये किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे।
- ii) राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी।
- iii) राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि को दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती।
- iv) राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किये गये किसी कार्य के लिये किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हां यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देने के दो माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है।

2. कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार-पत्र में (या रेडियो या टेलिविजन में) करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा, देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकेगा। (अनुच्छेद-361 (क))

3. संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। (अनुच्छेद-105)

4. राज्य के विधानमण्डल में या उसकी किसी समिति में विधानमण्डल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। (अनुच्छेद-194)

5. अनुच्छेद-31 (ग), अनुच्छेद 14 का अपवाद है। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद-39 की उपधारा (ख) या उपधारा (ग) का समावेश है तो उसे अधिकार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करते हैं। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि 'जहां अनुच्छेद-31 (ग) आता है, वहां से अनुच्छेद-14 चला जाता है।

6. विदेशी संप्रभु (शासक), राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे।
7. संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेन्सियों को भी कूटनीतिक उन्मुक्ति प्राप्त है।

कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध

- ❖ अनुच्छेद-15 में यह व्यवस्था दो गई है कि राज्य नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें दो कठोर शब्दों को व्यवस्था है- 'विभेद' और 'केवल'।
- ❖ 'विभेद' का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। 'केवल' शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है।
- ❖ अनुच्छेद-15 को दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर- क दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या ख पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, दायित्वों, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा।
- ❖ यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम के निम्न तीन अपवाद हैं:-
 1. राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे, उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है।
 2. राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। उदाहरण के लिये, विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क से छूट शामिल है।

3. राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिये शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त, निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं।

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

- ❖ अनुच्छेद-16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साधारण नियम में तीन अपवाद हैं-
- 1. संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। जैसा कि सार्वजनिक रोजगार (जिसमें निवास की जरूरत हो) अधिनियम 1957 कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है।
- 2. राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है।
- 3. विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती

अस्पृश्यता का अंत

- ❖ अनुच्छेद-17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है।
- ❖ अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा। जो विधि अनुसार दंडनीय होगा।
- ❖ 1976 में, अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में मौलिकभूत संशोधन किया गया और इसका नया नाम 'नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955' में दिया गया तथा इसमें विस्तार कर दंड के उपबंध और सख्त बनाए गए।
- ❖ अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद-17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
- ❖ 'अस्पृश्यता' शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-17 के मामले में व्यवस्था दी कि

शाब्दिक एवं व्याकरणिय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार सामाजिक निर्योग्यता।

- ❖ अतः यह कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि से इनका बहिष्कार नहीं है।

यह अधिनियम निम्नलिखित को अपराध मानता है:-

- क) किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा से रोकना।
- ख) परंपरागत, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर 'अस्पृश्यता' को न्यायोचित ठहराना।
- ग) किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इंकार करना।
- घ) 'अस्पृश्यता' के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना।
- ङ) अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या छात्रावासों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना।
- च) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना।
- छ) किसी व्यक्ति को समान बिक्री या संवाएं देने से रोकना।

- ❖ उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद-17 के तहत यह व्यवस्था दो कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए।

उपाधियों का अंत

- ❖ अनुच्छेद-18 में उपबन्ध है कि "सेना अथवा विद्या सम्बन्धी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता।" इसके साथ ही भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति को आज्ञा के विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता।
- ❖ अनुच्छेद-18 को उपर्युक्त व्यवस्था के बावजूद भारत में 1950 से ही भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री आदि उपाधियां भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती रही।
- ❖ मार्च, 1977 में जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद महान्यायवादी ने परामर्श दिया कि ये उपाधियां अनुच्छेद-18 की धारा 1.2 और 3 के शब्दों तथा भावना के अनुरूप नहीं है।

- ❖ अतः जुलाई 1977 में संसद द्वारा एक विधेयक पारित कर इन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। 1980 में राजनीतिक स्थिति में पुनः परिवर्तन के साथ संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर पुनः इस प्रकार की उपाधियां प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया गया।

स्वतंत्रता का अधिकार –

- ❖ किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती।
- ❖ स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगे। यदि ऐसा करने की इजाजत दे दो जाय तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे।
- ❖ अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून-व्यवस्था को ठेस पहुंचाए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके।

A. छह अधिकारों की रक्षा

- ❖ अनुच्छेद-19 सभी नागरिकों को छह अधिकारों की गारंटी देता है। ये हैं- 1
क) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार।
ग) संगम या संघ बनाने का अधिकार।
घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार।
ङ) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने का अधिकार।
च) कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने और बस जाने का अधिकार।

मौलिकता:

- ❖ अनुच्छेद-19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। इन छह अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है न कि किसी निजी मामले में।

- ❖ अर्थात् ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयरधारकों के लिए हैं, न कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए। राज्य इन छह अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर 'उचित' प्रतिबंध लगा सकता है।

जिनका आधार निम्न है:-

1. भारत की प्रभुता एवं अखंडता,
2. राज्य की सुरक्षा,
3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध,
4. लोक-व्यवस्था,
5. शिष्टाचार या सदाचार के हित में अथवा न्यायालय अवमानना,
6. मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में,
7. पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के संबंध में युक्ति-युक्त निर्बंधन।

क. वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

- ❖ यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया:-
1. अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार।
2. प्रेस की स्वतंत्रता।
3. व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता।
4. फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार।
5. प्रसारित करने का अधिकार अर्थात् सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है।
6. किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार।
7. सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार।
8. शांति का अधिकार।
9. किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार।
10. प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं।

- ❖ राज्य वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उपरोक्त लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

भारतीय समाज में प्रेस की स्वतंत्रता

1. प्रेस की स्वतंत्रता संविधान सम्मत है। प्रस्तावना में 'विचार व अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता का उल्लेख है और प्रेस की स्वतंत्रता इसको और मजबूत बनाती है।
2. प्रेस को लोकतंत्र का 'चतुर्थ स्तम्भ' कहा जाता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बाद यह चतुर्थ स्तम्भ है जो कि पारदर्शिता, तानाशाही रोक, आदि में मददगार साबित हुआ है।
3. भारत जैसे देश में जहाँ व्यापक स्तर पर निरक्षरता है। प्रेस ड जनता की राजनैतिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक शिक्षा के बिना कोई भी योजना का सही कार्यान्वयन नहीं हो पाएगा।
4. भारत जैसे बहुलवादी समाज में प्रेस विभिन्न प्रकार के विचारों के समन्वय का माध्यम है, जिससे 'राष्ट्रीय एकीकरण' को बढ़ावा मिलता है।
5. भारत जैसे पारम्परिक देश में प्रेस समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मीडिया पर नियन्त्रण

- ❖ 19(1)(a) विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी है और संविधान में इस पर 8 प्रतिबंध लागू किए गए हैं जो अपने आप में पर्याप्त हैं तथा अन्य कानूनों की आवश्यकता नहीं है।
- ❖ पश्चिमी देशों में मीडिया ज्यादा स्वाधीन है, वहाँ शान्ति काल में मीडिया पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

ख) शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता

- ❖ अनुच्छेद-19(ख) के अनुसार व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किसी शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है तथा उसके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्यों के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सौमित किया जा सकता है।

ग) संगम या संघ बनाने का अधिकार

- ❖ अनुच्छेद-19(ग) के अनुसार संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई। परन्तु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है, जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगा सकता है।
- ❖ इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षडयन्त्र करें अथवा शांति और व्यवस्था को भंग करें।

घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाय संचरण का अधिकार

- ❖ अनुच्छेद-19 (घ) के अनुसार भारत के सभी नागरिक बिना प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के सम्पूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

ङ) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार

- ❖ अनुच्छेद-19 (ङ) के अनुसार भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छानुसार स्थाई या अस्थायी रूप से भारत में किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। भ्रमण और निवास के सम्बन्ध में संविधान द्वारा की गई यह व्यवस्था इकहरी नागरिकता के नितान्त अनुरूप है, किन्तु राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

छ) कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार

- ❖ अनुच्छेद-19 (छ) के अनुसार संविधान ने सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है। किन्तु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
- ❖ राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में ले सकता है।

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

- ❖ स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार' है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना उसके

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

- ❖ गिरफ्तार किये जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा, पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे।
- ❖ इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है।
- ❖ सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है।
- ❖ न्यायालय ने माना कि 'जीवन के अधिकार' का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता।

अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

- ❖ अनुच्छेद-20 के अनुसार किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दण्ड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में तीन व्यवस्थाएं हैं:-
- ❖ i. भूतलक्षी दांडिक विधान को प्रतिसिद्ध किया जाना-
- ❖ कोई नई विधि पुराने कार्य या व्यवहार को दंडनीय नहीं बना सकती। जो कार्य या व्यवहार अपने किए जाने की तिथि को अपराध नहीं है उसे पश्चातवर्ती तिथि को अपराध योग्य नहीं बनाया जा सकता।
- ❖ सामान्यतः विधानमंडल भूतलक्षी तथा भविष्यलक्षी (भविष्य के कार्य एवं व्यवहार को प्रभावित करने वाली विधि) दोनों प्रकार की विधियां बना सकती है, किन्तु इस खंड के अनुसार विधानमंडल कोई दांडिक विधि को भूतलक्षी बनाकर यह उपबंध नहीं कर सकेगा कि कोई व्यक्ति ऐसे कार्य या व्यवहार के लिए दोषसिद्ध किया जा सकेगा जो उस समय अपराध नहीं था जब कार्य किया गया था।

- ❖ ii. दोहरा दंडादेश या एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड देने का प्रतिषेध किया जाना-
- ❖ दोहरा दंड (Double Jeopardy) अमेरिकी विधि में प्रयोग में लाई गई है। भारतीय संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इस अनुच्छेद का यह खंड यद्यपि इसी सिद्धांत को उद्घोषित करता है। अतः यह सिद्धांत "दोहरा संकट या दोहरा जोखिम" कहलाता है।
- ❖ आशय यह है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात् यदि कोई व्यक्ति एक अपराध के लिए पहले की कार्यवाही में अभियोजित और दंडित किया जा चुका है। तो व्यक्ति उसी अपराध के लिए बाद में होने वाली कार्यवाही के लिए अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता। ऐसे दोहरे दंड की व्यवस्था करने वाली विधि शून्य होगी।
- ❖ लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकटरामन बनाम भारत संघवाद 1954 में यह अभिनिर्धारित किया कि अनु. 20 (ख) का निर्देश न्यायिक दंड के प्रति है। अर्थात् यह खंड न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष होने वाली कार्यवाहियों पर लागू होता है अन्यथा नहीं।
- ❖ उदाहरणस्वरूप-यदि किसी सरकारी सेवक को किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है तो उसके विरुद्ध उसी अपराध के लिए विभागीय कार्यवाही की जा सकती है या विभागीय कार्यवाही में दंड देने के पश्चात् न्यायिक कार्यवाहियां की जा सकती है।
- ❖ iii. स्वयं को अपराध में फसाने के विरुद्ध संरक्षण-
- ❖ किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साक्ष्य से आशय मौखिक एवं दस्तावेज दोनों ही प्रकार के साक्ष्य आते हैं। व्यक्तियों के साथ-साथ निगमों आदि को भी यह अधिकार दिया गया है।
- ❖ यह संरक्षण किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष दांडिक कार्यवाहियों तक सीमित है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपराध में फसाने वाला कथन कहता है तो उस कथन का प्रयोग उसके विरुद्ध किया जा सकता है।
- ❖ अनु.-20 के इसी खंड के तहत नारको परीक्षण को साक्ष्य मानने से न्यायालय ने इंकार कर दिया, क्योंकि इसके तहत

स्वयं के विरुद्ध की जाँच की जाती है जो कि व्यक्ति की इच्छा के विपरीत होता है। अनु-20 तथा अनु-21 को आपातकाल (अनु.-352) में भी छीना नहीं जा सकता। निवारक नजरबंदी सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाता है। पर इसके अपवाद भी हैं। कभी-कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर-कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किये बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं।

- ❖ इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून-व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो वह उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। तीन महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं।
- ❖ प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है। लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया है।
- ❖ इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नजरबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है।

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता

- ❖ अनुच्छेद-21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं।"
- ❖ इसका आशय यह है कि यह मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, इसे नागरिकता की संकल्पना से सीमित नहीं किया गया है। अतः यह एक मानव अधिकार भी है।
- ❖ जो राज्य को शक्ति सीमित करता है। दैहिक स्वतंत्रता संविधान के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की न्यायिक रिट द्वारा सुनिश्चित की गई है। इसे आपातकालीन स्थिति (अनु. -352) में भी छीना (अनु.-20 के साथ) नहीं जा सकता।

- ❖ न्यायालय ने विभिन्न वादों के माध्यम से उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए इस अनु. के तहत आदेश को सकारात्मक आदेश अन में बदल दिया है।
- ❖ गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद, 1950 में न्यायालय ने मत प्रतिपादित किया कि "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" जैसी संकल्पना को अंगीकार कर संविधान द्वारा इंग्लैंड वाली संकल्पना को अपनाया गया है।
- ❖ अमेरिका की सम्यक प्रक्रिया की संकल्पना को नहीं। इस निर्णय में यह कहा गया कि "भारतीय संविधान ने मुख्य रूप से न्यायपालिका के स्थान पर विधानमंडल को सर्वोपारिता को अधिमान दिया है।"
- ❖ ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाद, 1976 में न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया कि, भारतीय संविधान में अनु.-21 के अतिरिक्त दैहिक स्वतंत्रता का नैसर्गिक विधि या कॉमन लॉ जैसा कोई रक्षोपाय नहीं है।
- ❖ इसका परिणाम यह हुआ कि जब सक्षम विधानमंडल द्वारा दैहिक स्वतंत्रता छीन ली जाती है तो प्रभावित व्यक्ति को न्यायालय द्वारा कोई उपचार नहीं मिल सकता।
- ❖ यह निर्णय आपातकालीन व्यवस्था में आया, जहाँ 42वाँ, संविधान संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए अनु-51 (क) के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। उद्देशिका में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया।
- ❖ इसके साथ ही पूरे भाग-IV (नीति निदेशक तत्व) को भाग-III (मौलिक अधिकार) पर वरीयता दे दी गई। इसके अतिरिक्त अनु.-368 में खंड (4) तथा (5) को जोड़कर न्यायालय के न्यायिक समीक्षा के अधिकार को नियंत्रित करने के साथ ही संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। प्रतिक्रियास्वरूप केन्द्र में जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बदली और 44वाँ संशोधन, 1978 हुआ। इस संशोधन के तहत सर्वप्रथम यह व्यवस्था स्थापित कर दी गई कि आपातकाल (अनु.-352) के दौरान भी अनु-20 तथा अनु-21 व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते।
- ❖ मेनका गाँधी बनाम भारत संघ वाद, 1978 में बदले राजनीतिक परिवेश तथा न्यायिक निर्वचनों के द्वारा गोपालन के निर्णय को उलटते हुए कहा कि "यदि राज्य द्वारा

अधिनियमित कोई विधि किसी व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है तो उसे ऐसी प्रक्रिया अपनानी (विहित) चाहिए जो 'मनमानी', 'अक्रजु' या 'अयुक्तियुक्त' न हो।

- ❖ आशय यह हुआ कि यदि वह विधि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है तो वह असंवैधानिक होगी। इस प्रकार, विधि को स्थापित प्रक्रिया की जगह अमेरिकी संविधान ने "विधि की सम्यक् प्रक्रिया" जैसी संकल्पना को स्थापित कर दिया।

अन्य स्वतंत्रताएँ

- ❖ 'स्वतंत्रता के अधिकार' के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी हैं। पर इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के लिए 'भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' पर कानून-व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।
- ❖ सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वह शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के हो। सरकार किसी क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है।
- ❖ वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध-प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है।
- ❖ जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था।

मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार।

- स्वच्छ पर्यावरण प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा।
- जीवन रक्षा का अधिकार।
- निजता का अधिकार।
- आश्रय का अधिकार।
- स्वास्थ्य का अधिकार।

- 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार।
- अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार।
- त्वरित सुनवाई का अधिकार।
- हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार।
- अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार।
- देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार।
- विदेश यात्रा करने का अधिकार।
- बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार।
- हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार।
- आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार।
- सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार।
- राज्य के बाहर न जाने का अधिकार।
- निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।
- कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार।
- महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार।
- सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार।
- सूचना का अधिकार।
- प्रतिष्ठा का अधिकार।
- ❖ अनु-21 में दिए अधिकारों में किए सकारात्मक विस्तार का ही परिणाम था कि 1984 में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती को कहना पड़ा कि गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नजरिया अपनाने की जरूरत है।

आरोपी या अभियुक्त के अधिकार

- ❖ भारतीय संविधान प्रावधान करता है कि जिन लोगों पर विभिन्न अपराधों के आरोप हैं उन्हें भी पर्याप्त सुरक्षा मिले। हम प्रायः ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है।
- ❖ जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिले। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान तीन अधिकारों की व्यवस्था करता है-
- किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी:

- कोई भी कानून किसी भी ऐसे कार्य को जो उक्त कानून के लागू होने से पहले किया गया हो। अपराध घोषित नहीं कर सकता।
- किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009:

- ❖ 86वाँ संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे अन्तःस्थापित किया गया। इस नए मौलिक अधिकार द्वारा यह कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह 6-14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा इस अधिकार की पूर्ति के लिए राज्य समुचित विधि बनाएगा।
- ❖ इस संशोधन द्वारा शिक्षा पाना व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार हो गया। इसी के अनुपालन में संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है जिसे अप्रैल, 2010 से लागू किया गया।

निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण

- ❖ अनुच्छेद-22 में उल्लिखित यह मौलिक अधिकार, मानवाधिकार से संगति रखता है क्योंकि यह संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को मिले है।
- ❖ जो विधानमंडल की शक्तियों पर मर्यादा आरोपित करती है। इसके दो खंड (अनु.-22(1) तथा (2) है जो निवारक निरोध को छोड़कर सभी गिरफ्तारियों पर लागू होते हैं चाहे वे किसी भी विधि के अधीन की गई हो। इसके तहत निम्न अधिकार है-
- ❖ गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र अवगत कराने का अधिकार
- ❖ अपने रूचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा का अधिकार। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार।
- ❖ मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक समय के लिए गिरफ्तार न किए जाने का अधिकार। ऐसे रक्षोपाय (अधिकार) शत्रु अन्यदेशीय को तथा निवारक निरोध का

उपबंध करने वाली विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होंगे।

अनुच्छेद-22

- ❖ "मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबन्दी में संरक्षण"
- 1. गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताएं जाएंगे।
- 2. मनपसन्द वकील से परामर्श का अधिकार होगा। (वकील का लाना अपराधी की जिम्मेदारी है)
- 3. 24 घण्टे के अन्दर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
- ❖ यहां मजिस्ट्रेट व्यक्ति को 24 घण्टे के समय में यात्रा, अवकाश, देरी सम्मिलित नहीं होता, लेकिन ये अधिकार दो प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है:-

चयन का अधिकार

- ❖ हाल ही में, बिहार राज्य बनाम भारतीय मादक पेय कंपनियों का परिसंघ (2016) मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार से मादक पदार्थों पर लगाए गए 'निषेध' को असंवैधानिक करार दिया।
- 1. बिहार सरकार ने बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 के तहत एक अधिसूचना जारी कर एल्कोहल के विनिर्माण, बिक्री और वितरण तथा साथ ही इसके उपभोग या संग्रहण पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- 2. इसके साथ ही इसके द्वारा ऐसे मामलों में अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर डाल दी गई। यह पूर्व प्रचलित विधि के विपरीत है।
- 3. हालांकि उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी तथा बिहार में एक कठोर निषेध कानून को बनाए रखने की अनुमति दी।

निवारक निरोध

- ❖ अनुच्छेद-22 के दूसरे भाग के खंड 4 तथा 5 के तहत निवारक निरोधक विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों के लिए रक्षोपाय से संबंधित उपबंध है। यह रक्षोपाय अन्य देशीय शत्रु को भी उपलब्ध है। निवारक निरोध किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोकता है। यह कार्यपालिका द्वारा किया गया पूर्ववर्ती उपाय है।

सामान्यकाल और संकटकाल दोनों में लागू-

- ❖ निवारक निरोध के सम्बन्ध में विशेष बात यह है कि भारतीय सविधान के अनुसार निवारक निरोध सामान्यकाल तथा संकटकाल दोनों में लागू होगा।
- ❖ इतिहास में अन्य किसी भी प्रजातन्त्रात्मक राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ब्रिटेन और अमेरिका, आदि प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में केवल युद्धकाल में ही इसका आश्रय लिया जाता रहा है, लेकिन भारतीय संविधान युद्ध और शान्ति दोनों समयों के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था करता है।

निवारक निरोध अधिनियम, 1950-

- ❖ अनुच्छेद-22 के भाग 4,5 और 6 के अंतर्गत निवारक निरोध का जो उल्लेख किया गया है उसके अंतर्गत संसद के द्वारा 1950 ई. में निवारक नजरबन्दी अधिनियम पारित किया गया। समय-समय पर इस अधिनियम की अवधि बढ़ाई जाती रही और यह अधिनियम 31 दिसम्बर, 1969 तक चला।
- ❖ इस काल में विरोधी दलों द्वारा अनेक बार यह आरोप लगाया गया कि शासन के द्वारा इस अधिनियम की व्यवस्था का उपयोग अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।
- ❖ 1969 में संसद में कांग्रेस को आवश्यक बहुमत प्राप्त न होने के कारण इस अधिनियम की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकी। नोट- मई 1995 में 'टाडा' की अवधि की समाप्ति के बाद 'पोटा' (POTA) कानून लागू किया गया, जिसे बाद (2004) में समाप्त कर दिया गया। निवारक विरोध का आधार:- 1) राज्य की सुरक्षा, 2) लोक व्यवस्था बनाए रखना, 3) प्रतिरक्षा, 4) विदेश कार्य, 5) भारत की रक्षा।

संबंधित रक्षोपाय

- ❖ यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो सरकार को सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। विरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आधार की सूचना दी जाएगी।
- ❖ विरुद्ध व्यक्ति को निवारक निरोध आदेश के विरुद्ध आवेदन (अभ्यावेदन) करने के लिए शीघ्रतापूर्ण अवसर दिया जायेगा।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

- ❖ अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित शोषित और वंचित हैं या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण

को हम अपने देश में 'बेगार' या 'बंधुआ मजदूरी' के रूप में जानते हैं।

- ❖ इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को 'दास' के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है।
- ❖ प्राचीन समय में जमींदार, सूदखोर और अन्य धनी लोग) 'वैधुआ मजदूरी' करवाते थे। देश में अभी भी, खासतौर से भट्टे के काम में, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और यह कानून द्वारा दंडनीय है।
- ❖ संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नौकरी नहीं दी जा सकती। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बना कर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर 'शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार' को और अर्थपूर्ण बनाया गया है।
- ❖ अनुच्छेद-23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दण्डनीय अपराध है।
- ❖ भारत में सदियों से किसी-न-किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी। नवीन संविधान के अन्तर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दण्डनीय घोषित कर दिया गया है।
- ❖ इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
- ❖ अनुच्छेद-23 बेगार इच्छा के विपरीत, बिना मजदूरी दिए काम कराना।

बाल श्रम का निषेध-

- ❖ अनुच्छेद-24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता।

- ❖ लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बन्धक मजदूरी के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए 1975-76 में कुछ कदम उठाए गए। वस्तुतः शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

- ❖ संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। विश्व के अनेक देशों के शासक और राजाओं ने अपने-अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया।
- ❖ शासक के धर्म से अलग किसी धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश किया गया कि वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या यह निर्णय ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा।
- ❖ धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं।
- ❖ लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है।
- ❖ कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव-बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता।

- ❖ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वालों और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियाँ पैदा होती हैं। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है, तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि यह उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है।
- ❖ एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है।
- ❖ इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मनाने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं।
- ❖ संविधान भी जबर्न धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएँ प्रसारित करने का अधिकार देता है जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें।

धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार

- ❖ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदात करते हैं। इन अनुच्छेदों में प्रदत्त स्वतंत्रताओं का उल्लेख बहुत अधिक व्यापक शब्दों में और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूर्ण सन्तुष्टि को ध्यान में रखकर किया गया है।

अन्तःकरण की स्वतंत्रता-

- ❖ अनुच्छेद 25 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है।
- ❖ धार्मिक मामलों का प्रबन्ध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान करता है:- क) धार्मिक संस्थाओं तथा दान में स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार। ख) धर्म सम्बन्धी निजी मामलों का स्वयं प्रबन्ध का अधिकार। ग) चल और अचल सम्पत्ति के अर्जन और

स्वामित्व का अधिकार। घ) उक्त सम्पत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार।

- ❖ वस्तुतः अनुच्छेद-26, अनुच्छेद 25 का एक उपसिद्धान्त मात्र है।

धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट-

- ❖ अनुच्छेद-27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो।

सभी धर्मों की समानता

- ❖ विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी धर्म-विशेष का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है।
- ❖ भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमारा किसी धर्म-विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है।
- ❖ 'समानता के अधिकार' के अंतर्गत भी सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी।
- ❖ राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, न ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों से धर्म निरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है।

राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध-

- ❖ भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है, जिसे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है अतः अनुच्छेद 28 के अनुसार "राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।
- ❖ इसे साथ ही राज्य मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।"

- ❖ किन्तु अन्य अधिकारों की भांति ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबन्ध रहित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा सकता है।
- ❖ इसी प्रकार आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक हित की दृष्टि से राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है।
- ❖ राज्य सामाजिक हित और सुधार सम्बन्धी कार्य भी कर सकता है चाहे ऐसा करते हुए धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ही क्यों न करना पड़े।
- ❖ इस प्रकार सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित प्रतिबन्धों के साथ संविधान के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

- ❖ भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है वरन् उसमें काफी विविधता है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं।
- ❖ 'विविधता' हमारे समाज की मजबूती है। अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है।
- ❖ किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है।
- ❖ अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वह किसी अन्य समूह से छोटा होता है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है।
- ❖ भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं।
- ❖ शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है।

- ❖ भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद-29 के अनुसार, "नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।"
- ❖ यह भी कहा गया है कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूलवंश, जाति, धर्म और भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- ❖ अनुच्छेद-30 के अनुसार धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा।
- ❖ यह भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षक संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है।
- ❖ 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करने का जो कार्य किया गया है उसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें अल्पसंख्यकों के अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा इन शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार पर कोई आघात नहीं पहुंचेगा।
- ❖ अनुच्छेद-30 T.M. पाई फाउण्डेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002)- इस केस में SC द्वारा अल्पसंख्यक की परिभाषा दी गयी है। (जिसकी परिभाषा संविधान में नहीं दी गयी है।)
- ❖ न्यायालय द्वारा दिया निर्णय अल्पसंख्यकों की पहचान दो स्तरों पर होगी:- 1) राष्ट्रीय (अखिल भारतीय स्तर), 2) प्रान्तीय
- ❖ इन दोनों ही स्तरों पर अल्पसंख्यकों की पहचान जनसंख्या की आधार पर होगी-
- ❖ **1. राष्ट्रीय स्तर पर** - हिन्दु बहुसंख्यक है। शेष समुदायों में जिन्हें सरकार मान्यता दे वे अल्पसंख्यक माने जाएंगे। सरकार द्वारा वर्तमान में (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी) 6 अल्पसंख्यक घोषित है।
- ❖ प्रान्तीय स्तर पर प्रान्तीय स्तर पर प्रान्त की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला समूह बहुसंख्यक माना जाएगा।
- ❖ शेष समुदाय में राज्य सरकार (राज्य अल्पसंख्यक आयोग की सलाह पर) जिसे अल्पसंख्यक का दर्जा दे। (यह बात राज्यपाल तय करेगा इस आयोग अल्पसंख्यक की सलाह के आधार पर कि कौन अल्पसंख्य है।
- ❖ **संवैधानिक उपचारों का अधिकार**
- ❖ संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है। लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफी नहीं। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके।
- ❖ संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था है, जिसके बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन सिद्ध होंगे।
- ❖ संविधान-निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों को भी संविधान में स्थान दिया है, जिसका तात्पर्य है, कि नागरिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं।
- ❖ इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो अधिकारों के विरुद्ध हो।
- ❖ संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था के महत्व को दृष्टि में रखते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा था, "यदि कोई मुझसे यह पूछे कि संविधान का वह कौन-सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्यप्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है।"
- ❖ संविधान के तहत दिए मौलिक अधिकारों की अमूर्त घोषणाएं निरर्थक है जब तक उन्हें प्रभावी करने के साधन न हो।
- ❖ न्यायपालिका को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकार को छीनने या न्यून करने वाली विधि को विस्तार शून्य घोषित कर दे। न्यायालय यह न्यायिक कार्य व्यक्ति की याचिका से या Suo Motu (स्व प्रेरणा से) या जनहित याचिका के आधार पर यह कार्य कर सकती है।
- ❖ संविधान ने मौलिक अधिकारों के लागू करने के लिए रिटे निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय (अनु. 32 के तहत)

तथा उच्च न्यायालयों (अनु.-226 के तहत) को दी है। अनु.-32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है और केवल आपातकाल के दौरान संविधान में वर्णित रीति से ही निलंबित (अनु.-359 के द्वारा) किए जा सकेंगे।

- ❖ संसद को यह शक्ति है कि वह विधि बनाकर किसी अन्य न्यायालयों को रिटें निकालने के लिए सशक्त कर दें। अभी तक ऐसी कोई विधि नहीं है, अतः वर्तमान में रिटें निकालने की संविधानिक शक्ति केवल उच्च न्यायालय (अनु.-226) तथा उच्चतम न्यायालय (अनु.-32) को ही है। इसे 'संविधानिक उपचार' का अधिकार कहा जाता है यह संविधान के भवन को नींव का पत्थर है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैवियस कार्पस)

- ❖ यह एक आदेश के रूप में है। हैवियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ शरीर प्राप्त करना। यह रिट किसी भी व्यक्ति को जारी हो सकती है चाहे वह अधिकारी हो या प्राइवेट व्यक्ति।
- ❖ इसके तहत आदेश में उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित कराने को कहा जाता है जिसने उसे विरुद्ध किया है। ताकि यह बंदी रखने का विधिक औचित्य जान सके और संबंधित कार्यवाही को किया जा सके।

परमादेश (मैन्डेमस)

- ❖ यह एक ऐसा आदेश है जो व्यक्ति, निगम, कनिष्ठ न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी होता है जिससे यह अपेक्षा है कि वह कोई लोक कर्तव्य या लोक-कल्प विधिक कर्तव्य करें लेकिन उसे करने से इंकार कर दिया हो।
- ❖ इसके तहत रिट मांगने वाले को यह दिखलाना होगा कि उसका कोई विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है और जिसके विरुद्ध मांगी जा रही है, उसका कोई विधिक कर्तव्य है।
- ❖ यह न्यायालय के विवेकाधीन उपचार है अन्य विकल्प की उपलब्धता की स्थिति में कोई अन्य उपचार दिया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त परमादेश निम्न प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है:- जहाँ कोई न्यायालय या न्यायिक अधिकरण ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से इंकार किया है वहाँ उसे अधिकारिता का प्रयोग हेतु बाध्य करने के लिए। जहाँ कोई

लोक कर्तव्य संविधान, विधि या कानूनी नियम द्वारा निर्धारित हो, वहाँ किसी व्यक्ति को संबंधित कर्तव्य के लिए बाध्य करने हेतु रिट निकाली जाएगी। किसी लोक अधिकारी या सरकार को यह आदेश देने के लिए कि वह ऐसी विधि को अधिनियमित न करें जो असंवैधानिक है। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए रिट जारी नहीं की जाएगी। परमादेश संविधान, विधि या कानूनी नियम के किसी उपबंध के उल्लंघन करने के लिए प्राइवेट व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता। प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वाहन को छोड़कर उच्च न्यायालय या न्यायिक हैसियत में काम करते हुए किसी मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता।

प्रतिषेध

- ❖ यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण के लिए जारी की जाती है। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए अर्थात् यह कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को अपने विधि सीमाओं या अधिकारिता से बाहर जाने से प्रतिबंधित करती है।
- ❖ अर्थात् मामले लंबित होने की स्थिति में निर्णय देने से पूर्व जारी किया जाता है। यह रिट न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध ही दिए जाते हैं। यह रिट विधायी या कार्यपालिका कृत्यों के विरुद्ध नहीं दी जा सकती।
- ❖ प्राइवेट व्यक्ति या संगमों के विरुद्ध नहीं दी जाती। निर्णय दिए जाने के पश्चात् प्रतिषेध रिट नहीं दी जा सकती।

उत्प्रेषण

- ❖ यह न्यायालयों अथवा न्यायिक या न्यायिकल्प शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकरण के विरुद्ध दिए जाते हैं। यह आदेश या विनिश्चय को विखंडित करने के लिए जारी होता है। उत्प्रेषण तभी दिया जा सकता है जब आदेश दे दिया गया है अर्थात् आदेश के पश्चात्।
- ❖ कोई न्यायालय स्वयं को या किसी ऐसे अधिकरण को जो उससे कनिष्ठ या उससे अधीनस्थ नहीं है, यह रिट जारी नहीं किया जा सकता।
- ❖ उच्च न्यायालय स्वयं को अपने प्रशासनिक हैसियत के विरुद्ध तो रिट जारी कर सकता है, न्यायिक हैसियत के

विरुद्ध नहीं। एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय को रिट जारी नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय को एक पीठ उसी न्यायालय की दूसरी पीठ को रिट जारी नहीं कर सकती। प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण में अंतर प्रतिषेध उत्प्रेषण आदेश या विनिश्चय के पूर्व की स्थिति पश्चातवर्ती अवधारणा जब कार्यवाही लंबित हो जब निर्णय दे दिए गए

अधिकार पृच्छा

- ❖ यह रिट तब दी जाती है जब लोक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जाँच करना हो। यह एक विवेकाधीन उपचार है जिसे न्यायालय तथ्य एवं पारिस्थितियों के अनुसार दे भी सकता है या उससे इंकार भी कर सकता है।
- ❖ इसे जारी करने हेतु निम्न शर्तें: पद लोक पद होना चाहिए और वह किसी कानून द्वारा या स्वयं संविधान द्वारा सृजित होना चाहिए। पद निश्चित प्रकृति का होना चाहिए अर्थात् यह पद किसी व्यक्ति के प्रसाद या इच्छा पर आधारित नहीं होना चाहिए। ऐसे पद पर नियुक्ति करने में संविधान या कानूनी नियम का उल्लंघन हुआ है।

मौलिक अधिकारों से असंगत विधियाँ

- ❖ अनुच्छेद-13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में, ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद-32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद-226) को प्राप्त है, जो किसी विधि को मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने के आधार पर गैर-संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं।
- ❖ अनुच्छेद-13 के अनुसार, 'विधि' शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है:-
 1. स्थायी विधियाँ, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। अस्थायी विधियाँ, जैसे- राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश।
 2. प्रत्यायोजित विधान (कार्यपालिका विधान) की प्रकृति में सांविधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम विनिमय या अधिसूचना।
 3. विधि के गैर-विधायी स्रोत विधि का बल राजने वाली सदि या प्रथा।

- ❖ न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मौलिक अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।
- ❖ उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में कहा कि मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है।

सम्पत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति

- ☞ सम्पत्ति का मौलिक अधिकार सामाजिक-आर्थिक न्याय की प्राप्ति में बाधक बन रहा था और इस कारण सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नहीं बनाए रखा गया।
- ☞ 1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी द्वारा अपने चुनाव घोषणा-पत्र में भी कहा गया था कि "सम्पत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं रहेगा वरन् यह केवल एक कानूनी अधिकार होगा।"
- ☞ अतः सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में 44वें संवैधानिक संशोधन (1978) में निम्न प्रकार से व्यवस्था की गई है-
- ☞ संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1978 के फलस्वरूप अनुच्छेद 19 (1) (च) और अनुच्छेद-31 को अपने सभी उपखण्डों सहित निरसित कर दिया गया है ताकि इसके साथ ही संविधान के भाग-12 के एक नया अध्याय 4 जोड़ दिया गया है।
- ☞ इस नए अध्याय का शीर्षक है 'सम्पत्ति का अधिकार' और इसमें केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद-300 (क)। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि "कोई व्यक्ति विधि के अधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।"
- ☞ सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में चार उपबन्धों में से एक को छोड़कर शेष तीन उपबन्ध अब लुप्त हो गए हैं और केवल एक बचा है और वह भी मौलिक अधिकार के रूप में नहीं रहा, केवल एक वैधानिक अधिकार के रूप में बच रहा है।

- ☞ दूसरे शब्दों में, अब सम्पत्ति के अधिकार को अन्य मौलिक अधिकारों की भांति संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं हैं। अब यह एक कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं।
- ☞ इसका तात्पर्य यह है कि राज्य को वैयक्तिक सम्पत्ति लेने का अधिकार प्राप्त है, किन्तु ऐसा करने के लिए उसे किसी विधि का प्राधिकार प्राप्त होना चाहिए। कार्यपालिका के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।

मानवाधिकार आयोग

- ☞ किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को असलो पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों को प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- ☞ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सो.एल.) या पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पी.यू.डी.आर.) जैसी संस्थाएँ अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती हैं।
- ☞ इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो और सदस्य होते हैं।
- ☞ मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जाँच कर सकता है।
- ☞ जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है।
- ☞ आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं। इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस की ज्यादतियों, कार्यवाही न किये जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होती हैं।

- ☞ आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। यह सरकार या न्यायालय को अपनी जाँच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है।

राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व

- ❖ संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी।
- ❖ इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी हैं। लेकिन इसके साथ ही वे इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे।
- ❖ संविधान में कुछ निर्देशक तत्त्वों का समावेश तो किया गया लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर यह माँग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे।
- ❖ इसीलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्त्व 'वाद योग्य नहीं' हैं। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता।
- ❖ संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्त्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्त्वों को गंभीरता से लें।
- ❖ इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई है। निर्देशों की इसी सूची को राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व कहते हैं।

नीति-निर्देशक तत्त्व क्या हैं?

- ❖ नीति-निर्देशक तत्त्वों की सूची में तीन प्रमुख बातें हैं - वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए: वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, और वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति-निर्देशक तत्त्वों को

देखने से आपको संविधान निर्माताओं की 'भारत की कल्पना' का आभास होगा।

- ❖ समय-समय पर सरकार ने कुछ नीति-निर्देशक तत्त्वों को लागू करने का प्रयास किया। अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री-अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं।
- ❖ नीति-निर्देशक तत्त्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना आदि सम्मिलित हैं।

44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा जोड़े गए निदेशक तत्त्व

- ❖ राज्य, विशिष्टता, आय की असमानताओं को कम करने और समूहों के बीच तथा विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा (अनुच्छेद-38 'ए')।
- ❖ भारतीय संविधान में "राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व" भाग-4 में अनुच्छेद-36 से 51 तक विस्तृत है। इसे हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया था।
- ❖ नीति निदेशक तत्त्व हमारी सरकार के लिए एक पथप्रदर्शक तथा प्रकाश पूंज का कार्य करता है।
- ❖ नीति निदेशक तत्त्व हमारे संविधान की संजीवनी हैं इनमें भारतीय संविधान का दर्शन छिपा है। इनका उद्देश्य उस सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति के उद्देश्यों को पूरा करना है, जो स्वतंत्रता के समय अधूरे रह गये थे।
- ❖ संविधान सभा में कहा था कि "संविधान के भाग-4 को अधिनियमित करते हुए संविधान सभा भविष्य के विधानमण्डल और कार्यपालिका को यह निर्देश देती हैं।
- ❖ नीति निदेशक तत्त्वों वे लक्ष्य एवं उद्देश्य है, जिन्हें एक समाज को स्वीकार करना चाहिए तथा ये वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए तथा ये वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए।

- ❖ संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निदेशक तत्त्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निदेशक तत्त्वों को गंभीरता से ले।

उद्देश्य

- ❖ नीति निदेशक तत्त्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करना ताकि सामान्य जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठा सके और साथ ही संसाधनों का समान वितरण हो सके।
- ❖ इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं संबंधों को बढ़ावा मिल सके तथा पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संवर्द्धन हो मुख्यतः हम कह सकते हैं कि नीति निदेशक तत्त्वों का मूल उद्देश्य राजनैतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना करना है।
- ❖ डॉ. अंबेडकर ने इन सिद्धांतों को 'अनोखी विशेषता' वाला बताया है। मौलिक अधिकारों के साथ निदेशक तत्त्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है।
- ❖ वहीं ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक सिद्धांतों और मूल अधिकारों को "संविधान की मूल आत्मा" कहा है। निदेशक तत्त्वों के अधिकांश उपबंधों के पीछे के दर्शन को सर आइवर जेनिंस ने "फेबियन समाजवाद" कहा है जिसमें से समाजवाद निकाल दिया गया है, क्योंकि उत्पादन वितरण और विनिमय के साधनों में राष्ट्रीयकरण का अभाव है।

प्रकृति

- ❖ निदेशक तत्त्वों को प्रकृति गैर-न्यायोचित है अर्थात् इन निर्देशों को नहीं माने जाने पर उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। अतः राज्य इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है।
- ❖ अनु. 37 के अनुसार निदेशक सिद्धांत या तत्त्वों के संबंध में राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने के क्रम में इनका ध्यान रखे। इनको प्रकृति भले ही गैर-न्यायोचित हो, लेकिन इनका संबंध अनु.-14 अनु.-19 के संबंध के संदर्भ में जाँचा जाता है।
- ❖ **नीतियाँ**
- ❖ समान नागरिक संहिता
- ❖ मद्यपान निषेध

- ❖ घरेलू उद्योगों को बढ़ावा
- ❖ उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक
- ❖ ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन
- ❖ पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संवर्द्धन
- ❖ निदेशक सिद्धांतों का वर्गीकरण यद्यपि कि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इन्हें दशा एवं दिशा के आधार निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है-

1. समाजवादी सिद्धांत

- ❖ ये सिद्धांत लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य को स्थापित करते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है ताकि लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो पंडित नेहरू ने कहा कि "मेरी समाजवाद को कल्पना यह है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हो।"
- ❖ श्रीमती गाँधी ने भी कहा था कि "समाजवाद का अर्थ समूहवाद नहीं है, बल्कि उसका कार्य है सामाजिक-आर्थिक सुधारों द्वारा सबको समान अवसर उपलब्ध कराना।" इस सिद्धांत को निम्न निदेशकों के तहत देखा जा सकता है:
- ❖ लोगों के कल्याण को सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ असमानता को कम करते हुए प्रोत्साहित करना और समान अवसर उपलब्ध कराना। (अनु.-38)

सुरक्षित करना (अनु.-39)

- A. सभी नागरिकों के जीवनयापन का अधिकार
- B. समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर सामूहिक हितों की सुरक्षा
- C. धन एवं उत्पादन के साधनों में एकरूपता
- D. समान कार्य के लिए स्त्री एवं पुरुष को समान वेतन
- E. कर्मचारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण
- F. बच्चों को विकास अवसर उपलब्ध करना।
- ❖ समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। [अनु.-39(a)]
- ❖ बेरोजगारों, वृद्धों, विकलांगों को काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार (अनु.-41)

- ❖ मानवीय आधार पर काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता पाने का उपबंध (अनु. -42)
- ❖ सभी-कर्मचारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर के साथ ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराना। (अनु.-43)
- ❖ उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारों की सहभागिता एवं सुरक्षा के कदम उठाना [अनु.-43 (a)]
- ❖ पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को उन्नत करना (अनु.-47)

2. गाँधीवादी सिद्धांत

- ❖ ग्राम पंचायतों का गठन (अनु.-40)
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन (अनु.-43)
- ❖ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और समाज के कमजोर वर्गों की अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा (अनु.-46)
- ❖ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के उपभोग पर प्रतिबंध (अनु.-47)
- ❖ गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी संख्या में बढ़ोतरी को प्रोत्साहन (अनु.-48)

उदार-बौद्धिक सिद्धांत

- ❖ इसमें ऐसे सिद्धांत हैं जो स्वतंत्रता की उदारवादी विचारधारा से संबंधित हैं:-
- ❖ नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहिता। (अनु.-44)
- ❖ बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। (अनु.-45)
- ❖ पशु-चिकित्सा एवं कृषि का आधुनिक एवं वैज्ञानिक रूप से संगठन। (अनु.-48)
- ❖ राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित धरोहरों एवं ऐतिहासिक महत्त्व एवं कलात्मक स्थानों की सुरक्षा। (अनु.-49)
- ❖ कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। (अनु.-50)

4 अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के उपबंध

❖ पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्द्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। [अनु.-48 (क)]

❖ अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि (अनु.-51)

न्यायालय में प्रवर्तनीय क्यों नहीं?

❖ निदेशक तत्त्व भले ही न्याययोग्य नहीं हो लेकिन संविधान सभा में डॉ. अंबेडकर ने कहा था- "एक सरकार जो लोगों के समर्थन से बने वह मुश्किल से ही नीति बनाने में निदेशक सिद्धांतों को नकारे, यदि कोई सरकार उसे नकारती है तो उसे निर्वाचन के अवसर पर स्पष्टीकरण देना होगा"।

❖ राज्य निदेशक तत्त्वों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि:-

- इन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी।
- गरीबी, विषमतायें, पिछड़ापन, क्षेत्रीय असमानताओं आदि के कारण बाध्यकारी ढंग से लागू करने में काफी समस्या आयेंगी।
- स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखना होगा ताकि उसे इन बात के लिए स्वतंत्र रखा जाए कि उनके क्रम, समय, स्थान एवं पूर्ति का निर्णय लिया जा सके।
- राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया में भाग-3 तथा भाग-4 के बीच होने वाले टकराव से उनकी पूर्णता में विलंब होना आदि।

नीति निदेशक तत्त्वों की आलोचना

1. न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं- नीति-निदेशक तत्त्वों के विधिक महत्ता कम होने के कारण इस पर कई कड़े आक्षेप लगाए गए-

- ❖ सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि ये तो "पुण्यात्मा लोगों की महत्वकांक्षा" मात्र है। उनके अनुसार निदेशक तत्त्वों का उद्देश्य यद्यपि कि फेबियन समाजवाद की स्थापना करना है, लेकिन उसमें से समाजवाद को निकाल दिया गया है।
- ❖ प्रो. वेयर ने कहा कि "यदि इन घोषणाओं को केवल शब्द ही मानना है तो इससे संविधान की विश्वसनीयता कम होगी।" इन्होंने इसे "नैतिक उपदेश मात्र" कहा है।
- ❖ के. सी. व्येहर ने इन्हें "लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणापत्र" कहा।

2. तर्कसंगत रूप से व्यवस्थित नहीं दूसरा आक्षेप निर्देशों को तार्किक रूप में निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। जैसे इनकी घोषणा कम महत्व के विषयों और अति जरूरी आर्थिक एवं सामाजिक विषयों को मिला देती है।

3. रूढ़िवादी स्वरूप तीसरा आक्षेप इनके रूढ़िवादी स्वरूप पर लगाया जाता है। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार ये सिद्धांत 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। इसमें प्रावधान के पीछे के दर्शन तो विस्तृत समाजवाद की स्थापना करता दिखता है, लेकिन उससे समाजवादी तत्त्व नदारद है।

4. संवैधानिक टकराव के कारण स्थायित्व का अभाव चौथा आक्षेप, इससे संबंधित संवैधानिक टकराव को लेकर है। के. संधानम के अनुसार इन सिद्धांतों से केंद्र एवं राज्यों के बीच, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। संघ द्वारा राज्यों को दिए निर्देश नहीं माने जाने पर राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है।

5. अस्पष्ट एवं अनिश्चित प्रकृति का होना कुछ आलोचकों ने इसके विषय को अस्पष्ट एवं अनिश्चित प्रकृति का कहा है, जैसे-समाजवादी सिद्धांतों में मजदूरों एवं मालिकों के आपसी संबंधों के बारे में कोई निश्चित, स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही, इससे संबंधित स्पष्ट नीति का भी अभाव है।

उपयोगिता

❖ संविधान ने खुद भी घोषणा की है कि वे देश संचालन की बुनियाद है। संविधान विशेषज्ञ एल. एम. सिंघवी के अनुसार- निदेशक सिद्धांत संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्थाएं हैं। संविधान के आवरण एक सामाजिक न्याय में इसका दर्शन दिया है।

❖ पणिक्कर के अनुसार इनका उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है। डॉ. अंबेडकर ने इनके महत्त्व को स्पष्ट करते कहा कि इनका उद्देश्य 'आर्थिक लोकतंत्र' की स्थापना है जो राजनैतिक लोकतंत्र से भिन्न है।

❖ संविधान सभा के सलाहकार वी. एन. राव. ने निदेशक सिद्धांतों को राज्य के लिए नैतिक जरूरत एवं शैक्षिक मूल्य वाला बताया। ये सभी तत्त्व देश के शासन में आधारभूत है और जो सरकार जनता की इच्छा से टिकी हुई है शासन

संचालन एवं राज्य व्यवस्था को आकार देने में इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती।

- ❖ ये न्यायालयों को न्यायिक निर्णय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें न्यायिक समीक्षा की शक्ति के इस्तेमाल में मदद करते हैं जो कि कानून की संवैधानिक वैधता की व्यवस्था वाली शक्ति होती है।
- ❖ ये प्रस्तावना को विस्तार देते हुए पूरकता की भूमिका निभाते हैं। इससे भारत के नागरिकों को भारतीय न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को मजबूती मिलती है।
- ❖ अनु-39(B) तथा C में दिए प्रावधानों को लागू करने के क्रम में अनु-14 तथा 19 के उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता।
- ❖ संविधान में निरंतर संशोधन करते हुए (जैसे कि पहला, चौथा, 17वाँ, 42वाँ तथा 44वाँ) यह प्रावधान सुस्थापित कर दिया गया है जिससे राज्य को कृषि, आर्थिक या सामाजिक सुधार करने में कठिनाई उत्पन्न न हो।
- ❖ ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। यह भाग तीन में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं। ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं।
- ❖ विपक्षी दल सत्ता पक्ष के दलों पर निदेशक तत्वों में वर्णित प्रावधानों को लागू करवाने हेतु दवाव तथा न लागू करने की स्थिति में आलोचना कर सकते हैं।
- ❖ ये आम राजनीतिक घोषणापत्र की तरह सहायक होते हैं। एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद इसे विधानमंडलीय क्रियान्वयन में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ये सिद्धांत इसके प्रदर्शक, दार्शनिक एवं भिन्न हैं।

नागरिकों के मौलिक कर्तव्य

- ❖ वर्ष 1976 में संविधान का 42वाँ संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन से संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया जिसमें कुल दस कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है।

- ❖ नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए।
- ❖ संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा।
- ❖ भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल कर्तव्य को निरूपित नहीं किया था। अतः 1975 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया तथा 42वाँ संविधान संशोधन, 1976, में इसे भारतीय संविधान के भाग-4 (क) (अनुच्छेद-51(ए)) जोड़ दिया।

11 मूल कर्तव्य

- ☞ क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
- ☞ ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
- ☞ ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
- ☞ घ) देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
- ☞ ङ.) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
- ☞ च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिक्षण करें।
- ☞ छ) प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा मात्र के प्रति दयाभाव रखें।
- ☞ ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
- ☞ झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।

- ☞ ज) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाईयों को छू ले।
- ☞ ट) छः वर्ष की आयु से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक, जैसा मामला हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

नीति-निर्देशक तत्त्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध

- ❖ मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्त्वों को एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहाँ मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं वहीं नीति-निर्देशक तत्त्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं।
- ❖ मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति-निर्देशक तत्त्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी-कभी जब सरकार नीति-निर्देशक तत्त्वों को लागू करने का प्रयास करती है, तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं।

- ❖ यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएँ वैयक्तिक हित से ऊपर हैं, सरकार ने नीति-निर्देशक तत्त्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता थी कि नीति-निर्देशक तत्त्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- ❖ इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक हैं। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति-निर्देशक तत्त्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।

चुनाव और प्रतिनिधित्व

भारत में चुनाव व्यवस्था

- ❖ लोकतान्त्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और उसकी इच्छा हो यह तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं और उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियाँ हो सकती हैं।
- ❖ कुछ नियम ऐसे हैं जिनसे बड़े दलों को लाभ पहुँचता है कुछ नियमों से छोटे दलों को मदद मिलती है। कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में जाते हैं, तो अन्य अल्पसंख्यकों को संरक्षण देते हैं।

'जो सबसे आगे वही जीते'

- ❖ 1984 के लोक सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीतीं जो कुल सीटों के 80 प्रतिशत से भी अधिक है। लोक सभा चुनावों में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। इस व्यवस्था में - पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया गया है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।
- ❖ इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले।
- ❖ इस विधि को 'जो सबसे आगे वही जीते' प्रणाली (फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम) कहते हैं। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वहीं विजयी होता है। इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है।
- ❖ कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज्यादा सीटें इसलिए मिलीं क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहाँ उसके प्रत्याशी जीते उन्हें 50 प्रतिशत से कम वोट मिले।
- ❖ यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हों तो जीतने वाले प्रत्याशी को प्रायः 50 प्रतिशत से कम वोट मिलते हैं। सभी हारने वाले

प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों या दलों को कोई सीट नहीं मिलती।

❖ मुख्य अंतर सारणीबद्ध रूप में:

पक्ष	सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत (FPTP)	समानुपातिक प्रतिनिधित्व (PR)
प्रतिनिधि चयन	क्षेत्रीय उम्मीदवार	पार्टी के अनुसार सूची से
सीट आवंटन	सबसे अधिक वोट पाने वाले को	वोट प्रतिशत के अनुसार
मतों का उपयोग	कई वोट व्यर्थ हो जाते हैं	लगभग सभी वोट प्रभावी होते हैं
स्थिरता	अधिक	कम
प्रतिनिधित्व	कम विविधतापूर्ण	अधिक विविधतापूर्ण

समानुपातिक प्रतिनिधित्व

- ❖ इजराइल में मतगणना के बाद, प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है।
- ❖ प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है।
- ❖ चुनावों की इस व्यवस्था को 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं।
- ❖ समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। कुछ देशों जैसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है जहाँ पूरे देश को बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है।
- ❖ प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता

है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं न कि उनके प्रत्याशियों को।

- ❖ एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सोर्ट दे दी जाती है। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं।
- ❖ भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य सभा और विधान परिषदों के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है।

राज्य सभा के चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली

- ❖ समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्वरूप हमें भारत में राज्य सभा चुनावों में देखने को मिलता है इसे 'एकल संक्रमणीय मत प्रणाली' कहते हैं। प्रत्येक राज्य को राज्य सभा में सीटों का निश्चित कोय प्राप्त है।
- ❖ राज्यों की विधान सभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं।
- ❖ मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है।
- ❖ याह प्रक्रिया काफी जटिल है जो किसी छोटे देश में तो लागू हो सकती है पर उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश भारत में नहीं। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है।
- ❖ उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं।
- ❖ मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को

भी वरीयता दे सकता है और किसी दल को भी। वह चाहे तो इन दोनों में, मतदान के समय, संतुलन बनाने की भी कोशिश कर सकता है।

- ❖ यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन् उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खासतौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गयी सूची के अनुसार होता है।
- ❖ इस प्रकार, किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी, कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता। लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था में किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं।
- ❖ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। इस व्यवस्था की माँग है कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त हो।
- ❖ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें बँट जायेंगी।
- ❖ सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में अमूमन बड़े दलों या गठबंधनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती हैं।
- ❖ अतः यह प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। अंत में, सर्वाधिक मत से जीत वालो प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है।
- ❖ भारत जैसे विविधताओं वाले देश में, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी। संभवतः यह बात भी भारतीय संविधान बनाने वालों के दिमाग में रही होगी।

- ❖ संविधान का अब तक का कामकाज संविधान-निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है। संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की कार्यप्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है।
- ❖ सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है। इसने केंद्र और राज्यों में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है। इस प्रणाली ने उन दलों को भी हतोत्साहित किया है जो किसी एक जाति या समुदाय से ही अपने सभी वोट प्राप्त करते हैं। समान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली से द्विदलीय व्यवस्था उभरती है।
- ❖ इसका मतलब है कि सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी हैं और यही दोनों बारी-बारी से सत्ता प्राप्त करते हैं। नये दलों या किसी तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस संदर्भ में भारत में इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग है।
- ❖ स्वतंत्रता के बाद, यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनायी, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया।
- ❖ इसके साथ-साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे। 1989 के बाद, भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्यप्रणाली को देखा जा सकता है। इसी के साथ, अनेक राज्यों में धीरे-धीरे द्वि-दलीय प्रतियोगिता उभर रही है।
- ❖ भारत की दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि गठबंधन सरकारों के आने से नये और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिला है।

निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण

- ❖ सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। इससे छोटे-छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है।
- ❖ यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। ऐसे सामाजिक व्यवस्था में, सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली

का परिणाम यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह और जातियाँ हर जगह जीत जायेंगी और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पायेगा।

- ❖ भारतीय संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे।
- ❖ स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर वहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने 'पृथक-निर्वाचन मंडल' की शुरुआत की थी। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे।
- ❖ संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी। इसलिए, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया।
- ❖ इस व्यवस्था के अंतर्गत, किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है।
- ❖ अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सकें। लेकिन पूरे देश पर नजर डालने पर वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं।
- ❖ उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण को व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा और राज्य की विधान सभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। > प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ा कर 2010 तक कर दिया गया है।
- ❖ आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। आज लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 79

अनुसूचित जाति और 41 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

- ❖ यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं।
- ❖ यह चुनाव आयोग के साथ मिल कर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है।
- ❖ परिसीमन के बाद, परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है।
- ❖ अनुसूचित जातियों के मामले में, परिसीमन आयोग दो बातों पर ध्यान देता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा होता है। लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है, इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है।
- ❖ संविधान अन्य उपेक्षित या कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता। इधर, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार माँग उठी है। लोकसभा और विधान सभा में ऐसी ही व्यवस्था करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया, पर उसे पारित नहीं किया जा सका।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव

- ❖ किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके।
- ❖ यदि हम लोकतंत्र को एक जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिससे मतदाताओं की

आकांक्षाएँ चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सकें।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

- ❖ लोकतांत्रिक चुत्तावों में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। स
- ❖ बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफी देर से और बड़े संघर्ष के बाद मिला। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया।
- ❖ 1989 तक, 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लने का अवसर प्रदान करता है।
- ❖ यह समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है, अनेक लोग पहले और आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं था। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्त्व में समान रूप से विश्वास था कि वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं।
- ❖ जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है, वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है। लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अहंता भिन्न-भिन्न होती है।
- ❖ एक कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दो या दो से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई हो, तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस रूप में, हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है।
- ❖ विशेष बहुमत

- उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत: और सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत

स्वतंत्र निर्वाचन आयोग

- ❖ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 'निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण' का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है।
- ❖ संविधान के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान को इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की है।
- ❖ भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता। क भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहु-सदस्यीय भी हो सकता है। 1989 तक, निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था।
- ❖ 1989 के आम चुनावों के ठीक पहले, दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर इसे बहु-सदस्यीय बना दिया गया। चुनावों के बाद उसे फिर एक सदस्यीय बना दिया गया। 1993 में पुनः दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहु-सदस्यीय हो गया; तब से यह बहु-सदस्यीय बना हुआ है। शुरू में बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग को लेकर तरह-तरह की शंकाएँ थीं।
- ❖ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है। इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा।
- ❖ बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि इससे आयोग की शक्तियों में साझेदारी हो गई है और आयोग पहले से कहीं ज्यादा जवाबदेह बन गया है।
- ❖ मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी हर निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ समान हैं।

- ❖ उनको नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद् के परामर्श पर की जाती है। ऐसे में संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनावों में सरकार का समर्थन करे।
- ❖ इसके लिए एक भिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना जरूरी होना चाहिए।
- ❖ संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। उन्हें 6 वर्षों के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक (जो पहले खत्म हो) के लिए नियुक्त किया जाता है।
- ❖ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से पारित कर इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा।
- ❖ ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न हटा सके जो चुनावों में उसकी तरफदारी करने से मना करे। निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है।

भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य-

- ❖ वह मतदाता सूचियों को नया करने के काम की देख-रेख करता है। पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलतियाँ न हों अर्थात् पंजीकृत मतदाताओं के नाम न छूट जाएँ और न ही उसमें ऐसे लोगों के नाम हों जो मतदान के अयोग्य हों या जीवित ही न हों।
- ❖ वह चुनाव का समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख होता है चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा।
- ❖ इस पूरी प्रक्रिया में, निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। वह पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहाँ माकूल

माहौल नहीं है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है।

- ❖ निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है।
- ❖ यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी तो वह वह दोबारा मतगणना कराने की भी आज्ञा दे सकता है।
- ❖ निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिह्न आटित करता है।
- ❖ निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं। वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है। लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है।
- ❖ चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य दिये जाते हैं और इस संबंध में निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है।
- ❖ निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है या उनके तबादले को रोक सकता है अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल रहे तो आयोग उसके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है।
- ❖ विगत वर्षों में, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है जिसने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। उसने चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाये रखने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से काम किया है।
- ❖ निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की कार्यप्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी या संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं। यह आम धारणा है कि 20 वर्ष पहले के मुकाबले आज निर्वाचन आयोग ज्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है। ऐसा इसलिए नहीं कि निर्वाचन

आयोग की शक्तियाँ या उसकी संवैधानिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

- ❖ दरअसल निर्वाचन आयोग ने केवल उन शक्तियों का और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया है जो उसे संविधान में पहले से ही प्राप्त थीं। चुनाव सुधार चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। उसमें अनेक कमियाँ और सीमाएँ होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है।
- ❖ वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है।
- ❖ पिछले 50वर्षों के अनुभवों के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिये गये हैं। चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दलों, स्वतंत्र समूहों और अनेक विद्वानों द्वारा दिये गये हैं।
- ❖ हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करनी चाहिये। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सोटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे।
- ❖ संसद और विधान सभाओं में एक तिहाई सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाये जाएँ।
- ❖ चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिये। सरकार को एक विशेष निधि से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिये।
- ❖ जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिये, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो।
- ❖ चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिये।
- ❖ राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी तथा

लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिये। ये कुछ सीमित सुझाव हैं।

- ❖ वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल और वे सभी लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें।
- ❖ कानूनी सुधारों के अतिरिक्त, दो और तरीके हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करे। पहला तो यह कि जनता को स्वयं ही और अधिक सतर्क रहना चाहिये तथा राजनीतिक कार्यों में और सक्रियता से भाग लेना चाहिये।

निष्कर्ष

- ❖ जिन देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है वहाँ चुनाव और चुनाव का प्रतिनिधित्व वाला स्वरूप लोकतंत्र को प्रभावी और विश्वसनीय बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भारत में चुनाव व्यवस्था की सफलता अनेक आधारों पर मापी जा सकती है।
- एक, हमारी चुनाव व्यवस्था ने मतदाताओं को न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता दी है, बल्कि उन्हें केंद्र और राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकारों को बदलने का अवसर भी दिया है।
- दो, मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि ली है और उसमें भाग लिया है। चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों और दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
- तीन, चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला है और यह सभी को साथ लेकर चली है। हमारे प्रतिनिधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी धीरे-धीरे बदली है। अब हमारे प्रतिनिधि विभिन्न सामाजिक वर्गों से आते हैं, यद्यपि इनमें अभी महिलाओं की संख्या में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है।
- चार, देश के अधिकतर भागों में चुनाव परिणाम चुनावी अनियमितताओं और धाँधली से प्रभावित नहीं होते यद्यपि चुनाव में धाँधली करने के अनेक प्रयास किये जाते हैं। चुनावों में हिंसा, मतदाता सूचियों से वोटों के नाम गायब होने की शिकायतें, डराये-धमकाए जाने आदि की शिकायतें अकसर सुनी होगी। फिर भी, ऐसी घटनाओं से शायद हो कोई चुनाव परिणाम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता हो।

- अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अभिन्न अंग हो गये हैं। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी कोई सरकार चुनावों में जनादेश का उल्लंघन भी करेगी।
- ❖ इसी तरह, कोई यह भी कल्पना नहीं कर सकता कि बिना चुनावों के कोई सरकार बन सकेगी। वास्तव में, भारत में निश्चित अंतराल पर होने वाले नियमित चुनावों को एक महान लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में ख्याति मिली है।
- ❖ इन सभी बातों से हमारी चुनाव व्यवस्था को देश-विदेश में आदर से देखा जाता है।
- ❖ भारत में मतदाता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। मतदाताओं को निगाह में निर्वाचन आयोग का कद बढ़ा है। यह हमारे संविधान निर्माताओं के मूल निर्णयों को उचित ठहराता है।
- ❖ यदि चुनाव प्रक्रिया को कुछ और दोषरहित बनाया जा सके तो हम मतदाता और नागरिक के रूप में लोकतंत्र के इस महोत्सव का और अच्छी तरह आनंद उठा सकेंगे तथा इसे और अर्थपूर्ण बना सकेंगे।

अभ्यास प्रश्न

1. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है?

- A. योजना आयोग
- B. परिसीमन आयोग
- C. निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग की सहायता से
- D. निर्वाचन आयोग

उत्तर –

2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा हेतु संविधान उनके लिए कौन सा प्रावधान किया गया है?

- A. सार्वजनिक सेवाओं में स्थान सुरक्षित करता है और विधायिकाओं में स्थान सुरक्षित करता है दोनों।
- B. सार्वजनिक सेवाओं में स्थान सुरक्षित करता है।
- C. रक्षा सेवाओं में स्थान सुरक्षित करता है।
- D. विधायिकाओं में स्थान सुरक्षित करता है।

उत्तर –

3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम के क्या उद्देश्य
1. अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए आर्थिक तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों की बढ़ावा देना तथा इस सम्बन्ध में व्यापारिक समूहों तथा महिलाओं को प्राथमिकता देना।

2. अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्यों को आवश्यक कर्जा तथा अग्रिम धन प्रदान करना, ताकि वे सब रोजगार तथा उद्योग स्थापित कर सकें।

3. रोजगार के क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A. 2 और 3 B. 1, 2 और 3
C. 1 और 2 D. 1 और 3

उत्तर –

4. भारतीय चुनाव आयोग ने पंजीकृत, गैर-मान्यता प्राप्त राजनितिक दलों को आम चुनावों के दौरान एक बार के लिए सामान्य चिन्ह रखने की अनुमति प्रदान की है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन नहीं है

- A. पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ऐसे राज्य जहाँ 50 से कम विधानसभा क्षेत्र है, में कम-से-कम 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ना पड़ेगा
B. पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ऐसे राज्य जहाँ 10 से कम संसदीय क्षेत्र हैं, में कम-से-कम 1 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ना पड़ेगा
C. पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 20 से कम लोकसभा क्षेत्र वाले राज्य में कम-से-कम दो स्थानों पर चुनाव लड़ना होगा
D. पंजीकृत, गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आम चुनावों में एक राज्य के कम-से-कम 10% चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ना पड़ेगा

उत्तर –

5. निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है?

- A. आर्थिक व्यवस्था
B. राजनैतिक व्यवस्था
C. अन्तर्राष्ट्रीय
D. सामाजिक व्यवस्था

उत्तर –

6. भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की जगह एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है

- A. विधानसभा द्वारा
B. लोकसभा द्वारा
C. राष्ट्रपति द्वारा
D. लोकसभा और विधानसभा द्वारा

उत्तर –

7. किस अनुच्छेद के अनुसार संसद समय-समय पर विधिद्वारा, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमण्डल के सदन के लिए निर्वाचन सम्बन्धी कानून बनाती है?

- A. अनुच्छेद-327
B. अनुच्छेद-325
C. अनुच्छेद-324
D. अनुच्छेद-323

उत्तर –

8. किस अनुच्छेद में वर्णित है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन व आवण्टन में सम्बन्धित मामलों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा?

- A. अनुच्छेद-328
B. अनुच्छेद-329
C. अनुच्छेद-324
D. अनुच्छेद-327

उत्तर –

9. किस अनुच्छेद के अनुसार यदि संसद राज्य विधानमण्डल के बारे में कानून नहीं बनाती है, तो राज्य विधानमण्डल अपने सदन के लिए निर्वाचन सम्बन्धी कानून बना सकती है?

- A. अनुच्छेद-325
- B. अनुच्छेद-327
- C. अनुच्छेद-326
- D. अनुच्छेद-328

उत्तर –

10. संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति तथा लिंग के आधार पर संसद या अन्य किसी निर्वाचन के लिए मतदाता में शामिल हेतु अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है?

- A. अनुच्छेद-326
- B. अनुच्छेद-327
- C. अनुच्छेद-328
- D. अनुच्छेद-325

उत्तर –

11. भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली अपनाई गई है-

- A. राज्यसभा में
- B. राष्ट्रपति में
- C. विधानपरिषद् में
- D. लोकसभा में

उत्तर –

12. बहुमतीय प्रणाली के सम्बन्ध में कौन-सा कथन असत्य है?

- A. बहुमतीय प्रणाली में दो प्रकार से उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है

- B. इस प्रणाली में एक व्यक्ति एकल चुनाव क्षेत्र से तभी विजयी घोषित किया जाता है जब उसे 60% से अधिक मत प्राप्त हो
- C. द्वितीय मत प्रणाली फ्रांस में प्रचलित है
- D. द्वितीय मत प्रणाली, बहुमतीय प्रणाली का एक प्रकार है

उत्तर –

13. बहुलवादी व्यवस्था में उम्मीदवार विजयी घोषित होता है

- A. उपरोक्त में से कोई नहीं
- B. जो दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करता है
- C. जो डाले गए कुल मतों का आधे से अधिक प्राप्त करता है
- D. जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है

उत्तर –

14. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केन्द्र और राज्य के विधानमण्डलों के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है?

- A. अनुच्छेद-326
- B. अनुच्छेद-323
- C. अनुच्छेद-324
- D. अनुच्छेद-325

उत्तर –

15. ई. वी. एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) का प्रयोग किस समिति की सिफारिश पर किया गया?

- A. लिंगदोह समिति
- B. इन्द्रजीत गुप्ता समिति
- C. के. सन्धानम समिति
- D. दिनेश गोस्वामी समिति

उत्तर –

कार्यपालिका

कार्यपालिका क्या है?

- ❖ किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देख-रेख तथा उनमें तालमेल कर सके।
- ❖ ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे-कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं।
- ❖ सरकार के मामले में भी, एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है। कार्यपालिका कहलाता है।
- ❖ कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रायः नीति-निर्माण में भी भाग लेती है।
- ❖ कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है, तो कहीं चांसलर।
- ❖ कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढाँचा (सिविल सेवा के सदस्य) भी शामिल है।
- ❖ सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं लेकिन जो लोग रोज-रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं।

कार्यपालिका के प्रकार

- ❖ भारत सहित विश्व के लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका की संरचना तीन प्रमुख प्रणालियों में देखी जाती है:

- ❖ संसदीय कार्यपालिका
- ❖ अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका
- ❖ अर्ध-अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका

1. संसदीय कार्यपालिका

- ❖ वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है।
- ❖ राष्ट्राध्यक्ष (जैसे राष्ट्रपति) केवल नाममात्र का प्रमुख होता है।
- ❖ कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।
- ❖ अगर संसद विश्वास खो देती है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।
- ❖ उदाहरण: भारत, यूनाइटेड किंगडम, जापान

2. अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका

- ❖ राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख दोनों होता है।
- ❖ राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है।
- ❖ कार्यपालिका और विधायिका एक-दूसरे से स्वतंत्र होती हैं।
- ❖ कार्यपालिका संसद को जवाबदेह नहीं होती।
- ❖ उदाहरण: अमेरिका, ब्राज़ील, नाइजीरिया

3. अर्ध-अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका

- ❖ यह प्रणाली संसदीय और अध्यक्षतात्मक प्रणाली का मिश्रण है।
- ❖ कार्यपालिका दो प्रमुखों में बंटी होती है:
 - राष्ट्रपति – शक्तिशाली होता है और विदेश नीति, रक्षा आदि पर नियंत्रण रखता है।
 - प्रधानमंत्री – आंतरिक प्रशासन और संसद से जुड़े कार्यों का संचालन करता है।
- ❖ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- ❖ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।

- ❖ इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। रूस में एक अर्द्ध-अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाममात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है।
- ❖ अध्यक्षतात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है।
- ❖ संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है।
- ❖ इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है।
- ❖ अर्द्ध-अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं।
- ❖ इस व्यवस्था में, कभी-कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी वे दो अलग-अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है।

भारत में संसदीय कार्यपालिका

- ❖ भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षतात्मक सरकार का था। लेकिन अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है।
- ❖ अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ-साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे हों।
- ❖ संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएँ हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका, विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। इसलिए, संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया।
- ❖ इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति, भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं।
- ❖ भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं। पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद् के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है।
- ❖ राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है।
- ❖ केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है।
- ❖ इस कथन में जिस शब्द 'ही' का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह मानने को बाध्य है। राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् को सलाह मानने को बाध्य है।

- ❖ बाद में एक और संशोधन के द्वारा यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद् के द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ेगा।

राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति

- ❖ राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। उसे औपचारिक रूप से बहुत-सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- ❖ संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही वास्तविक कार्यकारी हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद् की सलाह माननी पड़ती है।

संसद और राष्ट्रपति

- ☞ अनुच्छेद 79 में संसद के जिन घटकों का वर्णन किया गया है, उनमें राष्ट्रपति भी शामिल है, इस दृष्टि से राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक है।
- ☞ संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के अधिवेशन को बुलाने, समाप्त करने तथा उसे विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है।
- ☞ राष्ट्रपति को दोनों सदनों को सम्बोधित करने और सन्देश भेजने का भी अधिकार प्राप्त है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विधि का रूप धारण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को किसी विधेयक को वीटो करने का अधिकार प्राप्त है।
- ☞ जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है, यह अध्यादेश संसद द्वारा पारित किये गये कानूनों की तरह प्रभावी होते हैं।
- ☞ द्वितीय, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने का अधिकार भी संसद को प्राप्त है यह इतना महत्वपूर्ण अंकुश है जो राष्ट्रपति को अपने साविधानिक सीमाओं में रहते हुए कार्य करने के लिए बाध्य करता है ताकि वह संसद से कोई टकराव ना करे।
- ☞ संसद राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष ढंग से भी नियंत्रित करती है। संसदीय शासन का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति की

सविधानिक शक्तियों के प्रयोग मंत्रिमण्डल द्वारा ही किया जाता है।

- ☞ संविधान के 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमण्डल के परामर्श को मानना बाध्यकारी है।
- ☞ संविधान के 44वें संशोधन द्वारा इस स्थिति में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह मंत्रिमण्डल द्वारा दी गई मंत्रणा पर मंत्रिमण्डल द्वारा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा।
- ☞ ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई मंत्रणा को मानना राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होगा।
- ☞ मंत्रिमण्डल, संसद में बहुमत प्राप्त दल की प्रतिनिधि संस्था होने के नाते संसद का नेतृत्व करता है और संसद की इच्छा के निर्माण और उसको व्यक्त करने का वास्तविक साधन है।
- ☞ इस प्रकार संसद अपनी लघु संस्था, मंत्रिमण्डल के माध्यम से राष्ट्रपति को नियंत्रित करती है। अतः व्यवहारिक रूप से संसद राष्ट्रपति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकार

- ❖ सवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद् की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा माँगी गई सभी सूचनाएँ प्रदान करे। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है।
- ❖ इसके अतिरिक्त, कम से कम तीन अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। पहला, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है।
- ❖ जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियाँ हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद् से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है।
- ❖ यद्यपि मंत्रिपरिषद् पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दुबारा दे सकती है और तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए

वाध्य भी होगा, तथापि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफी मायने रखता है। अतः यह एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।

- ❖ दूसरे, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति (निषेधाधिकार) होती है जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों (धन विधेयकों छोड़ कर) पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।
- ❖ राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है और उसे उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है क्योंकि संसद उसी विधेयक को दुबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी।
- ❖ संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लवित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से, अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। इसे कई बार 'पॉकेट वोटो' भी कहा जाता है।
- ❖ तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
- ❖ सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं।
- ❖ यदि चुनाव में किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो। इसके अतिरिक्त यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी दो या तीन नेता यह दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे।
- ❖ इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त

है या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्त्व बहुत बढ़ गया है।

- ❖ 1989 से 1998 तक हुए चार संसदीय चुनावों में किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। इन परिस्थितियों की मांग थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करके या तो सरकार का गठन कराए या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के बाद उसकी सलाह पर लोक सभा भंग कर दे।
- ❖ राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। जब सरकार स्थायी न हो और गठबंधन सरकार सत्ता में हों तब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएँ बढ़ जाती है।
- ❖ राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद है और वह राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद् विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद् को कभी भी हटाया जा सकता है और तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति करनी पड़ेगी।
- ❖ ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र-प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने को शक्ति हो और जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके।
- ❖ सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यही भूमिका है। लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है।

भारतीय पोस्ट ऑफिस (संशोधन) विधेयक 1986

- ☞ विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है।
- ☞ 1986 में संसद ने 'भारतीय पोस्ट ऑफिस (संशोधन) विधेयक' पारित किया। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया।
- ☞ उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले राष्ट्रपति वेंकटरमण ने उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया।

तब तक, वह सरकार बदल गई जिसने विधेयक पेश किया था और 1989 में एक नई सरकार चुन कर आ गई थी।

☞ यह दूसरे दलों की गठबंधन सरकार थी और उसने इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश हो नहीं किया।

☞ इस प्रकार, जैल सिंह के द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने के निर्णय में विलंब करने का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि यह विधेयक कानून न बन सका।

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद्

- ❖ राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद् का प्रधान है। अतः मंत्रिपरिषद् के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है।
- ❖ संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है, वह अपना पद भी खो देता है। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक काँग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा।
- ❖ 1989 से अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो।
- ❖ इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है वह प्रधानमंत्री बनता है। औपचारिक रूप से, जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
- ❖ प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद् में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद स्तर और मंत्रालयों का आबंटन करता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्यमंत्री या उपमंत्री बनाया जाता है।
- ❖ इसी प्रकार, राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है।

- ❖ संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है।

मंत्रिपरिषद् का आकार

- ❖ संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम (2003) के पहले, मंत्रिपरिषद् का आकार समय की माँग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था। लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद् का आकार बहुत बड़ा हो जाता था।
- ❖ इसके अतिरिक्त, जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था, तब वह संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था क्योंकि तब मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध न था।
- ❖ यह अनेक राज्यों में भी हो रहा था। अतः संविधान का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या लोक सभा (या राज्यों में विधान सभा) की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक न होगी।
- ❖ मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है।
- ❖ इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद् संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल को एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है।
- ❖ इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।
- ❖ इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं, तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है।
- ❖ भारत में, प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद् का कोई अस्तित्व नहीं है।

मंत्रिपरिषद् तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है।

- ❖ प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद् ही भंग हो जाती है जबकि किसी मंत्री की मृत्यु, हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद् में केवल एक स्थान खाली होता है।
- ❖ प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद् तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी।
- ❖ प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे।
- ❖ प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इस प्रकार, प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद् पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुँच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार, तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि।
- ❖ लेकिन, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला, तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियाँ निर्विवाद रहीं।
- ❖ जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकारें बनी तब ऐसा नहीं रहा। 1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में न रह सकीं।
- ❖ बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या वे हटा दी गई। इन घटनाओं से संसदीय शासन का काम-काज प्रभावित हुआ है।
- ❖ पहली बात है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ी है। दूसरे, इस अवधि में गठबंधन की राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी है।

- ❖ तीसरे, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन और उनके पद स्तर तथा मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा है। चौथे प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तब नहीं कर सकता।
- ❖ चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफी वातर्चात और समझौते के बाद ही नीतियों बन पाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है।
- ❖ कुछेक बदलावों के साथ राज्यों में भी ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो (केंद्रीय सरकार की सलाह पर) राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- ❖ यद्यपि प्रधानमंत्री की ही तरह मुख्यमंत्री भी विधान सभा में बहुमत दल का नेता होता है, पर राज्यपाल के पास ज्यादा विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। बहरहाल, राज्य के स्तर पर भी संसदनात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं।

स्थायी कार्यपालिका - नौकरशाही

- ❖ शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रिगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इस ढाँचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं।
- ❖ सरकार के स्थाई कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रिगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देख-रेख में होता है।
- ❖ संसदीय शासन में, विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे।
- ❖ भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है। लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो।

इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी।

- ❖ प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियाँ अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में, प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे।
- ❖ आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय प्रांतीय सेवाएँ स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लांक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं।
- ❖ हमारे संविधान निर्माता गैर-राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से वक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्त्व को जानते थे। ये सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे।
- ❖ अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जाँच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है।
- ❖ दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है, लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले।
- ❖ इस उद्देश्य के लिए, संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया गया। इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा तथा सामाजिक असमानताएँ सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में बाधा नहीं बनेंगी। - भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) तथा भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है।

- ❖ ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। एक जिले का जिलाधिकारी (कलेक्टर) उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है।
- ❖ एक आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारी किसी एक राज्य के संबद्ध कर दिया जाता है, जहाँ वह राज्य सरकार की देख-रेख में काम करता है।
- ❖ लेकिन आईएएस और आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल केंद्रीय सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है।
- ❖ इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की देख-रेख और नियंत्रण में रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है।
- ❖ **नौकरशाही**
- ❖ वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियाँ जनता तक पहुँचती हैं। पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुँचने से डरता है।
- ❖ नौकरशाही सामान्य नागरिकों की माँगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है।
- ❖ वहीं दूसरी ओर, ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। हालाँकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनायी लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। पर, यह उम्मीद की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम

नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकेंगे।

निष्कर्ष

- ❖ आधुनिक कार्यपालिका सरकार की एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। सभी प्रकार की सरकारों में, सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली होती है।
- ❖ इससे कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं की यह

दूर-दृष्टि ही थी कि उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देख-रेख में रखा। इस प्रकार, एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया। समय-समय पर होने वाले चुनाव, व्यक्तियों के प्रयोग पर संवैधानिक अंकुशों और लोकतांत्रिक राजनीति ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत में कार्यपालिका अनुत्तरदायी न होगी।

विधायिका

- ❖ विधायिकाएँ जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं।

हमें संसद क्यों चाहिए?

- ❖ विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है।
- ❖ संसद में बहुत-से दृश्य देखने को मिलते हैं। सदन में बहस, बहिर्गमन, विरोध, प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि इसे अत्यंत जीवंत रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं।
- ❖ दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। विधायिका जन-प्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रतिनिधिक लोकतंत्र का आधार है।
- ❖ इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएँ अपना महत्व खोती जा रही हैं। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। इससे कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया कि संसद का हास हो गया है। लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है।
- ❖ एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद-विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है।
- ❖ अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधिक है। और फिर, इसके पास सरकार (कार्यपालिका) का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी है।

संसद में दो सदनों की क्या आवश्यकता है?

- ❖ हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्यों की विधायिकाओं को विधान मंडल कहते हैं। भारतीय संसद में दो सदन हैं। जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं, तो उसे द्वि-सदनात्मक विधायिका कहते हैं।
- ❖ भारतीय संसद के एक सदन को राज्य सभा तथा दूसरे को लोक सभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक-सदनात्मक या द्वि-सदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल छह राज्यों में ही द्वि-सदनात्मक विधायिका है।
- ❖ विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्रायः द्वि-सदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं, ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें।
- ❖ द्वि-सदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है।

द्वि-सदनात्मक विधायिका वाले प्रांत निम्नलिखित हैं-

- (i). आंध्र प्रदेश
- (ii). बिहार
- (iii). कर्नाटक
- (iv). महाराष्ट्र
- (v). तेलंगाना
- (vi). उत्तर प्रदेश
- ❖ इसका मतलब यह कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर दो बार विचार होता है। इससे हर मुद्दे को दो बार जाँचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है।

राज्य सभा

- ❖ संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग-अलग है। राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधान सभा के सदस्यों को चुनते हैं। फिर, राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य सभा के सदस्यों को चुनते हैं।
- ❖ द्वितीय सदन (राज्य सभा) में प्रतिनिधित्व के लिए दो सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाय। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाय। अर्थात्, द्वितीय सदन में ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।
- ❖ अमेरिका के द्वितीय सदन (सीनेट) में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा।
- ❖ हमारी राज्य सभा के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है।
- ❖ यदि हम राज्य सभा में प्रतिनिधित्व के लिए 'अमेरिका की समान-प्रतिनिधित्व प्रणाली' का प्रयोग करें तो क्या होगा? 1998.12 लाख (लगभग 19.98 करोड़) जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे। यहाँ ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार, ज्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 तथा छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्य सभा में एक सीट दी गयी है।
- ❖ राज्य सभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। उन्हें दुबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्य सभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं

करते। प्रत्येक दो वर्ष पर राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन एक तिहाई सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्य सभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती। अतः इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में जानते हैं। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोक सभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं, तब राज्य सभा की बैठक बुलाई जा सकती है और ज़रूरी मामलों को निपटाया जा सकता है।

- ❖ निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है।

लोक सभा

- ❖ लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लोक सभा चुनावों के लिए पूरे देश को और विधान सभा चुनावों के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है; चुनाव 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' के आधार पर होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोक सभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है।
- ❖ लोक सभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बना सके अथवा प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को लोक सभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे, तो लोक सभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है।

कहाँ पहुँचे? क्या समझे?

- ❖ क्या आप मानते हैं कि राज्य सभा की संरचना ने भारत में राज्यों की स्थिति को संरक्षित किया है?
- ❖ क्या राज्य सभा के चुनाव अप्रत्यक्ष न होकर प्रत्यक्ष होने चाहिए? इससे क्या फायदा या नुकसान होगा?

- ❖ 1971 की जनगणना से लोक सभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है। क्या आप मानते हैं कि इसे बढ़ाना चाहिए? इसके लिए क्या आधार होना चाहिए?

संसद क्या करती है?

- ❖ विधायिकाओं के क्या कार्य हैं? क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य समान हैं? क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है?

राज्य सभा की शक्तियाँ

- ❖ ऊपर हमने संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया। लेकिन, द्विसदनात्मक विधायिका में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है। नीचे के दोनों चार्टों को ध्यान से देखें। एक में लोक सभा और दूसरे में राज्य सभा की शक्तियों की सूची दी गई है।

लोक सभा की शक्तियाँ	राज्य सभा की शक्तियाँ
• संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है।	• सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है।
• कर-प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है।	• संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है।
• प्रश्न पूछ कर, पूरक प्रश्न पूछ कर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है।	• प्रश्न पूछ कर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है।
• संविधान में संशोधन	• राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव

करती है।	में भागीदारी करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्य सभा में ही लाया जा सकता है।
आपात्काल की घोषणा को स्वीकृति देती है।	• यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।
• राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है।	
• समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है।	

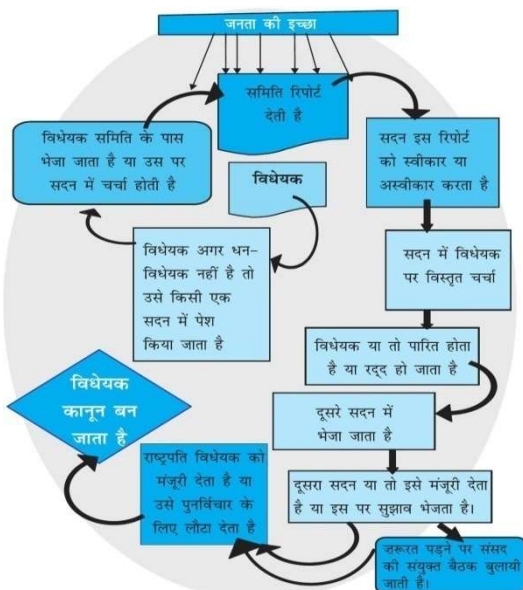
राज्य सभा की विशेष शक्तियाँ

- ❖ राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्य के हितों (शक्तियों) का संरक्षण करना है। इसलिए, राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय (जिस पर केवल राज्य की विधान सभा कानून बना सकती है) को, राष्ट्र हित में, संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे, तो उसमें राज्य सभा की स्वीकृति आवश्यक है।
- ❖ इस प्रावधान से राज्य सभा की शक्ति बढ़ती है। लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्य सभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने-अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

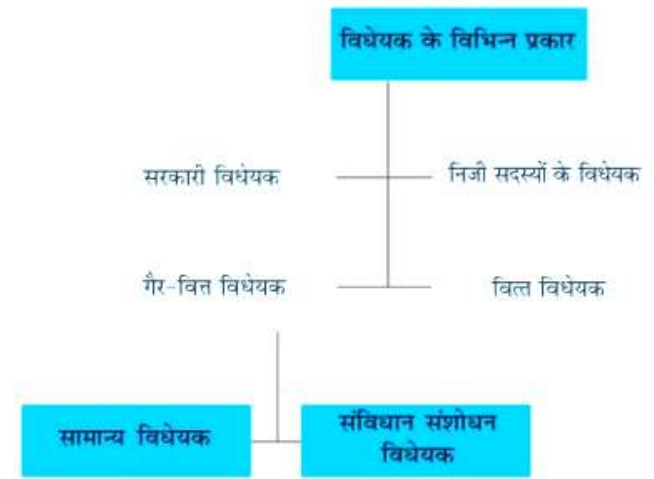
- ❖ लोक सभा की विशेष शक्तियाँ- कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग केवल लोक सभा ही कर सकती है। केवल लोक सभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वही उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। मंत्रिपरिषद् केवल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्य सभा के प्रति नहीं। अतः राज्य सभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती।
- ❖ इसके अतिरिक्त, सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा की शक्तियाँ समान हैं।

संसद कानून कैसे बनाती है?

- ❖ संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियाँ कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर ली गई हैं। कानून बनने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं पर गौर करें। आपको साफ-साफ पता लगेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी और कठिन है।



- ❖ प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को 'निजी सदस्यों का विधेयक' कहते हैं। मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। विधेयक जिन चरणों से होकर पारित होता है, आइए उसे देखें।



- ❖ संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या ज़रूरत है। कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वायदों को पूरा करने या आगामी चुनावों को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। अनेक हित-समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। अतः कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे- कानून को लागू करने के लिए ज़रूरी संसाधनों को कहाँ से जुटाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा, प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि। खास तौर पर आज के गठबंधन सरकारों के युग में, सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के

सभी घटक दलों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इन व्यावहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है।

- ❖ एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबद्ध होता है, वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। उदाहरण के लिए, लड़कियों के विवाह की उम्र यदि 18 वर्ष से बढ़ा कर 21 वर्ष करनी है, तो इसका प्रारूप विधि मंत्रालय बनाएगा। इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है।
- ❖ संसद के किसी भी सदन - लोक सभा या राज्य सभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है (जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है)। किसी धन विधेयक को केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोक सभा में पारित होने के बाद उसे राज्य सभा में भेज दिया जाता है।
- ❖ विधेयकों पर विचार-विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता

है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को 'लघु विधायिका' भी कहते हैं। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है; दूसरे सदन में भी वह इसी प्रक्रिया से गुजरता है।

- ❖ किसी विधेयक को लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना ज़रूरी है। लेकिन, यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हों तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। पहले जब कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, लेकिन धन विधेयक के मामले में, राज्य सभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। यदि राज्य सभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्य सभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। विधेयक के बारे में राज्य सभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोक सभा मान भी सकती है और नहीं भी।

संसद के कार्य

क्र. सं.	कार्य	विवरण
1	विधायी कार्य	○ हालांकि, यह देश का प्रमुख कानून बनाने वाला निकाय है, लेकिन इसकी भूमिका सीमित है। ○ विधेयक का मसौदा तैयार करने का कार्य मंत्रियों की देखरेख के साथ नौकरशाही द्वारा किया जाता है।
2	कार्यपालिका की जवाबदेही और नियंत्रण सुनिश्चित करना	○ यह कार्यपालिका के अधिकार की जाँच करता है और लोगों के प्रति जवाबदेह होता है।
3	वित्तीय कार्य	○ यह सरकार द्वारा कर और धन के उपयोग को नियंत्रित करता है। ○ यह बजट और वित्तीय विवरणों के माध्यम से सरकार को वित्तीय संसाधन आवंटित करता है।
4	प्रतिनिधि कार्य	○ यह विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि और देश के विभिन्न हिस्सों से संबंधित विभिन्न सदस्यों के विविध विचारों के प्रतिनिधित्व के लिए जिम्मेदार है।
5	वाद-विवाद कार्य	○ यह संसद में विभिन्न मामलों पर लोकतांत्रिक चर्चा करता है।

		○ प्रतिनिधि बिना किसी सीमा के किसी भी मामले पर बोलने और बहस करने के लिए स्वतंत्र हैं।
6	संघटक कार्य	○ इसके पास दोनों सदनों के विशेष बहुमत के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करके जब भी आवश्यक हो संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति और भूमिका है।
7	चुनावी समारोह	○ यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है।
8	न्यायिक कार्य	○ यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष और न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्तावों पर विचार करते समय न्यायिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है।

राज्यसभा की शक्तियां और लोकसभा की शक्तियां

राज्यसभा की शक्तियां	लोकसभा की शक्तियां
गैर धन विधेयकों को मंजूरी।	धन विधेयकों में संशोधन करें।
समवर्ती और संघ सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाना।	धन और गैर धन विधेयकों को लागू करना और पेश करना।
किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करें।	कराधान, बजट और वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करें।
इसमें कार्यपालिका और पिछले प्रस्तावों और प्रस्तावों से प्रश्न पूछने की शक्ति है।	प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न, संकल्प, प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति के माध्यम से कार्यपालिका की जाँच करें।
यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और न्यायाधीशों के चुनाव और निष्कासन में भाग लेता है।	यह अकेले उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
विशेष शक्तियां	
○ यह राज्य की शक्ति की रक्षा करता है। ○ राज्य से संबंधित किसी भी मामले में राज्यसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ○ उदाहरण के लिए, राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले को हटाने या स्थानांतरित करने के लिए राज्य सभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है।	○ धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। ○ मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्य सभा के प्रति नहीं। ○ लोकसभा के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को हटा सकते हैं।

संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है?

- ❖ जिस दिल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना

प्रयोग करने लगे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी, तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेकिन इसके लिए

ज़रूरी है कि सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो। उदाहरण के लिए, विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है।

- ❖ ऐसे विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह है कि सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकें और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सकें। संसद यह नियंत्रण कैसे करती है? वह किन साधनों का प्रयोग करती है? क्या कार्यपालिका की ज़्यादातियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है?

संसदीय नियंत्रण के साधन

- ❖ संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। यह काम नीति-निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति के लागू होने की बाद वाली अवस्था यानि किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका यह काम कई तरीकों से करती है -

- बहस और चर्चा
- कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति
- वित्तीय नियंत्रण
- अविश्वास प्रस्ताव

- ❖ **बहस और वाद-विवाद-** कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त, सदन में सामान्य वाद-विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे कुछ अवसर निम्न हैं-

प्रश्न काल- संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन 'प्रश्नकाल' आता है जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है;

शून्यकाल- इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है और लोकहित के मामले में **आधे घंटे की चर्चा और स्थगन-प्रस्ताव** आदि।

- ❖ 'प्रश्नकाल' सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रूचि दिखाई है और इस समय सदन में सबसे ज़्यादा उपस्थिति रहती है। ज़्यादातर प्रश्न लोक-अभिहित के विषयों जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाज़ारी आदि पर सरकार से सूचनाएँ माँगने के लिए होते हैं। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान वाद-विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्रायः ऊँची आवाज़ में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना तथा सदन से बहिर्गमन करने जैसी घटनाएँ देखी जा सकती हैं। इससे सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है।

कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति

- ❖ कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। जिस सरकार को विधायिका में मन-माफिक बहुमत होता है, उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं। लेकिन यह मान कर नहीं चला जा सकता है कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी। इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर

मोल-तोल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोक सभा में तो बहुमत हो पर राज्य सभा में न हो (जैसा कि 1977 में जनता पार्टी और 2000 में राजग सरकारों के दौरान हुआ), तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफी रियायतें देनी पड़ती हैं। अनेक विधेयकों मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक (2000)- को राज्य सभा ने अस्वीकृत कर दिया।

वित्तीय नियंत्रण

- ❖ सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के 'खजाने' पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी, धन स्वीकृत करने से पहले लोक सभा सरकार द्वारा धन माँगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वह भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक और संसद की लोक-लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जाँच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है।

अविश्वास प्रस्ताव

- ❖ संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार 'अविश्वास प्रस्ताव' है। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम, काल्पनिक ज्यादा होती है।
- ❖ लेकिन, सन् 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोक सभा का विश्वास खोया क्योंकि वह

अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए न रख सकी।

- ❖ इस प्रकार, संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है। परंतु इसके लिए जरूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हों और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें और सरकार तथा विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले दो दशकों में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति (कोरम) का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएँ भी रही हैं, जिससे वाद-विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति प्रभावित हुई है।

संसदीय समितियाँ क्या करती हैं?

- ❖ विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये समितियाँ केवल कानून बनाने में ही नहीं, वरन् सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूँकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है इसलिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए उस पर ज्यादा ध्यान और समय देने की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान माँगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जाँच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि। संसदीय समितियाँ यह सब कार्य करती हैं। 1983 से भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियाँ हैं। स्थायी समितियाँ विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट, खर्चे, तथा उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती हैं।
- ❖ स्थायी समितियों के अतिरिक्त, अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में

संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जाँच के लिए किया जा सकता है।

- ❖ समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया है। अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों को भेजा गया। संसद ने समितियों द्वारा किए गए काम में छिट-पुट बदलाव करके उसको मंजूरी दे दी है। कानूनी नज़ारिए से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता है और न ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। किंतु, यह बात भी सच है कि समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही कभी नामंजूर करती है।
- ❖ “विधायिका की प्रकृति ऐसी है कि उस पर मात्र प्रक्रिया संबंधी बंधन हैं। किन्तु सारतः उस पर कोई बंधन नहीं, संसद या विधायिका की संप्रभुता पर कोई सीमा नहीं बाँधी गई है।...”
- ❖ एक और तरीके से भी सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आपने शायद दलबदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो क्या होगा? स्वतंत्रता के काफी समय बाद तक यह समस्या बनी रही। अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दलबदल करने से रोका जाना चाहिए।
- ❖ इसके लिए 1985 में संविधान का 52 वाँ संशोधन किया गया। इसे ‘दलबदल निरोधक कानून’ कहते हैं। इसे बाद में 91 वें संविधान संशोधन द्वारा दुबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दलबदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाय कि किसी सदस्य ने ‘दलबदल’ किया है, तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे दलबदल को किसी भी राजनीतिक पद (जैसे मंत्री) के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

दलबदल क्या है?

- ❖ यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे तो उसे ‘दलबदल’ कहते हैं।
- ❖ विगत 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि ‘दलबदल निरोधक कानून’ दलबदल को रोकने में सफल नहीं हुआ। लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की हैं।

निष्कर्ष

- ❖ सदन की कार्यवाही के दौरान सदस्य भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते हैं। वे विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदायों से आते हैं। वे प्रायः एक-दूसरे का प्रबल विरोध करते हैं। अनेक अवसरों पर ऐसा लगता है कि वे देश का समय और धन बर्बाद कर रहे हैं।
- ❖ सांसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित भी कर सकते हैं। वे हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अपनी खास बनावट के कारण संसद सरकार के सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिध्यात्मक है।
- ❖ संसद में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की मौजूदगी होती है। इससे संसद ज्यादा प्रतिनिध्यात्मक हो जाती है। इस कारण संसद जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलती और जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करती है।
- ❖ संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधायिका अत्यंत शक्तिशाली और उत्तरदायी संस्था है। यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है।

न्यायपालिका

- ❖ न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों या निजो संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है। लेकिन न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनैतिक कामों को भी अंजाम देती है।
- ❖ न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है।
- ❖ 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान को व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में हम पढ़ ही चुके हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है।

इस अध्याय को पढ़ कर आप निम्नलिखित बातों को जान सकेंगे -

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ,
- अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका,
- संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका और
- भारत की संसद और न्यायपालिका के आपसी संबंध।

हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए?

- ❖ हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को 'कानून के शासन के सिद्धांत' के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए।
- ❖ 'कानून के शासन' का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह 'कानून के शासन' की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे।
- ❖ न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की

तानाशाही न ले ले। इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

- ❖ सीधे-सरल शब्दों में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि -
- ❖ सरकार के अन्य दो अंग-विधायिका और कार्यपालिका-न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सकें।
- ❖ सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें।
- ❖ न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें।
- ❖ न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है।
- ❖ न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है।
- ❖ न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे।
- ❖ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएँ उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए।
- ❖ न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा, उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता।

कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो, तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा।

- ❖ न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है, तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- ❖ न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन हैं। इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है।

न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है?

- ❖ सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उसकी क्या राय है? नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विषय में उसके क्या विचार हैं? इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानूनों पर पड़ता है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश-ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।

- ❖ भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इस परंपरा को दो बार तोड़ा भी गया है।
- ❖ 1973 में तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति एन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फिर 1975 में न्यायमूर्ति एच आर खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति एम एच बेग की नियुक्ति की गई।
- ❖ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद् के पास है। फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व है?
- ❖ 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार-बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है। लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियाँ करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद् महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

न्यायाधीशों को पद से हटाना

- ❖ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफी कठिन है। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है।
- ❖ न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। क्या आप को याद है कि यह

विशेष बहुमत क्या है? इसे हमने चुनाव वाले अध्याय में पढ़ा है। इससे स्पष्ट है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। यह भी गौरतलब है कि जहाँ उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति-संतुलन भी बना रहे। अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है। इस मामले में हालाँकि दो-तिहाई सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त न हो सका।

न्यायाधीश को हटाने का असफल प्रयास

- ❖ 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितता की। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जाँच समिति ने न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते 'सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन... तथा पद का जान-बूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध न हो सका। महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के ज़रूरी दो-तिहाई मत तो पड़े लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। अतः प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया।

न्यायपालिका की संरचना

- ❖ भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं हैं। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

- ❖ इसके फैसले सभी अदालतों को मानने होते हैं।
- ❖ यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है।
- ❖ यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मँगवा सकता है।
- ❖ यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है।

उच्च न्यायालय

- ❖ निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है।
- ❖ मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है।
- ❖ राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है।
- ❖ अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है।

जिला अदालत

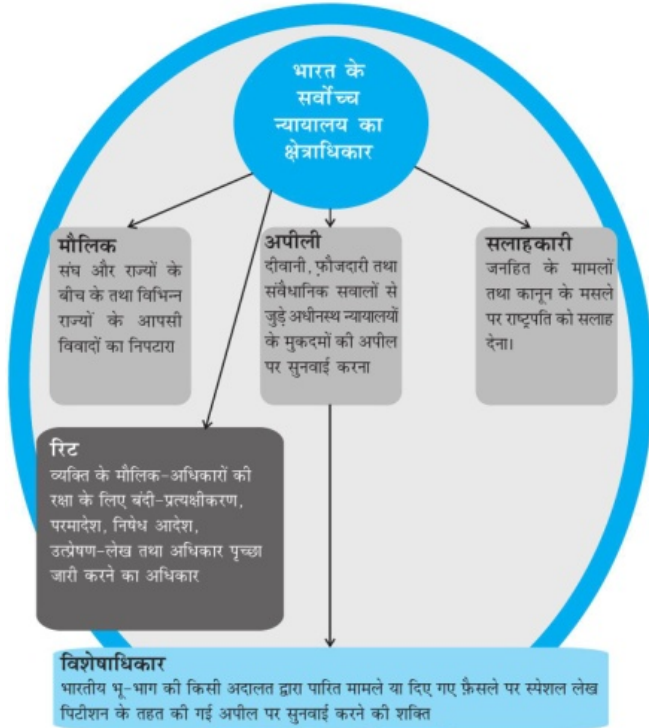
- ❖ जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है।
- ❖ निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है।
- ❖ गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है।

अधीनस्थ अदालत

- ❖ फ़ौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

- ❖ भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।



मौलिक क्षेत्राधिकार

- ❖ मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं। ऊपर के चित्र में आपने देखा कि संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं।
- ❖ सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक

क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। इनकी सुनवाई न तो उच्च न्यायालय और न ही अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है।

“रिट” संबंधी क्षेत्राधिकार

- ❖ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है।

अपीली क्षेत्राधिकार

- ❖ सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाणपत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है अर्थात् उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है।
- ❖ अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फाँसी की सजा दे दे, तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले।
- ❖ अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दुबारा जाँच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि

कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा तो सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है तथा इसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है।

- ❖ उच्च न्यायालयों को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार है।

सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार

- ❖ मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार, भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को।
- ❖ फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? इसकी दो मुख्य उपयोगिताएँ हैं- पहली, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मामले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले। इससे बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है।
- ❖ अनुच्छेद 137 “..उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी।”
- ❖ अनुच्छेद 144 “भारत के राज्य-क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे।”
- ❖ ये अनुच्छेद हमें भारत के न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझने में मदद करते हैं।
- ❖ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भू-भाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है और कभी भी उसकी समीक्षा कर

सकता है। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले भी वे स्वयं ही देखता है।

न्यायिक सक्रियता

- ❖ क्या आपने न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में सुना है? आजकल न्यायपालिका पर चर्चा में इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया है।
- ❖ भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका (Social Action Litigation) रही है।

आखिर ‘जनहित याचिका’ है क्या? कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई?

- ❖ कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फँसने पर कोई व्यक्ति इंसानियत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया।
- ❖ 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। चूँकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था अतः इसे और ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इससे ऐसे मुकदमों की बाढ़-सी आ गई जिसमें जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की माँग की। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है।

- ❖ किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बना कर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई।

कुछ प्रारंभिक जनहित याचिकाएँ

- ❖ 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपीं। बिहार की जेलों में कैदियों को काफी लंबी अवधि से बंदी बना कर रखा जा रहा था। जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उसमें उन्हें सजा हो जाती तो भी वे उतनी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं किए जा सकते थे। इस खबर को आधार बना कर एक वकील ने एक याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चला। यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस मुकदमे को हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है।
- ❖ 1980 में तिहाड़ जेल के एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को एक पत्र भेजा। इसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन किया गया था। न्यायाधीश ने उसे ही एक याचिका मान लिया। यद्यपि बाद में न्यायालय ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी, लेकिन यह मुकदमा 'सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1980)' के नाम से शुरुआती जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ।
- ❖ जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। शुद्ध हवा-पानी और अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में, अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है।
- ❖ इसके अतिरिक्त 1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहाँ समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक,

सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएँ दायर करने की इजाजत दी।

- ❖ न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई चुनाव प्रणाली को भी इसने ज्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया।
- ❖ न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथपत्र देने का निर्देश दिया, जिससे लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें।
- ❖ जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। इससे न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ा है। दूसरे, न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुँधला हो गया है। न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए।

न्यायपालिका और अधिकार

न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके-

- ❖ पहला, यह अनेक रिट; जैसे- बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। (अनुच्छेद 32)। उच्च न्यायालयों को भी ऐसी रिट जारी करने की शक्ति है (अनुच्छेद 226)।
- ❖ दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर-संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है (अनुच्छेद 13)।
- ❖ ये दोनों प्रावधान एक ओर सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षक तथा दूसरी ओर संविधान के

व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। उपर्युक्त प्रावधानों में दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है।

- ❖ सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभवतया न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जाँच सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो, तो न्यायालय उसे गैर-संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन भारत में संविधान लिखित है और इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में 'न्यायिक पुनरावलोकन' शब्द का प्रयोग न होने पर यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।
- ❖ इसके अलावा हमने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन करते समय देखा कि संघीय संबंधों के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसा करके वह किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बँटवारे की योजना के विरुद्ध होने से रोकता है। मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और कुछ राज्यों को ऐसा लगे कि इस कानून का विषय तो राज्य सूची में है। तब वे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और यदि न्यायालय उनसे सहमत हो, तो वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान में शक्ति-विभाजन योजना के प्रतिकूल हो। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर भी लागू होती है।
- ❖ रिट जारी करने की और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। अनेक लोगों का मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की

रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोत्तरी की है।

न्यायपालिका और संसद

- ❖ न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई ही है, राजनैतिक व्यवहार-बरताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया है, जैसे- राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ।
- ❖ ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए। जैसे उसने हवाला मामले, नरसिंह राव मामले और पेट्रोल पंपों के अवैध आबंटन जैसे अनेक मामलों में सीबीआई (केंद्रीय जाँच ब्यूरो) को निर्देश दिया कि वह भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जाँच करे। आपने इनमें से कुछ के बारे में सुना होगा। इनमें से कई उदाहरण न्यायिक सक्रियता के परिणाम हैं।
- ❖ भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बँटवारे, अवरोध तथा संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है, कार्यपालिका उन्हें लागू करने तथा न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल हैं। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है।
- ❖ हमने संपत्ति के अधिकार और संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में संसद और न्यायपालिका के बीच हुए टकराव का पीछे उल्लेख किया है। आइए इसे एक बार फिर दुहरा लें।
- ❖ संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। संसद

संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी जिससे भूमि-सुधारों को लागू किया जा सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया। लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता।

❖ संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र में निम्नलिखित मुद्दे थे-

- निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है?
- मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है?
- संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है ?
- क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे?

निष्कर्ष

- ❖ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय-समय पर उठने वाले विवादों के बावजूद न्यायपालिका की साख बढ़ी है।
- ❖ न्यायपालिका से कुछ और भी अपेक्षाएँ हैं। आम आदमी को आश्चर्य होता है कि किस आसानी से अनेक दोषी लोग न्यायपालिका से बेदाग बरी हो जाते हैं और कैसे धनी और दबंगों के असर में गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में स्वयं न्यायपालिका भी चिंतित है।
- ❖ भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएँ दीं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की। जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है और इन दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर ही रहकर कार्य करना पड़ता है।

संघवाद

संघवाद क्या है?

- ❖ सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बँट गया। इनमें से कुछ ने मिल कर ‘स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल’ बना लिया। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहाँ शक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ थीं।
- ❖ इसके अलावा उजबेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया। कुछ अन्य राज्यों जैसे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन देखना पड़ा।
- ❖ कनाडा में भी अंग्रेजी-भाषी और फ्रेंच-भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई थी। भारत के लिए क्या यह महान उपलब्धि नहीं कि 1947 के दुखद विभाजन और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले सात दशकों से वह अपना अखंड तथा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं? आखिर इस उपलब्धि का आधार क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि इसका काफी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाता है?
- ❖ ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है वे सभी संघीय राज्य थे। पर वे एकजुट न रह सके। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ-साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है।
- ❖ भारतीय भू-भाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा है। यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएँ हैं। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं।
- ❖ इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी जमीन पर रहते हैं और हमारा एक साझा इतिहास है। खासकर उन दिनों का जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे बीच दूसरी कई समानताएँ हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को ‘विविधता में एकता’ के रूप में परिभाषित किया है। कभी-

कभार इसे ‘विविधताओं के साथ एकता’ की संज्ञा भी दी जाती है।

- ❖ संघवाद में कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हों। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है।
- ❖ संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। फिर भी संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएँ और विचार अवश्य हैं।
 - निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है पर भारत में इकहरी नागरिकता है।
 - इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएँ होती हैं। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हममें से कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ-साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होते हैं तथा वहाँ एक अलग सरकार भी होती है।
 - दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी। राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों-जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा-का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्त्व के विषयों पर प्रांतीय राज्य सरकारें जवाबदेह होती हैं।
 - केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बँटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है।
- ❖ संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीति, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से

होता है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृति हो, तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है।

- ❖ राजनैतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयाँ या लोग नहीं हैं उनमें विरोध पनपता है। ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयाँ अपने अलग होने की माँग उठा सकती है। नौबत गृहयुद्ध तक की आ सकती है। बहुत-से देशों को इस अनुभव से गुजरना पड़ा है।

भारतीय संविधान में संघवाद

- ❖ आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बाँटना ज़रूरी होगा। उन्हें यह भी भान था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएँ हैं।
- ❖ इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता थी। विभिन्न क्षेत्रों और भाषा-भाषी लोगों को सत्ता में सहभागिता करनी थी तथा इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी, तो इन बातों को लागू करना अपरिहार्य था।
- ❖ मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फार्मूले पर चर्चा हुई, जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकारों को काफी ज़्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया।
- ❖ भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर बल देता है।

शक्ति-विभाजन

- ❖ भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकार कहते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट कार्य-क्षेत्र हैं।
- ❖ यदि कभी यह विवाद हो जाए कि कौन-सी शक्तियाँ केंद्र के पास है और कौन-सी राज्यों के पास, तो इसका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी।
- ❖ संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि कौन-कौन-सी शक्तियाँ केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होंगी और कौन-कौन-सी केवल राज्यों को। शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के हाथ में सौंपी है। राज्यों के उत्तरदायित्व बहुत अधिक हैं पर आय के साधन कम।

सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद

- ❖ भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई है। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेकानेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है।
- ❖ संविधान निर्माताओं की मान्यता थी कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके। पर वे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके और सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन ला सके।
- ❖ स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियाँ आवश्यक थीं क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे बल्कि 500 से ज़्यादा देशी रियासतें भी थीं जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों के रूप में गठन होना था।
- ❖ देश की एकता बनाए रखने के साथ-साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे और ऐसा करने में उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो।

- ❖ गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक-असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएँ थीं जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत ज़रूरी था। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी।
- किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद 'किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को ... मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है'।
- वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधान मंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है।
- ❖ संविधान में केंद्र को अत्यन्त शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। आपातकाल के दौरान शक्तियाँ कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती हैं। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- ❖ सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यन्त प्रभावी वित्तीय शक्तियाँ और उत्तरदायित्व हैं। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं और राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित हैं। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज़ आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में प्रयोग किया। नियोजन के कारण आर्थिक फ़ैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथ में सिमटती गई। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्यों के संसाधन-प्रबंध की निगरानी करता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान और ऋण देती है। आर्थिक संसाधनों का यह वितरण असंतुलित माना जाता है और सरकार पर

अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है।

- ❖ जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधान सभा भंग करने का सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और यदि चाहे तो ऐसे विधेयकों की परीक्षा कर उन पर निषेधाधिकार (वीटो) का प्रयोग करके उसे पूरी तरह नकार दे।
- ❖ ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए। पर ऐसा करने के लिए पहले राज्य सभा की अनुमति लेना आवश्यक है। संविधान में साफ-साफ कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज्यादा होगी।
- ❖ हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है। अखिल भारतीय सेवाएँ पूरे देश के लिए हैं और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। अतः जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है।
- ❖ संविधान के दो अन्य अनुच्छेद 33 व 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में 'सैनिक शासन' (मार्शल लॉ) लागू हो जाय। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनन जायज करार दे सके। इसी के अंतर्गत **‘सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम’** का निर्माण किया गया। इससे कभी-कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हुआ है।

भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव

- ❖ संविधान ने केंद्र को बहुत अधिक शक्तियाँ प्रदान की हैं। यद्यपि संविधान विभिन्न क्षेत्रों की अलग-अलग पहचान को मान्यता देता है लेकिन फिर भी वह केंद्र को ज्यादा शक्ति देता है।
- ❖ एक बार जब 'राज्य की पहचान' के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है तब यह स्वाभाविक ही है कि पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज्यादा शक्ति तथा भूमिका की माँग उठायी जाय। इसी कारण राज्य ज्यादा शक्ति की माँग करते हैं।
- ❖ समय-समय पर राज्यों ने ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की माँग उठायी है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म होता है।
- ❖ केंद्र और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है। लेकिन स्वायत्तता की माँग एक राजनीतिक सवाल है जिसे आपसी बातचीत द्वारा ही हल किया जा सकता है।

केंद्र-राज्य संबंध

- ❖ संविधान तो मात्र एक 'फ्रेमवर्क' या ढाँचा है। इस पर ईंट-गारा, सुर्खी-चूना चढ़ाने का काम राजनीति की वास्तविकताओं द्वारा होता है। अतः भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफी प्रभाव पड़ा है।
- ❖ 1950 तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था।
- ❖ नए राज्यों के गठन की माँग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य रहे। राज्यों को आशा थी कि वे केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों से विकास कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों के कारण भी राज्यों को काफी आशा बंधी थी।
- ❖ 1960 के दशक के बीच में कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आई और अनेक राज्यों में विरोधी दल सत्ता में आ गए।

इससे राज्यों की और ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की माँग बलवती हुई। इस माँग के पीछे प्रमुख कारण यह था कि केंद्र और राज्यों में भिन्न-भिन्न दल सत्ता में थे।

- ❖ राज्यों की सरकारों ने केंद्र की कांग्रेसी सरकार द्वारा किए गए अवांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लिए भी विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों से संबंधों के तालमेल की बात पहले जैसी आसान नहीं रही। इस विचित्र राजनैतिक संदर्भ में संघीय व्यवस्था के अंदर स्वायत्तता की अवधारणा को लेकर वाद-विवाद छिड़ गया।
- ❖ आखिरकार 1990 के दशक से कांग्रेस का वर्चस्व काफी कुछ खत्म हो गया है और हमने केंद्र में गठबंधन-राजनीति के युग में प्रवेश किया।
- ❖ राज्यों में भी विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए हैं। इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा, विविधता का आदर हुआ और एक मँजे हुए संघवाद की शुरुआत हुई। इस तरह दूसरे दौर में स्वायत्तता का मसला राजनैतिक रूप से सरगर्म हुआ है।

स्वायत्तता की माँग

- ❖ समय-समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता देने की माँग उठाई है। लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए स्वायत्तता का अलग-अलग मतलब हो सकता है।
- ❖ एक अन्य माँग यह है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और संसाधनों पर उनका ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए। इसे वित्तीय-स्वायत्तता भी कहते हैं। 1977 में पश्चिमी-बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्तता की माँगों में भी ज्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मंशा छुपी हुई है।
- ❖ स्वायत्तता की माँग का तीसरा पहलू प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित है। विभिन्न राज्य प्रशासनिक-तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज़ रहते हैं।
- ❖ इसके अतिरिक्त, स्वायत्तता की माँग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति

के प्रोत्साहन की माँग इसके कुछ उदाहरण हैं। कुछ राज्य ऐसा महसूस करते रहे हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व है। दरअसल 1960 के दशक में तो कुछ राज्यों में हिंदी को लागू करने के विरोध में आंदोलन भी हुए।

राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन

- ❖ राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोकसेवक या राजनीतिज्ञ हुए हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है।
- ❖ राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। जब केंद्र और राज्य में अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है।
- ❖ केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को 'सरकारिया आयोग' के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए।
- ❖ एक और कारण से राज्यपालों की शक्ति और भूमिका विवादास्पद हो जाती है। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 356 है। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब "ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।" परिणामस्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है।
- ❖ इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना ज़रूरी होता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधान सभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। इससे अनेक विवाद पैदा हुए।

- ❖ कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया। 1959 में केरल में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति-शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जाँच-पड़ताल न्यायालय कर सकता है।
- ❖ 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यन्त सीमित प्रयोग किया गया। 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर-काँग्रेसी सरकारें बनीं जबकि केंद्र में सत्ता काँग्रेस के पास रही।
- ❖ केंद्र ने अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया अथवा उसने राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका। उदाहरण के लिए सन् 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया।

नवीन राज्यों की माँग

- ❖ हमारी संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की माँग को लेकर भी तनाव रहा है। राष्ट्रीय-आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र और संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था। अतः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह भी तय किया गया कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा।
- ❖ इससे स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की माँग उठी। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की।
- ❖ 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ; 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग-अलग किया गया।

- ❖ बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन किया गया और नए राज्यों - जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ।
- ❖ नए राज्य बनाने की माँग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन 2000 में किया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित कर तीन नए राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ।
- ❖ कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं जैसे महाराष्ट्र में विदर्भा।

अंतर्राज्यीय विवाद

- ❖ जहाँ एक ओर राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं।
- ❖ कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता। इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं, अतः इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार-विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है।
- ❖ आमतौर पर दो प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं। इसमें एक है सीमा विवाद। राज्य प्रायः पड़ोसी राज्यों के भू-भाग पर अपना दावा पेश करते हैं।
- ❖ यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अतः इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता।
- ❖ ऐसा ही एक पुराना विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच 'बेलगाम' को लेकर है। मणिपुर और नागालैंड के बीच भी सीमा विवाद पुराना है। पंजाब से हरियाणा को अलग करने पर उनके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद है।

- ❖ चंडीगढ़ इन दोनों राज्यों की राजधानी है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं से इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था। पर अभी तक ऐसा नहीं हो सका।
- ❖ जहाँ सीमा संबंधी विवादों का स्वरूप भावनात्मक होता है वहीं नदियों के जल के बँटवारे को लेकर होने वाले विवाद की प्रकृति गंभीर है क्योंकि यह संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा है।
- ❖ कावेरी जल विवाद के बारे में सुना होगा। यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक प्रमुख विवाद है। दोनों राज्यों के किसान कावेरी के जल पर निर्भर हैं। यद्यपि इसे सुलझाने के लिए एक 'जल विवाद न्यायाधिकरण' है फिर भी ये दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए हैं।
- ❖ ऐसा ही एक विवाद नर्मदा नदी के जल के बँटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। नदियाँ हमारे प्रमुख संसाधन हैं, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में राज्यों के धैर्य और सहयोग भावना की परीक्षा हो जाती है।

विशिष्ट प्रावधान

- ❖ भारतीय संघवाद की सबसे नायाब विशेषता यह है कि इसमें अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। विधायिका का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या भिन्न-भिन्न होने के कारण उन्हें राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। जहाँ छोटे-से-छोटे राज्य को भी न्यूनतम प्रतिनिधित्व अवश्य प्रदान किया गया है वहीं इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित किया गया कि बड़े राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके।
- ❖ शक्ति के बँटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियाँ सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त हैं। लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। ऐसे अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों (असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि) के लिए हैं जहाँ विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय-बहुल

जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के ये निवासी अपनी संस्कृति तथा इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। (अनुच्छेद 371)। बहरहाल, ये प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके हैं। ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाणा के लिए भी हैं।

जम्मू और कश्मीर

- ❖ विशेष दर्जे वाला अन्य राज्य जम्मू और कश्मीर (अनुच्छेद 370) था। जम्मू और कश्मीर बड़े रजवाड़ों में से एक था, जिसके पास भारत या पाकिस्तान से जुड़ने या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प था। परंतु, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात् अक्तूबर, 1947 में पाकिस्तान ने अपनी ओर से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए क़बायली घुसपैठिए भेजे। इसने महाराजा हरि सिंह को भारत से मदद लेने के लिए मजबूर किया और वे भारतीय संघ में सम्मिलित हो गए।
- ❖ पश्चिमी और पूर्वी भागों के कई मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में मिल गए, परंतु जम्मू और कश्मीर एक अपवाद था। इन परिस्थितियों के अंतर्गत संविधान द्वारा उसे बहुत अधिक स्वायत्तता दी गई। अनुच्छेद 370 के अनुसार, संघ और समवर्ती सूचियों में उल्लेखित मामलों में कोई कानून भी बनाने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता थी। यह अन्य राज्यों की स्थिति से भिन्न था। दूसरे राज्यों के मामले में, शक्तियों का बंटवारा जैसा तीन सूचियों में दिया गया था, स्वतः लागू होता है। जम्मू और कश्मीर के मामले में, केंद्र सरकार के पास मात्र सीमित शक्तियाँ थीं और संघ सूची तथा समवर्ती सूची में दी गई अन्य शक्तियों को केवल राज्य की सहमति से ही उपयोग में लाया जा सकता था। इसने जम्मू और कश्मीर राज्य को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की।
- ❖ पहले, एक संवैधानिक प्रावधान था जो राष्ट्रपति को राज्य सरकार की सहमति से स्पष्ट करने की अनुमति देता था कि राज्य पर संघ सूची के कौन-से भाग लागू होने चाहिए। राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर की सरकार की सहमति से दो संवैधानिक आदेश जारी किए थे, जिससे संविधान के बड़े हिस्से को राज्य में लागू कर दिया गया। परिणामस्वरूप, यद्यपि जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान और झंडा था,

संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया।

- ❖ अन्य राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर में शेष भिन्नताएँ यह थीं कि जम्मू और कश्मीर में राज्य की सहमति के बिना, आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती थी। केंद्र सरकार राज्य में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा सकती थी और जम्मू और कश्मीर में नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं होते थे। भारतीय संविधान में संशोधन (अनुच्छेद 368 के अंतर्गत) जम्मू और कश्मीर की सरकार की सहमति से ही लागू किए जा सकते थे।
- ❖ वर्तमान में, 370 के अंतर्गत दिया गया विशेष दर्जा अस्तित्व में नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा, राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - (1) जम्मू और कश्मीर और (2) लद्दाख में विभाजित कर दिया है। यह नई व्यवस्था 31 अक्तूबर, 2019 से प्रभावी हुई है।

निष्कर्ष

- ❖ संघवाद एक इंद्रधनुष की भाँति होता है जहाँ प्रत्येक रंग का अलग अस्तित्व होता है लेकिन वे सभी रंग मिल कर एक सुंदर और सद्भावपूर्ण दृश्य उपस्थित करते हैं।
- ❖ संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कठिन कार्य करती है। कोई भी कानूनी या संस्थानिक फार्मूला संघीय व्यवस्था के सुचारु रूप से कार्य करने की गारंटी नहीं दे सकता।
- ❖ इसकी सफलता के लिए जनता और राजनीतिक प्रक्रिया को पारस्परिक विश्वास, सहनशीलता तथा सहयोग की भावना पर आधारित कुछ गुणों, मूल्यों और संस्कृति का विकास करना चाहिए।
- ❖ संघवाद एकता और अनेकता दोनों का आदर करता है। अनेकता और विविधताओं को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी बाध्यकारी एकता वास्तव में और ज्यादा सामाजिक संघर्ष तथा अलगाव को जन्म देती है जो अंत में एकता को ही नष्ट कर देती है।
- ❖ विभिन्नताओं और स्वायत्तता की माँगों के प्रति संवेदनशील तथा उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था ही सहयोगी संघवाद का एकमात्र आधार हो सकती है।

स्थानीय शासन

स्थानीय सरकार क्यों?

- ❖ स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन् 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। गाँव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं।
- ❖ स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिक की समस्याएँ और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी।
- ❖ स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक हैं। कारगर और जन-हितकारी प्रशासन के लिए भी यह जरूरी है।
- ❖ स्थानीय शासन का फायदा यह है कि यह लोगों के सबसे नजदीक होता है और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाता है।
- ❖ अपनी जमीन के साथ क्या करना है - यह फैसला करने का अधिकार भी गाँव के हाथ में रहा। ऐसा ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सदस्यों के जुझारू प्रयासों के कारण संभव हुआ। इस तरह स्थानीय शासन लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा में अत्यंत कारगर साबित हो सकता है।
- ❖ लोकतंत्र का मतलब है सार्थक भागीदारी। लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से भी है। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है।
- ❖ स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक को उसके जीवन से जुड़े मसलों, जरूरतों और उसके विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया को शामिल किया जा सकता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किये जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उनके नुमाइंदों के हाथ में रहने चाहिए।
- ❖ लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है। आम जनता प्रादेशिक अथवा केंद्रीय सरकार से कहीं ज्यादा परिचित स्थानीय शासन से होती है।

भारत में स्थानीय शासन का विकास

- ❖ अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में 'सभा' के रूप में मौजूद थे। समय बीतने के साथ गाँव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया। समय बदलने के साथ-साथ पंचायतों की भूमिका और काम भी बदलते रहे।
- ❖ आधुनिक समय में, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन् 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लार्ड रिपन (Lord Rippon) भारत का वायसराय था। उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की। उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड (Local Board) कहा जाता था। बहरहाल, इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी।
- ❖ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से माँग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट-1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। सन् 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही।
- ❖ भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहलकदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि यह सफल हो।
- ❖ इस तरह, पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज्यादा शक्तियाँ थीं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में यह बात भी शामिल थी। इस कारण, हमारे नेताओं के लिए आजादी का अर्थ एक आश्वासन था कि फैसला लेने में तथा कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होगा।
- ❖ जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के 'नीति निर्देशक-सिद्धांतों' में भी इसकी चर्चा है। इसमें कहा गया है कि देश की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देशक तत्त्व मानकर चले।

- ❖ राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का अंग होने के कारण संविधान का यह प्रावधान अदालती वाद के दायरे में नहीं आता और इसकी प्रकृति प्रधानतः सलाह-मशविरे की है। ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन के मसले को जिसमें पंचायत भी शामिल है, संविधान में यथोचित महत्त्व नहीं मिला।

स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन

- ❖ संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन के बाद स्थानीय-शासन को मजबूत आधार मिला। लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। इस सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme) का।
- ❖ इस कार्यक्रम के पीछे सोच यह थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई।
- ❖ कुछ प्रदेश (मसलन गुजरात, महाराष्ट्र) ने सन् 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनायी। लेकिन अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सकें।
- ❖ ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। कई प्रदेशों ने तो यह तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की ज़रूरत भी है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया। कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुए। अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय-समय पर स्थगित होते रहे।
- ❖ सन् 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। सन् 1989 में पी के थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की।
- ❖ समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय-समय पर कराने, उनके समुचित कार्यों की

सूची तय करने तथा ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाय।

संविधान का 73 वाँ और 74 वाँ संशोधन

- ❖ सन् 1989 में केंद्र सरकार ने दो संविधान संशोधनों की बात आगे बढ़ायी। इन संशोधनों का लक्ष्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में इसके कामकाज तथा बनावट में एकरूपता लाना।
- ❖ बाद में, सन् 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73 वाँ संशोधन गाँव के स्थानीय शासन से जुड़ा है।
- ❖ इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का 74 वाँ संशोधन शहरी स्थानीय शासन (नगरपालिका) से जुड़ा है। सन् 1993 में 73 वाँ और 74 वाँ संशोधन लागू हुए।

74 वाँ संशोधन

त्रि-स्तरीय बनावट

- ❖ अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढाँचा त्रि-स्तरीय है। सबसे नीचे यानी पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज्यादा गाँव होते हैं। मध्यवर्ती स्तर यानी बीच का पायदान मंडल का है जिसे खंड (Block) या तालुका भी कहा जाता है।
- ❖ इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की ज़रूरत नहीं।
- ❖ सबसे ऊपर के पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है।
- ❖ संविधान के 73 वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा

का सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है।

चुनाव

- ❖ पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि पाँच साल की होती है। यदि प्रदेश की सरकार पाँच साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है, तो इसके छः माह के अंदर नये चुनाव हो जाने चाहिए।
- ❖ निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। संविधान के 73 वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था।

आरक्षण

- ❖ सभी पंचायती संस्थाओं में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
- ❖ यह व्यवस्था अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे, तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है।
- ❖ यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष (Chairperson) पद तक आरक्षण दिया गया है।
- ❖ इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण नहीं दिया गया बल्कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर भी महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था है।
- ❖ कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य के लिए साथ-साथ आरक्षित की जा सकती है। इस

तरह, सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला धारण कर सकती है।

विषयों का स्थानांतरण

- ❖ ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे, अब पहचान कर संविधान की 11 वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है।
- ❖ इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है।
- ❖ भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73 वें संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा गया था। ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे। सन् 1996 में अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया।
- ❖ अनेक आदिवासी समुदायों में जंगल और जल-जोहड़ जैसे साझे संसाधनों की देख-रेख के रीति-रिवाज मौजूद हैं। इस कारण, नये अधिनियम में आदिवासी समुदायों के इस अधिकार की रक्षा की गई है। वे अपने रीति-रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं।
- ❖ इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है।
- ❖ इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्व-शासन की स्थानीय परंपरा को बचाना और आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों से ऐसे समुदायों को परिचित कराना है। विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इस विचार की संगति बैठती है।

राज्य चुनाव आयुक्त

- ❖ प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी।
- ❖ पहले यह काम प्रदेश का प्रशासन करता था, जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता है। अब भारत के चुनाव आयुक्त के

समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त (autonomous) है। बहरहाल, प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है। उसका अथवा उसके कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता।

राज्य वित्त आयोग

- ❖ प्रदेशों की सरकार के लिए हर पाँच वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना ज़रूरी है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा।
- ❖ यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बँटवारे का पुनरावलोकन करेगा।
- ❖ इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आबंटित करना राजनीतिक मसला न बने।

74 वाँ संशोधन

- ❖ संविधान के 74 वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन के निकाय अर्थात् नगरपालिका से है। मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े महानगरों को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जो शहरी इलाके गाँव और नगर के बीच के होते हैं उन्हें पहचान पाना इतना आसान नहीं।
- ❖ भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा करते हुए ज़रूर माना गया है कि ऐसे इलाके में (क) कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो, (ख) इस इलाके के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75 प्रतिशत खेती-बाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे में हों, और (ग) जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।
- ❖ सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31 प्रतिशत जनसंख्या शहरी इलाके में रहती है।
- ❖ 74वें संशोधन में संविधान के 73 वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। 73 वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और

प्रादेशिक वित्त आयोग 74 वें संशोधन में शामिल हैं तथा नगरपालिकाओं पर लागू होते हैं। संशोधन के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बना दिया गया है कि प्रदेश की सरकार कुछेक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं पर छोड़ दे। ये कार्य संविधान की बारहवीं अनुसूची में लिखे गए हैं।

73 वें और 74 वें संशोधन का क्रियान्वयन

- ❖ अब सभी प्रदेशों ने 73 वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना दिए हैं। इन प्रावधानों को अस्तित्व में आये अब दस वर्ष से ज्यादा हो रहे हैं।
- ❖ इस अवधि (1994-2004) में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम दो बार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा कुछ और प्रदेशों में तो अब तक तीन-तीन दफे चुनाव हो चुके हैं।
- ❖ आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या 600 से ज्यादा, मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायत की संख्या 6,000 तथा ग्राम पंचायतों की संख्या 2,40,000 है। शहरी भारत में 100 से ज्यादा नगर निगम, 1,400 नगरपालिका तथा 2,000 नगर पंचायत मौजूद हैं। हर पाँच वर्ष पर इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। इनमें से 13 लाख महिलाएँ हैं।
- ❖ यदि प्रदेशों की विधान सभा तथा संसद को एक साथ रखकर देखें तो भी इनमें निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों की संख्या 5,000 से कम बैठती है। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफ़ा हुआ है।
- ❖ जाहिर है कि 73 वें और 74 वें संशोधन ने देश भर की पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका की संस्थाओं की बनावट को एक-सा किया है। इन स्थानीय संस्थाओं की मौजूदगी ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल तैयार होगा।
- ❖ पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई है।

- ❖ आरक्षण का प्रावधान अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए भी है। इस कारण निर्वाचित महिला जन-प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन हुई है।
- ❖ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया था। इसके साथ ही, अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया है।
- ❖ भारत की जनसंख्या में 16.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 8.2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की संख्या लगभग 6.6 लाख है। इससे स्थानीय निकायों की सामाजिक बुनावट में भारी बदलाव आए हैं।
- ❖ ये निकाय जिस सामाजिक सच्चाई के बीच काम कर रहे हैं अब उस सच्चाई की नुमाइंदगी इन निकायों के जरिए ज्यादा हो रही है। कभी-कभी इससे तनाव पैदा होता है।
- ❖ जो तबका सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण गाँव पर अपना नियंत्रण रखता था वह अपने इस दबदबे को छोड़ना नहीं चाहता। इससे सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाता है। लेकिन, तनाव और संघर्ष हमेशा बुरे नहीं होते।
- ❖ जब भी लोकतंत्र को ज्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी, तो समाज में संघर्ष और तनाव होना ही है।
- ❖ संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की ज़रूरतों से संबंधित हैं।
- ❖ स्थानीय शासन के कामकाज के पिछले दशकों के अनुभव बताते हैं कि भारत में इसे अपना कामकाज स्वतंत्रतापूर्वक करने की छूट बहुत कम है। अनेक प्रदेशों ने अधिकांश विषय स्थानीय निकायों को नहीं सौंपे थे। इसका मतलब यह है कि स्थानीय निकाय कारगर ढंग से काम नहीं कर सकते थे।
- ❖ इस तरह, इतने सारे जन-प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का पूरा का पूरा काम बस प्रतीकात्मक बनकर रह गया। कुछ लोग स्थानीय निकायों के निर्माण की यह कहकर आलोचना

करते हैं कि इससे प्रादेशिक और केंद्रीय स्तर पर जिस तरह से फ़ैसले लिए जाते हैं - उसमें कोई बदलाव नहीं आता।

- ❖ स्थानीय स्तर की जनता के पास लोक कल्याण के कार्यक्रमों अथवा संसाधनों के आबंटन के बारे में विकल्प चुनने की ज्यादा शक्ति नहीं होती।
- ❖ स्थानीय निकायों के पास अपना कह सकने लायक धन बहुत कम होता है। स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र की सरकार पर वित्तीय मदद के लिए निर्भर होते हैं। इससे कारगर ढंग से काम कर सकने की उनकी क्षमता का बहुत क्षरण हुआ है।
- ❖ शहरी स्थानीय निकायों का कुल राजस्व उगाही में 0.24 प्रतिशत का योगदान है जबकि सरकारी खर्च का 4 प्रतिशत इन निकायों द्वारा व्यय होता है। इस तरह स्थानीय निकाय कमाते कम और खर्च ज्यादा करते हैं। इसी कारण ये निकाय अनुदान देने वाले पर निर्भर होते हैं।

निष्कर्ष

- ❖ स्थानीय शासन के निकाय एक एजेंसी की भूमिका निभाते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विकास-कार्यक्रमों को लागू करना जारी रखेंगे। स्थानीय शासन को ज्यादा शक्ति देने का मतलब है कि हम सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए तैयार रहें।
- ❖ आखिरकार, लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता की भागीदार जनता होगी। गाँव और शहर के लोगों को यह फ़ैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि किस नीति और कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है और किसे नहीं।
- ❖ स्थानीय शासन के संबंध में जो कानून बने हैं वे लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जाएँगे। लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा कानूनी प्रावधानों में नहीं बल्कि इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने में होती है।

संविधान एक जीवंत दस्तावेज़

क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं?

- ❖ परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दुबारा तैयार किया है। सोवियत संघ में 74 वर्षों के दौरान-(1918,1924,1936 और 1977) संविधान चार बार बदला गया।
- ❖ 1991 में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया और जल्दी ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया। इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहाँ रूसी गणराज्यों का नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान अंगीकार किया गया।
- ❖ भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। तब से लेकर आज तक 69 वर्ष बीत चुके हैं और यह संविधान लगातार काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम करती है।
- ❖ तो, क्या हम यह मानें कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें किसी बदलाव की ज़रूरत ही नहीं है? क्या हमारे संविधान-निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलावों और घटनाओं का अंदाजा पहले ही लगा लिया था? एक अर्थ में ये दोनों ही बातें ठीक हैं। यह बात सही है कि हमें एक मज़बूत संविधान विरासत में मिला है।
- ❖ इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल हैं। इसके साथ यह बात भी सही है कि हमारे संविधान-निर्माता अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था।
- ❖ लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं होता जिसे बदलने की आवश्यकता न पड़े।
- ❖ समय की ज़रूरत को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किये जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान के

व्यावहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज्यादा व्याख्याएँ हो सकें। कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान लचीला है।

- ❖ अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार-बरताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न बनकर एक जीवंत दस्तावेज़ के रूप में विकसित हो सका है।
- ❖ समय के एक खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह तो स्वाभाविक ही है कि उस खास वक्त में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके समाधान के प्रयासों की झलक संविधान के प्रावधानों में दिखाई देगी।
- ❖ लेकिन, संविधान को बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे आने वाले समय में वह सरकारों के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करे। इसलिए, किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी सक्षम होना चाहिए।
- ❖ इस अर्थ में संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों और प्रश्नों से जुड़ा होता है बल्कि उसके कई सारे तत्त्व स्थायी महत्त्व के होते हैं।
- ❖ संविधान की रचना मनुष्य ही करते हैं और इस नाते उसमें हमेशा संशोधन बदलाव और पुनर्विचार की गुंजाइश रहती है। संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है लेकिन इस संबंध में हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढाँचा भी होता है।
- ❖ इस दृष्टि से संविधान एक ऐसा उपकरण होता है जिसे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है। संविधान की यह दोहरी भूमिका संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किल सवाल खड़े

करती है। क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज़ होता है कि उसमें कोई बदलाव किया ही नहीं जा सकता? दूसरी तरफ देखें तो यह पूछा जा सकता है कि क्या यह एक इतना आम फहम मसला है कि उसमें सामान्य कानून की तरह जब चाहे बदलाव किए जा सकते हैं?

- ❖ भारतीय संविधान के निर्माताओं को इस समस्या का आभास था, इसलिए उन्होंने संविधान में एक संतुलन पैदा करने को कोशिश की। उन्होंने संविधान को सामान्य कानून से ऊँचा दर्जा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उसे सन्मान की दृष्टि से देखें। साथ ही संविधान बनाते समय उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भविष्य में इस दस्तावेज़ में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है।
- ❖ संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी वे इस बात को लेकर सचेत थे कि किसी मुद्दे पर लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है। वे जानते थे कि जब समाज किसी मत विशेष की ओर ज्यादा आकृष्ट होगा तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाएगी। इसलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया यानी उसे पवित्र दस्तावेज़ मानने के साथ-साथ इतना लचीला भी बनाया गया कि उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप यथोचित बदलाव किए जा सकें। दूसरे शब्दों में हमारा संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज़ नहीं है। इसमें किसी स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय देने से बचा गया है। यह कोई अपरिवर्तनीय चीज़ नहीं है।

संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है?

- ❖ **अनुच्छेद:-368** - संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती है।
- ❖ संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज़ बनाने के पक्षधर थे। संविधान को इतना लचीला होना ही चाहिए कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जा सकें। लेकिन साथ ही इसे अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलावों से बचाया जाना चाहिए।

- ❖ दूसरे शब्दों में संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ 'लचीला' और 'कठोर' बनाने के पक्ष में थे। यहाँ लचीले का मतलब है परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि और कठोर का अर्थ है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे संविधानों को कठोर कहा जाता है। भारतीय संविधान में इन दोनों ही तत्वों का समावेश किया गया है।
- ❖ संविधान निर्माता जानते थे कि संविधान में त्रुटियाँ हो सकती हैं। वे समझते थे कि संविधान पूरी तरह दोषमुक्त नहीं हो सकता। वे संविधान को एक ऐसा रूप देना चाहते थे कि त्रुटि सामने आने पर उसका निवारण आसानी से किया जा सके इस संविधान के कुछ प्रावधानों का स्वरूप अस्थायी था और इनके बारे में यह राय अपनायी गयी थी कि नयी संसद का गठन होने पर या बाद में इन प्रावधानों को हटा लिया जाएगा।
- ❖ हमारा संविधान एक संघीय राज्यव्यवस्था बनाने के पक्ष में था। इसलिए उसमें ऐसे प्रावधान किए गए थे कि राज्यों की शक्तियों को उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जा सके इसके कुछ पक्ष इतने केंद्रीय महत्त्व के थे कि संविधान निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखना चाहते थे। अतः इन प्रावधानों की संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाना आवश्यक था। यही वजह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने पड़े।

भारतीय संविधान में संशोधन के प्रकार

- ❖ संसद के साधारण बहुमत द्वारा
 - भारतीय संविधान के कई प्रावधानों में साधारण बहुमत से अर्थात् **उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 50% मत से संशोधन** किया जा सकता है।
 - यह ध्यान देने योग्य है कि इन संशोधनों को अनुच्छेद 368 की परिधि से बाहर रखा गया है।
 - साधारण बहुमत से संशोधित किये जा सकने वाले प्रावधानों के कुछ उदाहरण हैं:
 - नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना;

- नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन;
- राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण आदि
- ❖ **संसद के विशेष बहुमत द्वारा**
- संविधान के अधिकांश प्रावधानों में केवल **विशेष बहुमत (सदन की कुल सदस्यता का 50% से अधिक और उस सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत)** द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है।
- विशेष बहुमत से संशोधित किये जा सकने वाले प्रावधान हैं:
- मौलिक अधिकार
- राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व
- अन्य सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।
- ❖ संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार के संशोधन और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता। संविधान के इन हिस्सों को काफ़ी लचीला बनाया गया है। आगे संविधान के दो अनुच्छेद दिए गए हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। इन दोनों अनुच्छेदों में 'विधि द्वारा' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ यह है कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संसद इसी सरल तरीके से संशोधन कर सकती है।

अनुच्छेद 2 संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है।

अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है।

- ❖ संविधान के शेष खंडों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के दो तरीके दिए गए हैं। ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एकसमान रूप से लागू नहीं होते।

- एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कही गई है।
- दूसरा तरीका ज्यादा कठोर है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानपालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है।
- ❖ संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है। संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या किसी अन्य निकाय की संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती।

विशेष बहुमत

- ❖ चुनाव, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित अध्यायों में हम उन प्रावधानों का अध्ययन कर चुके हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। एक बार पुनः याद करें कि विशेष बहुमत का क्या अर्थ होता है।
- ❖ सामान्यतः विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
- ❖ सदन में 247 सदस्य उपस्थित हैं। ये सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते हैं। अगर इन सदस्यों में से कम से कम 124 सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस विधेयक को पारित माना जाएगा।
- ❖ लेकिन संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती। संविधान में संशोधन करने के लिए दो प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
- सबसे पहले, संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए।
- दूसरे, संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की दो तिहाई होनी चाहिए।
- संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है।

- इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता।
- ❖ लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। अतः किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हों तो विधेयक पारित करने के लिए 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी।
- ❖ लेकिन कल्पना करें कि लोकसभा के 400 सदस्यों ने किसी विधेयक पर होने वाले मतदान में भाग लिया है। इस विधेयक को पारित करने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी।
- ❖ इसके अलावा, संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ स्वतंत्र रूप से पारित किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जब तक प्रस्तावित विधेयक पर पर्याप्त सहमति न बन पाए तब तक उसे पारित नहीं किया जा सकता।
- ❖ सत्तारूढ़ दल काफी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद बजट या अपनी पसंद का विधेयक पारित करा सकता है, लेकिन अगर यह दल संविधान में संशोधन करना चाहता है तो उसे कुछ विपक्षी दलों को विश्वास में लेना पड़ेगा।
- ❖ इस तरह संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना यह है कि उसमें राजनीतिक दलों और सांसदों की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए।
- ❖ बड़ी मानी जाएगी। आइए जानने का प्रयास करें कि इतने सारे संशोधनों के पीछे क्या वजहें रही हैं और इसके निहितार्थ क्या हैं।

राज्यों द्वारा अनुमोदन

- ❖ संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं होता। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित या जन प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श करना और उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। पीछे हमने संविधान की संघीय प्रकृति के बारे में अध्ययन किया है।
- ❖ संघीय संरचना का अर्थ यह है कि राज्यों की शक्तियाँ केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं करतीं। संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएँ किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देतीं तब तक वह संशोधन प्रभावी नहीं माना जाता। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि संविधान के कुछ हिस्सों के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है। इस प्रावधान में राज्यों के अधिकारों को भी जगह दी गई है। इसके अंतर्गत राज्यों को संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया है।

संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए हैं?

- ❖ 26 जनवरी 2019 को हमारे संविधान को लागू हुए 69 वर्ष हो गए। 12 जनवरी 2019 तक इसमें 103 संशोधन किए जा चुके थे। संशोधन प्रक्रिया की कठोरता को देखते हुए संशोधनों की यह संख्या काफी

भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन

संशोधन अधिनियम	प्रावधान
प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951	इस संशोधन से संविधान में नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस सूची में केंद्र एवं राज्यों के उन कानूनों को शामिल किया गया है जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती।
42वां संविधान संशोधन	— प्रस्तावना में तीन शब्द (अर्थात् समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता) जोड़े गए।

संशोधन अधिनियम	प्रावधान
अधिनियम, 1976	– संविधान में मौलिक कर्तव्यों (नया भाग IVA) को जोड़ा गया।
44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978	– इसने राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) से संबंधित 'आंतरिक अशांति' शब्द को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदल दिया। – इसने मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया।
61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1988	इसने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992	इसने पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधानों को पेश किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर शक्ति का विकेंद्रीकरण करना था।
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992	इसने शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधानों को प्रस्तुत किया, जिससे नगर पालिकाओं और नगर निगमों को सशक्त बनाया गया।
86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002	इस संशोधन के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011	इस संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया।
101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016	इस संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) को प्रस्तुत किया गया , जो एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर सुधार है जिसका उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाना और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।
102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018	इसने पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019	यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है।
104वाँ संविधान संशोधन	यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के

संशोधन अधिनियम	प्रावधान
अधिनियम, 2020	सदस्यों के लिए 25 जनवरी 2030 तक सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
105वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2021	इसने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को पुनर्जीवित किया।
106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023	यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों सहित लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में सभी सीटों का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करता है।

संशोधनों की विषय-वस्तु

- ❖ अब तक किए संशोधनों को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे संशोधन शामिल किए गए हैं जो तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के हैं और ये संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने, उनकी व्याख्या करने तथा छिट-पुट संशोधन से संबंधित हैं। उन्हें केवल सिर्फ तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता है। वास्तव में वे इन उपबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं करते।
- ❖ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष (15 वाँ संशोधन) करना और इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन (54वाँ संशोधन) इसी बात के उदाहरण हैं।
- ❖ एक अन्य उदाहरण के रूप में हम विधायिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी उपबंधों को ले सकते हैं। मूल उपबंध में आरक्षण की बात दस वर्ष की अवधि के लिए कही गई थी। किंतु इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस अवधि को प्रत्येक दस वर्षों की समाप्ति पर एक संशोधन द्वारा आगामी दस वर्षों के लिए बढ़ाना आवश्यक समझा गया। इस संबंध में अब तक छह संशोधन किए जा चुके हैं परंतु इन संशोधनों से मूल उपबंधों में कोई अंतर नहीं आया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये केवल तकनीकी संशोधन हैं।

व्याख्याएँ- विभिन्न दृष्टिकोण

- ❖ संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहे हैं। संविधान के अनेक संशोधन इन्हीं मतभेदों की उपज के रूप में देखे जा सकते हैं। इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधन का सहारा लेकर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रामाणिक सिद्ध करना पड़ता है।
- ❖ प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएँ संविधान और अपनी शक्तियों की अपने-अपने तरीके से व्याख्या करती हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम लक्षण है। कई बार संसद इन न्यायिक व्याख्याओं से सहमत नहीं होती और उसे न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। 1970 से 1975 के दौरान ऐसी अनेक परिस्थितियाँ पैदा हुईं।
- ❖ न्यायपालिका तथा अधिकारों से संबंधित अध्यायों में आप संसद तथा न्यायपालिका के बीच उठने वाले विवादों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस संबंध में हम तीन दृष्टांतों का उल्लेख कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहे हैं। इसी प्रकार निजी संपत्ति के अधिकार के दायरे तथा संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी दोनों के बीच विवाद उठते रहे हैं। 1970 से

1975 के काल में संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए बार-बार संशोधन किए।

- ❖ 1970-1975 में भारतीय राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी। इसलिए हमारा संवैधानिक इतिहास पूरे तौर पर इस काल की राजनीति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अगले वर्ष स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते समय आपको इस बारे में और जानकारी मिलेगी।

राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन

- ❖ तीसरे, बहुत से संशोधन ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति का परिणाम माना जा सकता है। एक अर्थ में कहा जा सकता है कि ये संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए थे।
- ❖ वास्तव में, 1984 के बाद किए गए अनेक संशोधन इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यहाँ एक बार पुनः पिछले प्रश्न को याद करें-गठबंधन सरकारों के बावजूद इतने संशोधन क्यों किए गए? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इनमें से कई संशोधनों के पीछे व्यापक आम सहमति काम कर रही थी। राजनीतिक उथल-पुथल के इस दौर में हम अनेक संशोधनों को आकार लेते देखते हैं। संशोधनों के इस दीर्घ क्रम की शुरुआत दल बदल विरोधी कानून (52 वाँ संशोधन) से हुई थी।
- ❖ दल बदल विरोधी कानून(52 वाँ तथा 91 वाँ संशोधन) के अलावा इस काल में मताधिकार की आयु को 21 से 18 वर्ष करने के लिए संविधान में 61 वाँ संशोधन हुआ और 73 वाँ और 74 वाँ संशोधन किए गए। इस काल में नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भी संशोधन किए गए। सन् 1992-93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हुआ और इन मुद्दों से संबंधित संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई।

विवादास्पद संशोधन

- ❖ हमारी अब तक की चर्चा से यह भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर आज तक

कोई विवाद ही पैदा नहीं हुआ है। सच्चाई यह है कि सत्तर से अस्सी के दशक में इन संशोधनों को लेकर विधि और राजनीति के दायरों में भारी बहस छिड़ी थी। 1971-1976 के काल में विपक्षी दल इन संशोधनों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है। इस संबंध में, 38 वाँ, 39 वाँ और 42 वाँ संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे हैं।

- ❖ जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई। ये तीन संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था।
- ❖ पिछले तीन दशकों में संविधान की बुनियादी संरचना को लेकर देश की सभी संस्थाओं में सहमति पैदा हुई है। वास्तव में, संविधान का 42 वाँ संशोधन एक बड़ा संशोधन है। इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक प्रकार से यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती थी। यहाँ तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। आपने मूल कर्तव्यों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। उन्हें संविधान में इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान का 42 वाँ संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह कहा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया। क्या आप जानते हैं कि इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना, सातवीं अनुसूची तथा 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। जब यह संशोधन संसद में पास किया गया तो विरोधी दलों के बहुत से सांसद जेल में थे। इसी पृष्ठभूमि में 1977 के चुनाव हुए और सत्ताधारी दल (कांग्रेस) की हार हुई। नई सरकार ने इन विरोधाभासी संशोधनों पर पुनः विचार करना आवश्यक समझा और 38 वें, 39 वें तथा 42 वें संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से अधिकांश को 43 वें, 44 वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया। इन संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक संतुलन को पुनः लागू किया गया।

संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास

❖ भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक प्रभावित किया है वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। आप यह बात पहले से ही जानते हैं कि इस सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया:

- इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएँ निर्धारित की गई।
- यह संविधान के किसी या सभी भागों के संपूर्ण संशोधन (निर्धारित सीमाओं के अंदर) की अनुमति देता है।
- विधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा - केशवानंद भारती मामले में यह बात स्पष्ट हो गई।

❖ सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद के मामले में 1973 में निर्णय दिया था। बाद के चार दशकों में संविधान की सभी व्याख्याएँ इसको ध्यान में रखकर की गयीं।

❖ संरचना का सिद्धांत स्वयं में ही एक जीवंत संविधान का उदाहरण है। संविधान में इस अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है। विगत तीन दशकों के दौरान बुनियादी संरचना के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली है। इस तरह देखा जाए तो न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के चलते भी संविधान में संशोधन हुए हैं।

❖ सभी जीवंत संविधान बहस, तर्क-वितर्क, प्रतिस्पर्धा और व्याहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजर कर ही विकसित होते हैं।

❖ 1973 के बाद न्यायालयों ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। एक अर्थ में, बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलेपन का संतुलन और मजबूत ही हुआ है। संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन के दायरे से बाहर रखने और उसके कुछ हिस्सों को संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत लाने से कठोरता और लचीलेपन का संतुलन निश्चय ही पुष्ट हुआ है।

संविधान की समीक्षा

❖ नवें दशक के अंतिम वर्षों में समूचे संविधान की समीक्षा करने का विचार सामने आया। सन् 2000 में भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जिसका उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था। विपक्षी दल तथा अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया। आयोग को लेकर उठा राजनीतिक विवाद अपनी जगह है लेकिन गौर करने की बात यह है कि आयोग ने बुनियादी संरचना में विश्वास जताया और ऐसे किसी कदम की सिफारिश नहीं की जिससे संविधान की बुनियादी संरचना को चोट पहुँचती हो। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को कितना महत्व दिया गया है।

❖ ऐसे कई और उदाहरण मौजूद हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रही है। नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण सीमा तय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि आरक्षित सीटों की संख्या सीटों की कुल संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस निर्णय को अब एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण नीति के अंतर्गत स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा और यह फैसला दिया कि इस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ नहीं मिलने चाहिए।

❖ इसी तरह, न्यायपालिका ने शिक्षा, जीवन, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समूहों की संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन के अधिकारों के उपबंधों में अनौपचारिक रूप से कई संशोधन किए हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि न्यायालय के आदेशों की भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

न्यायपालिका का योगदान

❖ न्यायपालिका तथा संसद के विवाद के दौरान संसद का मानना था कि उसके पास गरीब, पिछड़े तथा असहाय लोगों

के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने (संशोधन करने) की शक्ति मौजूद है। न्यायपालिका ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये सब कार्यकलाप संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए और जनहित के उपाय विधिक सीमाओं के बाहर नहीं होने चाहिए क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। प्रजातंत्र में जितना महत्त्व जनकल्याण को दिया जाता है उतना ही ध्यान इस बात पर देना पड़ता है कि सत्ता का दुरुपयोग न होने पाए।

- ❖ भारतीय संविधान की सफलता इन तनावों को सुलझाने में ही निहित है। न्यायपालिका ने केशवानंद के मामले में संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय दिया। संविधान पढ़ने पर आपको संविधान के मूल ढाँचे के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि उसका फलाना भाग मूल संरचना का हिस्सा है। इस प्रकार मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई अवधारणा है।
- ❖ न्यायपालिका ने इस अवधारणा को कैसे विकसित किया? पिछले चार दशकों के दौरान अन्य संस्थाओं ने इसे किस प्रकार अपनाया है?
- ❖ यहीं आकर हमें शब्द और भावना के बीच का अंतर पता चलता है। न्यायालय का यह मानना है कि किसी दस्तावेज़ को पढ़ते समय हमें उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए। कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज़ के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियाँ तथा अपेक्षाएँ अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिया क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

राजनीतिज्ञों की परिपक्वता

- ❖ 1967 से 1973 के दौरान पैदा हुए कटु विरोधाभासों के दौर में संसद तथा कार्यपालिका ने एक संतुलित तथा दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया। केशवानंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार कराने के प्रयास किए गए। जब ये सारे प्रयास विफल रहे तो 42 वाँ संशोधन किया गया और संसद

की सर्वोच्चता स्थापित की गई लेकिन मिनर्वा मिल प्रकरण (1980) में न्यायालय ने अपने पहले लिए गए निर्णय को पुनः दोहराया। इसलिए केशवानंद मामले में निर्णय दिए जाने के चार दशकों के बाद भी संविधान की व्याख्या में इस निर्णय ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजनैतिक दलों, राजनेताओं, सरकार तथा संसद ने भी मूल संरचना के संवेदनशील विचार को स्वीकृति प्रदान की। यद्यपि संविधान की समीक्षा की बात चलती रही लेकिन यह प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे नहीं जा सकती।

- ❖ संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं और जनता के सामने एक साझे भविष्य की तस्वीर थी। नेहरू ने स्वतंत्रता के अवसर पर दिए एक प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार बताया था। संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श अर्थात् व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, सामाजिक-आर्थिक समानता, जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे।

निष्कर्ष

- ❖ बुनियादी संरचना में कौन-कौन से तत्व निहित हैं- इस बात को लेकर अभी तक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। इन बहसों के चलते रहने में कोई बुराई नहीं है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बहस और मतभेद लोकतांत्रिक राजनीति के अनिवार्य अंग होते हैं।
- ❖ साथ ही हमारे राजनैतिक दलों और नेतृत्व ने भी इन बहसों के मामले में परिपक्वता का परिचय दिया है। उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि राजनीतिक प्रश्नों से जुड़ी बहस और तर्क-वितर्क मार्यादा के बाहर न जाए।
- ❖ समझौतों और आदान-प्रदान के बिना राजनीति नहीं चलती। अतिवादी रुख अपनाना सैद्धांतिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, वैचारिक स्तर पर ऐसा करना काफी आकर्षक भी दिखता है।
- ❖ लेकिन, राजनीति में सभी पक्षों को अपने अतिवादी विचारों और नज़ारिए को छोड़कर एक न्यूनतम साझी समझ विकसित करनी पड़ती है। इसके बिना लोकतांत्रिक राजनीति

आगे नहीं बढ़ सकती। हमारे यहाँ की जनता और राजनीतिज्ञों ने इन बातों को भली-भाँति समझा है।

- ❖ इसी मर्यादित व्यवहार के कारण हमारा लोकतांत्रिक संविधान सफल रहा है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सर्वोच्च होने की प्रतिद्वंद्विता हमेशा चलती रहेगी।

- ❖ जनकल्याण के अभिप्राय को लेकर भी उनके बीच द्वंद्व बना रहेगा। लेकिन अंततः निर्णय जनता के हाथों में ही रहता है। वस्तुतः लोकतंत्र का उद्देश्य और लोकतांत्रिक राजनीति का अंतिम लक्ष्य जनता की आज़ादी और खुशहाली है।

Class-12

स्वतंत्र भारत में राजनीति

5. राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ
6. नियोजित विकास राजनीति
7. भारत के विदेश सम्बन्ध
8. कांग्रेस प्रणाली
9. जन आन्दोलनों का उदय
10. क्षेत्रीय आकांक्षाये
11. संविधान का विवरण

राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ :-

- ❖ आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। आज़ाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों के जिक्र से करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद के पहले दशक में राष्ट्र-निर्माण की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गया :

नए राष्ट्र की चुनौतियाँ :-

- ❖ सन् 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ।
- ❖ स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था।

प्रसिद्ध भाषण :-

- ❖ यह प्रसिद्ध भाषण 'भाग्यवधू से चिर-प्रतीक्षित भेंट' या 'ट्रिस्ट विद् डेस्टिनी' के नाम से जाना जाता है।
- ❖ हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी।
- ❖ हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थीं।

दो बातों पर सबकी सहमति थी :-

1. पहली बात यह कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा।
2. दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमज़ोरों का खास खयाल रखा जाएगा।

राष्ट्र-निर्माण की तीन चुनौतियाँ :-

1. **एकता के सूत्र में बँधे रखना :-** एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते थे, इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी

2. **लोकतंत्र को कायम करना :-** संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र को अपनाया।

3. **समूचे समाज का विकास :-** संविधान में यह बात साफ़ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बरताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक-सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए।

द्वि-राष्ट्र सिद्धांत :-

- ❖ भारत के विभाजन का सबसे प्रमुख कारण "द्वि-राष्ट्र सिद्धांत" था जिसकी मांग "मुस्लिम लीग" ने की थी।
- ❖ इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कौम का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक नए राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग की थी

अब्दुल गफ्फार खाँ :-

- ❖ ब्रिटिश इंडिया का मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के नेता खान – अब्दुल गफ्फार खाँ जिन्हें 'सीमांत गांधी' के नाम से जाना जाता है, वह 'द्वि – राष्ट्र सिद्धांत' के एकदम खिलाफ थे।

ब्रिटिश इंडिया का स्वरूप :-

- ❖ **ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत :-** ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजों का सीधा कब्जा था।
- ❖ **देशी रजवाड़े :-** दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, जिन्हें रजवाड़ा कहा जाता था रजवाड़ों पर राजाओं का नियंत्रण होता था।

विभाजन की प्रक्रिया :-

❖ जिस भू-भाग को 'इंडिया' के नाम से जाना जाता था उसे 'भारत' और 'पाकिस्तान' नाम के दो देशों के बीच बाँट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही। इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके 'पाकिस्तान' के भू-भाग होंगे और शेष हिस्से 'भारत' कहलाएँगे।

1. पहली समस्या :- 'ब्रिटिश इंडिया' में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो ऐसे दो इलाके में जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान तथा इनके बीच में भारतीय भू-भाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा।

2. दूसरी समस्या :- मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि 'सीमांत गाँधी' के रूप में थी और के 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' के एकदम खिलाफ़ थे। संयोग से, उनकी आवाज को अनदेखी की गई और 'पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत' को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया।

3. तीसरी समस्या :- 'ब्रिटिश इंडिया' के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर-मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बँटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक इलाकों को आधार माना जाएगा।

4. चौथी समस्या :- विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई 'अल्पसंख्यकों' की थी। सीमा के दोनों तरफ़ 'अल्पसंख्यक' थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भू-भाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी।

विभाजन के परिणाम :-

- ❖ सन् 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी।
- ❖ आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था।
- ❖ मानव – इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह एक था।
- ❖ लोगो को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा
- ❖ बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा
- ❖ अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुए।
- ❖ लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा
- ❖ औरतों को अगवा किया गया जबरन शादी करनी पड़ी धर्म बदलना पड़ा।
- ❖ कई मामलों में लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद घर की बहू बेटियों को मार डाला।
- ❖ वित्तीय संपदा के साथ-साथ टेबल कुर्सी टाइपराइटर और पुलिस के भी बंटवारे हुए।
- ❖ 80 लाख लोगों को घर छोड़कर उनके सीमा पर आना पड़ा।
- ❖ 5 से 10 लाख लोगों अपनी जान गवाई।

रजवाड़ों का विलय :-

- ❖ ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था।
 - एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था।
 - दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े ठगे जिनमें छोटे-बड़े आकार के कुछ और राज्य थे। इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था।

रजवाड़ों की समस्या :-

- ❖ आज़ादी के समय अंग्रेजों ने ऐलान किया की भारत के साथ ही सभी देसी रजवाड़े भी ब्रिटिश राज से आज़ाद हो जायेंगे।

- ❖ सभी रजवाड़ों को अधिकार दिया गया की वह या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रख सकते हैं।
- ❖ यह फैसला लेने का अधिकार रजवाड़ों के राजाओं को दिया गया यही से सारी समस्या शुरू हुई।
- ❖ विभाजन से हुए विध्वंस के बाद मौजूद सबसे बड़ी समस्या थी सभी 565 देसी रजवाड़ों का भारत का में विलय करके अखंड भारत का निर्माण करना।
- ❖ इस प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय एकता :-

- ❖ रजवाड़ों को शामिल करने के लिए भारत सरकार का तरीका लचीला था। सरकार द्वारा सामान्य बातचीत और बल प्रयोग दोनों तरीकों को ज़रूरत अनुसार अपनाया गया।

इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन :-

- ❖ रजवाड़ों के विलय के लिए एक सहमति पत्र का निर्माण किया गया। इस सहमति पत्र को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन कहते हैं। इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब था की रजवाड़े भारत में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
- ❖ इन देशी रियासतों की संख्या लगभग 565 थी।
- ❖ रियासतों के शासकों को मनाने – समझाने में सरदार पटेल (गृहमंत्री) ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई।
- ❖ अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया था।
- ❖ अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक “सहमति पत्र ” पर हस्ताक्षर कर दिये थे इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन” कहा जाता है।
- ❖ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ।
- ❖ ज्यादातर रजवाड़े भारत में शामिल होने के लिए राजी हो गए पर कुछ रजवाड़ों को भारत में शामिल करने में समस्याएँ आईं

- ❖ सभी रजवाड़ों को भारत में शामिल करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है
- ❖ उनकी सूझबूझ और राजनीतिक ज्ञान के द्वारा उन्होंने सभी रजवाड़ों को मना कर भारत में शामिल करवाया और अखंड भारत बनाने में अहम योगदान दिया
- ❖ उनके इन्हीं योगदानों की वजह से महात्मा गांधी द्वारा उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई और साथ मंत्री बने साथ वह देश के पहले गृह मंत्री बने।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity) :-

- ☞ वर्तमान दौर में सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया जो कि विश्व के कुछ सबसे बड़े स्टैच्यू में से एक है
- ☞ सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के पहले उप- प्रधानमंत्री थे।
- ☞ इन्होंने देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
- ☞ इसलिए इन्हें भारत का ‘लौह पुरुष’ (Iron Man of India) भी कहा जाता है।
- ☞ यह भारत के प्रथम गृह मंत्री (Home Minister) भी थे।

भारतीय रजवाड़ों का स्वरूप :-

- ❖ ओडिशा 26 रजवाड़े
- ❖ छत्तीसगढ़ 15 रजवाड़े
- ❖ सौराष्ट्र 14 बड़े रजवाड़े 119 छोटे रजवाड़े

हैदराबाद :-

- ❖ आज़ादी के समय हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत में से एक था।
- ❖ इसके शासक को निज़ाम कहा जाता था। निज़ाम उस समय दुनिया के कुछ सबसे आमिर लोगो में से एक था।
- ❖ निज़ाम चाहता था की हैदराबाद भारत से अलग रहे और आज़ाद रियासत बने पर हैदराबाद में रहने वाले लोग उसके शासन लोग खुश नहीं थे।

- ❖ जिस वजह से हैदराबाद के लोगो ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन करने शुरू किये।
- ❖ यह सब देख कर एवं इस विद्रोह को रोकने के लिए निज़ाम ने रजाकारों को भेजा
- ❖ रजाकार निज़ाम के सैनिको को कहा जाता था। जाकारों ने लूटपाट, हत्या और बलात्कार किये।
- ❖ लोगो पर हो रहे इस अत्याचार को देखते हुए सितम्बर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण की किया ताकि सामान्य जनता को रजाकारों से बचाया जा सके।
- ❖ यह युद्ध काफी दिनों तक चला और अंत में निज़ाम को हार माननी पड़ी और इस तरह हैदराबाद भारत का अंग बन गया।

मणिपुर :-

- ❖ मणिपुर भारत के पूर्व में स्थित एक रियासत था यह के राजा थे बोध चंद्र सिंह।
- ❖ लोगो के दवाब के कारण राजा को जून 1948 में चुनाव करवाने पड़े और इस तरह से मणिपुर में संवैधानिक राजतन्त्र को स्थापना हुई और भारत में सबसे पहले मणिपुर में ही सार्वभौमिक व्यवस्था स्थापित की अपना कर चुनाव हुए।
- ❖ भारत में पूर्ण रूप से शामिल होने की बात को लेकर मणिपुर की विधानसभा में बहुत मतभेद थे।
- ❖ कांग्रेस चाहती थी की मणिपुर पूरी तरह से भारत में शामिल हो जाये पर बाकि पार्टिया ऐसी नहीं चाहती थी
- ❖ अगर विधानसभा में भारत से अलग रहने का प्रस्ताव पास हो जाता तो मणिपुर को भारत में शामिल कर असंभव हो जाता इसी को देखते हुए भारतीय सरकार ने मणिपुर के राजा पर दवाब बनाया और उनसे पूर्ण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए इस तरह मणिपुर भारत का अंग बन गया।
- ❖ मणिपुर के लोगो को यह सही नहीं लगा और वहाँ की जनता काफी लम्बे समय तक इस फैसले से नाराज़ रही।

जम्मू एवं कश्मीर :-

- ❖ भारत के सबसे उत्तरी हिस्से पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्थित है।

- ❖ आजाद होने से पहले जम्मू और कश्मीर रियासत हुआ करता था जिसके राजा हरि सिंह थे।
- ❖ राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे जबकि पाकिस्तान कहता था कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है इसीलिए जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए।
- ❖ इस मांग को देखते हुए पाकिस्तान ने आजादी के तुरंत बाद 1947 में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के मकसद से जम्मू कश्मीर पर हमला किया।
- ❖ जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत ने उनकी मदद की
- ❖ इसी दौरान जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्स्प्रेसन पर हस्ताक्षर किए और अधिकारिक तौर से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया
- ❖ इसी दौरान यह भी कहा गया कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो वहां पर जनमत संग्रह कराया जाएगा कि वहां के लोग किस देश में शामिल होना चाहते हैं।
- ❖ 1947 में हुए युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और भारत द्वारा इसे POK यानी Pakistan Occupied Kashmir कहा जाता है

वर्तमान में जम्मू कश्मीर की स्थिति :-

- ❖ 2019 में सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया।
- ❖ वर्तमान में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है।

कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन :-

- ❖ कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था।
- ❖ अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा।

राज्यों का पुनर्गठन :-

भारत का विभाजन तो हो गया और भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में भी आए परंतु अभी भी राष्ट्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी और इसके साथ देसी रियासतों का भी भारतीय संघ में विलय कर दिया गया परंतु सबसे बड़ा सवाल यह था की क्या राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का समापन हो गया तो इसका उत्तर है नहीं क्योंकि अभी स्वतंत्र भारत के समक्ष भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को निर्धारित करने की चुनौती अभी मौजूद थी।

1. भारत के समक्ष प्रांतों की सीमाओं को निर्धारित करने की चुनौती :-

प्रांतों की सीमाओं को इस प्रकार निर्धारित करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता स्पष्ट रूप से दिखाई दें और साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो।

2. औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण:-

प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता था। रामपुर की सीमा किस बात से भी निर्धारित की जाती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना क्षेत्र शामिल है।

3. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेताओं की चिंता :-

नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था पैदा होगी और देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है।

भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य :-

- ❖ (आंध्र प्रदेश) पुराने मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध उठा।
- ❖ मद्रास में वर्तमान के तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक राज्य है
- ❖ यह विशाल आंदोलन आंध्र प्रदेश के नाम का एक अलग राज्य की मांग को लेकर था।
- ❖ तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर के आंध्रप्रदेश बनाया गया।
- ❖ कांग्रेस नेता पोद्दी श्रीरामलू भूख हड़ताल पर बैठ गए।
- ❖ 56 दिन के बाद उनकी मौत हो गई हिंसक आंदोलन घटनाएं लोग सड़क पर आ गए विधायकों ने इस्तीफा दे दिया।
- ❖ अंत में नेहरू जी ने आंध्रप्रदेश की मांग को स्वीकार कर लिया।

◆ पोद्दी श्रीरामलू कौन थे ?

कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधी बागी 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई अर्थात जिसके उपरांत आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था।

राज्य पुनर्गठन आयोग :-

- ❖ 22 दिसम्बर 1953 में केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया।
- ❖ इस आयोग के अन्य सदस्य – हृदयनाथ कुंजरू और केएम पाणिक्कर थे।
- ❖ इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिशें :-

- ❖ भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए।
- ❖ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए।
- ❖ भाषाई और सांस्कृतिक सजातीयता का ध्यान रखा जाए।
- ❖ वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयों की ओर उचित ध्यान दिया जाए।
- ❖ त्रिस्तरीय (भाग ABC) राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए।
- ❖ केवल 3 केन्द्रशासित क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार, दिल्ली, मणिपुर) को छोड़कर बाकी के केन्द्रशासित क्षेत्रों को उनके नजदीकी राज्यों में मिला दिया जाए।
- ❖ राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए।
- ❖ इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सन् 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ।
- ❖ इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केन्द्रशासित प्रदेश बनाए गए।

राज्य पुनर्गठन का परिणाम :-

इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया

देश को 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित क्षेत्रों में बाँटा गया।

☞ 14 राज्यों के नाम

1. आंध्रप्रदेश	2. असम
3. बिहार	4. बंबई
5. केरल	6. मध्य प्रदेश
7. मद्रास	8. मैसूर
9. उड़ीसा	10. पंजाब
11. राजस्थान	12. उत्तर प्रदेश
13. बंगाल	14. जम्मू कश्मीर

☞ **6 केन्द्रशासित प्रदेशों के नाम**

1. दिल्ली,	2. हिमाचल प्रदेश,
3. मणिपुर,	4. त्रिपुरा,
5. अंडमान और निकोबार,	
6. लक्षद्वीप, मिनी कौय और अमीन द्वीप शामिल किया गया था।	

☞ **संघ शासित क्षेत्र जो बाद में राज्य बने**

1. मिजोरम	2. मणिपुर

3. त्रिपुरा	4. गोवा आदि

☞ **नए राज्यों का निर्माण :-**

- 1960 - गुजरात और महाराष्ट्र
- 1963 - में नागालैंड
- 1966 - में पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश
- 1972 - में मेघालय
- 1977 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम
- 2000 में झारखंड, उत्तराखंड (उत्तरांचल) और छत्तीसगढ़
- 2014 में तेलंगाना राज्य बना।

नियोजित विकास की राजनीति :-

हमने पढ़ा कि स्वतंत्र भारत के नेताओं ने कैसे राष्ट्र-निर्माण और लोकतंत्र कायम करने की चुनौतियों का सामना किया। आइए अब तीसरी चुनौती की ओर रुख करें। यह चुनौती आर्थिक विकास को थी, ताकि सबकी भलाई को सुनिश्चित किया जा सके।

पहला दो चुनौतियों की तरह हमारे नेताओं ने इस मामले में भी कुछ अलग और तनिक कठिन रास्ता चुना।

आर्थिक विकास के मामले में उन्हें एक सीमा तक ही सफलता मिली, क्योंकि आर्थिक विकास की चुनौती कहीं ज्यादा कठिन और गहरी थी।

इस अध्याय में हम आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों पर लिए गए राजनीतिक फैसलों के बारे में पढ़ेंगे।

नियोजन :-

- ❖ एक निश्चित अवधि में देश के विकास के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं।
- ❖ नियोजन का आशय है उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना।
- ❖ नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आदि लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है।

विकास :-

- ❖ विकास का अर्थ आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही हैं।
- ❖ इस बात पर भी सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक – आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति व किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
- ❖ सरकार को प्रमुख भूमिका निभानी होगी आजादी के वक्त 'विकास' का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था।
- ❖ आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना।

पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल :-

पूंजीवादी मॉडल :-

- ❖ इस मॉडल को अमेरिका ने अपनाया था।
- ❖ निजीकरण को महत्व दिया जाता है।
- ❖ इसमें खुली प्रतिस्पर्धा होती है।
- ❖ मजदूरों का शोषण किया जाता है।
- ❖ बाजारमूलक अर्थव्यवस्था होती है।
- ❖ अधिक से अधिक व्यापार पर ध्यान दिया जाता है।

समाजवादी मॉडल :-

- ❖ सोवियत संघ ने इसे अपनाया था।
- ❖ निजीकरण का विरोध किया गया है।
- ❖ इसमें समानता पर बल दिया गया है।
- ❖ समाजवादी मॉडल सरकार का स्वामित्व होता है।
- ❖ सरकार नीति बनाती है।
- ❖ नेहरू जी समाजवाद के समर्थक थे।

भारतीय विकास के मॉडल :-

- ❖ विकास के दो मॉडल थे पहला :- पूंजीवादी मॉडल तथा दूसरा – समाजवादी मॉडल।
- ❖ भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल (जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का समावेश था) को अपनाया।
- ❖ नोट :- दोनों वर्गों की बात मानते हुए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का समावेश था।

मिश्रित अर्थव्यवस्था :-

- ❖ मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद तथा पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को शामिल किया गया।
- ❖ देश में छोटे उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र में किया गया तथा बड़े उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधों पर ली।

वामपंथी और दक्षिणपंथी :-

❖ वामपंथी विचारधारा :-

1. इसमें गरीब व पिछड़े लोगों की तरफदारी की जाती है।
2. सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे गरीब लोगों का फायदा हो।
3. गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर विकास की नीतियां अपनानी चाहिए

❖ दक्षिणपंथी विचारधारा :-

1. खुली स्पर्धा और बाजार मुलक अर्थव्यवस्था हो।
2. सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप ना करें।
3. सरकार को व्यापार के नियम आसान बनाने चाहिए।

❖ नोट :-

- ❖ दोनों वर्गों की बात मानते हुए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया।
- ❖ भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेषताएं पूंजीवादी व्यवस्था से ली गई और कुछ विशेषताएं सामजवादी व्यवस्था से ली गई।
- ❖ इस तरह भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया।

योजनाओं का इतिहास :-

- ❖ अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिये नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जनसमर्थन मिला था।
- ❖ वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे 'बॉम्बे प्लान' कहा जाता है।

- ❖ भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिये एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा।
- ❖ वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था।
- ❖ पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया गया।
- ❖ 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- ❖ यह सोवियत संघ से लिया गया है इसमें सरकार एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 वर्ष के आमदनी और खर्च की योजना होगी।

योजना आयोग :-

- ❖ यह एक गैर संवैधानिक निकाय था।
- ❖ स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई।
- ❖ अध्यक्ष- (प्रधानमंत्री) जवाहर लाल नेहरू.

योजना आयोग के कार्य ?

- ❖ पंचवर्षीय योजनाएं बनाना.
- ❖ विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों को वित्त का आवंटन करना.
- ❖ आज तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं.
- ❖ 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012 से 2017 तक चली).
- ❖ सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना।
- ❖ योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य-सरकारों के बजट को दो हिस्सों में बाँटा गया।
- ❖ भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी, जिसमें अगले पाँच सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) :-

1. प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया।
2. इसके योजनाकार और अर्थशास्त्री के. एन. राज थे।

3. इसमें धीमी गति से विकास प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था।
4. बांध सिंचाई भाखड़ा नांगल परियोजना भूमि सुधार पर जोर दिया गया।
5. 1956 के अंत तक, पाँच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किये गए।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) :-

1. दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया गया।
2. इस योजना के योजनाकार और अर्थशास्त्री पी.सी. महालनोबिस थे।
3. तेज गति से विकास करने का लक्ष्य रखा गया।
4. और सार्वजनिक क्षेत्रों पर बल दिया।
5. सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क बिजली, रेलवे, इस्पात संचार पर ध्यान दिया गया।

केरल मॉडल :-

- ❖ केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया उसे केरल मॉडल के नाम से जाना जाता है।
- ❖ केरल मॉडल में सबसे ज्यादा जोर शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर दिया गया।

मुख्य विवाद :-

कृषि बनाम उद्योग :-

- ❖ भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें ज्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए।
- ❖ औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मकड़जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता।
- ❖ राज्य ने भूमि-सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बँटवारे के लिए कानून बनाए।
- ❖ नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई थी।
- ❖ नियोजन की नीतियाँ असफल नहीं हुईं। दरअसल, इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ क्योंकि भूमि-संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज्यादा थी।

- ❖ दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुँची।
- ❖ इसके अतिरिक्त, ऐसे लोगों की एक दलील यह भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज्यादा धनराशि खर्च करती तब भी ग्रामीण गरीबी की विकराल समस्या का समाधान न कर पाती।

निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र :-

- ❖ विकास के जो दो जाने-माने मॉडल थे, भारत ने उनमें से किसी को नहीं अपनाया।
- ❖ भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है।
- ❖ पूँजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतया निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया।
- ❖ इन दोनों ही मॉडल की कुछ एक बातों को ले लिया गया और अपने देश में इन्हें मिले-जुले रूप में लागू किया गया।
- ❖ इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को 'मिश्रित-अर्थव्यवस्था' कहा जाता है।
- ❖ खेती-किसान, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा।
- ❖ राज्य ने अपने हाथ में उद्योगों को रखा और उसने आधारभूत ढाँचा प्रदान किया।

भूमि सुधार :-

- ❖ भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए। इनमें से सबसे मत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था।
- ❖ इस साहसिक कदम को उठाने से जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हो गई, जिसमें कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे राजनीति पर दबदबा टिकने की जमींदारों की क्षमता भी घटी।
- ❖ जमीन के छोटे-दाढ़े को एक साथ करने का प्रयास किए गए ताकि खेती का काम सुविधजनक हो सके। यह प्रयास भी सफल रहा।
- ❖ **भूमि सुधार :-** जमींदारी प्रथा की समाप्ति, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करना (चकबंदी) और जो काश्तकार

किसी दूसरे की जमीन बटाई पर जोत- बो रहे थे, उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने व भूमि स्वामित्व सीमा कानून का निर्माण जैसे कदम उठाए गए।

हरित क्रांति :-

- ❖ हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था
- ❖ इन्हें विश्व में ' हरित क्रांति ' के जनक के रूप में जाना जाता है।
- ❖ भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया।
- ❖ हरित क्रांति खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए की गई थी, जिसने विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े कम मूल्य पर देना शुरू किया। जिसे हरित क्रांति कहा जाता है।

उद्देश्य :-

- ❖ दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भुखमरी की समस्या को दूर करने हेतु हरित क्रांति शुरू की गई थी।
- ❖ कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना।
- ❖ गैर-औद्योगिक राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार करना और प्रमुख कृषि क्षेत्रों में निगमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

सकारात्मक प्रभाव :-

- 1. कृषि क्षेत्र का विस्तार :-** हरित क्रांति ने कृषि भूमि के विस्तार में सहायता प्रदान की है।
- 2. दोहरी फसल प्रणाली :-** हरित क्रांति के तहत वर्ष में एक के बजाय दो फसल प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
- 3. उन्नत बीजों का उपयोग :-** श्रेष्ठ बीजों का उपयोग करना हरित क्रांति का वैज्ञानिक पहलू था।
- 4. फसल उत्पादन में वृद्धि :-** हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई।

5. किसानों को लाभ :- किसानों को इस क्रांति से विशेष रूप से विभिन्न आदानों जैसे-HYV बीज, उर्वरक, मशीन आदि में बड़ी मात्रा में निवेश करने से लाभ प्राप्त हुआ।

6. औद्योगिक विकास :- हरित क्रांति ने बड़े पैमाने पर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जिससे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, पंपिंग सेट इत्यादि विभिन्न प्रकार की मशीनों की मांग उत्पन्न हुई।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council for Agricultural Research) द्वारा उच्च उपज देने वाले बीज, मुख्य रूप से गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का के बीजों की नई किस्मों को विकास किया गया।

नकारात्मक प्रभाव :-

1. गैर-खाद्य अनाज शामिल नहीं :- कपास, जूट, चाय और गन्ना जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलें भी हरित क्रांति से लगभग अछूती रहीं।

2. क्षेत्रीय असमानताएँ :- हरित क्रांति प्रौद्योगिकी ने अंतर-क्षेत्रीय और अंतरा-क्षेत्रीय स्तरों पर आर्थिक विकास में असमानताओं को अधिक बढ़ाया।

3. रसायनों का अत्यधिक उपयोग :- हरित क्रांति के परिणामस्वरूप उन्नत सिंचाई परियोजनाओं और फसल किस्मों हेतु कीटनाशकों और सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ।

4. मृदा और फसल उत्पादन पर प्रभाव :- फसल उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु बार-बार एक ही फसल चक्र को अपनाने से मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।

5. बेरोजगारी :- पंजाब को छोड़कर और कुछ हद तक हरियाणा में हरित क्रांति के तहत कृषि यंत्रीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों के मध्य व्यापक स्तर पर बेरोजगारी को बढ़ाया है।

6. स्वास्थ्य पर प्रभाव :- रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे- फॉस्फामिडोन, मेथोमाइल, ट्रायजोफोस और मोनोक्रोटोफॉस के बड़े पैमाने पर उपयोग के परिणामस्वरूप कैंसर, गुर्दे का फेल होना, मृत शिशुओं और जन्म दोषों सहित कई गंभीर स्वास्थ्य बीमारियाँ उत्पन्न हुईं।

निष्कर्ष :-

- ❖ कुल मिलाकर हरित क्रांति कई विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत के लिये एक बड़ी उपलब्धि थी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक रही। यह कृषि में उस वैज्ञानिक क्रांति के सफल अनुकूलन और हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करती है जिसे औद्योगिक देशों ने पहले ही अपने यहाँ विनियोजित कर लिया था।

श्वेत क्रांति :-

- ❖ गुजरात का आनंद शहर दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े हुए।
- ❖ ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ से शुरू किया गया अमूल सहकारी आंदोलन को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है
- ❖ 'मिल्कमैन ऑफ़ इंडिया' के नाम मशहूर वर्गीज कुरियन ने गुजरात सहकारी दुध एवं विपणन परिसंघ की विकास कथा में केंद्रीय भूमिका निभायी और 'अमूल' की शुरुआत की।
- ❖ गुजरात का एक शहर है 'आनंद'। सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल इसी शहर में कायम है।
- ❖ इस 'मॉडल' के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है।
- ❖ 1970 में 'ऑपरेशन फ्लड' के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। 'ऑपरेशन फ्लड' के अंतर्गत सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया।
- ❖ बहरहाल, 'ऑपरेशन फ्लड' सिर्फ डेयरी – कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उनकी आमदनी बढ़े तथा गरीबी दूर हो।
- ❖ सहकारी दूध उत्पादकों की सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही है। सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। महिला सहकारी डेयरी के जमातों में भी इजाफा हुआ है।

प्रमुख कृषि क्रांति व उनके उद्देश्य :-

1. हरित क्रांति – खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना।

2. श्वेत क्रांति – दुग्ध उत्पादन बढ़ाना।

3. पीली क्रांति- तिलहन उत्पादन बढ़ाना।

4. नील क्रांति – मत्स्य उत्पादन बढ़ाना।

- ❖ **विकास का केरल मॉडल :-** केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य-वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा है।
- ❖ **जे. सी. कुमारप्पा :-** गाँधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास की वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की, जिसमें ग्रामीण औद्योगीकरण पर ज्यादा जोर था।
- ❖ **चौधरी चरण सिंह :-** भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केन्द्र में रखने की बात प्रभावशाली तरीके से उठायी।

नीति आयोग :-

- ❖ **1 जनवरी, 2015** को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया।
- ❖ **अध्यक्ष :-** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
- ❖ **उपाध्यक्ष :-** प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त वर्तमान में सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष
- ❖ **संचालन परिषद :-** सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
- ❖ **क्षेत्रीय परिषद :-** विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।
- ❖ **तदर्थ सदस्यता :-** अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी से 2 पदेन सदस्य।
- ❖ **पदेन सदस्यता :-** प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।
- ❖ **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) :-** भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

- ❖ **विशेष आमंत्रित :-** प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ।
- ❖ **1. टीम इंडिया हब-** राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है।
- ❖ **2. ज्ञान और नवोन्मेष हब-** नीति आयोग के थिंक-टैंक की भाँति कार्य करता है।
- ❖ **3. नीति आयोग ने तीन दस्तावेज़ जारी किये हैं,** जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज़ और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज़ शामिल हैं।

नीति आयोग का उद्देश्य :-

- ❖ नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना।
- ❖ केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ावा देना।
- ❖ योजना आयोग के केंद्रीकृत नीति की जगह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना।
- ❖ भारत में ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाना।
- ❖ राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की भागीदारी बढ़ाना।
- ❖ नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे तथा वर्तमान में सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं और परमेश्वरन अय्यर CEO हैं।

योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर :-

योजना आयोग :-

- ❖ यह एक गैर संवैधानिक निकाय था
- ❖ स्थापना 15 मार्च 1950 –में हुई
- ❖ अध्यक्ष- (प्रधानमंत्री) ज.लाल नेहरू
- ❖ भारतीय मॉडल पर सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित.

- ❖ केंद्र की भूमिका अधिक थी सरकार की भूमिका आधारित.

नीति आयोग :-

- ❖ यह एक गैर संवैधानिक निकाय था.
- ❖ स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई.
- ❖ अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी जी.
- ❖ केंद्र और राज्य की भूमिका
- ❖ सरकार के साथ निजी क्षेत्र की भूमिका.

राष्ट्रीय विकास परिषद :-

- ❖ राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी.
- ❖ योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी हो. इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया यह देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता था.
- ❖ इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं.
- ❖ भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य. इसके भी सदस्य होते थे.

(संरचना).

- 1) अध्यक्ष प्रधान मंत्री.
- 2) राज्यों के मुख्यमंत्री.
- 3) केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक.
- 4) योजना आयोग के सदस्य.
- 5) कैबिनेट मंत्री.

कांग्रेस प्रणाली

राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती

- ❖ भारत से बाहर के बहुत से लोगों को संदेह था कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी रह पाएगा या नहीं। दूसरा सवाल इसी संदेह के दायरे में उठा था।

नेहरू के बाद शास्त्री

- ❖ नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के. कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह-मशविरा किया। उन्होंने पाया कि सभी लालबहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं।
- ❖ शास्त्री, कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए और इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री, उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे थे।
- ❖ शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफा वे एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए रेलमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे।
- ❖ शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे लेकिन इसी छोटी अवधि में देश ने दो बड़ी चुनौतियों का सामना किया।
- ❖ भारत, चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की कोशिश कर रहा था।
- ❖ मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति थी। कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आन पड़ा था। फिर, 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा।
- ❖ प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहान्त हो गया। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है।
- ❖ युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए थे।

लाल बहादुर शास्त्री

- ❖ जन्म :- 2 अक्टूबर 1904 मुगलसराय (UP)
- ❖ मृत्यु :- 10 जनवरी 1966 ताशकंद (उज्बेकिस्तान की राजधानी)
पुरस्कार :- भारत रत्न से सम्मानित
- ❖ लाल बहादुर शास्त्री जी “जय जवान जय किसान” का नारा दिये।
- ❖ शास्त्री जी के समय मुख्य चुनौतियां : 1. खाद्य संकट, 2. पाकिस्तान से युद्ध
- ❖ शास्त्री जी 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे।
- ❖ 10 जनवरी 1966 को अचानक ताशकंद में उनका देहांत हो गया।

लालबहादुर शास्त्री (1904-1966) :- भारत के दूसरे प्रधानमंत्री; 1930 से स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की।

- ❖ उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री रहे; कांग्रेस पार्टी के महासचिव का पदभार संभाला।
- ❖ 1951-56 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे।
- ❖ इसी दौरान रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने रेलमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।
- ❖ बाद में, 1957-64 के बीच भी मंत्री पद पर रहे।

इंदिरा गांधी :-

- ❖ मोरारजी देसाई और इंदिरा गाँधी के बीच कड़ा मुकाबला था।
- ❖ मोरारजी देसाई बंबई प्रांत (मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात) के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके थे।
- ❖ जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गाँधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थीं। शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था।

- ❖ कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गाँधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। उन्हें कांग्रेस पार्टी के दो-तिहाई से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया था।
- ❖ पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को यह सोच कर समर्थन दिया कि इंदिरा गांधी जी के सलाह के अनुसार काम करेगी क्योंकि इंदिरा अनुभव नहीं था।

चौथा आम चुनाव 1967 :-

- ❖ दो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई और नए प्रधानमंत्री कम अनुभवी माना गया।
- ❖ इसी समय देश में गंभीर आर्थिक संकट, मानसून की असफलता, सूखा खेती की पैदावार में गिरावट, विदेशी मुद्रा की कमी और सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी झेलनी पड़ी।
- ❖ इंदिरा गांधी कि सरकार के शुरुआती फैसलों में रुपये का अवमूल्यन करना माना गया कि रुपये का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया पहले के वक्त में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत ₹5 थी जो अब बढ़कर ₹7 हो गई।
- ❖ महंगाई बढ़ी, खदान में कमी आई, बेरोजगारी बढ़ी, देश में बंद और हड़तालें हुईं।

दो युद्धों का सामना

- ❖ चीन (1962)
 - ❖ पाकिस्तान (1965)
- दो बड़े नेताओं की मृत्यु**
- ❖ जवाहर लाल नेहरू
 - ❖ लाल बहादुर शास्त्री

गैर-कांग्रेसवाद :-

- ❖ देश में बिगड़ते माहौल को देखकर विपक्षी सक्रिय हो गए।
- ❖ इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभव हीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लग गया।
- ❖ राम मनोहर लोहिया ने इसे गैर-कांग्रेसवाद का नाम दिया।

- ❖ उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीबों के खिलाफ हैं इसीलिए गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आ जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र को वापस लाया जा सके।
- ❖ फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए इस चुनाव में कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा।
- ❖ इसी चुनाव को कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी।
- ❖ जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत मिला लेकिन सीटें तथा मत कम मिले इतने कम वोट कांग्रेस को कभी नहीं मिले थे।

राजनीतिक भूकंप की संज्ञा :-

- ❖ 1967 के चुनाव में कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में तो बहुमत मिल गया।
- ❖ कांग्रेस को केंद्र और राज्य दोनों जगह ही गहरा धक्का लगा।
- ❖ कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव हार गए।
- ❖ कांग्रेस 9 राज्यों में सरकार नहीं बना सकी।
- ❖ 7 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला।
- ❖ 2 राज्यों में दल बदल के कारण कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई।
- ❖ ऐसा आजादी के बाद पहली बार हुआ था इसलिए राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इस चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी थी।

नोट :-

- ❖ चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मद्रास (तमिलनाडु), उड़ीसा और केरल में बहुमत नहीं मिला।
- ❖ मद्रास (वर्तमान तमिलनाडु) में क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कण्णम (DMK) की जीत हुई DMK – हिंदी विरोधी आंदोलन
- ❖ हरियाणा के एक विधायक गया लाल 1967 के चुनाव में एक पखवाड़े में तीन पार्टी (कांग्रेस – यूनाइटेड फ्रंट – कांग्रेस) बदली जिसे “आया राम गया राम” कहा गया।

राष्ट्रपति पद का चुनाव :-

- ❖ 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के समय इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आ गई।
- ❖ तत्कालीन राष्ट्रपति “डॉ जाकिर हुसैन” की मृत्यु हो गई थी।
- ❖ सिंडिकेट ने लोकसभा के अध्यक्ष “संजीव रेड्डी” को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने में सफलता पाई।
- ❖ इंदिरा गांधी और एन संजीव रेड्डी की पहले से अनबन थी।
- ❖ इसलिए इंदिरा गांधी ने अपनी ‘वी.वी. गिरी’ को बढ़ावा दिया।
- ❖ दोनों गुट राष्ट्रपति पद के चुनाव से अपनी ताकत अजमना चाहते थे।
- ❖ एस. निजलिंगप्पा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा पार्टी उम्मीदवार रेड्डी को वोट दें इंदिरा गांधी ने कहा अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालें।
- ❖ अंत में वी.वी. गिरी विजयी हुए, यह स्वतंत्र उम्मीदवार थे संजीव रेड्डी की हार से पार्टी का टूटना तय था।
- ❖ कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया।

कांग्रेस पार्टी में विभाजन :-

कांग्रेस (O – आर्गेनाइजेशन) पुरानी कांग्रेस सिंडिकेट

- ❖ **सिंडिकेट :-** सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर अनुभवी, दिग्गज और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था
- ❖ इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में भी सिंडिकेट का महत्वपूर्ण योगदान था
- ❖ सिंडिकेट के प्रमुख के. कामराज थे।

कांग्रेस (R – रिक्विजिनिस्ट) नई कांग्रेस इंदिरा गाँधी

- ❖ **ग्रैंड अलायंस :-** 1971 के चुनाव के समय सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों द्वारा एक चुनावी गठबंधन तैयार किया गया था जिसे ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया
- ❖ इंदिरा गांधी ने सकारात्मक कार्यक्रम रखा और गरीबी हटाओ का नारा दिया।
- ❖ ग्रैंड अलायंस ने ‘ इंदिरा हटाओ ‘ का नारा दिया।

चुनाव के परिणाम :-

- ❖ देश में चुनाव हुए और चुनावों के परिणामों ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया।
- ❖ इस चुनाव में कांग्रेस (आर) ने CPI के साथ गठबंधन बनाया था और इन दोनों के गठबंधन ने देश में सबसे ज्यादा सीट हासिल की।
- ❖ गठबंधन को कुल मिलकर 375 सीटें मिली जिसमें से सिर्फ कांग्रेस (आर) को ही 352 सीटें मिली।
- ❖ दूसरी तरफ कांग्रेस (ओ) और महाजोट का पूरी तरह सफाया हो गया।
- ❖ कांग्रेस (ओ) को केवल 16 सीटें मिली।
- ❖ ग्रैंड अलायंस सिर्फ 40 सीटें ही जीत सका।
- ❖ इस तरह से कांग्रेस (ओ) और इंदिरा गाँधी ने वापसी की।

कांग्रेस (ओ) की जीत के कारण :-

- ❖ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
- ❖ प्रिवी पर्स की समाप्ति।
- ❖ भूमि सुधारों को बढ़ावा दिया।
- ❖ समाजवादी नीतियां।
- ❖ गरीबी हटाओ का नारा।
- ❖ इंदिरा गाँधी की लोकप्रियता।
- ❖ देश में गरीबों के हित के लिए नीतियां बनाईं।

1960 का खतरनाक दशक :-

- ❖ दो युद्धों का सामना
- ❖ चीन (1962)
- ❖ पाकिस्तान (1965)
- ❖ दो बड़े नेताओं की मृत्यु
- ❖ जवाहर लाल नेहरू
- ❖ लाल बहादुर शास्त्री

- ❖ आर्थिक समस्या
- ❖ खाद्यान संकट
- ❖ विदेशी मुद्रा में कमी
- ❖ सैन्य खर्चों में वृद्धि

कांग्रेस का पुनर्स्थापन :-

- ❖ कांग्रेस के पुनर्स्थापन से मतलब का अर्थ है कांग्रेस को उसकी पुरानी स्थिति में ले जाना।
- ❖ 1967 में कांग्रेस को काफी कम वोट और सीटें मिली पर 1971 में इंदिरा गाँधी के नेतृत्व ने कांग्रेस अपनी पुरानी स्थिति में वापस आई और अपना वही पुराना स्थान प्राप्त किया। इसे ही कांग्रेस का पुनर्स्थापन कहा गया।

कांग्रेस के पुनर्स्थापन की विशेषताएं।

- ❖ इंदिरा की लोकप्रियता पर निर्भर
- ❖ पार्टी में उपस्थित अलग अलग गुटों की समाप्ति
- ❖ समाजवादी विचारधारा
- ❖ गरीबों का कल्याण मुख्य मुद्दा
- ❖ पहले से अधिक व्यवस्थित और शक्तिशाली

प्रिवीपर्स :-

- ❖ देसी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी सम्पत्ति रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जायेंगे। इस व्यवस्था को 'प्रिवीपर्स' कहा गया।

दो दलीय व्यवस्था :-

जनता पार्टी :-

- ❖ 1951 जनसंघ पार्टी की स्थापना श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की।
- ❖ 1977 में विपक्षी पार्टियों के साथ जनसंघ के विलय के साथ जनता पार्टी अस्तित्व में आई।
- ❖ जनता पार्टी ने आपातकाल की ज्यादतियों को मुद्दा बनाकर चुनावों को उस पर जनमत संग्रह का रूप दिया।

- ❖ 1977 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में 154 सीटें मिली।
- ❖ जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 330 सीटें मिली।
- ❖ जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चरण सिंह व जगजीवन राम दो उपप्रधानमंत्री बने।

1977 में भारत में दो दलीय व्यवस्था कायम हुआ।

बहुदलीय व्यवस्था :-

- ❖ 1989 के चुनावों के बाद गठबंधन का युग आरंभ हुआ।
- ❖ चुनावों के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बने राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम मोर्चे के समर्थन से गठबंधन सरकार बनायी।

राममनोहर लोहिया (1910-1967):

☞ समाजवादी नेता एवं विचारक; स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य; मूल पार्टी में विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता: 1963 से 1967 तक लोकसभा सांसद, 'मैनकाइंड' एवं 'जन' के संस्थापक संपादक, गैर-यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान: विचारधारा का संयोजन: गैर-कांग्रेसवाद के रणनीतिकार, पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत और अंग्रेजी विरोध के अलावा ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित, जिन्होंने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला।

सी. नटराजन अन्नादुरई (1909-1969) :

☞ 1967 से मद्रास (तमिलनाडु) के मुख्यमंत्री: चर्चित पत्रकार, लेखक एवं वक्ता: मद्रास राज्य में जस्टिस पार्टी से संबद्ध: बाद में द्रविड़ कण्ठगम (1934) में शामिल; 1949 में द्रविड़ मुन्नेत्र कण्ठगम का बतौर राजनीतिक पार्टी गठन: द्रविड़ संस्कृति के समर्थक, हिंदी का विरोध एवं हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व; राज्यों की व्यापक स्वायत्तता के समर्थक।

के. कामराज (1903-1975):

☞ स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता; मद्रास (तमिलनाडु) के मुख्यमंत्री रहे मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने और स्कूली बच्चों को 'दोपहर का भोजन' देने की योजना लागू करने के

लिए प्रसिद्ध: 1963 में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सकें। यह प्रस्ताव 'कामराज योजना' के नाम से मशहूर हुआ। आप कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे।

एस. निजलिंगप्पा (1902-2000):

☞ वरिष्ठ कांग्रेस नेता: संविधान सभा के सदस्य: लोकसभा के सदस्य: तत्कालीन मैसूर प्रांत (अब कर्नाटक) के मुख्यमंत्री: आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध; 1968-71 के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष।

कर्पूरी ठाकुर (1924-1988):

☞ दिसंबर 1970 और जून 1971 तथा जून 1972 और अप्रैल 1979 के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री; स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता: मजदूर एवं किसान आंदोलनों में सक्रिय:

लोहिया के प्रबल समर्थक; जेपी द्वारा चलाए गए आंदोलन में भागोदारी; मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने वाले के रूप में पहचान; अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल के प्रबल विरोधी।

वी.वी. गिरि (1894-1980):

☞ 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति; कांग्रेस नेता एवं आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता: सिलोन (श्रीलंका) में भारतीय उच्चायुक्त: केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर (कर्नाटक) के राज्यपाल: उपराष्ट्रपति (1967 से 1969) एवं राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति: इस्तीफा एवं राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी: राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गाँधी के समर्थन से विजयी।

लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

आपातकाल की पृष्ठभूमि

- ❖ 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंदिरा गाँधी एक कदावर नेता के रूप में उभरी थीं और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी।
- ❖ इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो चली थी। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आया। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद को सर्वोच्चता के विरुद्ध है।
- ❖ कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे, उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति हद से ज्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गाँधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए थे।
- ❖ आर्थिक संदर्भ 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बहरहाल 1971-72 प्रधानमंत्री के बाद के सालों में भी देश को सामाजिक-आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं आगे हुआ।
- ❖ बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी चांदा पड़ा था। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान को गोमा पार करके भारत आ गए थे। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा।
- ❖ युद्ध के बाद अमरीका ने भारत को हर तरह की मुश्किल सायन देना बंद कर दिया। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। इससे विभिन्न चीजों की कीमतें भी तेजी से बढ़ी।
- ❖ 1973 में चीजों की कीमतों में 23 फीसदी और 1974 में 30 फीसदी का इजाफा हुआ। इस तीव्र मूल्यवृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई।
- ❖ औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी थी। खचे

को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया।

- ❖ इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनपा। 1972-73 के वर्ष में मानसून असफल रहा। इसमें कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8 प्रतिशत कम हो गया।
- ❖ आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। इस स्थिति में गैर-कांग्रेसी अच्छा त पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन-विरोध की अगुवाई की। 1960 के दशक से का पह ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे।
- ❖ ये स्वर इस अवधि में और ज्यादा प्रबल हो उठे। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूँजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया तथा राज्यविरोधी तकनीकों का सहारा लिया।
- ❖ ये समूह मार्क्सवादी लेनिनवादी (अब माओवादी) अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने गए। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दवाने के लिए कठोर कदम उठाए।

गुजरात और बिहार के आंदोलन

- ❖ गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। याहाँ के छात्र-आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर तो डाला ही, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए।
- ❖ 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने बाधान, वाघ वेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बहती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। काज-आंदोलन में बड़ो राजनीतिक पार्टियों भी शरीक हो गई और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विपक्षी दलों ने राज्य को विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की माँग की।

- ❖ कांग्रेस (ओ) के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे में चुनाव नहीं करवाए गए तो में अनियतकालीन भूख हड़ताल पर बैठ बाऊंगा।
- ❖ मोरारजी अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गाँधी के मुख्य विरोधी रहे थे। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस इस चुनाव में हार गई।
- ❖ 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और प्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण (जेपी) को बुलावा भेजा।
- ❖ जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था।
- ❖ जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई।
- ❖ जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आ जुड़े। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को वखर्खास्त करने की माँग की।
- ❖ उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार को सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया।
- ❖ आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज हुआ। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन इंदिरा देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले।
- ❖ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे देश के रोजमर्रा के कामकाज के ठप्प हो जाने का खतरा पैदा हो गया।
- ❖ 1975 में जेपी ने जनता के संसद-मार्च का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई।
- ❖ जयप्रकाश जारायण को अब भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (ओ) भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर-कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला। इन दलों ने जेपी को इंदिरा गाँधी के विकल्प के रूप में पेश किया।
- ❖ बहरहाल जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनायी गई जन-प्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएँ भी मुखर हुई। गुजरात और बिहार, दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया।
- ❖ ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गाँधी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए गए हैं। इंदिरा गाँधी का मानना था कि ये आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित हैं।
- ❖ नक्सलवादी आंदोलन
- ❖ पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह को अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय कौंडर के लोग कर रहे थे।
- ❖ नक्सलबाड़ी पुलिस थाने से शुरू होने वाला यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है।
- ❖ 1969 में नक्सलवादी सोपीआई (एम) से अलग हो गए और इन्होंने सीपीआई (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) नाम से एक नयी पार्टी चारु मजूमदार के नेतृत्व में बनायी।
- ❖ इस पार्टी की दलील थी कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है। इस पार्टी ने क्रांति करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनायी।
- ❖ नक्सलवादी आंदोलन ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दी। इस आंदोलन के समर्थक अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंसक साधनों के इस्तेमाल के पक्ष में दलील देते थे।
- ❖ इस वक्त कांग्रेस-शासित पश्चिम बंगाल सरकार ने निरोधक नजरबंदी समेत कई कड़े कदम उठाए, लेकिन नक्सलवादी आंदोलन रुक न सका।

- ❖ नक्सलवादी आंदोलन अब कई दलों और संगठनों में चंट चुका था। इन दलों में से कुछ जैसे सीपीआई (एमएल-लिवरेशन) खुली लोकतान्त्रिक राजनीति में भागीदारी करते हैं।
- ❖ फिलहाल 9 राज्यों के लगभग 75 जिले नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित हैं। इनमें अधिकतर बहुत पिछड़े इलाके हैं और यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है।
- ❖ इन क्षेत्रों में बँटाई या पट्टे पर खेतीबाड़ी करने वाले तथा छोटे किसान उपज में हिस्से, पट्टे की सुनिश्चित अवधि और उचित मजदूरी जैसे अपने बुनियादी हकों से भी वंचित हैं
- ❖ जबरिया मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन तथा सूदखोरों द्वारा शोषण भी इन क्षेत्रों में आम बात हैं। इन स्थितियों से नक्सलवादी आआंदोलन में यहाँतरी हुई है। सरकार ने नक्सलवादी आंदोलन से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। मानवाधिकार समूहों ने सरकार के इन कदमों की आलोचना करते हुए कहा है कि वह नक्सलवादियों से निपटने के क्रम में संवैधानिक मानकों का उल्लंघन कर रही है। नक्सलवादी हिंसा और नक्सल विरोधी सरकारी कार्रवाई में हतारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

न्यायपालिका से संघर्ष

- ❖ न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद पैदा हुए। इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार, संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती कि अधिकारों को कटौती हो जाए।
- ❖ तीसरे, संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नैति-निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया।
- ❖ इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव आया। इस संकट की परिणति केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे के रूप में सामने आई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढाँचा है और संसद इन ढाँचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है।
- ❖ दो और बातों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में तनाव बढ़ाया। 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ।
- ❖ सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी, लेकिन 1973 में सरकार ने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति ए.एन. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया।
- ❖ यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया क्योंकि सरकार ने जिन तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी इस मामले में की थी उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फैसला दिया। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ी तेजी से घालमेल हुआ।
- ❖ जो लोग प्रधानमंत्री के नजदीकी थे वे एक ऐसी प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही को जरूरत के बारे में बातें करने लगे जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करें। इस संघर्ष का चरमबिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गाँधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया।

आपातकाल की घोषणा

- ❖ 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गाँधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एवा चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था।
- ❖ राजनारायण, इंदिरा गाँधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। याचिका में इंदिरा गाँधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था।
- ❖ उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब यह था कि कानूनतः अब इंदिरा गाँधी सास नहीं रही और अगर अगले छह महीने को अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती, तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती।
- ❖ 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आशिक स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि जब

तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गाँधी सांसद बनी रहेगी। लेकिन वे लोकसभा को कार्यवाई में भाग नहीं ले सकती है।

संकट और सरकार का फैसला

- ❖ जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने डॉदरा गाँधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। इन दलों ने 25 जून, 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया।
- ❖ जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गाँधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। इससे भी सरकारी कामकाज के ठप्प हो जाने का अंदेश पैदा हुआ।
- ❖ देश का राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया। सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी।
- ❖ 25 जून, 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बाहरी अथवा आंतरिक गड़बड़ी को आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है।
- ❖ सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ो आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
- ❖ आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढाँचा व्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियों केंद्र सरकार के हाथ में चली आती हैं। दूसरे, सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है आप उनमें कटौती कर सकती है।
- ❖ संविधान के प्रावधान में आर शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को यहाँ एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते। इसी कारण सरकार को आपातकाल की

स्थिति में विशेष शक्तियों प्रदान की गई है। 25 जून, 1975 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन जलो अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने तुरत यह उद्घोषणा कर दी।

परिणाम

- ❖ सरकार के इस फैसले से विरोध-आंदोलन एकबारगी रुक गया: हड़तालों पर रोक लगा दी गई। अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। राजनीतिक माहौल में तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा छा गया। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी।
- ❖ समाचारपत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है।
- ❖ सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया।
- ❖ धरना, प्रदर्शन और हड़ताल की भी अनुमति नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए।
- ❖ सरकार ने निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है बल्कि इसके विपरीत, इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है कि वे कोई अपराध कर सकते हैं।
- ❖ सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ कीं, जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। गिरफ्तार लोगों अथवा उनके पक्ष से किन्हीं और ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण चताना कबई जरूरी नहीं है।

- ❖ अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। ने उच्च न्यायालयों के फैसले को उलट दिया और सरकार की
- ❖ 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ दलील मान ली। इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवत और आजादी का अधिकार वापस ले सकती है।
- ❖ सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसलों में एक माना गया।
- ❖ आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएँ घटी। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे वे भूमिगत हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम चलायी। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया।
- ❖ जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते थे। सेमिनार और मेनस्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा। सेंसरशिप को धत्ता बताते हुए गुपचुप तरीके से अनेक न्यूजलेटर और लीफलेट्स निकले।
- ❖ पद्मभूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी-अपनी पदवी लौटा दी। बहरहाल, मुखालफत और प्रतिरोध के इतने प्रकट कदम कुछ ही लोगों ने उठाए।
- ❖ संसद ने संविधान के सामने कई नयी चुनौतियाँ खड़ी की। इंदिरा गाँधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- ❖ आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वाँ संशोधन पारित हुआ। इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए। 42वें संशोधन के जरिए हुए अनेक बदलावों

में एक था-देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल करना।

- ❖ यह व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि भर के लिए नहीं की गई थी। इसे आगे के दिनों में भी स्थायी रूप से लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त अब आपातकाल के दौरान चुनाव को एक साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। 1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बदले 1978 में करवाए जा सकते थे।

आपातकाल के संदर्भ में विवाद

- ❖ आपातकाल भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण है। इसका एक कारण है आपकार की सांपणा की जरूरत को लेकर विभिन्न दृष्टिकोणों का होना। दूसरा कारण यह है कि सरकार ने संविधानप्रदत्त अधिकारी का इस्तमाल करक व्यावहारिक तौर पर कामकाज को बंद कर दिया था।
- ❖ आपातकाल के बाद शाह बाँच आयोग साह आयोग ने अपना जाँच में पाया कि इस अवधि में 1977 की माँ में जनता पा बहुत सारी अति हुई।
- ❖ इसके अतिरिक्त भारव में लोकतन्त्र सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व पर अमल के लिहाज से आपातकाल में क्या-क्या सवक को ज.सी. शाह की अध्यक्षता में सीख जा सकते हैं। इस पर भी अलग-अलग राय मिलती किया।

शाह जाँच आयोग

- ☞ 1977 को मई में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं को जाँच के लिए किया गया था। आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जाँच की और हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों में इंदिरा गाँधी भी शामिल थीं। ये आयोग के सामने उपस्थित हुई, लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों के जवा देने से इनकार कर दिया। भारत सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत दो अंतरिम रिपोर्टों और तीसरी तथा अंतिम रिपोर्ट की सिफारिशों, पर्यवेक्षणों और निष्कर्षों को

स्वीकार किया। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में भी विचार के लिए रखी गई।

क्या आपातकाल जरूरी था?

- ❖ सरकार का तर्क था कि भारत में लोकतंत्र है और इसके अनुकूल विपक्षी दलों को चाहिए कि वे निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दें।
- ❖ इंदिरा गाँधी के समर्थक यह भी मानते थे कि लोकतन्त्र में सरकार पर निशाना साधने के लिए लगातार गैर-संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता। इससे अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन का ध्यान विकास के कामों से भंग हो जाता है।
- ❖ सारी ताकत कानून-व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है। इंदिरा गाँधी ने शाह आयोग को पत्र में लिखा कि विनाशकारी सकते सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़गे डाल रही थी, और मुझे गैर-संवैधानिक केसी में दखल करना कहती थी।
- ❖ कुछ अन्य दलों, मसलन सीपीईइल के दौरान कांग्रेस को समर्थन देना जारी रखा था का विश्वला पाहि भारत को एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आज की जा रही है। सीपीआई का मानना था कि ऐसी सूख में विरोध पर एकद तक प्रतिबंध लगामा उचित है।
- ❖ सीपीआई का मानना था कि जेपी ने जिस जत आंदोलन को अगुवाई की. का मुख्यतया मध्यवर्ग का आंदोलन था और यह मध्यवर्ग कांग्रेस को परिवर्तनकारी नीतियों के विरोध में था। आपातकाल के बाद सीसीआई ने महसूस किया कि उसका मूल्यांकन गलत था और आपातकाल का समर्थन करना एक मलवों थी।
- ❖ दूसरी तरफ, आपातकाल के आलोचकों का तर्क था कि आध्यधी के आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन का एक सिलसिला यहा है। जेपी सहित विपक्ष के अन्य नेत्यओं का खयाल था कि लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए।
- ❖ बिहार और गुजरात में चले विरोध-आंदोलन ज्यादातर समय अहिंसक और श्लोतपूर्ण रहे जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन पर कभी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त

रहने का मुकदमा नहीं चला। अधिकतर बंदियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। देश के अंदरूनी मामलों की देख-रेख का जिम्मा गृह मंत्रालय का होता है।

- ❖ गृह मंत्रालय ने भी कानून व्यवस्था की बाबत कोई चिंता नहीं जतायी थी। अगर कुछ आंदोलन अपनी हद से बाहर जा रहे थे, तो सरकार के पास अपनी रोजमर्रा की अमल में आने वाली इतनी शक्तियाँ थी कि वह ऐसे आंदोलनों को हद में ला सकती थी। लोकतान्त्रिक कार्यप्रणाली को ठप्प करके आपातकाल लागू करने जैसे अतिचारी कदम उठाने की जरूरत कतई न थी।
- ❖ दरअसल खतरा देश की एकता और अखंडता को नहीं, बल्कि शासक दल और स्वयं प्रधानमंत्री को था। आलोचक कहते हैं कि देश को बचाने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान का
- ❖ दुरुपयोग इंदिरा गाँधी ने निजी ताकत को बचाने के लिए किया।

आपातकाल के दौरान क्या-क्या हुआ?

- ❖ सरकार ने कहा कि वह आपातकाल के जरिए कानून व्यवस्था को बहाल करना चाहती थी, कार्यकुशलता बढ़ाना चाहती थी और गरीबों के हित के कार्यक्रम लागू करना चाहती थी। इस उद्देश्य से सरकार ने एक बीस सूत्रों कार्यक्रम की घोषणा को और इसे लागू करने का अपना दृढ़ संकल्प दोहराया।
- ❖ चीस सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार भू-पुनर्वितरण, सोतिहर मजदूरों के पारिश्रमिक यर पुनर्विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी को समाप्ति, आदि मसले शामिल थे।
- ❖ आपातकाल की घोषणा के बाद शुरुआती महीनों में मध्यवर्ग इस बात से बड़ा खुश था कि विरोध आंदोलन समाप्त हो गया और सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासन साग हुआ। गरीब और ग्रामीण जनता को भी उम्मीद थी कि सरकार जिन कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के बावई कर रही है, उन्हें जब कारगर तरीके से लागू किया जाएगा। समाज के विभिन्न वर्गों को अलग-अलग अपेक्षाएँ चों और इस कारण आपातकाल को लेकर उनके दृष्टिकोण भी अलग-अलग थे।
- ❖ आपातकाल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि सरकार के ज्यादातर वायदे पूरे नहीं हुए। आलोचकों का कहना है कि सरकार अपने वायदों को आड़ लेकर ज्यादातियों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती थी। आलोचकों ने निवारक नजरबंदी के

बड़े पैमाने के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। आपातकाल के दौरान अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल, कुल 676 नेताओं को गिरफ्तारी हुई थी। शाह आयोग का आकलन था कि निवारक नजरबंदी के कानूनों के तहत लगभग एक लाख ग्यारह हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया।

- ❖ प्रेस पर कई तरह को पाबंदी लगाई गई। इसमें कई पार्वोद्यों गैर-कानूनी थीं। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली बिजली आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से 26 जून 1975 की रात मौखिक आदेश मिला कि सभी अखबारों की बिजली आपूर्ति काट दी जाए। डॉ अखबारों को बिजली आपूर्ति दो-तीन दिन बाद फिर बहाल को गई, लेकिन तब तक सेंसरशिप का पूरा ढाँचा खड़ा किया जा चुका था। इसके अलावा कुछ और भी गंभीर आरोप ऐसे लोगों को लेकर लगे थे जो किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, लेकिन सरकारी ताकत का इन लोगों ने इस्तेमाल किया था।
- ❖ प्रधानमंत्री के छोटे बेटे संजय गाँधी उस वक्त किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे। फिर भी, प्रशासन पर उनका असर था और आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सरकारी कामकाज में दखल दिया।
- ❖ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और प्रेस पर लगी पाबंदी के अतिरिक्त, आपातकाल का बुरा असर आमलोगों को भी भुगतना पड़ा।
- ❖ आपातकाल के दौरान पुलिस हिरासत में मौत और यातना की घटनाएँ घटीं। गरीब लोगों को मनमाने ढंग से एक जगह से उजाड़कर दूसरी जगह बसाने की भी घटनाएँ हुई। जनसंख्या नियंत्रण के अति उत्साह में लोगों को अनिवार्य रूप से नसबंदी के लिए मजबूर किया गया।

आपातकाल के सबक

- ❖ आपातकाल से एकबारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियों उजागर हो गई।
- ❖ हालाँकि बहुत में पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, लेकिन यह भी ध्यान देने

की बात है कि बोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट आया।

- ❖ इस तरह आपातकाल का एक सबक ती यही है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है।
- ❖ आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए जिन्हें बाद में सुधार लिया गया।
- ❖ अब अदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को लिखित में दे।
- ❖ आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई।
- ❖ न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों को कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी। अब वह नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गई। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन वजूद में आए।

आपातकाल

- ☞ 25-26 जून की रात 1975 से 21 मार्च 1977 तक (2) महीने के लिए भारत में आपातकाल घोषित किया तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी।
- ☞ स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक समय था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे और सभी नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था।
- ☞ इसकी जड़ में 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के चार साल बाद राज नारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी।
- ☞ 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन

पर छह साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और उनके मुकाबले हारे और श्रीमती गांधी के चिरप्रतिद्वंद्वी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया था।

- ☞ राजनारायण सिंह की दलील थी कि इन्दिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया।
- ☞ अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया था। इसके चावजद श्रीमती गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तब कांग्रेस पार्टी ने भी बफल जारी कर कहा था कि इन्दिरा गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है।
- ☞ इसी दिन गुजरात में चिमनभाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मार्च को भारी विजय मिली। इस दोहरी चोट से इंदिरा गांधी बौखला गई।
- ☞ इन्दिरा गांधी ने अदालत के निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते को घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने को घोषणा कर दी गई।

आपातकाल का प्रभाव

- ☞ इस दौरान जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया।
- ☞ आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करवाकर अज्ञात स्थानों पर रखा गया। सरकार ने मीसा (मैटीनेन्स ऑफ इंटरनल सिक्यूरिटी एक्ट) के तहत कदम उठाया। उस समय बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन अपने चरम पर था।
- ☞ कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग जनता में इंदिरा सरकार इतनी अलोकप्रिय हो चुकी थी कि चारों ओर से उन पर सत्ता छोड़ने का दबाव था। लेकिन सरकार ने इस जनमानस को दबाने के लिए तानाशाही का रास्ता चुना।
- ☞ 25 जून, 1975 को दिल्ली में हुई विराट रैली में जय प्रकाश नारायण ने पुलिस और सेना के जवानों से आग्रह किया कि शासकों के असंवैधानिक आदेश न माने। तब जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

- ☞ यह ऐसा कानून था जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था।
- ☞ विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज, जयप्रकाश नारायण और चन्द्रशेखर को भी जेल भेज दिया गया, जो इन्दिरा कांग्रेस की कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे।
- ☞ आपातकाल लागू करने के लगभग दो साल बाद विरोध की लहर तेज होती देख इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर 1977 में चुनाव कराने की सिफारिश कर दी।
- ☞ चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायवरलो से चुनाव हार गई।
- ☞ जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 133 पर सिमट गई और 30 वर्षों के कार केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक मो सीट नहीं मिली।
- ☞ नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए फैसलों की जांच के लिए शाह आयोग गठित किया। नई सरकार दो साल हो टिक पाई और अंदरूनी अंतर्विरोधों के कारण 1979 में सरकार गिर गई। उपप्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों की दोहरो सदस्यता का सवाल उठाया जो जनसंघ के भी सदस्य थे।
- ☞ इसी मुद्दे पर चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन उनको सरकार मात्र पांच महीने ही चल सकी। उनके नाम पर कभी संसद नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड दर्ज हो गया।
- ☞ ढाई साल बाद हुए आम चुनाव में इन्दिरा गांधी फिर से जीत गई। हालांकि जत्ता पार्टी ने अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल में संविधान में ऐसे प्रावधान कर दिए जिससे देश में फिर आपातकाल न लग सके।
- ☞ इसके बाद देश में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा। कांग्रेस की देखादेखी वंशवाद प्रायः सभी दलों में पहुंच गया। ऊपर से देखने पर लोकतंत्र तो है पर वह कुछ परिवारों के पास हो बंधक बनकर रह गया है।

आपातकाल के बाद की राजनीति

- ❖ 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे। उत्तर भारत में तो खासतौर पर क्योंकि यहाँ आपातकाल का असर सबसे ज्यादा महसूस किया गया था।
- ❖ विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था। सवक एकदम साफ था और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी स्थिति यही रही।
- ❖ जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना उसे मतदाता के रूप में उसने भारी दंड दिया। इस अर्थ में देखें तो 1975-77 के अनुभवों की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को पुख्ता बनाने में हुई।

लोकसभा के चुनाव 1977

- ❖ आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव भारतीय इतिहास में निर्णायक चुनाव था। इन आम चुनाव में पहली बार देश में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने।



मोरारजी देसाई बने पहले गैर-कांग्रेसी PM (फोटो- नवभारतटाइम्स,कॉम)

- ❖ आपातकाल के बाद 1977 में भारत के छठे लोकसभा चुनाव हुए। इस आम चुनाव में जनता ने पहली गैरकांग्रेसी सरकार को चुनकर मानो इमर्जेन्सी के दौरान हुए सभी 'जुल्मों' का हिसाब ले लिया था। जनता ने कांग्रेस को हराकर सत्ता की चाबी जनता पार्टी के हाथों में दे दी। फिर कांग्रेस से ही अलग हुए 81 साल के मोरारजी देसाई को पहला गैरकांग्रेसी प्रधानमंत्री चुना गया। लेकिन यह सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे बदले कि 1980 में फिर से चुनाव हुए।

मिली 'दूसरी आजादी',

- ❖ विपक्षियों ने बनाई जनता पार्टी 19 महीने बाद जब आपातकाल खत्म हुआ तो यह लोगों के लिए दूसरी आजादी जैसा था। विपक्षी नेताओं को रिहा किया गया। हालात सामान्य होने लगे। इसके बाद जनसंघ, कांग्रेस (ओ), भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी ने एक होकर जनता पार्टी बनाई, जिसने कांग्रेस को शिकस्त दी। जनता पार्टी यह कहकर लोगों के बीच गई थी कि वह लोकतंत्र को फिर से स्थापित करने आई है।
- ❖ 'सिंहासन खाली करो, जनता आती है' जैसे नारे भी इसी वक्त सुनने में आए। जनता से 'लोकतंत्र या तानाशाही' में से किसी एक को चुनने तक को कहा गया। इसी बीच कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं (जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा आदि) ने कांग्रेस छोड़ी, जिससे पार्टी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

- ❖ जेपी आंदोलन से नए नेताओं का उदय 1974 में पटना के गांधी मैदान में जय प्रकाश नारायण ने एक बड़ी जनसभा की और 'संपूर्ण क्रांति' की घोषणा की। आपातकाल के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। जेपी ने इस आंदोलन के लिए एक साल तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बंद करने का आह्वान किया। जेपी आंदोलन से जुड़े लोगों को जेल जाना पड़ा। जेपी आंदोलन से ही कई दिग्गज नेता निकले। इनमें जॉर्ज फर्नांडिज, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी और शरद यादव शामिल हैं।



जॉर्ज फर्नांडिज और लालू यादव जैसे नेता पट्टेचे संसद

- ❖ उत्तर भारत में कांग्रेस का सूपड़ा साफ आपातकाल और उस दौरान चलाए गए जबरन नसबंदी के

अभियान ने उत्तर भारत में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। बिहार और उत्तरप्रदेश जैसे दो मुख्य राज्यों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं अन्य हिंदी भाषी राज्य जैसे राजस्थान और मध्यप्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ एक-एक सीट मिली। राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी।

- ❖ **अपनी सीट तक नहीं बचा पाई इंदिरा**
इंदिरा गांधी ने 1977 के जनवरी माह में लोकसभा भंग कर आम चुनाव की घोषणा की। इसके बाद 16 से 19 मार्च तक वोटिंग हुई और 20 मार्च को वोटों की गिनती शुरू हुई। जिसमें 542 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस तरह कांग्रेस को करीब 200 सीटों का नुकसान हुआ था। वहीं जनता पार्टी ने 295 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में इंदिरा (रायबरेली) और उनके बेटे संजय गांधी भी हार गए थे।
- ❖ **शाह आयोग का गठन, दो बार गिरफ्तार हुई इंदिरा**
आपातकाल के दौरान इंदिरा सरकार ने लोगों के अधिकारों का कैसे-कैसे हनन किया इसकी जांच के लिए जनता पार्टी ने शाह आयोग का गठन किया। इसके साथ ही अपनी शक्ति के गलत इस्तेमाल के लिए इंदिरा को नाटकीय ढंग से दो बार अरेस्ट भी किया गया। जिसमें वह पहली बार एक दिन और दूसरी बार करीब एक हफ्ते के लिए जेल में रहीं।
- ❖ **इंदिरा ने जीता खोया भरोसा, कमजोर हुई जनता पार्टी**
इस बीच कांग्रेस में फिर विरोध शुरू हो गया, कई सीनियर नेताओं को लगा कि इंदिरा का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है। इसके बाद इंदिरा ने कांग्रेस (आई) का गठन किया। अलग पार्टी बनाने के एक महीने बाद इंदिरा ने 1978 में कर्नाटक और आंध्रप्रदेश के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की। यह हाथ के निशान वाली कांग्रेस की पहली जीत थी। दूसरी तरफ 1978 के अंत तक जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कोई बड़ा बदलाव करके नहीं दिखाया था, जिससे जनता प्रभावित हो। उल्टा अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि और ज्यादा बढ़ गए। वहीं शुरुआत से चली आ रही कलह पार्टी को लगातार कमजोर कर रही थी।

जनता पार्टी की सरकार गिराने के मौके ढूंढ़ रहे थे संजय गांधी

दरअसल, चरण सिंह इंदिरा पर सख्त ऐक्शन लेने के पक्षकार थे। इसपर अनबन इतनी बढ़ गई कि मोरारजी देसाई ने चरण सिंह और इंदिरा को चुनाव हरानेवाले राज नारायण को पार्टी से निकाल दिया। दूसरी तरफ जनता पार्टी की सरकार गिराने के जुगाड़ लगा रहे संजय गांधी ने उस मौके को भुनाने का सोचा। उन्होंने चरण सिंह के हनुमान कहे जानेवाले राज नारायण से करीबी बढ़ाई। इस बीच मोरारजी ने दोनों सीनियर नेताओं को पार्टी में तो ले लिया, लेकिन अनबन बनी रही।

नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम के बाद 1980 में हुए चुनाव

दूसरी तरफ संजय गांधी किसी तरह जनता पार्टी की सरकार गिराने का जुगाड़ लगा रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने राज नारायण को मना लिया कि वह भारतीय लोक दल का समर्थन जनता पार्टी सरकार से वापस ले लें। संजय ने वादा किया था कि कांग्रेस चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनने में मदद करेगी। इसपर राज नारायण राजी हो गए। फिर मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जनता पार्टी की सरकार गिराई गई। वादे के मुताबिक, चरण सिंह पीएम भी बने लेकिन सिर्फ 23 दिन के लिए। इसके बाद इंदिरा ने उनसे समर्थन वापस ले लिया और फिर 1980 में चुनाव की घोषणा हो गई। इसके साथ ही चरण सिंह इकलौते ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए, जिनकी सरकार संसद में कदम रखने से पहले ही गिर गई।

विरासत

- ❖ 1977 और 1980 के चुनावों के बीच दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आए। 1969 के बाद से कांग्रेस का सबको समाहित करके चलने वाला स्वभाव बदलना शुरू हुआ। 1969 से पहले तक कांग्रेस विविध विचारधारात्मक गति-मति के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक में समेटकर चलती थी।
- ❖ अपने बदले हुए स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को विशेष विचारधारा से जोड़ा। उसने अपने को देश की एकमात्र समाजवादों और गरीबों को हिमायती पार्टी बताना शुरू किया। इस तरह 1970 के दशक के शुरुआती सालों से कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि वह गहरे सामाजिक और विचारधारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ

कितना खींच पाती है। इसके साथ-साथ यह पार्टी अब एक नेता यानी इंदिरा गाँधी की लोकप्रियता पर भी निर्भर हुई।

- ❖ कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलावों के मद्देनजर अन्य विपक्षी दल गैर-कांग्रेसवाद की राजनीति की तरफ मुड़े। विपक्ष के नेताओं को अब यह बात साफ-साफ नजर आने लगी कि चुनावों में गैर-कांग्रेसी वोट विखरने नहीं चाहिए। इस चीज ने 1977 के चुनावों में एक बड़ी भूमिका निभाई। ए अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हुआ। 1977 के चुनाव परिणामों पर पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा था, खासकर उत्तर भारत में।
- ❖ लोकसभा के चुनावों के बाद, 1977 में कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए। इसमें भी उत्तर भारत के राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। इन सरकारों के बनने में पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा।
- ❖ संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल के मूल में था। दूसरी तरफ यह राजनीतिक संकट का भी दौर था। सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। फिर भी, इसके नेतृत्व ने लोकतंत्र को ठप्प करने का फैसला किया।
- ❖ भारतीय संविधान के निर्माताओं को विश्वास था कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मानकों का पालन करेंगे। उन्हें यह भी विश्वास था कि आपातकाल की स्थिति में भी सरकार अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल विधि के शासन के दायरे में रहते हुए ही करेगी। इन शक्तियों के आपातकाल के दौरान दुरुपयोग हुआ।
- ❖ इस दौर में एक और महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन को भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठा। स्पष्ट हो इस दौर में संस्था आधारित लोकतंत्र और स्वतःस्फूर्त जन भागीदारों पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नजर आया।

चारु मजूमदार (1918-1972):

- ❖ कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और नक्सलवाद बगावत के नेता: आजादी से पहले तेभागा आंदोलन में भागीदारी सोपाई डो और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियामासवादी-लेनिनवादी) को

स्थापना: किसान विद्रोह के माओवादी पंच में विश्वास: क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक पुलिस हिरासत में मौत

लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) (1902-1979):

- ❖ युवावस्था में मार्क्सवादी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव: 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक: नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में देखे गए: नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार 1955 के बाद सक्रिय राजनीति डोही: गाँधीवादी बनने के बाद भूदान आंदोलन में संक्रिय: नगा विद्रोहियों से सुलह की बातचीत की; कश्मीर में शांति प्रयास किए; वंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण कराया: बिहार आंदोलन के नेता; आपातकाल के विरोध के प्रतीक बन गए थे जनता पार्टी के गठन के प्रेरणास्त्रोत।

मोरारजी देसाई (1896-1995):

- ❖ स्वतंत्रता सेनानी, गाँधीवादी नेता: खादी, प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक: चॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री: 1967-1969 के बीच उप-प्रधानमंत्री; पार्टी में टूट के बाद कांग्रेस (ओ) में शामिल; 1977-1979 तक एक गैर-कांग्रेसी दल की तरफ से प्रधानमंत्री रहे।

चौधरी चरण सिंह (1902-1987):

- ❖ जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री: स्वतंत्रता सेनानी; उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय; ग्रामीण एवं कृषि विकास के समर्थक: कांग्रेस छोड़ी और 1967 में भारतीय क्रांति दल का गठन: उत्तर प्रदेश में दो बार मुख्यमंत्री; बाद में 1977 में जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक, उप-प्रधानमंत्री और गृहमंत्री (1977-79); लोकदल के संस्थापक।

जगजीवन राम (1908-1986):

- ❖ स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के कांग्रेसी नेता; 1977-79 के बीच भारत के उप-प्रधानमंत्री: संविधान सभा के सदस्य: 1952 से मृत्युपर्यंत सांसद: स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री; 1952 से 1977 के बीच अनेक मंत्रालयों की जिम्मेदारी; विद्वान और कुशल प्रशासक।

क्षेत्रीय आकांक्षाएं

एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा , धर्म , संस्कृति , भौगोलिक विशिष्टाओं आदि के आधार के रूप में समझ जा सकता हैं।

क्षेत्र और राष्ट्र :-

- ❖ 1980 के दशक में देश के कई हिस्सों में स्वायत्तता की माँग उठी। यों तो सरकार ने इन मांगों को दबाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। स्वायत्तता की माँग को लेकर चले अधिकांश संघर्ष लम्बे समय तक जारी रहे और अंततः केन्द्र सरकार को स्वायत्तता के आन्दोलन की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौते करने पड़े।

भारत सरकार का नज़रिया :-

- ❖ भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र-विरोधी नहीं मानता। लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के भी पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल व समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा या किसी विशेष क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं का नेतृत्व करें।
- ❖ भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता बहुत है धर्म, रंग-रूप, जाति, संस्कृति, भाषाएं, रीति-रिवाज के लोग रहते हैं।
- ❖ ऐसे में अलगाववाद, क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठना लाजमी है लेकिन भारत सरकार का नज़रिया इनको लेकर बहुत अच्छा है।
- ❖ क्षेत्रीय तथा क्षेत्रवाद को बातचीत के जरिए समझाने का प्रयास किया है। भारत में इतनी विविधता होने पर भी राष्ट्रवाद की भावनाएं लोगों में है, राष्ट्रवाद जनता के बीच एकता बनाए रखती है।
- ❖ भारत में विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया।

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ :-

- ❖ एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा , धर्म , संस्कृति , भौगोलिक विशिष्टाओं आदि के आधार के रूप में समझ जा सकता हैं।

स्वययत्ता का अर्थ :-

- ❖ स्वययत्ता का अर्थ होता है किसी राज्य के द्वारा कुछ विशेष अधिकार माँगना । देश मे कई हिस्सों में ऐसी माँग उठाई गई । कुछ लोगो मे अपनी माँग के लिए हथियार भी उठाए ।
- ❖ भारत में सन् 1980 के दशक को स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता हैं ।
- ❖ कई बार संकीर्ण स्वार्थी, विदेशी प्रोत्साहन आदि के कारण क्षेत्रीयता की भावना जब अलगाव का रास्ता पकड़ लेती है तो यह राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए गम्भीर चुनौती बन जाती है

क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण :-

- ❖ धार्मिक विभिन्नता
- ❖ सांस्कृतिक विभिन्नता
- ❖ भौगोलिक विभिन्नता
- ❖ राजनीतिक स्वार्थ
- ❖ असंतुलित विकास
- ❖ क्षेत्रीय राजनीतिक दल इत्यादि

पृथकतावाद का अर्थ :-

जब किसी क्षेत्र के लोगों में क्षेत्रीय भावनाएँ तीव्र होने लगती हैं तथा राष्ट्र से अलग होने की भावना पैदी होती है तो उसे पृथकतावाद कहा जाता है ।

क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में अंतर :-

- ❖ क्षेत्रवाद :- क्षेत्रीय आधार पर राजनीतिक, आर्थिक एवं विकास सम्बन्धी मांग उठाना ।
- ❖ पृथकतावाद :- किसी क्षेत्र का देश से अलग होने की भावना होना या मांग उठाना ।

जम्मू एवं कश्मीर :-

- ❖ जम्मू और कश्मीर के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था।

- ❖ जम्मू और कश्मीर को हिंसा, सिमा पार का आतंकवाद इसके आलवा कश्मीरी पंडितों के पलायन भी हुआ।
- ❖ जम्मू और कश्मीर तीन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों- जम्मू, कश्मीर और लदाख से बना हुआ है।
- ❖ **‘कश्मीर विषय :-** भारतीय संघ में एकीकरण के साथ ही, कश्मीर स्वातंत्र्योत्तर भारत का एक ज्वलंत विषय बना रहा है। समस्या तब और जटिल हो गई जब इसे अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35-ए के माध्यम से संविधान में एक विशेष स्थान दिया गया-
- ❖ अनुच्छेद 370 ने इसे पृथक संविधान / संविधान सभा/ध्वज, मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के रूप में तथा राज्यपाल का सदर एरियासत के रूप में नव नामांकन, राज्य में अधिकांश संघीय नियमों का गैर-प्रवर्तन जैसे विशेष अधिकार प्रदान किए, जबकि राज्य में संपत्ति क्रय को वर्जित करता है।
- ❖ जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति के एक निशान, एक प्रधान का प्रसार करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में अनुच्छेद 370 तथा 35-ए को निरस्त करने का आह्वान किया गया।
- ❖ वर्तमान सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 तथा 35-ए के उन्मूलन हेतु राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया। लोक सभा में इस विधेयक को 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया।
- ❖ 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात, धारा 370 तथा 35-ए को निरस्त कर दिया तथा जम्मू और कश्मीर दो केन्द्र शासित प्रदेशों, लदाख तथा जम्मू और कश्मीर में विभक्त हो गया।

बाहरी और आंतरिक झगड़े :-

- ❖ पाकिस्तान ने सदा दावा किया को कश्मीर घाटी पाकिस्तान का है जिसे ‘आजाद कश्मीर ‘ कहते हैं।
- ❖ भारत दावा करता है कि इस क्षेत्र पर गैरकानूनी कब्जा किया गया है।
- ❖ 1947 से कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मुद्दा बना रहा।

1948 से राजनीति :-

- ❖ पहले C.M शेख अब्दुल ने भूमि सुधार, जन कल्याण के लिए काम किया।

- ❖ कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार और कश्मीर सरकार में मतभेद हो जाते थे
- ❖ 1953 में शेख अब्दुल्ला बर्खास्त।
- ❖ इसके बाद जो नेता आए वो शेख जितने लोकप्रिय नहीं थे। केंद्र के समर्थन पर सत्ता पर रहे पर धांधली का आरोप लगा
- ❖ 1953 से 1974 तक कांग्रेस का राजनीति पर असर रहा।
- ❖ 1974 में इंदिरा ने शेख अब्दुल्ला से समझौता किया और उन्हें CM बना दिया
- ❖ दुबारा National congress को खड़ा किया। 1977 में बहुमत मिला। 1982 में मौत हो गई।
- ❖ 1982 में शेख की मौत के बाद N.C की कमान उनके बेटे फारूख अब्दुल्ला ने संभाली। फारूख C.M बने।
- ❖ 1986 में केंद्र ने N.C से चुनावी गठबन्धन किया
- ❖ 1987 में फारूख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने।
- ❖ 1996 फारूख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग के साथ सत्ता में आई।
- ❖ 2009 में एक और मिली-जुली सरकार (नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनी) उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सत्ता में आई।
- ❖ 2014 में पीडीपी के मुक्ति मोहम्मद सईद के नेतृत्व में बीजेपी के साथ एक मिली-जुली सरकार सत्ता में आई।
- ❖ 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी महबूबा मुफ्ती बनी।
- ❖ 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया।

पंजाब संकट :-

- ❖ 1920 के दशक में गठित अकाली दल ने पंजाबी भाषी क्षेत्रों के गठन के लिए आन्दोलन चलाया जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब प्रान्त से अलग करके सन् 1966 में हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा तथा पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश बनाये गये।
- ❖ अकाली दल से सन् 1973 के आनन्दपुर साहिब सम्मेलन में पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग उठी। कुछ धार्मिक नेताओं ने स्वायत्त सिक्ख पहचान की मांग की और

कुछ चरमपन्थियों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की मांग की।

- ❖ ऑपरेशन ब्लू स्टार :- सन् 1980 के बाद अकाली दल पर उग्रपन्थी लोगों का = नियन्त्रण हो गया और इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में अपना मुख्यालय बनाया। सरकार ने जून 1984 में उग्रवादियों को स्वर्ण मन्दिर से निकालने के लिए सैन्य कार्यवाही की।

इन्दिरा गांधी की हत्या :-

- ❖ इस सैन्य कार्यवाही को सिक्खों ने अपने धर्म, विश्वास पर हमला माना जिसका बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को इन्दिरा गांधी की हत्या की गई तो दूसरी तरफ उत्तर भारत में सिक्खों के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी।

पंजाब समझौता :-

- ❖ पंजाब समझौता जुलाई 1985 में अकाली दल के अध्यक्ष हर चन्द सिंह लो गोवाल तथा राजीव गांधी के समझौते ने पंजाब में शान्ति स्थापना के प्रयास किये।

पूर्वोत्तर भारत :-

- ❖ पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएँ 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थी। क्षेत्र में सात राज्य हैं और इन्हें 'सात बहनें' कहा गया है।
- ❖ इस क्षेत्र में कुल 4 फीसदी आबादी निवास करती हैं।
- ❖ यहाँ की सीमायें चीन, म्यामांर, बांग्लादेश और भूटान से लगती हैं।
- ❖ पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में स्वायत्ता की मांग अलगाववादी आंदोलन तथा बाहरी लोगों का विरोध मुद्दे प्रभावी रहे हैं।

स्वायत्तता के लिए आंदोलन :-

- ❖ आजादी के समय मणिपुर एवं त्रिपुरा को छोड़कर पूरा क्षेत्र असम कहलाता था जिसमें अनेक भाषायी जनजातिय समुदाय रहते थे इन समुदायों ने अपनी विशिष्टता को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग राज्यों की मांग की।

अलगाववादी आन्दोलन:-

1. **मिजोरम** सन् 1959 में असम के मिजो पर्वतीय क्षेत्र में आये अकाल का असम सरकार द्वारा उचित प्रबन्ध न करने पर यहाँ अलगाववादी आन्दोलन उभरे।
2. सन् 1966 मिजो नेशनल फ्रंट (M.N.F.) ने लाल डेंगा नेतृत्व में आजादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान चलाया। 1986 में राजीव गांधी तथा लाल डेंगा के बीच शान्ति समझौता हुआ और मिजोरम पूर्ण राज्य बना।
3. **नागालैण्ड** नागा नेशनल काउंसिल (N.N.C) ने अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व – में सन् 1951 से भारत से अलग होने और वृहत नागालैण्ड की मांग के लिए सशस्त्र संघर्ष चलाया हुआ है। कुछ समय बाद N.N.C में दोगुट एक इशाक मुइवा (M) तथा दूसरा खापलांग (K) बन गये। भारत सरकार ने सन् 2015 में N.N.CM गुट से शान्ति स्थापना के लिए समझौता किया परन्तु स्थाई शान्ति अभी बाकी है।
4. **असम** 1979 से असम के छात्र संगठन आसू (AASU) ने बाहरी लोगों के विरोध में ये आन्दोलन चलाया जिसके परिणाम स्वरूप आसू और राजीव गांधी के बीच 1985 में शान्ति समझौता हुआ। सन् 2016 के असम विधान सभा चुनावों में भी बांग्लादेशी घुसपैठ का प्रमुख मुद्दा था।
- ❖ बाहरी लोगों का विरोध पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ तथा भारत – दूसरे प्रान्तों से आये लोगों को यहां की जनता अपने रोजगार और संस्कृति के लिए खतरा मानती है।

द्रविड आन्दोलन :-

- ❖ दक्षिण भारत के इस आन्दोलन का नेतृत्व तमिल समाज सुधारक ई.वी. रामास्वामी नायकर 'पेरियार' ने किया।
- ❖ इस आन्दोलन ने उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभुत्व, ब्राह्मणवाद व हिन्दी भाषा का विरोध तथा क्षेत्रीय गौरव बढ़ाने पर जोर दिया।
- ❖ इसे दूसरे दक्षिणी राज्यों में समर्थन न मिलने पर यह तमिलनाडु तक सिमट कर रह गया।
- ❖ इस आन्दोलन के कारण एक नये राजनीतिक दल – “द्रविड कषैगम” का उदय हुआ।
- ❖ यह दल कुछ वर्षों के बाद दो भागों (D.M. K. एवं A.I.A.D.M.K.) में बंट गया ये दोनों दल अब तमिलनाडु की राजनीति में प्रभावी है।

सिक्किम का विलय :-

- ❖ आजादी के बाद भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा व विदेश मामले अपने पास रखे और राजा चोग्याल को आन्तरिक प्रशासन के अधिकार दिये। परन्तु राजा जनता की लोकतान्त्रिक भावनाओं को नहीं संभाल सका और अप्रैल 1975 में सिक्किम विधान सभा ने सिक्किम का भारत में विलय का प्रस्ताव पास करके जनमत संग्रह कराया जिसे जनता ने सहमती प्रदान की। भारत सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर सिक्किम को भारत का 22वाँ राज्य बनाया।

गोवा मुक्ति :-

- ❖ गोवा, दमन और दीव सोलहवीं सदी से पुर्तगाल के अधीन और 1947 में भारत की आजादी के बाद भी पुर्तगाल के अधीन रहे। महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों के सहयोग से गोवा में आजादी का आन्दोलन दिसम्बर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में सेना भेजकर आजाद कराया और गोवा दमन, दीव को संघ शासित क्षेत्र बनाया।
- ❖ गोवा को महाराष्ट्र में शामिल या अलग बने रहने के लिए जनमत संग्रह जनवरी 1967 में कराया गया और सन् 1987 में गोवा को राज्य बनाया गया।

पूर्वोत्तर के सात राज्य :-

- ❖ 1947 में असम
- ❖ 1960 में नागालैंड राज्य बना
- ❖ 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य बने
- ❖ 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम

आनंदपुर साहिब प्रस्ताव :-

सन् 1970 के दशक में अकालियों के एक वर्ग ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की माँग उठायी। सन् 1973 ई. में, आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का एक प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई

थी। प्रस्ताव की माँगों में केन्द्र-राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात भी शामिल थी।

राजीव गाँधी (1944-1991) :-

- ❖ 1984 से 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री; इंदिरा गाँधी के पुत्र; 1980 के बाद राजनीति में सक्रिय।
- ❖ पंजाब के आतंकवादियों, मिजो विद्रोहियों तथा असम में छात्र संघ से समझौता: खुली अर्थव्यवस्था एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के हिमायती।
- ❖ सिंहली-तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना को श्रीलंका की सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका भेजा संदिग्ध एलटीटीई आत्मघाती द्वारा हत्या।

इंदिरा गाँधी की हत्या :-

- ❖ 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गाँधी के अंगरक्षकों ने उनके ही निवास पर उनकी हत्या कर दी।
- ❖ वेयंत सिंह और सतवंत सिंह ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे।
- ❖ सिख विरोधी दंगे में कुल 2000 से अधिक सिख मारे गए थे।

पंजाब समझौता :-

- ❖ चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा।
- ❖ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच नदी जल बंटवारे।
- ❖ पंजाब हरियाणा के बीच सीमा विवाद के सुलझाव के लिए आयोग।
- ❖ उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा।
- ❖ पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम वापस लेना।

Saarthi

THE COACH

1 : 1 MENTORSHIP BEYOND THE CLASSES

- **Diagnosis** of candidates based on background, level of preparation and task completed.
- **Customized solution** based on Diagnosis.
- One to One **Mentorship**.
- Personalized schedule **planning**.
- Regular **Progress tracking**.
- **One to One classes** for Needed subjects along with online access of all the subjects.
- Topic wise **Notes Making sessions**.
- One Pager (**1 Topic 1 page**) Notes session.
- **PYQ** (Previous year questions) Drafting session.
- **Thematic charts** Making session.
- **Answer-writing** Guidance Program.
- **MOCK Test** with comprehensive & swift assessment & feedback.



Ashutosh Srivastava
(B.E. , MBA, Gold Medalist)

Mentored 250+ Successful Aspirants over a period of 12+ years for Civil Services & Judicial Services Exams at both the Centre and state levels.



Manish Shukla

Mentored 100+ Successful Aspirants over a period of 9+ years for Civil Services Exams at both the Centre and state levels.

WALL OF FAME



UTKARSHA NISHAD
UPSC RANK - 18



SURABHI DWIVEDI
UPSC RANK - 55



SATEESH PATEL
UPSC RANK - 163



SATWIK SRIVASTAVA
SDM RANK-3



DEEPAK SINGH
SDM RANK-20



ALOK MISHRA
DEPUTY JAILOR RANK-11



SHIPRA SAXENA
GIC PRINCIPAL (PCS-2021)



SALTANAT PARWEEN
SDM (PCS-2022)



KM. NEHA
SUB REGISTRAR (PCS-2021)



SUNIL KUMAR
MAGISTRATE (PCS-2021)



ROSHANI SINGH
DIET (PCS-2020)



AVISHANK S. CHAUHAN
ASST. COMMISSIONER
SUGARCANE (PCS-2018)



SANDEEP K. SATYARTHI
CTO (PCS-2018)



MANISH KUMAR
DIET (PCS-2018)



AFTAB ALAM
PCS OFFICER



ASHUTOSH TIWARI
SDM (PCS-2022)



CHANDAN SHARMA
Magistrate
Roll no. 301349



YOU CAN BE THE NEXT....

8009803231 / 8354021661

**D 22&23, PURNIYA CHAURAH, NEAR MAHALAXMI SWEET HOUSE, SECTOR H, SECTOR E,
ALIGANJ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH 226024**

MRP- 513 Rs.